2017 - 2018

मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश

का

आर्थिक सर्वेक्षण

2017-18

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,
मध्यप्रदेश

प्राक्कथन

मध्यप्रदेश शासन की नीतियों, कार्यक्रमों विकास की गतिविधियों एवं प्रदेश की अर्थ व्यवस्था की स्थिति का विश्लेषण एवं विवेचन के उद्देश्य से **"मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18"** का प्रकाशन किया गया है।

इस प्रकाशन में प्रस्तुत समंकों एवं विभिन्न विकास की गतिविधियों के संबंध में संबंधित विभागों, निकायों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों द्‌वारा समयावधि में उपलब्ध कराई गई जानकारी के लिए में उनका आभारी हूँ। संचालनालय के आर्थिक विश्लेषण संभाग, कम्प्यूटर संभाग एवं तकनीकी संभागों के सतत् प्रयास से ही इसे समयावधि में प्रकाशित किया जाना संभव हो सका है। आशा है कि प्रस्तुत प्रकाशन राज्य की वर्तमान आर्थिक स्थिति, विकास के कार्यक्रमों की उपलब्धियों तथा सामाजिक आर्थिक स्थिति का आंकलन करने के उद्देश्य में सफल होगा। प्रकाशन नीति निर्माताओं, योजना निर्माताओं, सांख्यिकीविदों, शोधकर्ताओं एवं आम नागरिकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। प्रकाशन को अधिक उपयोगी और सार्थक बनाने हेतु सुझावों का स्वागत है।

भोपाल 20 फरवरी, 2018

चितरंजन त्यागी
आयुक्त
आर्थिक एवं सांख्यिकी,
मध्यप्रदेश

प्रकाशन को तैयार करने में सहयोग देने वाले अधिकारी/कर्मचारी

1.	श्री आर. एस. राठौर	अपर संचालक
2.	डॉ. एस. महाले	संयुक्त संचालक
3.	श्रीमती सविता शुक्ला	सहायक संचालक
4.	श्री अतुल आनंद अग्रवाल	सहायक संचालक
5.	श्री राजकुमार कड़वे	सहायक सांख्यिकी अधिकारी
6.	श्री शंकर तायडे	वरिष्ठ कलाकार
7.	श्रीमती गुंजन मिश्रा चतुर्वेदी	अन्वेषक
8.	श्री भवन कुमार चौहान	अन्वेषक
9.	श्री मनमोहन सिंह अहिरवार	स्टेनो टायपिस्ट

अनुक्रमणिका

	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	**आर्थिक स्थिति - एक समीक्षा**	**1-20**
2	**लोक वित्त**	**21-25**
3	**बचत एवं विनियोजन**	**26-32**
	बैंकिंग	26
	बीमा क्षेत्र	31
4	**भाव, खाद्यान्न उपार्जन एवं वितरण**	**33-44**
	भाव स्थिति	33
	खाद्यान्न उपार्जन एवं वितरण	35
5	**कृषि**	**45-97**
	कृषि	45
	मौसम एवं फसल की स्थिति	45
	वाणिज्यिक फसलें	50
	कृषि विकास योजनाएं	51
	कृषि यंत्रीकरण	57
	उद्यानिकी	59
	कृषि विपणन	66
	भंडारण सुविधा	71
	पशुधन एवं डेयरी विकास	73
	पशुधन एवं कुक्कुट विकास	76
	मत्स्य पालन से विकास	86
	वानिकी	88
6	**उद्योग**	**98-118**
	उद्योग विनिर्माण	98
	अधोसंरचना विकास	100
	हाथकरघा उद्योग	102
	संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास	103

	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
	रेशम उद्योग	107
	खादी तथा ग्रामोद्योग विकास	109
	पर्यटन	110
	खनिज	114
7	**अधोसंरचना**	**119-144**
	ऊर्जा	119
	नवीन एवं नवकरणीय उर्जा	128
	परिवहन	130
	पंजीकृत वाहन	131
	लोक निर्माण विभाग की सड़क	136
	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क	137
	सिंचाई	140
	कमांड क्षेत्र (विकास)	142
	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	143
8	**सामाजिक क्षेत्र**	**145-237**
	प्रारम्भिक शिक्षा	145
	माध्यमिक शिक्षा	152
	उच्च शिक्षा	157
	तकनीकी शिक्षा	160
	स्वास्थ्य	163
	पेयजल व्यवस्था	171
	श्रम	172
	रोजगार	175
	प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन	176
	कारखानों की संख्या एवं नियोजन	176
	ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार	177
	स्वच्छ भारत मिशन	181
	शहरी क्षेत्रों में रोजगार	181
	महिला एवं बाल विकास	185
	महिला सशक्तिकरण	189
	महिला वित्त एवं विकास	202

	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
	अनुसूचित जातियों का विकास	204
	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	208
	पिछड़ा वर्ग का कल्याण	226
	अल्पसंख्यक वर्ग का कल्याण	231
	सामाजिक न्याय	233
	नगरीय विकास	237
9	**सुशासन एवं कानून व्यवस्था**	**238-245**
	जेल (पुलिस) विभाग की योजनाएं	238
	गृह (पुलिस) विभाग की योजनाएं	240
10	**मानव विकास**	246-252

परिशिष्ट की सूची

परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	मध्य प्रदेश एवं भारत के चुने हुए समाजार्थिक विकास संकेतांक	253
2	महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन	255
3	महत्वपूर्ण उत्खनित खनिजों का मूल्य	256
4	महत्वपूर्ण खनिजों का प्रतिटन औसत मूल्य	257
5	रोजगार समंक	258
6	मध्यप्रदेश में प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन	259

सांख्यिकीय तालिकाएं

तालिका क्रमांक	तालिकाओं का विवरण	पृष्ठ क्रमांक
2.1	राजकोषीय घाटा	21
2.2	राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां	22
2.3	राजस्व प्राप्तियों की संरचना	23
2.4	राज्य की मुख्य कर राजस्व मदों में वृद्धि	23
2.5	राज्य के करेत्तर राजस्व की वृद्धि	24
2.6	राजस्व तथा पूंजीगत व्यय	24
2.7	शुद्ध लोक ऋण	25
3.1	बैंक शाखा नेटवर्क का विस्तार	26
3.2	बैंकिंग व्यवसाय के मुख्य सूचकांक	28
3.3	राष्ट्रीय मानक से प्रदेश के सूचकांकों की तुलना	28
3.4	वार्षिक साख योजना की उपलब्धि	29
3.5	कमजोर वर्ग को साख अंतर्गत उपलब्धि	29
3.6	आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत नाबार्ड द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं एवं ऋण राशि का विवरण	31
3.7	व्यक्तिगत बीमा पॉलिसियों की उपलब्धियॉ (मध्य क्षेत्र)	32
3.8	पेंशन समूह एवं सामाजिक सुरक्षा योजना (मध्य क्षेत्र)	32
4.1	कृषि पदार्थों के थोक भाव सूचकांक	33
4.2	औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	34
4.3	कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	35
5.1	वर्षा की स्थिति	46
5.2	प्रमुख खाद्यान्न फसलों का क्षेत्राच्छादन	46
5.3	प्रमुख खाद्यान्न फसलों का उत्पादन	47
5.4	दलहनी फसलों का क्षेत्राच्छादन	48
5.5	दलहनी फसलों का उत्पादन	48

तालिका क्रमांक	तालिकाओं का विवरण	पृष्ठ क्रमांक
5.6	प्रमुख तिलहनी फसलों का क्षेत्राच्छादन	49
5.7	प्रमुख तिलहनी फसलों का उत्पादन	49
5.8	प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का क्षेत्राच्छादन	50
5.9	प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन	50
5.10	बी.टी.काटन का क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन	51
5.11	रासायनिक उर्वरकों का वितरण	52
5.12	पौध संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आच्छादित क्षेत्र	52
5.13	प्रमुख मसालों का क्षेत्राच्छादन	62
5.14	प्रमुख मसालों के उत्पादन	62
5.15	प्रमुख साग, सब्जी फसलों का क्षेत्रफल	63
5.16	प्रमुख साग, सब्जी फसलों का उत्पादन	63
5.17	प्रमुख फलों के अंतर्गत क्षेत्राच्छादन	64
5.18	प्रमुख फलों का उत्पादन	64
5.19	प्रमुख पुष्पो का क्षेत्रफल एवं उत्पादन	64
5.20	प्रमुख औषधि का क्षेत्रफल एवं उत्पादन	65
5.21	भण्डारण शाखाओं की संख्या एवं कुल भण्डारण क्षमता	71
5.22	भण्डारण शाखाओं की वित्तीय स्थिति	71
5.23	पशुधन वृद्धि	73
5.24	मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति	76
5.25	दुग्ध संकलन एवं संबद्ध गतिविधियां	81
5.26	वनोत्पादन का विवरण	89
5.27	तेंदूपत्ता का संग्रहण एवं निर्वतन	92
5.28	काष्ठ बांस उत्पादन (विक्रय एवं प्राप्त राजस्व)	95
6.1	रेशम उत्पादन	108
6.2	प्रदेश में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन	115

तालिका क्रमांक	तालिकाओं का विवरण	पृष्ठ क्रमांक
6.3	प्रदेश में स्थित खनिज भण्डार	118
6.4	प्रदेश के खनिज भण्डार	118
7.1	उपलब्ध विद्युत क्षमता	121
7.2	विद्युत उपलब्धता वृद्धि योजना	121
7.3	विद्युत प्रदाय	122
7.4	राजस्व प्राप्ति	126
7.5	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में परिवहन का अंश	131
7.6	पंजीकृत वाहनों की संख्या	132
7.7	प्रदेश में लोकनिर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों की लम्बाई	137
7.8	सिंचाई के स्त्रोत द्वारा कुल सिंचित क्षेत्रफल	140
7.9	सिंचाई क्षमता एवं उपयोग	141
7.10	प्रमुख फसलों के अंतर्गत कुल सिंचित क्षेत्र	142
8.1	राज्य शिक्षा केन्द्र की योजनाऐं	145
8.2	प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शालाओं में नामांकन	147
8.3	प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर शुद्ध नामांकन अनुपात	147
8.4	शाला त्यागी दर	148
8.5	शालाओं की संख्या की स्थिति	152
8.6	कुल नामांकन की स्थिति	152
8.7	कुल नामांकन में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं की नामांकन की स्थिति	153
8.8	कुल नामांकन में अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं की नामांकन की स्थिति	153
8.9	समस्त शासकीय शालाओं में शिक्षकों की संख्या की स्थिति	153
8.10	तकनीकी शिक्षण संस्थायें	160
8.11	शासन द्वारा अनुदान प्राप्त परियोजना संस्थाओं का विवरण	160
8.12	शहरी रोजगार आजीविका मिशन की प्रगति	183
8.13	अनुसूचित जाति विकास द्वारा संचालित आवासीय संस्थाएं	205

तालिका क्रमांक	तालिकाओं का विवरण	पृष्ठ क्रमांक
8.14	आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाएं	209
8.15	अनुसूचित जाति राज्य छात्रवृत्ति की वार्षिक दरें	210
8.16	प्रोत्साहन राशि	228
10.1	मानव विकास सूचकांक	247

चित्रों की सूची

चित्र क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.1	राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित एवं स्थिर (2011-12) भावों पर	1
1.2	विभिन्न उद्योगों से उत्पन्न सकल राज्य मूलवर्धन का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण प्रचलित भागों पर	2
1.3	विभिन्न उद्योगों से उत्पन्न सकल राज्य मूल्यवर्धन का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण स्थिर (2011-12) भावों पर	3
1.4	प्रति व्यक्ति शुद्ध आय प्रचलित एवं स्थिर (2011-12) भावों पर	4
3.1	राष्ट्रीय मानक की तुलना में राज्य की स्थिति	28
5.1	फसल क्षेत्र में विकास दर	45
5.2	दुग्ध उत्पादन	74
5.3	अंडों का उत्पादन	75
5.4	मांस का उत्पादन	75
6.1	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना	99
6.2	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में पूंजी निवेश करोड रूपये	99
6.3	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में निर्मित रोजगार	100
7.1	विद्युत विक्रय	123
7.2	अधिकतम विद्युत मांग की आपूर्ति	123
7.3	विद्युत पारेषण प्रणाली में इनपुट	124
7.4	विद्युत का उपयोग	125

बाक्स की सूची

बाक्स क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
5.1	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	53
6.1	खनिज उत्पादन	114
6.2	खनिज नीति एवं खनिज प्रशासन	116
7.1	उर्जा विभाग	120
7.2	मार्गों का चयन	138
8.1	प्राथमिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण	146
8.2	विभाग की गतिविधियां एवं उद्येश्य	202
8.3	कन्या साक्षरता प्रोत्साहन	210

1

आर्थिक स्थिति - एक समीक्षा

1.1 आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर भावों पर मध्यप्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय वर्ष 2016-17 (त्वरित) की तुलना में वर्ष 2017-18 (अग्रिम) में 7.30 प्रतिशत वृद्धि दर का अनुमान है जबकि वर्ष 2016-17 (त्वरित) में वर्ष 2015-16 (प्रावधिक) की तुलना में 14.01 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी थी। प्रचलित एवं स्थिर भावों पर विगत वर्षों में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को चित्र 1.1 में प्रदर्शित किया गया है।

चित्र 1.1

राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित एवं स्थिर (2011-12) भावों पर

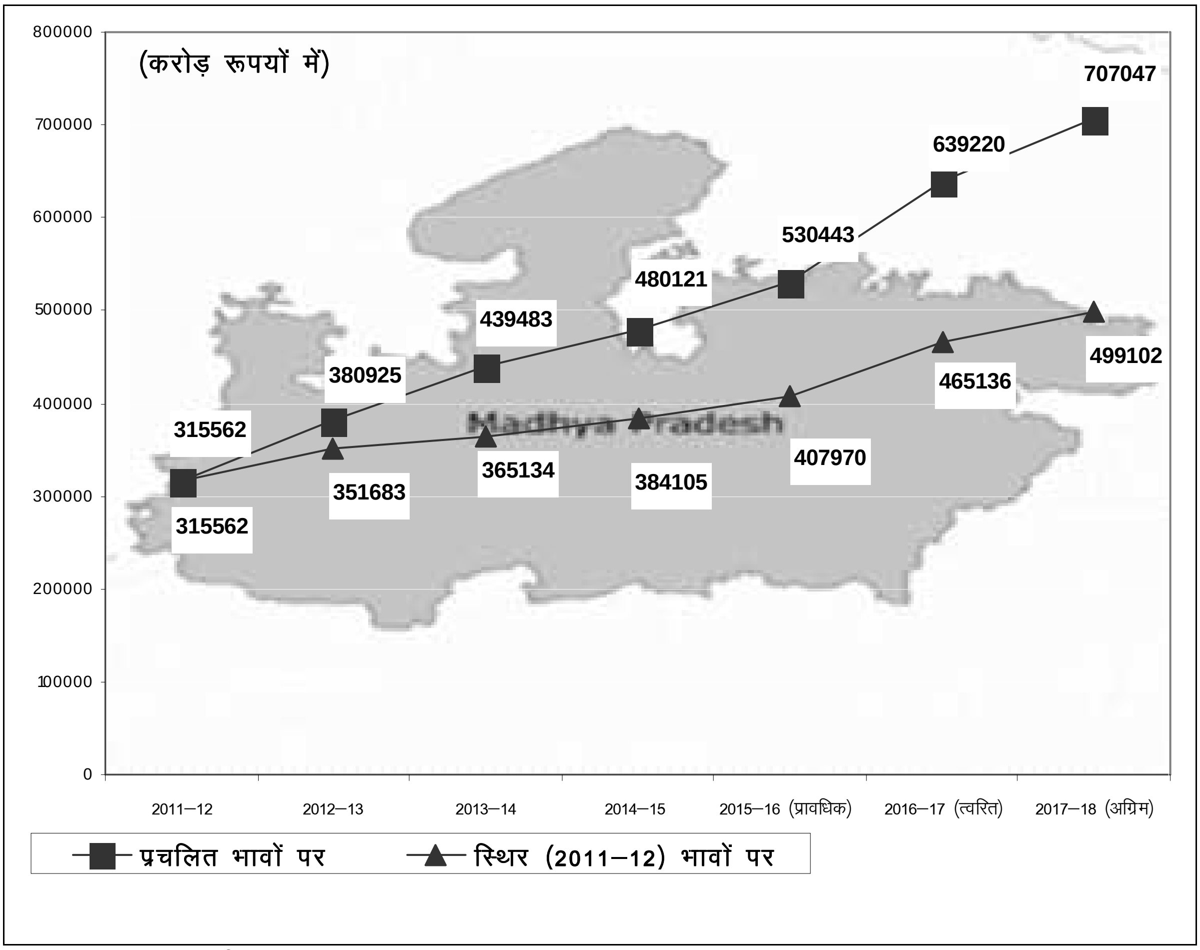

आधार वर्ष (2011-12) के स्थिर भावों पर प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 315562 करोड रूपये था। जो वर्ष 2016-17 (त्वरित) एवं 2017-18 (अग्रिम) में बढकर 465136

करोड एवं 499102 करोड रूपये होने का अनुमान है। जो आधार वर्ष से क्रमश: 47.40 एवं 58.16 प्रतिशत अधिक है।

1.2 सकल राज्य मूल्यवर्धन के वृहद क्षेत्रवार निष्पादन में आधार वर्ष 2011-12 की तुलना में प्राथमिक क्षेत्र के अंश में वृद्धि हुई है प्राथमिक क्षेत्र का अंश वर्ष 2011-12 में 33.85 प्रतिशत था जो वर्ष 2016-17 (त्वरित) एवं 2017-18 (अग्रिम) में बढ़कर 38.44 प्रतिशत एवं 36.86 प्रतिशत स्थिर (2011-12) भावों पर रहा । जबकि तृतीयक क्षेत्र का अंश वर्ष 2011-12 में 39.06 प्रतिशत था । जो वर्ष 2016-17 (त्वरित) एवं 2017-18 (अग्रिम) में क्रमशः 37.69 प्रतिशत एवं 38.68 प्रतिशत स्थिर (2011-12) भावों पर रहा । जो **चित्र 1.2 एवं 1.3** में प्रदर्शित है ।

चित्र 1.2

विभिन्न क्षेत्रकों से उत्पन्न सकल राज्य मूल्यवर्धन का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण

प्रचलित भावों पर

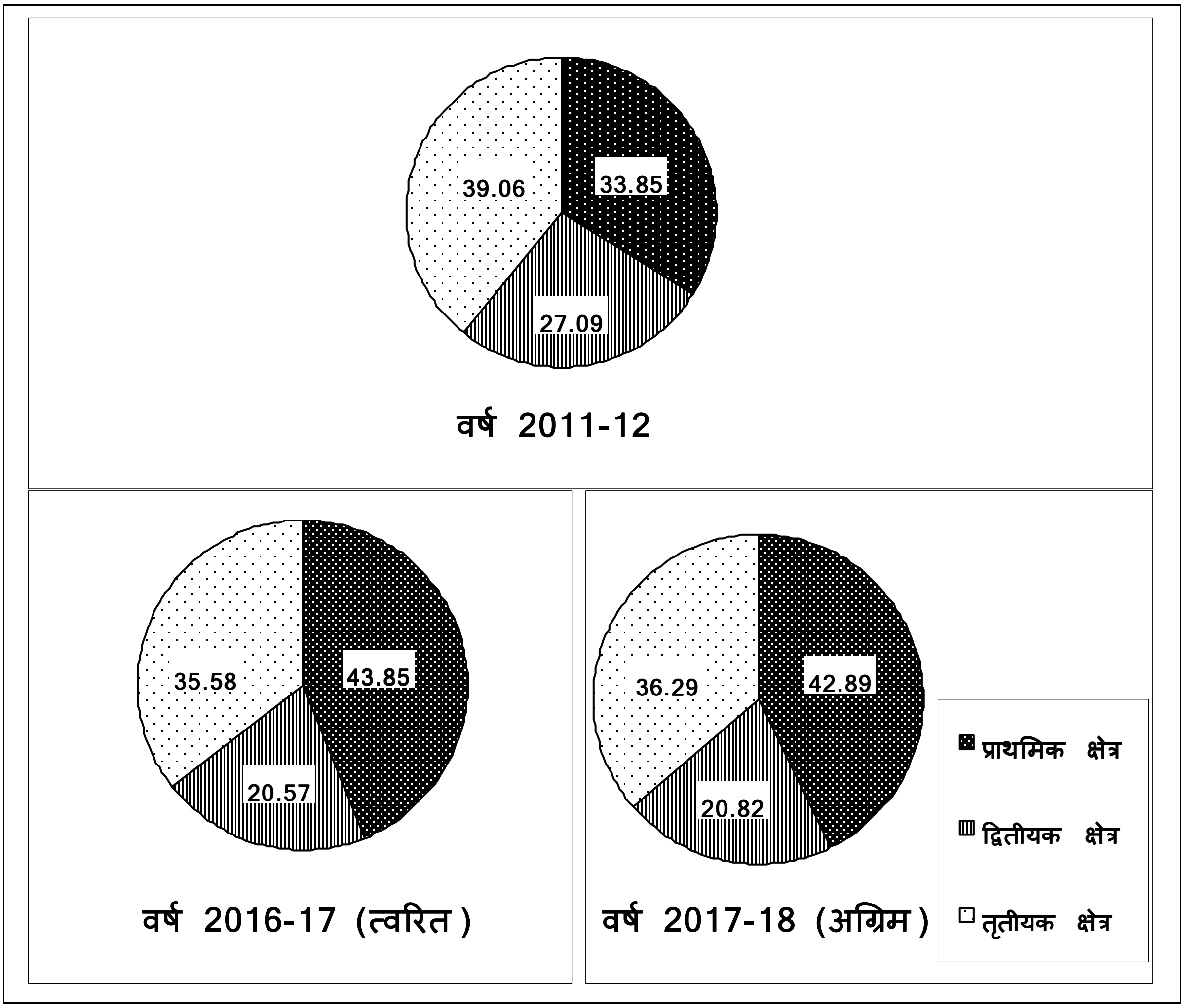

चित्र 1.3

विभिन्न क्षेत्रकों से उत्पन्न सकल राज्य मूल्यवर्धन का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण

स्थिर (2011-12) भावों पर

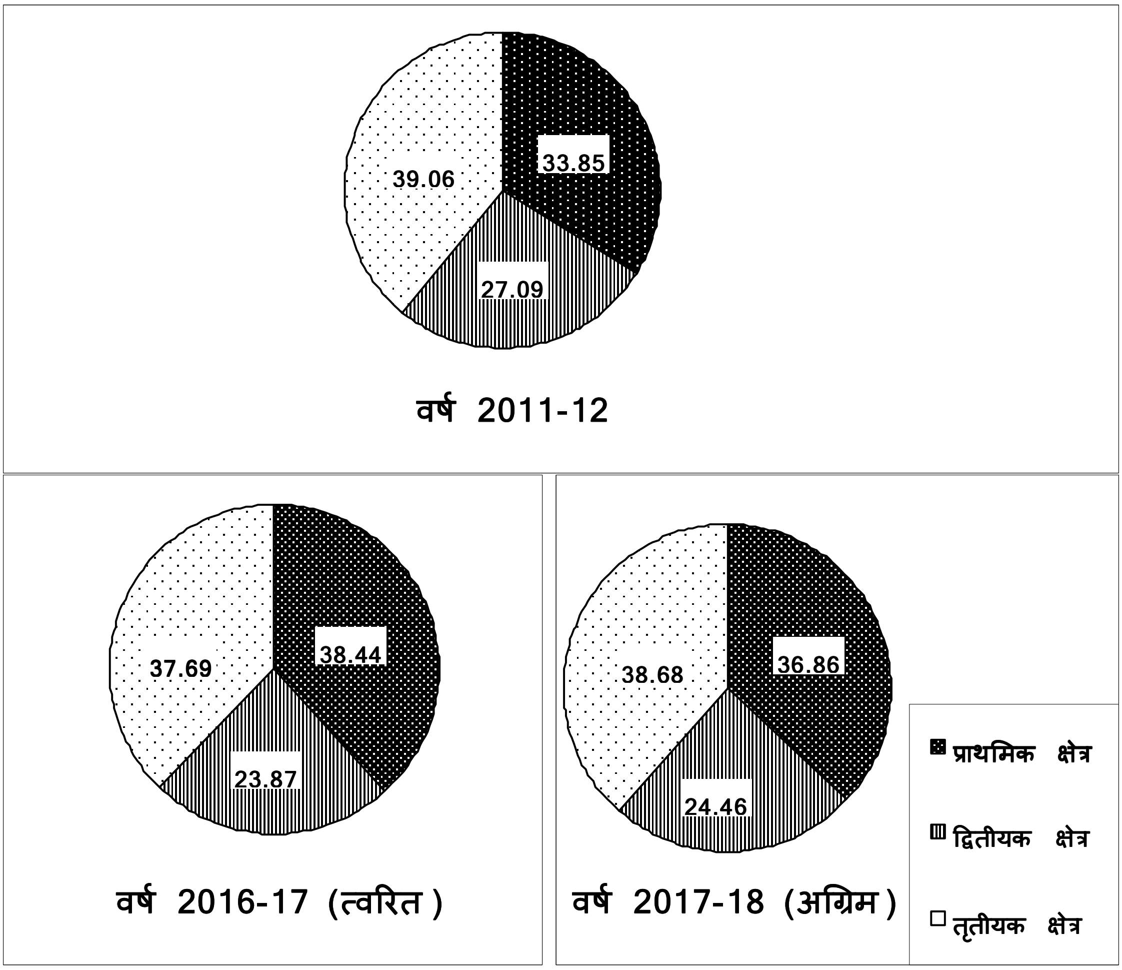

1.3 वर्ष 2017-18 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2016-17 (त्वरित) की तुलना में प्रचलित भावों पर 10.61 प्रतिशत तथा स्थिर भावों पर 7.30 प्रतिशत की वृद्धि रही है। वर्ष 2017-18 (अग्रिम) के दौरान विगत वर्ष से प्राथमिक क्षेत्र में 1.66 प्रतिशत की वृद्धि आंकलित की गई है । इसी प्रकार द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में क्रमशः 8.62 प्रतिशत की एवं 8.80 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित रही है।

1.4 स्थिर भावों (वर्ष 2011-12) के आधार पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय वर्ष 2016-17 (त्वरित) में 52406 रूपये थी जो बढ़कर वर्ष 2017-18 (अग्रिम) में रूपये 55442 हो गई है। जो गतवर्ष की तुलना में 5.79 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है । प्रचलित भावों के आधार पर राज्य की शुद्ध प्रति व्यक्ति आय (वर्ष 2016-17) में 73268 रूपये से बढ़कर वर्ष 2017-18 (अग्रिम) में 79907 हो गई, जो 9.06 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है ।

चित्र 1.4
प्रति व्यक्ति शुद्ध आय प्रचलित एवं स्थिर (2011-12) भावों पर

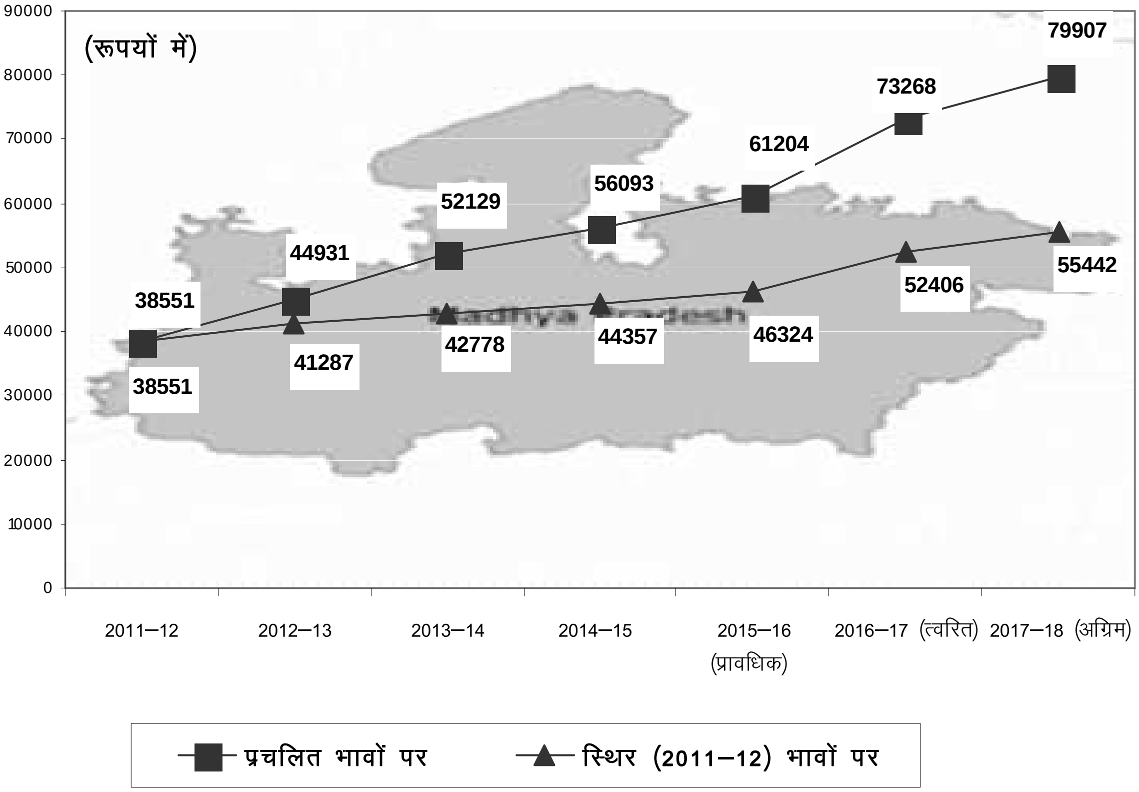

1.5 लोक वित्त : वित्तीय वर्ष 2004-05 से मध्यप्रदेश राजस्व आधिक्य प्रदेश रहा है । ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात 10 प्रतिशत के भीतर रहा है । वर्ष 2017-18 (बजट अनुमान) में राजस्व प्राप्तियां 139115.67 करोड़ रूपये अनुमानित है जो गत वर्ष से 10.36 प्रतिशत अधिक है । वर्ष 2012-13 तथा वर्ष 2017-18 के मध्य कुल प्राप्तियों का अनुपात 89.19 तथा 82.07 प्रतिशत के मध्य परिवर्तित होता रहा है । वर्ष 2016-17 में राज्य का प्राथमिक घाटा (-) 19962.46 करोड़ रूपये था । वर्ष 2017-18 में प्राथमिक घाटा (-) 14148.24 करोड़ रूपये अनुमानित है । राज्य के खनन राजस्व में वृद्धि 19.35 प्रतिशत रही है । केन्द्रीय नीति के अनुसार वर्ष 2017-18 से आयोजना एवं आयोजनेत्तर व्यय का विभेदीकरण समाप्त किया गया है । 31 मार्च 2017 के अनुसार राज्य का शुद्ध लोक ऋण 92320.48 करोड़ रूपये अनुमानित है ।

1.6 बचत एवं विनियोजन : प्रदेश में कुल बैंकों की शाखाओं में निरंतर वृद्धि देखी गई है । बैंकों की शाखाओं में वृद्धि के साथ-साथ बैंकों के अग्रिम एवं जमा राशि में भी वृद्धि हो रही है । वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 की प्रथम नौ माही के दौरान कुल जमा राशि में 6.58 प्रतिशत तथा अग्रिम ऋण राशि में 11.86 प्रतिशत की दर से वृद्धि परिलक्षित हुई । दिसम्बर, 2017 की स्थिति में प्रदेश में साख-जमा अनुपात 74.28 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय

मानक 60 प्रतिशत से अधिक है । कुल अग्रिम से कृषि क्षेत्र में सीधे कृषि को दिये गये अग्रिम का अंश मार्च, 2015 से लगातार बढ़कर वृद्धि दर दिसम्बर, 2017 में 9.54 प्रतिशत की रही । इसी अवधि में लघु उद्योग क्षेत्र को दिये गये अग्रिम में 22.77 प्रतिशत की वृद्धि दर रही है । कृषि क्षेत्र में अग्रिम में से सीधे कृषि हेतु दिया गया अग्रिम का अंश वर्ष 2016-17 में 91.60 प्रतिशत था जो वर्ष 2017-18 के प्रथम नौ माह 77.34 प्रतिशत हो गया ।

1.7 किसान क्रेडिट कार्ड : भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी बैकों द्वारा प्रदेश के किसानों को उनकी साख सुविधा की सुगमता से पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये जा रहे है।

1.8 स्वाईल हेल्थ कार्ड : इस योजना का उददेश्य प्रदेश के कृषकों को उनके खेतों की मिट्टी का परीक्षण उपरांत संतुलित उर्वरक के उपयोग हेतु मृदा स्वास्थ पत्रक उपलब्ध कराना है । जिससे किसानो को अधिक पैदावार मिल सके । प्रदेश में वर्ष 2017-18 हेतु लक्षित मृदा नमूना एकत्रीकरण 11.57 लाख के विरूद्ध दिसम्बर, 2017 तक 8.84 लाख नमूने एकत्रित किये जिसमे से 4.80 लाख नमूने का विश्लेषण कर दिसम्बर वर्ष 2017 तक प्रदेश में 13.79 लाख कृषकों को स्वाईल हेल्थ कार्ड वितरित किये गये। वर्ष 2017-18 में भारत सरकार से उपलब्ध राशि रूपये 2713.63 लाख के विरूद्ध राशि रू. 1771.57 लाख व्यय किये गए है।

1.9 फिशरमेंन क्रेडिट कार्ड : मछुआरों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर का मार्ग प्रशस्त करने के साथ ही मत्स्य पालन को बढावा देने के उददेश्य से शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिये वर्ष 2012-13 फिशरमेंन क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जा रहे हैं । वर्ष 2016-17 में 8939 फिशरमेंन क्रेडिट कार्ड पर 477.74 लाख रू. जारी किये गये । वर्ष 2017-18 में 10 हजार फिशरमेंन क्रेडिट कार्ड दिये जाने के लक्ष्य के विरूद्ध माह दिसम्बर, 2017 तक 4023 फिशरमेन क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं ।

1.10 कृषि वस्तुओं के थोक भाव सूचकांक : वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2016-17 में भावों में वृद्धि एवं कमी की प्रवृत्ति देखी गई । यह वृद्धि कृषि वस्तुओं के थोक भाव सूचकांको एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों दोनों में ही परिलक्षित रही । राज्य स्तरीय समस्त कृषि वस्तुओं के थोक भाव सूचकांक (आधार वर्ष 1991-92 से 1993-94=100) में वर्ष 2015-16 से वर्ष 2016-17 में 4.46 प्रतिशत की वृध्दि देखी गई । इसी अवधि में खाद्यान्न के थोक भाव सूचकांक में 9.96 प्रतिशत की वृद्धि तथा अखाद्यान्नों के सूचकांकों में 1.16 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई ।

1.11 औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक : औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में विगत वर्षो से बढ़ने की प्रवृत्ति देखी गई । औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में खाद्य समूह सूचकांकों में वृद्धि सामान्य समूह सूचकांकों से अपेक्षाकृत अधिक रही । यही स्थिति कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के सूचकांकों में दृष्टिगोचर हुई है । वर्ष 2016 में गत वर्ष से औद्योगिक कामगारों के अंतर्गत खाद्य एवं सामान्य समूह सूचकांकों में सर्वाधिक वृद्धि छिन्दवाडा केन्द्र में क्रमशः 10.14 एवं 7.25 प्रतिशत देखी गई । कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के सामान्य समूह के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में गत वर्ष से वर्ष 2016 में क्रमशः 5.06 तथा 4.78 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई वहीं इन्ही समूहों के खाद्य समूह सूचकांक गत वर्ष से क्रमशः 5.40 एवं 6.10 प्रतिशत हैं ।

1.12 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें : राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में वर्तमान में 22.50 हजार शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं, जिनमें 4.30 हजार शहरी एवं 18.20 हजार ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हैं । जिसमें सभी दुकानों में पी.ओ.एस. मशीनें लगाई गई हैं।

1.13 समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न का उपार्जन : राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर खादयान्न (गेहू,धान एवं मोटा अनाज) का उपार्जन ई उपार्जन परियोजना अंतर्गत किया जाता है जिसके तहत उपार्जन केन्द्रो पर किसानों द्वारा बोये गये रकबे तथा उनके खातों की कम्प्यूटराइज, आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर की जानकारी संकलित की जाती है । प्रदेश में रबी एवं खरीफ विपणन वर्षों से लगातार उर्पाजन बढ़ रहा है। वर्ष 2016-17 के रबी विपणन में गेहू का 39.92 लाख मीट्रिक टन तथा जो वर्ष 2017-18 में 67.25 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया। इसी प्रकार खरीफ में धान एवं मोटे अनाज में वर्ष 2017-18 में माह जनवरी 2018 तक 14.51 लाख मीट्रिक टन का उपार्जन हुआ है।

1.14 प्रधानमंत्री उज्जवला योजना: प्रधानमंत्री उज्जवला योजनांतर्गत लक्षित 72.38 लाख परिवारों में से 30.13 लाख गरीब परिवार की महिलाओं को नवीन गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके है।

1.15 मौसम की स्थिति : प्रदेश की सामान्य औसत वर्षा 1026.4 मिली मीटर की तुलना में वर्ष 2016 में 1037.6 मिली मीटर तथा वर्ष 2017 (जून से सितम्बर तक) में 742.2 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई जो सामान्य औसत वर्षा से क्रमशः 1.09 प्रतिशत अधिक एवं 27.69 प्रतिशत कम रही ।

1.16 प्राकृतिक आपदायें एवं राहत : राज्य में 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य आपदा मोचन निधि एवं क्षमता निर्माण अनुदान हेतु वर्ष 2016-17 में 921.00 करोड रूपये आवंटित हुए तथा वर्ष 2017-18 में 967.00 करोड़ रूपये प्राप्त होना प्रावधानित है।

वर्ष 2017-18 मानसून अवधि (जून-सितम्बर) के दौरान कई जिलों में अल्पवर्षा के कारण फसल नुकसानी तथा पानी की कमी हुई है। भारत सरकार कृषि मंत्रालय, द्वारा नवीन सूखा प्रबंधन मैन्यूअल दिसंबर 2016 में तैयार की गयी। मैन्यूअल के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार राज्य स्तरीय सूखा निगरानी समिति द्वारा मॉनिटरिंग की जाकर वैज्ञानिक मापदण्डों की पूर्ति करने वाले 18 जिलों की 133 तहसीलों को राज्य शासन द्वारा सूखा प्रभावित घोषित किया गया।

उपरोक्त सूखा प्रभावित जिलों द्वारा कीट प्रकोप एवं सूखे से नष्ट हुई फसलों हेतु की गई मांग के संबंध में राज्य शासन द्वारा अभी तक कुल राशि रू. 511.16 करोड (रूपये पांच सौ ग्यारह करोड सोलह लाख मात्र) का आवंटन आर.बी.सी. 6-4 अंतर्गत सूखा प्रभावितों को राहत सहायता प्रदाय किये जाने हेतु जिलों को सौंपा गया है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न आपदाओं में दिसम्बर 2017 तक अग्नि पीडितों को सहायता मद में रूपये 23.65 करोड, सूखा फसल क्षति में रू. 511.20 करोड नगरीय पेयजल मद में रू. 3.98 करोड, ग्रामीण पेयजल मद में रू. 4.99 करोड, ओला मद में रू. 10.42 करोड, बाढ/अतिवृष्टि मद में रू. 34.59 करोड, बाढ बचाव सामग्री क्रय हेतु रू. 4.17 करोड, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत सहायता मद में रू. 0.12 करोड, कीट प्रकोप फसल क्षति में रू. 3.56 करोड, वन्य प्राणियों द्वारा फसल क्षति में रू. 0.72 करोड इस प्रकार कुल राशि रू. 742.10 करोड आवंटित की गई है।

1.17 कृषि : प्रदेश में अभी भी कृषि की मानसून के ऊपर निर्भरता है । प्रदेश के जिन जिलों में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं एवं कृषि विकास की दृष्टि से अपेक्षाकृत विकसित जिलों में कृषि उत्पादन में वृद्धि हो रही है। राज्य की अर्थ व्यवस्था में (सकल मूल्य वर्धन) वर्ष 2016-17 के त्वरित अनुमानों के अनुसार फसल क्षेत्र का योगदान 27.62 प्रतिशत है ।

1.18 कृषि विकास योजनाएं : कृषि विकास की विभिन्न योजनाओं यथा-रासायनिक उर्वरकों का वितरण, पौध संरक्षण, प्रमाणित बीजों का वितरण आदि के माध्यम से प्रदेश में कृषि की पैदावार बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं । वर्ष 2016-17 में 19.81 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों का वितरण किया गया था जबकि वर्ष 2017-18 में 1 जनवरी, 2018 तक 17.31 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों का वितरण किया गया है।

वर्ष 2016-17 में पौध संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 216.82 लाख हेक्टर क्षेत्र लाया गया है । वर्ष 2016-17 में 39.13 लाख क्विंटल प्रमाणित बीजों का वितरण किसानों को किया गया था । वर्ष 2017-18 में खरीफ हेतु 17.95 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किया जा चुका है ।

1.19 भावान्तर योजना:- प्रदेश में किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य नही मिलने पर राज्य सरकार द्वारा **"भावांतर भुगतान योजना"** खरीफ 2017 से प्रारंभ की गयी है, जिससे दलहनी फसलें (उडद, तुअर, मुंग) खाद्यान्न फसल (मक्का) तिलहनी फसले (सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल) शामिल की गई है । राज्य शासन के द्वारा तय किया गया है कि "समर्थन मूल्य" तथा किसान के द्वारा अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति के प्रांगण में विक्रय किये जाने पर राज्य शासन द्वारा निहित प्रक्रिया अपनाकर घोषित समर्थन मूल्य एवं मॉडल विक्रय दर के अंतर की राशि **"भावांतर भुगतान योजना"** अन्तर्गत राशि किसान को प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जावेगी तथा राशि किसान के खाते में जमा कराई जावेगी ।

प्रदेश में राशि रूपये एक हजार करोड की लागत से "मूल्य स्थिरीकरण कोष" की स्थापना दिनांक 29 जून 2017 को की गई है। इससे बाजार में हस्तक्षेप करके किसानों को उनकी उपज का उचित दाम प्राप्त हो, इसे सुनिश्चित किया जावेगा ।

1.20 उद्यानिकी : प्रदेश में उद्यानिकी फसलें फल, साग-सब्जी मसाले आदि के अन्तर्गत अधिकाधिक क्षेत्र लाया जाकर उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों के तहत वर्ष 2017-18 में प्रमुख साग-सब्जी एवं फसलों का उत्पादन 174.88 लाख मीट्रिक टन, फलों का उत्पादन 74.03 लाख मीट्रिक टन, मसालों का उत्पादन 41.45 लाख मीट्रिक टन तथा पुष्पों का उत्पादन 4.17 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है ।

1.21 सिंचाई : प्रदेश के सिंचित क्षेत्र में विगत वर्षों में सामान्य वृद्धि देखी गई है । विशेषकर यह देखा गया है कि सिंचाई हेतु भू-जल के दोहन पर निर्भरता बढ़ रही है । प्रदेश में सिंचाई जलाशयों के माध्यम से जल संग्रहण क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है ।

1.22 निर्मित सिंचाई क्षमता एवं उपयोग : वर्ष 2016-17 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 9876 हजार हेक्टर है जो गत वर्ष के 9284 हजार हेक्टर से 6.38 प्रतिशत अधिक रहा ।

1.23 मत्स्योत्पादन : वर्ष 2016-17 (त्व.) की अपेक्षा वर्ष 2017-18 (अ.) में सकल मूल्यवर्धन के त्वरित अनुमानों के अनुसार मत्स्योत्पादन में 11.76 प्रतिशत की वृद्धि रही है । वर्ष 2017-18 में समस्त स्त्रोतों से 1.55 लाख टन लक्ष्य के विरूद्ध माह दिसम्बर, 2017 तक 86.23 हजार टन मत्स्य उत्पादन किया गया जो लक्ष्य का 55.63 प्रतिशत है । प्रदेश

में दिसम्बर, 2017 तक स्टेण्डर्ड फ्राई मत्स्योत्पादन बीज उत्पादन 10664.91 लाख मीट्रिक टन रहा ।

1.24 वानिकी : वर्ष 2017-18 (त्व.) में सकल राज्य मूल्यवर्धन में वानिकी क्षेत्र का अंश 2.49 प्रतिशत रहा है । वर्ष 2016-17 में 1050.00 करोड लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके विरूद्ध 1016.32 करोड रू. का सकल राजस्व प्राप्त हुआ ।

1.25 उद्योग : द्वितीयक क्षेत्र की विकास दर में वर्ष 2016-17 (त्व.) से वर्ष 2017-18 (अ.) में 8.62 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है । प्रदेश की अर्थ व्यवस्था कृषि प्रधान है जिसे विकास के उच्च स्तर पर ले जाने के लिये औद्योगीकरण नितांत आवश्यक है । ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विकास में सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों की विशेष भूमिका है । वर्ष 2016-17 में कुल 87.07 हजार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हुई तथा 9547 करोड़ रूपये का पूंजी निवेश हुआ एवं 3.64 लाख रोजगार उपलब्ध हुये । वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर, तक 1.51 लाख सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हुई जिसमें 10243 करोड़ रूपये का पूंजी निवेश हुआ तथा 4.49 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया । राज्य शासन की औद्योगिक उदारीकरण की नीति के फलस्वरूप प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2016-17 में 158.07 करोड की वित्तीय सहायता प्रदान कर 1861 सूक्ष्म, लघु मध्यम विनिर्माण इकाईयों कों लाभांवित किया गया एवं वर्ष 2016-17 में माह दिसम्बर, 2017 तक 149.74 करोड की वित्तीय सहायता प्रदान कर 1358 इकाईओं को लाभांवित किया गया है ।

1.26 पर्यटन : वर्ष 2016-17 में मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को 12625.73 लाख रूपये की आय प्राप्त हुई है वित्तीय वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर, 2017 तक 7824.04 लाख की आय प्राप्त हुई इस दौरान 5.92 करोड़ पर्यटक मध्यप्रदेश में विभिन्न पर्यटन स्थलों पर भ्रमण हेतु आये ।

1.27 खनिज : खनिज संपदा की दृष्टि से मध्यप्रदेश देश के आठ प्रमुख खनिज सम्पन्न राज्यों में से एक है । वर्ष 2012-13 (तेल एवं प्राकृतिक गैस को छोड़कर) प्रदेश में कोयला के सकल उत्पादन में राष्ट्र में चौथा स्थान है । राज्य की अर्थ व्यवस्था में खनन एवं उत्खनन क्षेत्र की योगदान वर्ष 2015-16 (प्रा.) के प्रचलित भावों के अनुमानों के अनुसार 3.09 प्रतिशत एवं वर्ष 2016-17 (त्वरित) अनुमानों के अनुसार 3.35 प्रतिशत है ।

1.28 ऊर्जा : राज्य शासन द्वारा विद्युत की उपलब्ध्ता में वृद्धि हेतु किये गये सतत् प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 2013-14 में प्रदेश विद्युत आधिक्य की स्थिति में आ गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल विद्युत प्रदाय 61144 मिलियन यूनिट किया गया, जिसमें इन्दिरा सागर परियोजना से 3253 मिलियन यूनिट, सरदार सरोवर परियोजना से 1785 मिलियन यूनिट

उत्पादन तथा म.प्र. विद्युत उत्पादन कम्पनी व्दारा कुल विद्युत प्रदाय 16123 मिलियन यूनिट है । वर्ष 2015-16 प्रदेश में सर्वाधिक विद्युत उपयोग 40.4 प्रतिशत का कृषि क्षेत्र में किया गया । इसके पश्चात घर-निवास हेतु 25.3 प्रतिशत विद्युत उपभोग रहा । विद्युत उत्पादन क्षमता तथा पारेषण क्षमता में लगातार वृद्धि से प्रदेश में उद्योग तथा कृषि दोनों ही क्षेत्रों में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहने की संभावना है। वर्ष 2017-18 में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी की उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा दीर्घकालीन विद्युत क्रय अनुबंध के कारण विद्युत की उपलब्धता मांग के अनुरूप हो गयी हैं तथा प्रदेश विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की स्थिति में आ गया है । ग्रामीण विद्युतीकरण की नवीन अवधारणानुसार प्रदेश में 85 प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण हो गया है ।

1.29 ऊर्जा क्षेत्र में राजस्व प्रबंधन : प्रदेश में राजस्व प्रबंधन के सुधार हेतु उठाये गये कदमों के फलस्वरूप राजस्व में वृद्धि हुई है फलस्वरूप प्रदेश में गतवर्ष की तुलना में वर्ष 2015-16 में राजस्व में 7.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

1.30 परिवहन : राज्य की अर्थ व्यवस्था में परिवहन क्षेत्र (भंडारण सहित) में वृद्धि वर्ष 2015-16 (प्रा.) में 7.56 प्रतिशत एवं वर्ष 2016-17 (त्व.) में 7.42 प्रतिशत है । प्रचलित भावों पर वर्ष 2016-17 (त्व.) में सकल राज्य मूल्यवर्धन में इस क्षेत्र की 2.86 प्रतिशत अंश की भागीदारी रही है । स्थिर भावों पर (2011-12) राज्य मूल्यवर्धन में इस भागीदारी का अंश वर्ष 2016-17 (त्व.) में 3.28 रहा ।

मध्यप्रदेश राज्य के सकल मूल्यवर्धन में वर्ष 2015-16 के प्रावधिक अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर रेल्वे का अंश 1.19 प्रतिशत रहा जबकि स्थिर भावों (2011-12) पर 1.33 प्रतिशत अंश है। वर्ष 2016-17 के त्वरित अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर रेल्वे का अंश 1.12 प्रतिशत तथा स्थिर भावों पर 1.24 प्रतिशत है । मध्यप्रदेश में सकल मूल्यवर्धन के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के प्रावधिक अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर संचार क्षेत्र का अंश 2.14 प्रतिशत एवं वर्ष 2016-17 (त्व.) के अनुसार 2.18 प्रतिशत है जबकि स्थिर भावों (2011-12) पर वर्ष 2015-16 में 2.40 प्रतिशत एवं वर्ष 2016-17 (त्व.) में 2.51 प्रतिशत अंश परिलक्षित है ।

1.31 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत प्रारंभ से दिसम्बर, 2017 तक 68.77 हजार किलोमीटर लम्बाई की 16888 सडकों तथा 188 बडे पुलों का निर्माण कार्य करते हुए 19824 करोड रूपये व्यय किये गये है ।

1.32 लोक निर्माण विभाग की सड़क : वर्ष 2017-18 में माह जनवरी, 2018 तक लोक निर्माण विभाग द्वारा संधारित कुल सडकों की लम्बाई 64.72 हजार राष्ट्रीय राजमार्गो की लंबाई 7.81 हजार तथा प्रांतीय राज मार्गो की लंबाई 11.39 हजार किलोमीटर रही है। प्रदेश में सडकों के निर्माण/उन्नयन के साथ-साथ पंजीकृत वाहनों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है।

1.33 पंजीकृत वाहन : पंजीकृत वाहनों की संख्या वर्ष 2015-16 के 12129 हजार से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 13193 हजार हो गई जो गत वर्ष से 8.77 प्रतिशत अधिक रही ।

1.34 शिक्षा : राज्य में साक्षरता दर में विगत दशक में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । वर्ष 2011 की जनगणनानुसार प्रदेश में साक्षरता दर 70.6 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत 74.04 प्रतिशत से कुछ ही कम है । सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के फलस्वरूप राज्य में प्रारंभिक स्तर की शिक्षा के नामांकन में वृद्धि रही एवं शाला त्यागी दर में भी कमी आई है । वर्ष 2016-17 की स्थिति अनुसार प्रदेश में लगभग 83.89 हजार शासकीय प्राथमिक तथा 30.34 हजार शासकीय माध्यमिक शालायें हैं । इन शालाओं में नामांकन क्रमशः 78.92 लाख एवं 44.61 लाख है । कुल नामांकन में बालिकाओं के नामांकन का प्रतिशत क्रमशः 37.47 एवं 21.21 प्रतिशत है । प्रदेश में बालिका शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । वर्ष 2017-18 में हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूलों की संख्या 16.96 हजार है जिनमें नामांकन 46.36 लाख है । वर्ष 2016-17 में कक्षा 1 से 5 तक के छात्र तथा छात्राओं की शाला त्यागी दर क्रमशः 5.1 एवं 4.7 प्रतिशत रही, तथा कक्षा 6 से 8 तक के छात्र-छात्राओं की शाला त्यागीदर क्रमशः 6.9 एवं 6.6 रही । प्रदेश में विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश वितरण, साइकिल प्रदाय, मध्यान्ह भोजन आदि की योजनाओं का क्रियान्वयन कर शालाओं में उपस्थिति बढ़ाने के प्रयास उपयोगी रहे हैं ।

1.35 नि:शुल्क सायकिल वितरण : प्रदेश में कक्षा नौवी में दूसरे ग्राम में अध्ययन हेतु जाने वाले बालिकायें/बालकों को नि:शुल्क सायकिल वितरित वर्ष 2017-18 में 5.03 लाख बालक/बालिका इस योजना अंतर्गत लाभान्वित होंगे । इसी तरह मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना में कक्षा 12 वीं में 85 प्रतिशत तथा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को कम्प्यूटर क्रय करने हेतु 25.00 हजार रूपये प्रति विद्यार्थी प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जाती है। वर्ष 2016-17 में 18.58 हजार विद्यार्थियों को 46.45 करोड़ रूपये वितरित कर लाभान्वित किया गया है।

1.36 गांव की बेटी : राज्य शासन ने **"गांव की बेटी"** योजना के माध्यम से ग्रामीण लड़कियों को उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये योजनाएं बनाई है। योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में माह मार्च, 2017 तक 57.13 हजार छात्रायें लाभान्वित हुई हैं ।

1.37 प्रतिभा किरण : शहरी क्षेत्रों की गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण बालिकाओं को प्रतिभा किरण योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है । वर्ष 2016-17 में माह मार्च, 2017 तक 4.27 हजार छात्रायें लाभान्वित हुई हैं ।

1.38 तकनीकी शिक्षा : वर्तमान में तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में वर्ष 2017-18 में 642 संस्थायें संचालित हैं जिनमें वार्षिक प्रवेश क्षमता 1.33 लाख विद्यार्थी है ।

1.39 स्वास्थ्य : राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 के अनुसार सभी के लिये स्वास्थ्य के राष्ट्रीय उद्देश्य को स्वीकार करते हुये प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण किया गया है । विगत वर्षो में प्रदेश के स्वास्थ्य सूचकांकों में उल्लेखनीय बदलाव परिलक्षित हुये हैं। नगरीय क्षेत्रों में औषधालयों एवं चिकित्सालयों के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है ।

वर्ष 2006 से संचालित दीनदयाल चलित अस्पताल योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में 13.17 लाख वर्ष 2017-18 में माह अक्टूबर 2017 तक कुल 12.95 लाख हितग्राहियों को नि:शुल्क सेवायें प्रदान कर लाभान्वित किया गया है । प्रदेश में टीकाकरण, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता निवारण, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन तथा पुनरीक्षण क्षय नियंत्रण कार्यक्रम क्रियान्वित कर लोगों को स्वास्थ्य सेवायें मुहैया कराई जा रही हैं । मातृ मृत्यु दर एवं नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने तथा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिये राज्य शासन द्वारा प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना, संचालित की गई वर्ष 2017-18 माह दिसम्बर तक 7.86 लाख गर्भवती महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा चुका है।

प्रदेश में 61.91 हजार आशा कार्यकर्ता कार्यरत है । नेशनल एम्बुलेंस सर्विस अन्तर्गत राज्य में आपातकालीन सेवाओं के प्रबंन्ध हेतु दीनदयाल 108 ऐम्बुलेंस वाहन संचालित किये गये है । वर्तमान में 606 एम्बुलेंस संचालित है । वर्ष 2016-17 मे 7.95 लाख तथा वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर, 2017 तक 4.23 लाख मरीजों को इस सेवा द्वारा लाभांवित किया गया है ।

1.40 मुख्यमंत्री बाल ह्रदय उपचार योजना : इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 0-18 वर्ष के बच्चों जो हदय रोग से पीडित हैं का उपचार/आपरेशन किया जाता है इस योजना अंतर्गत 1 लाख रू. तक की सहायता का प्रावधान है वर्ष 2016-17 में 2728 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर ह्रदय रोग की सर्जरी कराई गई है तथा वर्ष 2017-18 में दिसम्बर, 2017 तक 1920 बच्चों की ह्रदय सर्जरी की गई।

1.41 जीवनांक : न्यादर्श पंजीयन प्रणाली (एस.आर.एस.) के आधार पर प्रदेश में माह सितम्बर, 2015 की स्थिति में प्रति हजार व्यक्तियों पर जन्म दर एवं मृत्यु दर क्रमशः 25.5 एवं 7.5 रही । इसी अवधि में प्रति हजार जीवित जन्म पर शिशु मृत्यु दर 50 रही । प्रदेश में जन्म दर, मृत्यु दर एवं शिशु मृत्युदर राष्ट्रीय स्तर से अभी भी अपेक्षाकृत अधिक है। प्रदेश में संस्थागत सुरक्षित प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराकर मातृ मृत्यु दर एवं नवजात शिशु मृत्युदर को कम करने के प्रयास किये गये जिसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

1.42 पेयजल व्यवस्था : नई नीति अनुसार 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल व्यवस्था की गई है । ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में 4.34 हजार बसाहटों में हैंडपंप योजनाओं द्वारा पेयजल की व्यवस्था की गई है । ग्रामीण नल जल प्रदाय योजना के माध्यम से 167 बसाहटों को नलजल योजना पूर्ण की गई। उक्त अवधि में 449 ग्रामीण शालाओं, 313 आंगनबाडियों में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करायी गयी है ।

1.43 रोजगार की स्थिति : वर्ष 2016 के अंत में प्रदेश में स्थित रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजी पर कुल 3.45 लाख व्यक्ति दर्ज रहे । राज्य में जीवित पंजी पर शिक्षित आवेदकों की संख्या 11.24 लाख थी जिसमें 422 शिक्षित आवेदकों को रोजगार दिलाया गया।

1.44 प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन : राज्य में प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन की गणनानुसार 31 मार्च 2016 में कुल कर्मचारियों की संख्या 7,44,137 रही जो गत वर्ष से 0.61 प्रतिशत की कमी है। शासकीय कर्मचारियों (नियमित) की संख्या में 2.33 प्रतिशत की कमी रही, इसी प्रकार विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में 0.40 की प्रतिशत कमी रही ।

1.45 कारखानों की संख्या एवं नियोजन : वर्ष 2016-17 में दिसम्बर, 2016 तक 178 नये कारखानें पंजीकृत हुए है तथा राज्य में कारखानों की संख्या 16.69 हजार है ।

1.46 औद्योगिक विवाद : वर्ष 2017-18 (अप्रैल से सितम्बर तक) में औद्योगिक अशांति के कारण विवादों की संख्या 01 रही जिसमें 3.00 हजार मानव दिवसों की हानि हुई ।

1.47 हाथ ठेला एवं साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना : प्रदेश के शहरी क्षेत्र में मुख्यमंत्री हाथठेला एवं सायकल रिक्शा चालक कल्याण योजना वर्ष 2009 से प्रारंभ की गई है । इस योजना अन्तर्गत पंजीकृत सदस्यों को स्वरोजगार स्थापना हेतु मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अन्तर्गत सहायता उपलब्ध कराई जाती है । वर्तमान तक 57652 सदस्यों को सहायता उपलब्ध करा दी गई है । प्रसुति सहायता,

छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता अनुग्रह सहायता, जनश्री बीमा योजना आदि सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी प्रदान की जाती है ।

1.48 मुख्यमंत्री मानव श्रम रहित ई-रिक्शा एवं ई-लोडर योजना : शहरी गरीबो के शारीरिक श्रम को न्यूनतम कर उच्च आय अर्जित करने के युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से जनवरी 2017 से मुख्यमंत्री मानव रहित ई-रिक्शा एवं ई-लोडर योजना प्रारंभ की गई है । उक्त योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अन्तर्गत अतिरिक्त घटक के रूप में वित्त पोषित होगी। नवम्बर,2017 तक 436 हितग्राहियों को ई-रिक्शा तथा 32 हितग्राहियों को ई-लोडर का वितरण किया गया है।

1.49 मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना : योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए स्वरोजगार स्थापित करने के हेतु परियोजना लागत 50,000 रू. तक बैंक के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है । परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान तथा बैंक द्वारा प्रचलित ब्याज दर में 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर की अन्तर राशि की ब्याज अनुदान के रूप में अधिकतम 7 वर्ष तक दिया जायेगा । यह योजना वर्ष 2015-16 से प्रारंभ की गई है । वर्तमान तक 30445 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया ।

1.50 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन : इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार कार्यक्रम तथा कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाता है । यह योजना भारत शासन के सहयोग से प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में क्रियान्वित की जा रही है जिसमें केन्द्र एवं राज्य शासन का अंशदान क्रमश: 60 एवं 40 प्रतिशत है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजित करके गरीबी उन्मूलन करना है । इसके अंतर्गत वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर, 2017 तक भौतिक लक्ष्य 30000 के विरूद्ध 15112 लोगों को प्रशिक्षित किया गया तथा कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार योजना में 49076 लक्ष्य के विरूद्ध 5285 को प्रशिक्षण दिया गया है।

1.51 महिला एवं बाल विकास : प्रदेश में बच्चों एवं महिलाओं के संरक्षण, उन्नति एवं सर्वागींण विकास हेतु एकीकृत बाल विकास परियोजनायें संचालित की जा रही हैं । बच्चों के शाररिक मानसिक एवं बौद्धिक विकास एवं कुपोषण से मुक्ति कराने हेतु 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती तथा धात्री माताओं के लिए महिला एवं बाल विकास परियोजनाएं तथा 73 शहरी

बाल विकास परियोजनाएं सहित प्रदेशमें कुल 453 समेकित बाल विकास परियोजनाएं संचालित की जा रही है । इन परियोजनाओं में कुल 84.47 हजार आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 12.67 हजार मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत है ।

इस परियोजना के माध्यम से 80.00 लाख बच्चों तथा गर्भवती एवं धात्री माताओं को पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है । आंगनवाडी केन्द्रों में पूरक आहार की व्यवस्था हेतु व्यय की जाने वाली राशि में 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है । वर्ष 2017-18 में पोषण आहार अन्तर्गत राशि रूपये 1245.60 करोड रूपये का प्रावधान रखा गया है तथा सबला योजनान्तर्गत राशि रूपये 153.04 करोड रूपये का पृथक से प्रावधान किया गया है ।

1.52 लाड़ली लक्ष्मी योजना : बालिका के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधार शिला रखने के उदेश्य से एक महत्वाकांक्षी योजना **"लाड़ली लक्ष्मी योजना"** आरंभ की गई है । इस योजना के तहत दिनांक 1 अप्रैल, 2008 के बाद जन्मी बालिकाओं को लाभ दिया जा रहा है । योजनान्तर्गत बालिका के नाम पंजीकरण के समय से अंतरिम भुगतान लाडली लक्ष्मी निधि में जमा किये जायेगें । बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 2000 रूपये, कक्षा 9 वीं में प्रवेश लेने पर 4000 रूपये और कक्षा 11 वीं में प्रवेश लेने पर 6000 रूपये का भुगतान किया जावेगा । कक्षा 12वीं में प्रवेश लेने के पश्चात आगामी 6000 रूपये का भुगतान बालिका को ई-पेमेंट के माध्यम से किया जाएगा। बालिका की आयु 21 वर्ष की होने पर 1.00 लाख रूपये प्रदाय किये जाते है । इस योजनान्तर्गत अब तक 27.00 लाख बालिकाओं को इसका लाभ दिया जा चुका है । इस वित्तीय वर्ष में कक्षा 6 वीं में प्रवेश लेने वाली 65044 बालिकाओं को छात्रवृत्ति राशि रूपये 2000 प्रति बालिका प्रदाय की जा रही है।

1.53 शौर्यादल योजना : प्रदेश में महिलाओं/बालिकाओं के विरूद्ध हिंसा, अपराध, उत्पीडन, योन शोषण की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शौर्य दल योजना के तहत राज्य में अभी तक 82,000 शौर्यादलों का गठन किया गया है । शौर्यादलों द्वारा अर्जित की गई सफलता को प्रशंसा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा की गई है ।

1.54 लाडो अभियान : समाज में प्रचलित बाल विवाह जैसी कुरीतियों से बच्चों का शारीरिक मानसिक, बौध्दिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण बाधित हुआ है । गरीबी उन्मूलन, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिककरण, लैंगिंग समानता को बढावा देने बच्चों के जीवन की सुरक्षा महिला स्वास्थ्य में सुधार के लक्ष्यों प्राप्त करने के लिए बाल विवाह को शून्य करना अत्यन्त आवश्यक है । लाडो अभियान के तहत वर्ष 2016-17 में राज्य के 82901 बाल विवाह

सम्पन्न होने के पूर्व परामर्श/समझाइश से रोके गए हैं एवं स्थल पर जाकर 4111 बाल विवाह रोके गए है। वर्ष 2017-18 में 867 तय बाल विवाह संपन्न होने के पूर्व 322 बाल विवाह स्थल पर रोके गए। **माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाडों अभियान को वर्ष 2014 का प्रधानमंत्री लोक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ।**

1.55 मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना : किसी भी प्रकार के हिंसा से पीडित महिलाओं को यदि पारिवारिक सहायता नही मिलती है तो जीवन यापन करने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं ऐसी कठिन परिस्थितयों में परिवार एवं समाज में पुर्नस्थापित होने हेतु पीडित महिला की आत्मनिर्भरता को बढावा देने के उदेश्य से कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोडा जाता है जिससे वह स्वयं के साथ साथ अपने परिवार का भरण पोषण कर सकती है वर्ष 2017-18 में माह नबंबर, 2017 तक कुल 388 महिला हितग्राहियों का प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया जाकर 388 प्रशिक्षण प्राप्त हितग्राहियों को लाभ दिया गया है। **इस योजना को वर्ष 2015 में स्कॉच गोल्ड आवार्ड** से सम्मानित किया गया है ।

1.56 अनुसूचित जातियों का कल्याण : वर्ष 2011 की जनगणनानुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का 15.62 प्रतिशत है । इन वर्गों के बच्चों को छात्रवृतियां एवं अन्य शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराकर शैक्षणिक स्तर में वृद्धि करने के साथ-साथ इनके जीवन स्तर को उन्नत करने एवं विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं । अनुसूचित जाति के बच्चों को आवास सुविधा तथा पढाई के लिये अनुकूल वातावरण निर्मित करने हेतु पृथक-पृथक आवासीय सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 571 पोस्ट मेट्रिक एवं 1153 प्री मैट्रिक छात्रावास 189 महाविद्यालयीन छात्रावास, संचालित है। 10 संभाग स्तरीय आवासीय विद्यालयों हेतु 20 छात्रावास तथा प्रवीण्य उन्नयन योजनाओं हेतु 12 छात्रावास संचालित किये जा रहे है। इस समस्त छात्रावासों में 97152 विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

1.57 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण : वर्ष 2011 की जनगणनानुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 21.10 है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में 14378.30 लाख रूपये के प्रावधान के विरूध्द 11922.68 लाख रू. व्यय किया जाकर 251732 विद्यार्थियों को लाभांवित किया गया। वर्ष 2017-18 में 271071 विद्यार्थियों को लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया है।

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजनान्तर्गत बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए कक्षा 6वी में प्रवेशित छात्राओं को रू. 500/- 9 में प्रवेशित छात्राओं को रू. 1000 राज्य छात्रवृत्ति में समाहित कर कक्षा 6 से 8 तक 50 रूपये मासिक एवं कक्षा 9 वीं से कक्षा 10 वीं तक 130 रूपये मासिक छात्रवृत्ति निर्धारित की गई है। कक्षा 11 वीं में प्रवेश छात्राओं

को प्रोत्साहित करने के लिये कक्षा 10वी उत्तीर्ण कर कक्षा 11 वी में प्रवेशित छात्राओं को 3000/- रू. प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है ।

वर्ष 2016-17 में कक्षा 11 में 38248 बालिकायें थी। वर्ष 2016-17 में 35000 बालिकाओं को लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया था एवं 1537.89 लाख की राशि व्यय कर 38248 कन्याओं को लाभांवित किया गया है। वर्ष 2017-18 में 40.00 हजार कन्याओं को लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया है।

1.58 पिछड़ा वर्ग का कल्याण : शासन द्वारा पिछडे वर्ग के कल्याणार्थ चलाये जा रहे कार्यक्रमों के तहत राज्य छात्रवृति पिछडा वर्ग के विधार्थियों को कक्षा 6 से 10 तक निरन्तर विधाध्ययन के लिए प्रोत्साहन देने हेतु (10 माह के लिए) दी जाती है छात्रवृति का वितरण बैंक के माध्यम से किया जाता है ।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में वर्ष 2016-17 में कुल 4.35 लाख विद्यार्थियों पर राशि रूपये 507.73 करोड व्यय किये गये । वर्ष 2017-18 में 4.40 लाख विद्यार्थियों को माह दिसम्बर, 2017 तक 4.36 लाख विद्यार्थियों के पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुए जिस पर छात्रवृत्ति वितरण की कार्यवाही की जा रही है ।

1.59 अल्पसंख्यक की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना : पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2007-08 से प्रारंभ की गई है इस योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, इसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी पारसी एवं जैन)) के ऐसे प्रतिभावान के विद्यार्थियों को जिनके प्राप्तांक 50 प्रतिशत से अधिक हैं तथा स्वयं/माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये से अधिक न हो उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2016-17 में कुल 29643 विद्यार्थियों के प्रस्ताव भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को स्वीकृति हेतु अग्रेषित किये गये थे । भारत सरकार द्वारा पात्रतानुसार स्वीकृति विद्यार्थियों को स्वीकृत राशि हस्तांतरण सीधे आनॅलाईन विद्यार्थियों के एकल बैंक खाते में किया गया है । वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर, 2017 तक 29406 विद्यार्थियों को ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों को भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली को ऑन लाईन फारवर्ड किया गया है । छात्रवृत्ति का भुगतान भारत सरकार द्वारा सीधे विद्यार्थियों के एकल बैंक खाते में किया जा रहा है ।

1.60 सामाजिक सुरक्षा एवं न्याय : राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में आवंटन 46730.00 लाख रूपये में से माह नवबंर, 2017 तक राशि रूपये 30039.04 लाख रूपये व्यय कर 6.54 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है ।

- **इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना** : इस योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में आवंटन 6455.00 लाख रूपये में माह नवबंर, 2017 तक राशि रूपये 3540.26 लाख रूपये व्यय कर 1.15 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है ।
- **इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना** : इस योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में आवंटन 50317.78 के विरूद्ध माह नवबंर, 2017 तक राशि रूपये 35734.97 लाख रूपये व्यय कर 17.72 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है ।
- **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना** ; इस योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 आवंटन 37046.10 लाख रूपये के विरूद्ध माह नवबंर, 2017 तक राशि रूपये 24919.25 लाख रूपये व्यय कर 10.06 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है ।

1.61 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना : मध्य प्रदेश शासन द्वारा गरीब, जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह के अंतर्गत कन्या की गृहस्थी की स्थापना हेतु सावधि जमा रूपये 17.00 हजार तथा विवाह संस्कार के लिये आवश्यक सामग्री हेतु 5.00 हजार रूपये प्रदाय किये जाते हैं। सामूहिक विवाह कार्यक्रम को आयोजित करने के लिये ग्रामीण/शहरी निकाय को व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु 3.0 हजार समेत इस प्रकार कुल 25.00 हजार रूपये प्रदान किये जाते है । वर्ष 2017-18 में आवंटन राशि रूपये 14250.00 लाख के विरूद्ध माह नवबंर, 2017 तक राशि रूपये 8279.32 लाख रूपये व्यय किये जाकर 29.57 हजार कन्याओं के सामूहिक विवाह संपंन कराये गये हैं।

1.62 मुख्यमंत्री निकाह योजना : मध्य प्रदेश शासन व्दारा मुख्यमंत्री निकाह योजनान्तर्गत निराश्रित निर्धन परिवारों की मुस्लिम विवाह योग्य कन्याओं/विधवा/ परित्यक्ताओं के सामूहिक निकाह सम्पन्न कराने के लिये रूपये 25000 प्रदान करने का प्रावधान है । सावधि जमा रूपये 17.00 हजार, गृहस्थी स्थापना, विवाह संस्कार के आवश्यक सामग्री 5.00 हजार रूपये प्रदाय किये जाते है । सामूहिक विवाह कार्यक्रम को आयोजित करने के लिये ग्रामीण/शहरी निकाय को व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु 3.0 हजार समेत कुल 25.00 हजार रूपये प्रदान किये जाते है । योजनांतर्गत वर्ष 2017-18 में आवंटन 900.00 लाख के विरूद्ध माह नवबंर, 2017 तक राशि रूपये 285.05 लाख रूपये व्यय किये जाकर 1006 हितग्राहियों का सामूहिक निकाह सम्पन्न कराया गया ।

1.63 मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेशन योजना : इस योजना के अंतर्गत ऐसे दंपति जिसमें पति/पत्नि में से किसी एक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो एवं जिनकी केवल जीवित कन्याये हैं जीवित पुत्र नही, तथा हितग्राही आयकर दाता न हो तो उन को 500 रू प्रति माह पेंशन दी जाती है । वर्ष 2017-18 में आवंटन 2420.00 लाख रू. के विरूद्ध माह नवबंर, 2017 तक 1597.00 लाख रू. व्यय कर 43.97 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया ।

1.64 नगरीय विकास हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना:- भारत सरकार आवास और गरीबी उपशमन मंत्रालय एवं राज्य सरकार के सहयोग से आवास योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 35 हजार आवासीय इकाईयों का निर्माण पूर्ण कर शहरी गरीबों को आवंटित किया जा चुका है । 1 लाख 35 हजार आवासीय इकाईयों और भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है । जिनमें से 60 हजार आवासीय इकाईयों का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है । 75 हजार आवासीय इकाईयों के निर्माण हेतु निविदा जारी कर दी गई है । 80 हजार आवासीय इकाईयां और स्वीकृत करने के प्रस्ताव भारत सरकार आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय को प्रेषित कर दी गई है । मार्च 2018 तक प्रदेश में 5 लाख आवासीय इकाईयां बनाया जाना लक्षित है ।

1.65 मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना : इस योजना का उदेृश्य मध्यप्रदेशके मूल निवासी जो (आयकर दाता न हो) वरिष्ठ नागरिको (60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति) को जीवनकाल में एक बार प्रदेश के बाहर (श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, श्री जगन्नाथपुरी, श्री द्वराकापुरी, हरिद्वार, अमरनाथ, वेष्णोदेवी शिरडी, तिरूपति, अजमेर शरीफ, काशी (वाराणासी) गया, अमृतसर, रामेश्वर, सम्मेद शिखर, श्रवणबेलगोला, वेलांगणी चर्च नागापटटम (तमिलनाडू) तीर्थ स्थानों में से किसी एक स्थान की यात्रा सुलभ कराने हेतु शासकीय सहायता प्रदान की जाती है । इस योजनान्तर्गत 1 अप्रैल 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक कुल 87 ट्रेने चलाई जा रही है जिससे कुल 87000 वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा का लाभ मिलेगा। प्रदेश में स्थित शासन संधारित मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में 169 मंदिरों को कुल राशि रु. 191735000 /- (रु. उन्नीस करोड सतरह लाख पैंतीस हजार मात्र) का आवंटन दिया जा चुका है ।

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में 7 धर्मशालाओं के निर्माण हेतु राशि रु. 13320000 /- हजार (रु. एक करोड तैंतीस लाख बीस हजार मात्र) उपलब्ध कराई गई है । कुल 31 जिलों में शासन संधारित मंदिरों के पुजारियों को मानदेय राशि रु. 90000000/- (रु. नौ करोड मात्र) दिये गये हैं ।मध्यप्रदेश में शासन स्तर पर 18 मेला आयोजन हेतु राशि रु. 15408000 /- (रु. एक करोड चौवन लाख आठ हजार मात्र) स्वीकृत किये गये हैं ।

2

लोक वित्त

2.1 सिंहावलोकन :

मध्यप्रदेश के प्रमुख राजकोषीय द्योतकों का विवरण तालिका 2.1 में दिया गया है, वित्तीय वर्ष 2004-05 से मध्य प्रदेश राजस्व आधिक्य प्रदेश रहा है । ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात 10 प्रतिशत के भीतर ही रहा है, जो कुशल वित्तीय प्रबंधन का द्योतक है। यह वर्ष 2015-16 में 7.67 प्रतिशत रहा जो वर्ष 2017-18 (ब.अ.) में बढ़ कर 8.30 प्रतिशत हो गया है। प्रदेश का राजकोषीय घाटा म.प्र. उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित सीमा में है।

तालिका 2.1

राजकोषीय घाटा

(करोड़ रूपये में)

शीर्ष	2015-16	2016-17 (पुअ)	2017-18 (बजट अनुमान)
राजस्व आधिक्य	5739.89	1534.75	4596.40
राजकोषीय (वित्तीय) घाटा	(-) 14064.71	(-) 29898.96*	(-) 25688.97
प्राथमिक घाटा	(-) 5973.83	(-) 19962.46*	(-) 14148.24
राजकोषीय घाटा का प्रतिशत जी.एस.डी.पी. से	2.49%	4.63%	3.49%
राजस्व आधिक्य का प्रतिशत जी.एस.डी.पी. से	1.02%	0.24%	0.63%
ब्याज भुगतान का प्रतिशत राजस्व प्राप्ति से	7.67%	7.88%	8.30%

(पु.अ.)=पुनरीक्षित अनुमान

(ब.अ.)=बजट अनुमान

*** उदय योजना अंतर्गत प्राप्त ऋण (रूपये 7361 करोड) को शामिल कर।**

2.2 प्राप्तियां : राज्य सरकार की प्राप्तियों का विवरण तालिका 2.2 में दिया गया है। वर्ष 2012-13 तथा 2017-18 के मध्य कुल प्राप्तियों से राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 75 प्रतिशत से अधिक रहा है।

तालिका 2.2

राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां

(करोड़ रूपये में)

शीर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (पु.अ.)	2017-18 (ब.अ.)
राजस्व प्राप्तियां	70427.28	75749.24	88640.79	105510.59	126050.76	139115.67
शुद्ध लोक ऋण	5207.22	5536.18	10148.19	15124.94	25635.48+	24391.68
उधार वसूली	73.12	131.63	6793.70*	190.72	680.29*	5149.82*
शुद्ध लोक लेखा	3255.10	4781.0	1230.50	-251.10	3577.30	845.70
आकास्मिकता निधि से शुद्ध प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	0.00
कुल प्राप्तियां	78962.72	86198.05	106813.18	120576.23	155943.83	169502.87
राजस्व प्राप्तियां (कुल प्राप्तियों से प्रतिशत)	89.19	87.88	82.99	87.51	80.83	82.07

(पु.अ.)=पुनरीक्षित अनुमान
(ब.अ.)=बजट अनुमान

*** विद्युत वितरण कम्पनियों के ऋणों की वित्तीय पुर्नसंरचना के कारण यह वृद्धि परिलक्षित हुई है ।**
+ रूपये 7361 करोड का ऋण उदय योजना अंतर्गत शामिल।

2.3 राज्य का स्वयं का कर राजस्व : राज्य की राजस्व प्राप्तियों की संरचना **तालिका 2.3** में एवं प्रमुख कर राजस्व मद में प्राप्तियॉ **तालिका 2.4** में दर्शायी गई है । वित्तीय वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 के मध्य राज्य के कर राजस्व में वृद्धि दर की प्रवृत्ति, औसत 9.59 प्रतिशत रही है।

तालिका 2.3
राजस्व प्राप्तियों की संरचना

(करोड़ रूपये में)

शीर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (पु.अ.)	वृद्धि दर की प्रवृति (%)	2017-18 (ब.अ.)	वृद्धि प्रतिशत
राज्य कर	30581.70	33552.15	36567.12	40240.43	44135.20	9.59	50295.21	13.96
केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा	20805.16	22715.28	24106.80	38371.06	46064.10	23.54	51106.32	10.95
केन्द्रीय अनुदान	12040.20	11776.82	17591.44	18330.31	25441.47	21.39	26034.40	2.33

(पु.अ.)=पुनरीक्षित अनुमान, (ब.अ.)=बजट अनुमान

2.4 केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा : चौदहवें वित्त आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के लिए वितरण योग्य कर (सेवा कर को छोड़कर) का 7.548 प्रतिशत तथा वितरण योग्य सेवा कर का 7.727 प्रतिशत अंश निश्चित किया है, जबकि तेरहवें वित्त वित्त आयोग द्वारा क्रमशः 7.12 प्रतिशत तथा 7.23 प्रतिशत का अंश निश्चित किया गया था।

तालिका 2.4
राज्य की मुख्य कर राजस्व मदों में वृद्धि

(करोड़ रूपये में)

स्वयं के कर राजस्व	2012-13	2013- 14	2014-15	2015-16	2016-17 (पु.अ.)	वृद्धि दर की प्रवृति प्रतिशत	2017-18 (ब.अ.)	वृद्धि प्रतिशत
भू-राजस्व	443.59	366.23	243.10	276.86	350.00	-7.26	700.00	100.00
स्टाम्प व पंजीयन	3944.24	3400.00	3892.77	3867.69	3900.00	1.07	4300.00	10.26
राज्य उत्पाद शुल्क	5078.06	5907.39	6695.54	7922.84	7700.00	11.92	8600.00	11.69
बिक्री व्यापार आदि पर कर	14856.30	16649.85	18135.96	19806.15	22350.00	10.41	25910.00	15.93
वाहन कर	1531.25	1598.93	1823.84	1933.57	2200.00	9.58	2550.00	15.91
माल तथा यात्रियों पर कर	2395.03	2578.74	2686.39	3084.76	3755.00	11.36	4010.00	6.93
विद्युत कर तथा शुल्क	1477.71	1972.20	2010.20	2257.83	2700.00	14.35	3000.00	11.11

(पु.अ.)=पुनरीक्षित अनुमान, (ब.अ.)=बजट अनुमान

2.5 राज्य के करेतर राजस्व : राज्य के प्रमुख करेतर राजस्व मदों में वर्षवार प्राप्तियां **तालिका 2.5** में दर्शाई गई हैं । राज्य के करेतर राजस्व में उतार-चढ़ाव परिलक्षित हैं ।

तालिका 2.5

राज्य के करेत्तर राजस्व की वृद्धि

(करोड़ रूपये में)

करेतर राजस्व	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (पु.अ.)	वृद्धि दर की प्रवृत्ति प्रतिशत	2017-18 (ब.अ.)	वृद्धि प्रतिशत
वन	910.38	1036.80	968.77	1001.71	1050.00	2.54	1332.00	26.86
सिंचाई	517.35	357.85	437.33	482.90	561.57	4.75	602.01	7.20
खनन	2443.39	2306.17	2813.66	3059.64	3100.00	7.88	3700.00	19.35

(पु.अ.)=पुनरीक्षित अनुमान, (ब.अ.)=बजट अनुमान

2.6 व्यय : लोक व्यय एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा सरकार राज्य के विकास के लिए सामाजिक तथा भौतिक अधोसरंचना उपलब्ध कराती है । अतः लोक व्यय का आकार, संरचना तथा उत्पादकता अर्थव्यवस्था के विकास का सूचक है । राज्य के आयोजना तथा आयोजनेतर व्यय का विवरण **तालिका 2.6** में हैं ।

तालिका 2.6

राजस्व तथा पूंजीगत व्यय

(करोड़ रूपये में)

शीर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	वृद्धि दर की प्रवृत्ति प्रतिशत	2017-18 (ब.अ.)	वृद्धि प्रतिशत
आयोजना राजस्व व्यय	18349.33	19426.27	26514.56	31451.43	46666.53	26.47	केन्द्रीय नीति के अनुसार वर्ष 2017-18 से आयोजना एवं अयोजनेत्तर व्यय का विभेदीकरण समाप्त किया गया है।	
आयोजना पूंजीगत व्यय	11542.98	10769.96	11821.05	16678.57	26617.90*	23.47		
आयोजनेतर राजस्व व्यय	44619.20	50443.49	55858.26	68319.27	77849.47	15.22		
राजस्व व्यय							134519.27**	
पूंजीगत परिव्यय							31412.02	

(ब.अ.)=बजट अनुमान

* विद्युत वितरण कंपनियों के उदय योजना अंतर्गत 7568 करोड, (4011 करोड राजस्व तथा 3557 करोड पूंजीगत) की सहायता।
* विद्युत वितरण कंपनियों के उदय योजना अंतर्गत 4622 करोड, (611 करोड राजस्व तथा 4011 करोड पूंजीगत) की समायोजन।

लोक व्यय का एक अधिक उपयुक्त वर्गीकरण पूंजीगत तथा राजस्व व्यय है। पूंजीगत व्यय का स्तर लोक निवेश के स्तर को दर्शाता है, जो केवल लोक आस्तियों को नहीं बनाता, बल्कि निजी निवेश को भी त्वरित गति से बढ़ाता है। राज्य शासन को कठिन बजट बाध्यताओं का सामना करना पड़ता है इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि राजस्व व्यय कम करते हुए पूंजीगत व्यय में वृद्धि की जाये । पिछले कुछ वर्षो में राजस्व आधिक्य की स्थिति बनी है, जिससे पूंजीगत व्यय के लिए ऋण पर निर्भरता कम हुई है। वर्ष 2012-13 से गत वर्ष 2016-17 तक पूंजीगत आयोजना व्यय में वद्धि दर की प्रवृत्ति, औसत 23.47 प्रतिशत रही है।

2.7 लोक ऋण : 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार राज्य का शुद्ध लोक ऋण 92320.48 करोड़ रूपये अनुमानित है । शुद्ध लोक ऋण की संरचना तालिका 2.7 में दर्शायी गई है । लोक ऋण का 57.30 प्रतिशत बाजार से लिया गया ऋण है तथा अल्प बचत का योगदान 15.37 प्रतिशत है ।

तालिका 2.7

शुद्ध लोक ऋण

(करोड़ रूपये में)

स्त्रोत वर्ष	31 मार्च, 2016	कुल का प्रतिशत	31 मार्च, 2017 (पु.अ.)	कुल का प्रतिशत
बाजार से उधार लेना	56140.65	50.53	78970.15	57.30
केन्द्र	13668.01	12.30	14128.85	10.25
वित्तीय संस्था	7396.46	6.66	8741.60	6.34
अल्पबचत	20181.34	18.17	21181.34	15.37
अन्य (भविष्य निधि, समूह बीमा आदि)	13714.65	12.34	14788.20	10.73
योग	111101.11	100.00	137810.14	100.00
घटाईये				
राज्य को देय बकाया ऋण	40837.48		45489.66	
शुद्ध लोक ऋण	70263.62		92320.48	

3

बचत एवं विनियोजन

बैंकिंग

घरेलू बचत को प्रोत्साहित करते हुए उसे वित्तीय बाजार में संचारित करने में बैंकिंग संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका का निवर्हन करते हैं । बैंकों द्वारा घरेलू बचत राशि के सुरक्षित विनियोजन की सेवा तथा अवसर प्रदान किया जाता है तथा इस बचत राशि का कृषि, उद्योग, सेवा, आदि क्षेत्रों हेतु निवेश के लिये ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है ।

3.1 बैंक शाखा नेटवर्क : प्रदेश में बैंक शाखा नेटवर्क की क्षेत्रवार संख्या **तालिका 3.1** में दी गई है । प्रदेश में वाणिज्यिक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ग्रामीण शाखाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है । वर्ष 2017-18 में माह सितम्बर, 2017 तक की अवधि में 52 ग्रामीण शाखाओं में वृद्धि हुई है । उक्त अवधि में 11 अर्धशहरी तथा 13 शहरी शाखाओं की वृद्धि हुई । इस प्रकार कुल 76 शाखाओं में वृद्धि परिलक्षित हुई है।

तालिका 3.1

बैंक शाखा नेटवर्क का विस्तार

बैंक का प्रकार	मार्च-16	मार्च-17	सितम्बर-17
ग्रामीण बैंक शाखाएं			
वाणिज्यिक बैंक	1436	1475	1525
सहकारी बैंक	558	297	297
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	864	843	845
योग	**2858**	**2615**	**2667**
अर्द्धशहरी बैंक शाखाएं			
वाणिज्यिक बैंक	1433	1523	1532
सहकारी बैंक	470	470	472
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	295	316	316
योग	**2198**	**2309**	**2320**
शहरी बैंक शाखाएं			
वाणिज्यिक बैंक	1857	2063	2068
सहकारी बैंक	93	86	92
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	123	145	147
योग	**2073**	**2294**	**2307**
कुल बैंक शाखाएं			
वाणिज्यिक बैंक	4726	5061	5125
सहकारी बैंक	1121	853	861
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1282	1304	1308
योग	**7129**	**7218**	**7294**

3.2 जन धन योजनाः भारत सरकार द्वारा दिनांक 28 अगस्त 2014 को जन धन योजना प्रारम्भ की गई थी। योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र हेतु निर्धारित कुल 11,864 सब सर्विस एरिया तथा शहरी क्षेत्र के कुल 6,884 वार्ड में निवासरत कुल 153.86 लाख परिवारों में से बगैर बैंक खाते वाले चिन्हित कुल 49.47 लाख परिवारों के बैंक खाते खोले जाकर उन्हें बैंक से जोड़ने का कार्य पूर्ण किया गया।

योजना अंतर्गत दिनांक 31 जनवरी, 2018 तक 269.15 लाख से अधिक बैंक खाते खोले जाकर 192.98 लाख से अधिक खाताधारकों को कार्ड जारी किये जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उददेश्य से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रारंभ की गई है । इन दोनो योजनाओं के तहत न्यूनतम राशि रू. 12 प्रतिवर्ष के बीमा राशि पर दुर्घटना बीमा तथा राशि रू. 330 प्रतिवर्ष के जीवन बीमा राशि रूपये 2.00 लाख का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है । वर्ष 2017-18 में क्रमश: 79.17 लाख तथा 18.46 लाख लोगों को बीमित किया गया है। भारत सरकार द्वारा डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने हेतु भी कदम उठाये जा रहे है ।

3.3 वित्तीय साक्षरता एवं साख काउन्सिलिंग केन्द्र (एफएलसीसी): प्रदेश के सभी जिलों में संबंधित अग्रणी बैंकों द्वारा वित्तीय साक्षरता एवं साख काउन्सिलिंग केन्द्र (एफएलसीसी) की स्थापना की गई है। वित्तीय साक्षरता एवं साख काउन्सिलिंग केन्द्रों के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में वित्तीय साक्षरता के कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

3.4 बैंकिंग के मुख्य सूचकांकः बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियों के आकार का आंकलन मुख्यतः जमा, अग्रिम, विनियोजन, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में अग्रिम, कृषि अग्रिम, सीधे कृषि अग्रिम, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र को अग्रिम, तृतीयक क्षेत्र को अग्रिम, कमजोर वर्ग को अग्रिम आदि सूचकांकों से किया जाता है। प्रदेश के लिये विगत वर्षों में इन सूचकांकों का विवरण तालिका 3.2 तथा 3.3 में दिया गया है। बैंकों में कुल जमा राशि में वर्ष 2014-15 से वर्ष 2017-18 की प्रथम नौ माही के दौरान 6.58 प्रतिशत की दर से वृद्धि परिलक्षित हुई है। वर्ष 2016-17 की तुलना में 2017-18 की प्रथम नौ माही कुल जमा राशि में 4.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बैंकों द्वारा दिये गये कुल अग्रिम राशि में 11.86 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। वर्ष 2014-15 से 2017-18 की प्रथम नौ माही के दौरान वृद्धि परिलक्षित है। वर्ष 2016-17 की तुलना में 2017-18 की प्रथम नौ माही में कुल अग्रिम राशि में 8.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कुल अग्रिम में वृद्धि की तुलना में प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिम में 0.84 प्रतिशत की कमी रही । कृषि क्षेत्र में सीधे फसल ऋण अग्रिम में वृद्धि दर 35.42 प्रतिशत रही। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र को दिये अग्रिम में निरन्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2017-18 की प्रथम नौ माही में गत वर्ष की तुलना में 22.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

कृषि क्षेत्र में अग्रिम में से सीधे कृषि हेतु दिया गया अग्रिम का अंश वर्ष 2016-17 में 91.60 प्रतिशत था जो कि वर्ष 2017-18 की प्रथम नौ माही में घटकर 77.34 प्रतिशत हो गया।

तालिका 3.2

बैंकिंग व्यवसाय के मुख्य सूचकांक

(करोड़ रूपये में)

विवरण	मार्च- 15	मार्च- 16	मार्च 2017	31 दिसम्बर 2017	मार्च-15 से दिसम्बर-17 तक वृद्धि दर
कुल जमा	294183	303070	336950	351186	**6.58**
कुल अग्रिम	188331	207899	240064	260860	**11.86**
प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिम	108459	121212	158417	169949	**17.53**
कृषि अग्रिम	61348	67379	92362	92338	**16.67**
सीधे कृषि अग्रिम	54251	58812	64162	71409	**9.54**
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र में अग्रिम	26509	30082	40887	50040	**24.77**
कमजोर वर्ग को अग्रिम	25810	37995	55917	57544	**32.20**

तालिका 3.3

राष्ट्रीय मानक से प्रदेश के सूचकांकों की तुलना

विवरण	राष्ट्रीय मानक	मार्च-15	मार्च-16	मार्च 17	दिसम्बर 2017
साख-जमा अनुपात	60%	64.02%	68.60%	71.25%	74.28%
कुल अग्रिम का प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम	40%	58.00%	58.30%	65.99%	65.15%
कुल अग्रिम का कृषि अग्रिम	18%	32.57%	32.41%	38.47%	35.40%
कुल अग्रिम का कमजोर वर्ग को अग्रिम	10%	14.00%	18.28%	23.29%	22.06%

चित्र 3.1

राष्ट्रीय मानक की तुलना में राज्य की स्थिति

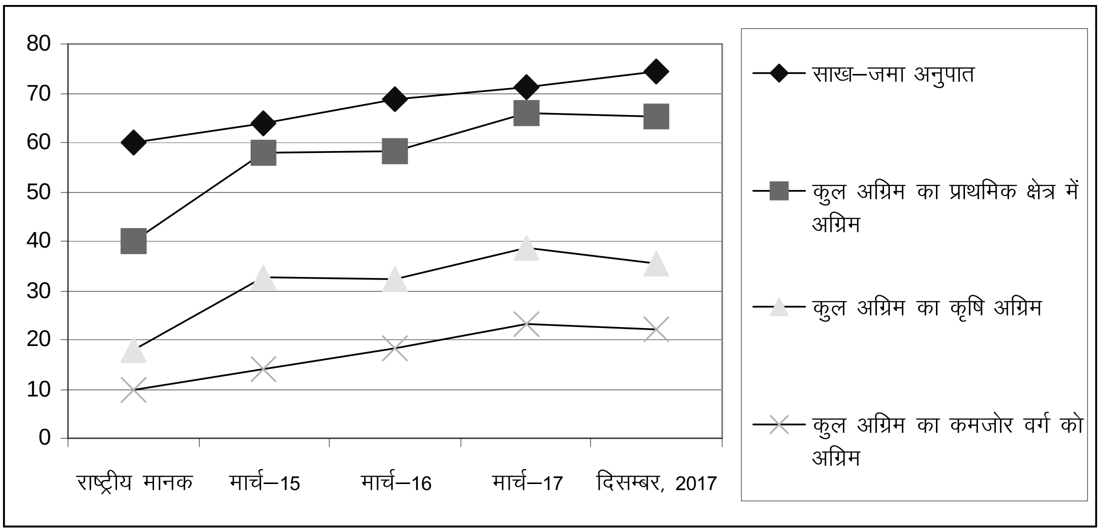

3.5 साख जमा अनुपातः वर्ष 2017-18 की प्रथम नौ माही के दौरान प्रदेश का साख-जमा अनुपात 74.28 प्रतिशत रहा है, जो राष्ट्रीय मानक 60 प्रतिशत से अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा न्यूनतम 40 प्रतिशत साख जमा अनुपात के निर्देश हैं । माह सितम्बर, 2017 को समाप्त छः माही पर प्रदेश में कुल 12 जिलों यथा उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, सतना, सीधी, ग्वालियर, टीकमगढ, पन्ना, मण्डला, डिण्डोरी, छतरपुर एवं भिण्ड का साख-जमा अनुपात 40 प्रतिशत से कम पाया गया है। 12 जिलों का साख-जमा अनुपात 40 प्रतिशत 60 प्रतिशत के बीच है। 21 जिलों का साख-जमा अनुपात अभी भी 60 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच है, जबकि 06 जिलों का यह अनुपात शतप्रतिशत से भी अधिक है।

3.6 साख योजना का क्रियान्वयन : बैंकिंग समुदाय द्वारा प्रति वर्ष वार्षिक साख योजना तैयार कर जिलेवार एवं बैंकवार लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं वार्षिक साख योजना के क्रियान्वयन का विवरण **तालिका 3.4** में है । प्रदेश में कृषि एवं सम्बन्ध गतिविधियों के लिये ऋण वितरण में स्थिर परिलक्षित हो रहा है । सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए ऋण वितरण में निरन्तर सुधार हो रहा है लघु उद्योगों के लिये ऋण वितरण में वृध्दि के फलस्वरूप ही इन औद्योगिक गतिविधियां में विस्तार होने का संकेत है ।

तालिका 3.4

वार्षिक साख योजना की उपलब्धि

(करोड़ रूपये में)

गतिविधियां	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**दिसम्बर, 2017**
कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	49871	52502	64162	47416
लघु उद्योग	13823	17769	16516	14802
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	10935	9517	7000	4543
योग	**74629**	**79788**	**87678**	**66761**
अप्राथमिकता क्षेत्र	-	-	**27498**	**51933**
कुल योग	**74629**	**79788**	**115176**	**118694**

3.7 कमजोर वर्ग को साख: प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय तथा महिला वर्ग को निर्गमित साख का वर्षान्त पर शेष का विवरण **तालिका 3.5** में है।

तालिका 3.5

कमजोर वर्ग को साख अंतर्गत उपलब्धि

(करोड़ रूपये में)

विवरण	**मार्च-15**	**मार्च-16**	**मार्च-17**	**दिसम्बर-17**	**मार्च-15 से दिसम्बर-17 तक वृद्धि दर**
महिलाओं को अग्रिम	14367	23816	20791	24264	**15.45**
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग	7674	10726	11285	14021	**20.43**
अल्पसंख्यक समुदाय	7488	9539	8628	10312	**8.98**

3.8 सूक्ष्म वित्त : वर्तमान परिदृश्य में स्व-सहायता समूहों द्वारा बचत के साथ-साथ नये व्यवसायों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में विकास करते हुए व्यवसाय में वृद्धि का कार्य किया जा रहा है । भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र हेतु 'एन.आर.एल.एम.' तथा शहरी क्षेत्र हेतु 'एन.यू.एल.एम.' नाम से मिशन प्रारम्भ किये है । इन दोनों मिशन अंतर्गत बैंकों एवं स्व-सहायता समूहों के मध्य लिंकेज की गतिविधियां संचालित की जा रही है ।

3.9 गृह निर्माण अग्रिमः बैंकों एवं हाउसिंग फायनेंस कम्पनियों द्वारा प्रदेश की जनता को सामान्य आवास ऋण के साथ-साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गृह निर्माण हेतु ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

3.10 किसान क्रेडिट कार्डः बैंकों द्वारा प्रदेश के किसानों को उनकी साख सुविधा की सुगमता से पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जा रहा है। भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड धारी किसानों को किसान कार्ड जारी किये जा रहे है।

3.11 बैंक की अतिदेय राशि की वसूली : बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिम की समय पर वसूली साख रिसाईक्लिंग में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कतिपय कारणों से बैंक द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निर्गमित अग्रिम की समय पर वसूली नहीं होने तथा लम्बी अवधि व्यतीत होने के पश्चात वसूली की संभावना नहीं होने पर बैंक द्वारा ऐसी राशि को नॉन-परफार्मिंग सम्पत्ति मानते हुए प्रावधान करना होता है।

बैंकों की अतिदेय राशियों की वसूली हेतु प्रदेश में म.प्र. लोक धन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम, 1987 लागू है। उक्त अधिनियम के प्रावधान अंतर्गत राजस्व अधिकारियों द्वारा बैंकों की अतिदेय राशियों की वसूली की जाती है।

3.12 आर.आई.डी.एफ. योजना अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति : भारत सरकार की योजनान्तर्गत नाबार्ड द्वारा ग्रामीण अधोसंरचना विकास परियोजनाओं (आर.आई.डी.एफ.) हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। नाबार्ड द्वारा आर.आई.डी.एफ. अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं एवं स्वीकृत राशि का विवरण **तालिका 3.6** में है।

तालिका 3.6

आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत नाबार्ड द्वारा

स्वीकृत परियोजनाएं एवं ऋण राशि का विवरण

(करोड़ रूपये में)

परियोजना क्षेत्र	वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18 जनवरी 2018 तक	
	परियोजना संख्या	स्वीकृत ऋण राशि	परियोजना संख्या	स्वीकृत ऋण राशि	परियोजना संख्या	स्वीकृत ऋण राशि
सिंचाई	2	1372.51	2	1034.65	3	1723.49
सड़क	43	285.49	13	469.6	15	295.97
पुल एवं पुलिया	13	92.48	8	58.21	0	0
आई.टी.आई. भवन	30	102.00	0	0.00	0	0
ग्रामीण पेयजल वितरण	0	0.00	4	292.64	0	0
कुल योग	**88**	**1852.48**	**27**	**1855.10**	**18**	**2019.46**

3.13 बचत जमा की सुरक्षा हेतु निक्षेपकों के हितों का संरक्षणः देश की जनता द्वारा बचत राशि को विनियोजित करते हुए आय के संसाधन बढ़ाए जाते हैं। पूर्व वर्षों में बचत राशि को मुख्यत: बैंक, बीमा, डाकघर आदि में जमा रखा जाता था किन्तु पिछले कुछ समय से नॉन-बैंकिग फायनेन्स कम्पनियां भी विभिन्न तरीकों से राशि एकत्र करने का कार्य कर रही हैं। प्रदेश में निक्षेपकों के हितों को संरक्षित करने हेतु **"मध्य प्रदेश** निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000" लागू है।

बीमा क्षेत्र

3.14 जीवन बीमा : बीमा क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा भी घरेलू बचत को वित्तीय बाजार में संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है। ये संस्थायें प्रदेश के सुदूर अंचलों में बीमा योग्य व्यक्तियों तक पहुंच कर बीमा सुरक्षा प्रदान कर रही हैं । भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमा क्षेत्र में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था है ।

निगम के द्वारा वैयक्तिक बीमा योजनाओं में मध्यम तथा समाज के कमजोर एवं अल्प आयवर्ग के व्यक्तियों के लिये न्यूनतम प्रीमियम पर बीमा योजना के अंतर्गत बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है । निगम द्वारा अल्प प्रीमियम भुगतान क्षमता वाले लोगों को जीवन बीमा सुरक्षा देने के उदेश्य से सूक्ष्म बीमा की विशेष प्रकार की पॉलिसियां भी उपलब्ध है ।

निगम के मध्य क्षेत्र (मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़) द्वारा व्यक्तिगत बीमा क्षेत्र में विगत तीन वर्षो की स्थिति **तालिका 3.7** में दर्शायी है ।

तालिका 3.7

व्यक्तिगत बीमा पालिसियों की उपलब्धियाँ (मध्य क्षेत्र)

मद	2015-16	2016-17	2017-18 31 दिसंबर 2017 तक
पालिसी संख्या (लाख में)	11.55	11.49	8.46
प्रथम प्रीमियम आय (करोड़ रूपये)	1244.33	1630.32	1346.21

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा मध्य क्षेत्र में न केवल बीमा पालिसियों एवं बीमित राशि में वृद्धि हो रही है, वरन निवेश, अधोसंरचना एवं सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उपलब्धता हासिल की गई है । निगम के मध्य क्षेत्र (मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़) द्वारा **पेंशन, समूह बीमा** तथा **सामाजिक सुरक्षा योजना** की प्रगति को **तालिका 3.8** में दर्शाया गया है

तालिका 3.8

पेंशन समूह एवं सामाजिक सुरक्षा योजना (मध्य क्षेत्र)

मद	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18 (31-12-2017) तक	
	पेंशन एवं समूह बीमा	सामाजिक सुरक्षा योजना	पेंशन एवं समूह बीमा	सामाजिक सुरक्षा योजना	पेंशन एवं समूह बीमा	सामाजिक सुरक्षा योजना	पेंशन एवं समूह बीमा	सामाजिक सुरक्षा योजना
नये जीवनों की संख्या (लाख में)	53.71	19.27	39.32	19.50	40.54	15.96	1.09	0.70
प्रथम प्रीमियम आय (करोड़ रूपये में)	757.19	13.79	663.98	1.02	1140.68	0.19	412.24	0.70

विगत वर्ष तक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 88.48 लाख एंव छत्तीसगढ शासन द्वारा 47.73 लाख परिवारों के मुखियाओं को जो गरीबी रेखा के नीचे या गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर जीवन यापन करते हैं, **"आम आदमी बीमा योजना / जनश्री बीमा योजना"** के तहत बीमा सुरक्षा प्रदान की जा चुकी है। उक्त के अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष में आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत 70843 लाख परिवारों के मुख्याओं को बीमा सुरक्षा प्रदान की गई है ।

इस वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लागू की गई **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना** (PMJJYBY) के तहत मध्य प्रदेश में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 290952 व्यक्तियों को बीमा सुरक्षा प्रदान की जा चुकी है एंव 604 दावों का भुगतान किया गया जिसकी राशि 12.11 करोड रुपये व्यक्तियों को बीमा सुरक्षा प्रदान की जा चुकी है।

4

भाव, खाद्यान्न उर्पाजन एवं वितरण

भाव स्थिति

4.1 कृषि जन्य पदार्थों के थोक भाव सूचकांक : राज्य स्तरीय महत्वपूर्ण कृषि जन्य पदार्थों के समूहों के थोक भाव सूचकांक (आधार वर्ष 2005-06 से 2007-08 =100) आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा तैयार किये जाते हैं, जिसमें प्रत्येक फसल का राज्य स्तर पर भाव निर्धारित है । वर्ष 2016-17 में गतवर्ष की तुलना में खाद्यानों, एवं समस्त वस्तुओं के थोक भाव सूचकांक में वृद्धि की प्रवृति रही तथा आखादयानों में कमी परिलक्षित हुई है। सर्वाधिक वृद्धि खाद्यानों के थोक भाव सूचकांक में 9.96 प्रतिशत की रही तथा सूचकांक गतवर्ष के 217.8 से बढकर वर्ष 2016-17 में 239.5 हो गया। इसी प्रकार अखाद्यान्नों का थोक भाव सूचकांक वर्ष 2015-16 में 231.2 था जो 1.16 प्रतिशत की कमी के साथ वर्ष 2016-17 में 228.5 हो गया ।

तालिका 4.1

कृषि पदार्थों के थोक भाव सूचकांक

(आधार वर्ष 2005-06 से 2007-08=100)

मद	2014-15	2015-16	वृद्धि/ कमी (प्रतिशत)	2016-17	वृद्धि/कमी (प्रतिशत)
खाद्यान्न	185.2	217.8	17.60	239.5	9.96
अखाद्यान्न	229.2	231.2	0.87	228.5	(-)1.16
समस्त वस्तुएं	206.2	224.2	8.73	234.2	4.46

समस्त कृषि जन्य पदार्थों के समूह में थोक भाव सूचकांक में वर्ष 2015-16 से वर्ष 2016-17 में 4.46 प्रतिशत की वृद्धि रही और सूचकांक गतवर्ष के 224.2 से बढकर वर्ष 2016-17 में 234.2 हो गया ।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

4.2 उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के अंतर्गत औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) तथा कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87=100) का समावेश किया जाता है ।

4.3 औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक : मध्य प्रदेश के चार केन्द्रों यथा- भोपाल, जबलपुर, इन्दौर एवं छिन्दवाड़ा के साथ-साथ अखिल भारत के लिये यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा (आधार वर्ष 2001=100) तैयार किये जाते हैं औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का वर्षवार विवरण **तालिका 4.2 में** दर्शाया गया है ।

तालिका 4.2

औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

आधार वर्ष (2001 = 100)

केन्द्र	2015		2016		वर्ष 2016 में गतवर्ष से वृद्धि (प्रतिशत)		2017 माह नवंबर तक	
	खाद्य	सामान्य	खाद्य	सामान्य	खाद्य	सामान्य	खाद्य	सामान्य
भोपाल	282	260	293	271	3.90	4.23	286	275
इन्दौर	282	243	296	252	4.96	3.70	291	256
जबलपुर	299	256	324	274	8.36	7.03	313	279
छिन्दवाड़ा	296	262	326	281	10.14	7.25	320	285

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2016 में राज्य के सभी केन्द्रों में खाद्य समूह एवं सामान्य समूह दोनों के सूचकांकों में वृद्धि रही है परन्तु वृद्धि की गति सामान्य समूह सूचकांकों की अपेक्षा खाद्य समूह में अधिक परिलक्षित रही है । वर्ष 2017 में (11 माह की अवधि) सर्वाधिक सूचकांक खाद्य समूह एंव सामान्य सूचकांक में छिंदवाडा में क्रमशः 320 एंव 285 आंका गया है ।

4.4 कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक : मध्य प्रदेश राज्य के कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा (आधार वर्ष 1986-87=100) खाद्य एवं सामान्य दोनों समूहों के लिये तैयार किये जाते हैं । कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का वर्षवार विवरण **तालिका 4.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.3
कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 1986-87 = 100)

वर्ष	मध्य प्रदेश							
	कृषि श्रमिक				ग्रामीण श्रमिक			
	खाद्य	सामान्य	पूर्व वर्ष से वृद्धि/कमी (प्रतिशत)		खाद्य	सामान्य	पूर्व वर्ष से वृद्धि/कमी (प्रतिशत)	
			खाद्य	सामान्य			खाद्य	सामान्य
2012	633	644	6.21	8.72	634	652	6.38	8.85
2013	697	711	10.11	10.40	697	721	9.94	10.58
2014	694	730	(-) 0.43	2.67	692	739	(-) 0.72	2.50
2015	704	751	1.44	2.88	705	774	1.88	4.74
2016	742	789	5.40	5.06	748	811	6.10	4.78
2017 माह नवंबर तक	730	790	-	-	733	815	-	-

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि गत वर्ष से कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के खाद्य समूह तथा सामान्य के सूचकांक में वृद्धि देखी गई है । वर्ष 2016 में खाद्य समूह एवं सामान्य सूचकांक में वृद्धि के साथ वर्ष 2017 में 10 माह की अवधि मे सामान्य समूह सूचकांक में अपेक्षाकृत कमी एवं वृद्धि तथा दोनों खाद्य समूह में कमी परीलक्षित हुई।

4.5 मध्य प्रदेश में कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के खाद्य समूह सूचकांक में गतवर्ष की तुलना में वर्ष 2016 में 5.40 एवं 6.10 प्रतिशत की वृद्धि रही, जबकि इसी अवधि में कृषि एवं ग्रामीण समूहों के सामान्य समूह सूचकांक में 5.06 एवं 4.78 प्रतिशत की वृध्दि रही है । वर्ष 2017 में 11 माह की अवधि तक कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के खाद्य समूह के सूचकांक क्रमशः 730 एवं 733 रहे जबकि सामान्य समूह के सूचकांक क्रमशः 790 एवं 815 रहे ।

खाद्यान्न उपार्जन एवं वितरण

4.6 मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना:-

- मार्च, 2014 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधान अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारम्भ किया गया। मार्च, 2014 में लगभग 92 लाख परिवारों एवं 3.88 करोड जनसंख्या को रूपये 1 प्रति किलोग्राम खाद्यान्न, रूपये 1 प्रति किलोग्राम नमक का वितरण प्रारंभ किया गया।

- पात्र परिवारों की संख्या एवं लाभांवित जनसंख्या में प्रतिमाह वृद्धि हुई एवं जनवरी, 2018 में कुल लाभांवित परिवारों की संख्या 117.16 लाख एवं कुल जनसंख्या लगभग 5.43 करोड हो गई।
- प्रदेश में अन्त्योदय अन्नयोजना के परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार एवं प्राथमिकता परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य प्रतिमाह के मान से खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवारों को भारत सरकार द्वारा गेहूं रूपये 2.00 प्रति किलो एवं चावल रूपये 3.00 प्रति किलो दिये जाने का प्रावधान है, जबकि मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत सभी पात्र परिवारों को गेहूं एवं चावल रूपये 1.00 प्रति किलो की दर से दिया जा रहा है। इस पर राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष राशि रूपये 440 करोड का अनुदान दिया गया है।
- पात्र परिवारों में अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों के साथ-साथ प्राथमिकता परिवार के रूप में 25 श्रेणियों को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। प्राथमिकता परिवार की श्रेणियों में न सिर्फ समस्त बीपीएल परिवार सम्मिलित किए गए अपितु 24 अन्य श्रेणियों के गैर-बीपीएल परिवारों को भी सम्मिलित किया गया है।

इस प्रकार मध्यप्रदेश में सम्मिलित कुल 25 पात्र परिवार की श्रेणियों की जानकारी निम्नानुसार है:-

अन्त्योदय अन्न योजना के परिवार, समस्त बीपीएल परिवार, समस्त ऐसे व्यक्ति जो मध्यप्रदेश शासन भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक हैं एवं अन्य पर आश्रित परिवार सदस्य, ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनांतर्गत भूमिहीन, खेतिहर मजदूर के रूप में पंजीकृत हैं एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य,साईकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य। हाथ ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य, अनाथ आश्रम, निराश्रित विकलांग छात्रावासों में निवासरत बच्चे तथा नि:शुल्क संचालित वृद्धाश्रमों में निवासरत वृद्धजन, घरेलू कामकाजी महिलाएं, फेरीवाले (स्ट्रीट वेन्डर), वनाधिकार पट्टेधारी, रेलवे में पंजीकृत कुली, मंडियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी,बन्द पडी मिलोंमें पूर्व नियोजित श्रमिक, बीडी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1972 अंतर्गत परिचय पत्र धारी बीडी श्रमिक, समस्त भूमिहीन कोटवार, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पी, केशशिल्पी, पंजीकृत बहुविकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति, एचआईव्ही (एड्स) संक्रमित व्यक्ति (जो स्वेच्छा से इस योजना का लाभ लेना चाहतेहों), मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जाति के परिवार, बसर्ते कि वे प्रथम,

द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का अधिकारी/कर्मचारी एवं आयकर दाता न हो, प्रदेश में मतस्य पालन करने वाले (मछुवा) सहकारी समितियों के अंतर्गत पंजीकृत परिवार/सदस्य, प्राकृतिक आपदा से वर्ष 2013-14 में प्रभावित ऐसे परिवार, जिनकी फसलों के प्राकृतिक आपदा से क्षति 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो, प्रदेश के पंजीकृत व्यावसायिक वाहन चालक/परिचालक, विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड जनजाति।

4.7 अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावासों को रियासती दर पर खाद्यान:- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रावासों में रहने वाले छात्र/छात्राओं को 12.00 किलो प्रति छात्र के मान से 1.00 रू. प्रति किलो की दर से खाद्यान उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे प्रदेश के अनुसूचित जाति के 85,164 एवं अनुसूचित जनजाति 1,70,309 छात्र/छात्राऐं लाभांवित हो रहे हैं। इस पर राज्य सरकार द्वारा वार्षिक राशि रू. 13.22 करोड का वार्षिक अतिरिक्त व्यय किया जाएगा।

4.8 पात्र परिवारों का डाटा डिजिटाईजेशन:- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पात्र परिवार के रूप में 530 लाख हितग्राहियों को सम्मिलित कर हितग्राहियों का इलेक्ट्रानिक डाटा डिजिटाईज्ड किया जा चुका है तथा समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के पोर्टल पर सभी हितग्राहियों का डाटा आमजन के अवलोकन के लिए ऑनलाईन उपलब्ध कराया गया है।

4.9 उचित मूल्य दुकानों का ऑटोमेशन:- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिकाधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से प्रदेश की सभी 22508 उचित मूल्य दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल मशीनें (पीओएस मशीन) लगाई गई है तथा पीडीएस में सम्मिलित पात्र परिवारों को आधार सत्यापन/समग्र आईडी के माध्य से राशन वितरण किया जा रहा है।

4.10 आधार आधारित राशन वितरण:- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पात्र परिवार में सम्मिलित 543 लाख में से 386 लाख हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार सीडिंग की गई है। प्रदेश के समस्त जिलों के नगरीय क्षेत्रों में आधार सत्यापन से हितग्राही की पहचान कर राशन वितरण की व्यवस्था की गई है तथा यथाशीघ्र ग्रामीण क्षेत्र में उक्त व्यवस्था को लागू किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

सप्लाई चेन व्यवस्था का कम्प्यूटराईजेशन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटराईजेशन परियोजना के अंतर्गत संपूर्ण सप्लाई चेन व्यवस्था का कम्प्यूटराईजेशन किया गया है। जिसके तहत स्टेट पी.डी.ए. पोर्टल (food.mp.gov.in) पर प्रत्येक माह के अंत में सभी उचित मूल्य दुकानों पर उपलब्ध पात्र परिवारों के डेटा की गणना कर उचित मूल्य दुकानवार राशन सामग्री का आवंटन एनआईसी के माध्यम से राज्य स्तर से

संचालनालय द्वारा प्रतिमाह ऑनलाईन जारी किया जाता है। यह आवंटन स्टेट पीडीएस पोर्टल से वेब सर्विस के माध्यम से नागरिक आपूर्ति निगम के सी.एस.एम.एस. पोर्टल पर स्थानांतरित किया जाता है। सी.एस.एम.एस. पोर्टल से नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा ट्रांसपोटर्स हेतु उचित मूल्य दुकानवार डी.ओ. तथा आर.ओ. ऑनलाईन जारी किये जाते हैं। सभी ट्रांसपोर्टर्स द्वारा प्रदाय योजना के माध्यम से राशन सामग्री उचित मूल्य दुकानों तक प्रदाय करते हैं।

4.11 आयोडीनयुक्त नमक वितरण योजना:- मार्च, 2014 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत समस्त पात्र परिवारों को रूपये 1.00 प्रति किलोग्राम की दर से एक किलो नमक का वितरण किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के 117.00 लाख परिवारों को 11700 में टन प्रतिमाह नमक का वितरण किया जा रहा है।

4.12 नीले केरोसीन का वितरण :- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन के पूर्व मध्यप्रदेश में एपीएल श्रेणी के 85,39,554, बीपीएल श्रेणी के 57,00,304 एवं एएवाय श्रेणी के 17,59,017 परिवार थे। अन्त्योदय एवं बीपीएल परिवारों को तत्समय 5 लीटर प्रति परिवार के मान से केरोसीन दिया जाता था, जबकि एपीएल परिवारों को उपलब्धता के अनुसार केरोसीन दिया जाता था, वह भी इस शर्त के साथ कि संबंधित परिवार के पास गैस कनेक्शन न हो। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत 117.00 लाख पात्र परिवारों के रूप में चिन्हांकित किया गया है। इन्हीं परिवारों को नीला केरोसीन (रियायती दर का केरोसीन) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में उपलब्धता कराया जा रहा है।

वर्तमान में अन्त्योदय अन्न योजना एवं 22 आदिवासी जिले के प्राथमिकता परिवारों को 4 लीटर एवं शेष जिलों के प्राथमिकता परिवारोंको 2 लीटर केरोसीन का वितरण प्रतिमाह प्रति परिवार को किया जा रहा है।

4.13 खाद्य सुरक्षा पर्व का आयोजन:- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ऐसे परिवार जिनको प्राथमिकता परिवार में सम्मिलित नहीं किया जा सका था, उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनांतर्गत रियायती दर पर खाद्यान्न का लाभ दिए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा जून 2014 में **'खाद्य सुरक्षा पर्व'** नाम से एक विशेष अभियान चलाया गया जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों से घर-घर जाकर घोषणापत्र भरवाए गए। अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों द्वारा स्वयं के घोषणा पत्र के आधार पर जून, 2014 में लगभग 75 लाख व्यक्तियों (18 लाख परिवारों) को प्रावधानिक रूप से प्राथमिकता परिवार के रूप में सम्मिलित किया गया है। इन परिवारों को जुलाई 2014 से

खाद्यान्न, शक्कर, नमक, एवं केरोसीन का वितरण किया जा रहा था । वर्तमान में शक्कर को छोडकर शेष सामग्री प्रदाय की जा रही है।

4.14 राज्य स्तर से दुकानवार खाद्यान्न,नमक एवं केरोसीन का आबंटन:- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत वितरण होने वाली सामग्री के आबंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं इसमें होने वाले विलम्ब को रोकने के लिए जून, 2014 से उचित मूल्य दुकानवार आवंटन निर्धारित समय-सीमा में आयुक्त, खाद्य कार्यालय भोपाल से जारी किया जा रहा है। उचित मूल्य दुकानवार सामग्री का आबंटन आम जनता के अवलोकन हेतु समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के पोर्टल पर रखा गया है एवं मध्यप्रदेश के इस प्रयोग की भी सराहना की जा रही है। अब मध्यप्रदेश में कोई भी व्यक्ति अपनी पात्रता, प्रदाय की जाने वाली सामग्री की मात्रा एवं मूल्य संबंधी जानकारी विभागीय वेब-साईट पर देख सकता है। वेब-साईट पर यह भी दर्शित है कि कौन सा परिवार किस उचित मूल्य दुकान से सम्बद्ध है एवं उचित मूल्य दुकानवार पात्र परिवारों की संख्या कितनी है।

4.15 द्वार प्रदाय योजना:- "व्दार प्रदाय योजना" अंतर्गत प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुदृढ बनाने के उद्देश्य से लीड समिति के स्थान पर मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उचित मूल्य दुकानों तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न एवं नमक के प्रदाय करने का निर्णय लिया गया। इस प्रक्रिया का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यक वस्तुओं का त्वरित परिवहन एवं दुकान स्तर पर नियमित उपलब्धता के साथ ही परिवहन के दौरान आवश्यक वस्तुओं के व्यपर्वतन पर नियंत्रण करना है। व्दार प्रदाय योजना पूरे प्रदेश में मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा प्रारंभ कर दी गई है।

4.16 ई-उपार्जन परियोजनांतर्गत खाद्यान्न का उपार्जन एवं वितरण : राज्य सरकार द्वारा उपार्जन की मानवीय प्रकिया पर निर्भरता समाप्त कर कम्पयूटर के माध्यम से उपार्जन किया गया। उपार्जन के केन्द्रों को कम्प्यूटर, प्रिन्टर, यूपीएस, उपलब्ध कराये गये। ई-उपार्जन साफ्टवेयर का विकास कर किसानों का पंजीयन कराया गया, किसानों को उपार्जन हेतु एसएमएस करने तथा किसानों द्वारा विक्रय खाद्यान्न की राशि उनके खाते में सीधे जमा कराने की व्यवस्था की गई।

4.17 गेहूं का उपार्जन:- रबी उपार्जन वर्ष 2017-18 में ई-उपार्जन परियोजनांतर्गत 7 लाख 38 हजार 895 किसानों से 67 लाख 25 हजार में टन गेहूं का उपार्जन किया गया है।

4.18 धान एवं मोटे अनाज का उपार्जन:- खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में जनवरी 2018 तक प्रदेश के 2,48,928 किसानों से 14,51,362 में टन धान का उपार्जन किया गया।

4.19 प्रधानमंत्री उज्जवला योजना:- प्रधानमंत्री उज्जवला योजनांतर्गत SECC डाटा में दर्ज 72.38 लाख परिवारों में से 30.13 लाख गरीब परिवार की महिलाओं को नवीन गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके है।

4.20 राज्य खाद्य आयोग का गठन: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान अनुसार 'राज्य खाद्य आयोग' का गठन किया जा चुका है तथा प्रत्येक जिले के कलेक्टर को ' जिला शिकायत निवारण अधिकारी' घोषित किया गया है।

4.21 मुख्यमंत्री हेल्पलाईन:- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत वितरण होने वाली सामग्री एवं उपार्जन से संबंधित समस्या एवं शिकायतों के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाईन के अंतर्गत टोल-फ्री नम्बर 181 की सुविधा प्रदान की गई है। उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री हेल्पलाईन की अवधारणा एवं मुख्यमंत्री अन्न्पूर्णा योजना के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों से अवगत कराने के लिए प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर फ्लेक्स लगाए गए जिसमें मुख्यमंत्री हेल्पलाईन टोल-फ्री नम्बर 181 एवं जिले के अधिकारियों के नंबर प्रदर्शित किए गए।

4.22 वेयरहाउस के नवीन लायसेन्स एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया का सरलीकरण :- मध्यप्रदेश कृषि गोदाम नियम, 1961 में मार्च, 2014 को अधिसूचना द्वारा संशोधन कर वेयरहाउस के नवीन लायसेन्स एवं नवीनीकरण की अवधि एक वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष की गई। अनुज्ञप्ति शुल्क का युक्तियुक्तकरण रू. 0.50 प्रति में टन निर्धारित किया गया। नवीन लायसेंस जारी करने एवं नवीनीकरण हेतु आवेदन ऑनलाईन प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है।

4.23 प्रदेशमें पीपीपी मॉडल पर स्टील सायलो की स्थापना:- मध्यप्रदेश में इन्दौर, उज्जैन, देवास, भोपाल, विदिशा, सीहोर, हरदा, होशंगाबाद, सतना, जिलों में कुल 9 स्थानों पर 4.50 लाख में टन क्षमता का स्टील सायलो प्रोजेक्ट भारत में प्रथम बार पीपीपी मॉडल पर स्थापित किये गये है। मध्यप्रदेश के इस कदम को देश एवं विदेश स्तर पर सराहा गया है तथा अन्य प्रदेश भी इसका अनुसरण कर रहे हैं।

4.24 देश में प्रथम मध्यप्रदेश शासन की वेअरहाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक्स पालिसी, 2012:-

- मध्यप्रदेश राज्य भारत वर्ष में प्रथम राज्य है, जहां पर प्रदेश में भण्डारण क्षमता वृद्धि हेतु स्वयं की वेअरहाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक्स पालिसी, 2012 बनायी।
- वेअरहाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक्स पालिसी, 2012 नीति के अंतर्गत निजी निवेशकों को 15 प्रतिशत पूंजी अनुदान एवं 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान सात वर्ष हेतु प्रदान किया जा रहा है।

- वर्ष 2002 में प्रदेश में लगभग 11 लाख में टन भण्डारण क्षमता थी, आज की स्थिति में प्रदेश में निजी एवं शासकीय कुल मिलाकर लगभग 184 लाख में टन भण्डारण क्षमता उपलब्ध है। प्रदेश के अधिकांश जिले भण्डारण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की स्थिति में आ चुके हैं।
- निजी गोदाम प्राप्त करने के लिये संयुक्त भागीदारी योजना के अंतर्गत साढे चार माह की व्यवसाय गारंटी दी गई तथा अनुबंधित गोदामों में यदि उपार्जित स्कंध का भण्डारण नहीं होता है तो अनुबंधित क्षमता के लिये व्यवसाय गारंटी हेतु देय प्रावधानित राशि का 10 प्रतिशत दर से भुगतान गोदाम संचालक को करने की व्यवस्था की गई।

4.25 वेअरहाउसिंग कार्पोरेशन:- मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन राज्य शासन की प्राथमिकता पर प्रदेश में भण्डारण क्षमता के निर्माण एवं व्यवस्था हेतु कृत संकल्पित है। इस दृष्टि से भारत सरकार की पी.ई.जी. योजना, बुन्देलखण्ड विशेष परियोजना, सायलो बैग, स्टील सायलो एवं स्वयं की लॉजिस्टिक्स नीति के अंतर्गत प्रदेश में भण्डारण क्षमता वृद्धि का कार्य लिया गया है।

4.26 वेअरहाउसिंग में नवाचार हेतु प्राप्त पुरस्कार: Ministry of Chemicals & Fertilizers Department of Chemicals & Petrochemicals भारत सरकार नई-दिल्ली द्वारा कृषि एवं जल संरक्षण में पोलिमार श्रेणी अंतर्गत " Silo bags used for storage of foodgrains" के लिये मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक्स कार्पोरेशन को नवाचार हेतु किये गये कार्यो के लिये " 4^{th} NATIONAL AWARDS FOR TECHNOLOGY INNOVATION IN 2013-14" अवार्ड से नवाजा गया।

4.27 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानुसार नवीन नियंत्रण आदेश जारी:- राज्य सरकार द्वारा पात्र परिवारों को नियंत्रित होने पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानुसार मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2015 जारी कया गया। जिसमें मुख्य प्रावधान निम्नानुसार है:-

- प्रदेश में नवीन खोले जाने वाली उचित मूल्य दुकानों में से यथासंभव एक तिहाई उचित मूल्य दुकाने महिलाओं की संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक दुकान खोली जाएगी।
- नगरीय क्षेत्र में 800 पात्र परिवार पर एक उचित मूल्य दुकान होगी।
- उचित मूल्य दुकानों के विक्रताओं की योग्यता का निर्धारण।
- लीड संस्थाओं के प्रावधान को समाप्त कर व्दार प्रदाय योजना का प्रावधान किया गया।

- उचित मूल्य दुकान से संबंधित दस्तावेजों को सूचना के अधिकार के तहत प्रदाय का प्रावधान।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री के प्रति स्थापन/व्यपवर्तन/अपमिश्रण करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही का प्रावधान।

4.28 उचित मूल्य दुकानों के लिए नवीन कमीशन व्यवस्था लागू:- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकान संचालन करने वाली संस्थाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु वितरण की जाने वाली सामग्री में कमीशन में वृद्धि की गई है जिसके तहत नगरीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्यान्न पर रू. 20 प्रति क्विंटल के स्थान पर रू. 70 प्रति क्विंटल का कमीशन मार्च, 2014 से दिया जा रहा है। साथ ही, ग्रामीण उचित मूल्य दुकानों पर पृथक विक्रेता कार्यरत होने पर एकमुश्त रू. 8,400 प्रतिमाह एवं आंशिक विक्रता होने पर रू. 2400 प्रतिमाह कमीशन दिया जा रहा है।

संचालनालय स्तर से जारी ऑन-लाईन दुकानवार मासिक आवंटन को उचित मूल्य दुकानदार पी.ओ.एस. मशीन में डाउनलोड करता है । तदुपरांत राशन सामग्री लेने आए हितग्राही का सत्यापन उसकी समग्र आई.डी./आधार नम्बर से कर दुकानदार उसे राशन सामग्री का प्रदाय कर हितग्राही को एक रसीद दी जाती है जिसमें परिवार की समग्र आई.डी. उचित मूल्य दुकान से प्रदाय सामग्री की मात्रा एवं भुगतान की गई राशि का विवरण होता है। पात्र परिवार का मोबाईल न. डाटाबेस में उपलब्ध होने पर उसे सामग्री वितरण की जानकारी की सूचना एसएमएस द्वारा दी जाने की योजना है ।

हर माह के अंत में दुकानदार द्वारा वितरित की गई राशन सामग्री की जानकारी विभागीय पोर्टल पर अपलोड की जाती है जिसके आधार पर संचालनालय स्तर से आगामी माह का उचित मूल्य दुकानवार मासिक आवंटन जारी किया जाता है।

4.29 स्टॉक मेनेजमेंट : नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा उचित मूल्य दुकान पर प्रदाय की जा रही राशन सामग्री की मात्रा की प्रविष्टि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा पी.ओ.एस.मशीन पर की जाकर उसकी रसीद ट्रान्सपोर्टर को दी जाती है । वितरित सामग्री तथा वितरण उपरांत शेष सामग्री भी पी.ओ.एस. मशीन में स्टॉक मेनेजमेंट विकल्प में उपलब्ध रहने का प्रावधान है ।

पीओएस मशीन के माध्यम से पात्र परिवारों को सामग्री वितरण के तीन मॉडल निर्धारित है, जो निम्नानुसार है :-

- **अपनी सुविधा- अपना राशन (असर व्यवस्था)** : ऑन लाईन असर व्यवस्था प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। प्रथम चरण में उक्त आधार

आधारित व्यवस्था भोपाल, इन्दौर एवं खण्डवा जिलों के नगर निगम क्षेत्रों में लागू की गई है जिसे भविष्य में चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के अन्य नगरीय क्षेत्रों में लागू किया जाएगा । इस व्यवस्था के अन्तर्गत पात्र परिवारों का समस्त डाटा केन्द्रीय सर्वर पर उपलब्ध रहेगा तथा उचित मूल्य दुकान से वितरण की जाने वाली सामग्री की जानकारी ऑनलाईन अपडेट रहेगी । जिन पात्र परिवारों के आधार नम्बर डाटाबेस में उपलब्ध है, उसे नगर की किसी भी उचित दुकान से अपनी राशन सामग्री प्राप्त करने की सुविधा रहेगी ।

- **नॉन असर व्यवस्था (ऑन लाईन)** : नॉन असर व्यवस्था अन्तर्गत उचित मूल्यदुकान से संलग्न पात्र परिवार की समस्त जानकारी सेण्टल सर्वर से डाउनलोड कर पीओएस मशीन में संग्रहित की जाती है । पात्र परिवार अपनी निर्धारित उचित मूल्य दुकान से समग्र परिवार आई.डी. द्वारा सत्यापन उपरांत सामग्री प्राप्त करते है । यह व्यवस्था उन स्थानों पर लागू की गई है, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध है । उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा प्रतिदिन क्रय-विक्रय की जानकारी सेण्टल सर्वर पर अपलोड की जाती है ।

- **ऑफलाईन व्यवस्था** : यह व्यवस्था उन उचित मूल्य दुकानों पर लागू की गई है जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध नही है, इसके अंतर्गत पात्र परिवार का समस्त डाटा एवं उनकी पात्रता पी.ओ.एस. मशीन में उपलब्ध कराई जाती है । सप्ताह में एक बार उचित मूल्य दुकानदार द्वारा पी.ओ.एस. मशीन को इंटरनेट कनेक्टिविटी क्षेत्र में ले जाकर पी.ओ.एस. मशीन से सामग्री वितरण की जानकारी सेण्टल सर्वर पर अपलोड की जाती है ।

4.30 शिकायत निवारण व्यवस्था : परियोजना के अन्तर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु व्यवस्था की गई है जिसके तहत समस्त जिलों में जिला कलेक्टर को जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नामित किया गया है । उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज कराने हेतु टोल-फ्री दूरभाष नम्बर 1967 एवं 181 उपलब्ध कराया गया है तथा सी.एस हेल्पलाइन में इस हेतु चार स्तरीय शिकायत निवारण व्यवस्था लागू की गई है । जिसमें प्रथम स्तर पर कनिष्ठ सहायक आपूर्ति अधिकारी द्वितीय स्तर पर जिला आपूर्ति अधिकारी तृतीय स्तर पर जिला कलेक्टर एवं चतुर्थ स्तर पर आयुक्त खाद्य द्वारा शिकायतों का निराकरण किया जाता है ।

4.31 ट्रांसपेरेन्सी पोर्टल की स्थापना : लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एण्ड टू एण्ड कम्प्यूटराईजेशन के तहत विभाग द्वारा ट्रांसपेरेन्सी पोर्टस की स्थापना की गई है । पोर्टस पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी समस्त जानकारी जिसमें प्रदेश के कुल

हितग्राहियों की श्रेणीवार संख्या हितग्राहियों की पात्रता, परिवार, सदस्य संख्या, उचित मूल्य दुकानवार, स्थानीय निकायवार, जिलेवार मासिक आवंटन पीओएस मशीन से किये गये वितरण एवं क्लोसिंग स्टॉक आदि जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराई है ।

4.32 वेयरहाउस के लायसेंस आन लाइन जारी करना :- मध्यप्रदेश कृषि गोदाम अधिनियम, 1947 के तहत वेयरहाउस संचालन हेतु लायसेंस का आवेदन ऑनलाईन प्राप्त किया जाकर एवं उन्हें लायसेंस भी ऑनलाईन जारी किये जायेंगे। प्राप्त आवेदनों में किसी दस्तावेज की कमी होने पर आवेदक को उसकी पूर्ति करने हेतु ऑनलाईन सूचना दी जायेगी । लायसेंस स्वीकृति की स्थिति आवेदक ऑनलाईन देख सकेगा।

4.33 ई-निविदा के माध्यम से दरों का निर्धारण :- मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईस कार्पोरेशन द्वारा नमक एवं शक्कर का खुले बाजार से ई- निविदा के माध्यम से क्रय कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत किया जा रहा है, साथ ही उपार्जित खाद्यान एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण होने वाले खाद्यान के परिवहनकर्ता की दरों का निर्धारण ई- निविदा के माध्यम से किया जा रहा है।

5

कृषि

मध्य प्रदेश में कृषि आज भी ग्रामीण जनसंख्या के लिये रोजगार एवं जीविका की दृष्टि से मुख्य साधन है, फिर भी राज्य में कृषि अभी भी परम्परागत है तथा वर्षा पर अत्यधिक निर्भर है । फसल क्षेत्र की उक्त स्थिति फसल क्षेत्र में निवेश में वृद्धि करने की महती आवश्यकता को रेखांकित कर रही है । प्रदेश की अर्थ व्यवस्था कृषि प्रधान है तथा आर्थिक गतिविधियों, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र से निकटता से जुड़ी है । वर्ष 2017-18 (अ.) के दौरान फसल क्षेत्र में 1.61 प्रतिशत की कमी हुई है । फसल क्षेत्र की विकास दर को **चित्र 5.1** में दर्शाया गया है । यह वृद्धि दर देश में सर्वाधिक है ।

चित्र 5.1
फसल क्षेत्र में विकास दर

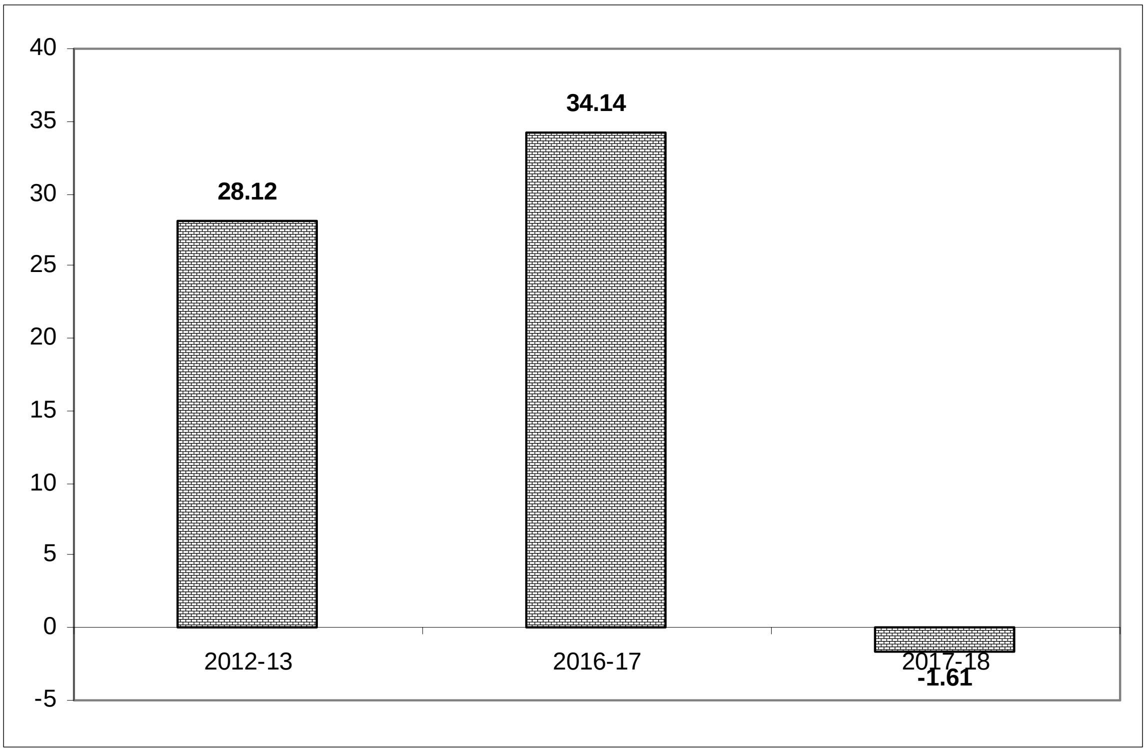

मौसम एवं फसल की स्थिति

5.1 कृषि क्षेत्र का निष्पादन प्रायः वर्षा, मौसम, विद्युत एवं सिंचाई के उपलब्ध साधनों इत्यादि पर निर्भर रहता है जिसके कारण कृषि उत्पाद पर धनात्मक अथवा ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है ।

मध्य प्रदेश में वर्षा का सामान्य मौसम माह जून से प्रारंभ होकर सितम्बर तक होता है तथा सामान्य औसत वर्षा 1026.4 मि.मी. है । वर्ष 2016 में (जून से सितम्बर) अवधि में 1037.6 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई थी । जो सामान्य औसत वर्षा से लगभग 1.09 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2017 में इसी अवधि में कुल वर्षा 742.2 मि.मी. दर्ज की गई है, जो सामान्य औसत से लगभग 27.69 प्रतिशत कम है । वर्षा की स्थिति का वर्षवार विवरण **तालिका 5.1** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.1

वर्षा की स्थिति

(मिली.मीटर)

माह	2014	2015	2016	2017	गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि/कमी
जून	38.7	85.9	87.8	62.6	(-) 28.70
जुलाई	304.3	429.1	501.6	350.3	(-) 30.16
अगस्त	521.2	715.0	925.0	557.9	(-) 39.69
सितम्बर	733.4	804.3	1037.6	742.2	(-) 28.47

स्त्रोत :- भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, म.प्र. ।

5.2 खाद्यान्न : वर्ष 2015-16 की अपेक्षा वर्ष 2016-17 में प्रमुख खाद्यान्नों के क्षेत्रफल में वृद्धि परिलक्षित रही । वर्ष 2016-17 में चावल, मक्का, एवं गेहूं के क्षेत्रफल में विगत वर्ष 2015-16 की अपेक्षा क्रमशः 11.66, 15.02 एवं 8.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । समग्र रूप से कुल खाद्यान्न के क्षेत्रफल में 13.02 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई । इस अवधि में खाद्यान्नों के क्षेत्रफल में वृद्धि होने के साथ ही खाद्यान्न का उत्पादन गतवर्ष से 30.98 प्रतिशत वृद्धि हुई है । प्रमुख खाद्यान्न फसलों का क्षेत्राच्छादन तथा उत्पादन का वर्षवार विवरण **तालिका 5.2 तथा 5.3** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.2

प्रमुख खाद्यान्न फसलों का क्षेत्राच्छादन

(हजार हेक्टेयर)

फसलें	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 अनुमानित	गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि/कमी
धान	1891.75	2153.00	2024.00	2260.00	2023.00	11.66
मक्का	862.55	1132.00	1098.00	1263.00	1317.00	15.02
गेहूं	6135.13	6002.00	5911.00	6422.00	5507.00	8.64
कुल खाद्यान्न (अन्य सहित)	**14367.55**	**15147.00**	**15522.00**	**17543.00**	**16944.00**	**13.02**

स्त्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (सा.सा.)

तालिका 5.3
प्रमुख खाद्यान्न फसलों का उत्पादन

(हजार मीटरिक टन)

फसलें	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 अनुमानित	गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि/कमी
धान	3328.58	5438.00	5320.00	8070.00	7305.00	51.69
मक्का	1493.93	2531.00	3140.00	4301.00	4680.00	36.97
गेहूं	15730.10	18480.00	18410.00	21918.00	18999.00	19.05
कुल खाद्यान्न (अन्य सहित)	**24853.60**	**32048.00**	**33951.00**	**44470.00**	**42136.00**	**30.98**

स्त्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (सा.सा.)

5.3 धान : धान के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2015-16 की अपेक्षा वर्ष 2016-17 में 11.66 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई एवं क्षेत्रफल गत वर्ष के 2024.00 हजार हेक्टेयर से बढकर वर्ष 2016-17 में 2260.00 हजार हेक्टेयर हो गया । धान के अन्तर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि होने से उत्पादन में भी वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2016-17 में 51.69 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई और उत्पादन गत वर्ष 2015-16 में 5320.00 हजार मीटरिक टन से बढकर वर्ष 2016-17 में 8070.00 हजार मीटरिक टन हो गया ।

5.4 मक्का : मक्का के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2015-16 की अपेक्षा वर्ष 2016-17 में 15.02 प्रतिशत की वृद्धि हुई एवं क्षेत्रफल गत वर्ष 2015-16 में 1098.00 हजार हेक्टर से बढकर वर्ष 2016-17 में 1263.00 हजार हेक्टेयर हो गया । मक्का के उत्पादन में वर्ष 2015-16 की अपेक्षा वर्ष 2016-17 में 36.97 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई एवं उत्पादन गत वर्ष 2015-16 में 3140.00 हजार मीटरिक टन से बढकर वर्ष 2016-17 में 4301.00 हजार मीटरिक टन हो गया ।

5.5 गेहूं : गेहूं के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2015-16 की अपेक्षा वर्ष 2016-17 में 8.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई एवं क्षेत्रफल गत वर्ष 2015-16 में 5911.00 हजार हेक्टेयर से बढकर वर्ष 2016-17 में 6422.00 हजार हेक्टेयर हो गया, इसी अवधि में गेहूं के क्षेत्रफल में वृद्धि के बाद ही उत्पादन में 19.05 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई है, और उत्पादन गत वर्ष 2015-16 में 18410.00 हजार मीटरिक टन से बढकर वर्ष 2016-17 में 21918.00 हजार मीटरिक टन हो गया है ।

5.6 दलहन : कुल दलहनी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वर्ष 2015-16 की अपेक्षा वर्ष 2016-17 में वृध्दि परिलक्षित रही । दलहनी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन का वर्षवार विवरण **तालिका 5.4 तथा तालिका 5.5** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.4

दलहनी फसलों का क्षेत्राच्छादन

(हजार हेक्टेयर)

फसलें	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 अनुमानित	गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि/कमी
अरहर	399.66	521.00	579.00	690.00	647.00	19.17
चना	2780.50	2853.00	3017.00	3222.00	3590.00	6.79
कुल दलहन	**4728.20**	**5250.00**	**5770.00**	**6752.00**	**7239.00**	**17.01**

स्त्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (सा.सा.)

तालिका 5.5

दलहनी फसलों का उत्पादन

(हजार मीटरिक टन)

फसलें	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 अनुमानित	गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि/कमी
अरहर	288.87	511.00	640.00	873.00	839.00	36.40
चना	2105.55	2964.00	3364.00	4546.00	5385.00	35.13
कुल दलहन	**3225.55**	**4647.00**	**5654.00**	**8201.00**	**9169.00**	45.04

स्त्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (सा.सा.)

5.7 अरहर : अरहर के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2015-16 की अपेक्षा वर्ष 2016-17 में 19.17 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई एवं क्षेत्रफल गत वर्ष 2015-16 में 579 हजार हेक्टर से बढकर वर्ष 2016-17 में 690.00 हजार हेक्टेयर हो गया। अरहर के उत्पादन में वर्ष 2015-16 की अपेक्षा वर्ष 2016-17 में 36.40 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई और उत्पादन गत वर्ष 2015-16 में 640.00 हजार मीटरिक टन से बढकर 873.00 हजार मीटरिक टन हो गया ।

5.8 चना : चना के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2015-16 की अपेक्षा वर्ष 2016-17 में 6.79 प्रतिशत की वृध्दि आंकी गई और क्षेत्रफल गत वर्ष 2015-16 में 3017.00 हजार हेक्टेयर से बढकर वर्ष 2016-17 में 3222.00 हजार हेक्टेयर हो गया । चने का उत्पादन वर्ष 2015-16 की अपेक्षा वर्ष 2016-17 में 35.13 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई और उत्पादन गत वर्ष 2015-16 में 3364.00 हजार मीटरिक टन से बढकर 4546.00 हजार मीटरिक टन हो गया है ।

5.9 तिलहन : तिलहन फसलों के अन्तर्गत कुल तिलहनी फसलों के क्षेत्रफल में 4.77 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई है । वर्ष 2015-16 में कुल तिलहनी फसलों का क्षेत्रफल 7336.00 हजार हेक्टेयर था जो वर्ष 2016-17 में 4.77 प्रतिशत से घटकर 6986.06 हजार हेक्टेयर हो गया । जबकि कुल तिलहनी फसलों के उत्पादन में गत वर्ष 2015-16 से 46.14 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई और उत्पादन वर्ष 2015-16 में 5628.00 हजार मीटरिक टन से बढकर वर्ष 2016-17 में 8225.00 हजार मीटरिक टन हो गया है । कुल तिलहनी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन का वर्षवार विवरण **तालिका 5.6** एवं **तालिका 5.7** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.6

प्रमुख तिलहनी फसलों का क्षेत्राच्छादन

(हजार हेक्टेयर)

फसलें	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 अनुमानित	गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि/कमी
राई - सरसों	703.20	666.00	617.00	708.00	748.00	14.74
सोयाबीन	6597.39	5604.00	5906.00	5401.00	5010.00	(-) 8.55
कुल तिलहन	**7922.96**	**7065.00**	**7336.00**	**6986.06**	**6636.00**	(-) 4.77

स्त्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (सा.सा.)

तालिका 5.7

प्रमुख तिलहनी फसलों का उत्पादन

(हजार मीटरिक टन)

फसलें	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 अनुमानित	गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि/कमी
राई सरसों	651.90	670.00	666.00	920.00	976.00	38.13
सोयाबीन	4720.27	6382.00	4448.00	7226.00	5321.00	62.45
कुल तिलहन	**5922.23**	**7719.00**	**5628.00**	**8225.00**	**6936.00**	**46.14**

स्त्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (सा.सा.)

5.10 राई-सरसों : राई-सरसों के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2015-16 की अपेक्षा वर्ष 2016-17 में 14.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई और क्षेत्रफल गत वर्ष के 617.00 हजार हेक्टेयर से बढकर वर्ष 2016-17 में 708.00 हजार हेक्टेयर हो गया तथा इस अवधि में राई-सरसों के उत्पादन में वर्ष 2015-16 की अपेक्षा वर्ष 2016-17 में 38.13 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई और

उत्पादन गत वर्ष 2015-16 में 666.00 हजार मीटरिक टन से बढकर वर्ष 2016-17 में 920.00 हजार मीटरिक टन हो गया ।

5.11 सोयाबीन : प्रदेश में मुख्य फसल का स्थान प्राप्त करने वाले सोयाबीन के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2015-16 की अपेक्षा वर्ष 2016-17 में 8.55 प्रतिशत की कमी आंकी गई और क्षेत्रफल गत वर्ष में 5906 हजार हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2016-17 में 5401 हजार हेक्टेयर रह गया । इसी अवधि में सोयाबीन का क्षेत्रफल घटने के साथ ही उत्पादन में वृद्धि परिलक्षित हुई और उत्पादन गत वर्ष 2015-16 के 4448.00 हजार मीटरिक टन से बढकर वर्ष 2016-17 में 7226.00 हजार मीटरिक टन अर्थात 62.45 प्रतिशत वृद्धि से उत्पादन हुआ ।

वाणिज्यिक फसलें

5.12 प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कपास एवं गन्ना हैं । वर्ष 2016-17 कपास एवं गन्ने के क्षेत्रफल में वृद्धि/कमी तथा उत्पादन में वृध्दि/कमी रही है । इन फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन के आंकड़ों का वर्षवार विवरण **तालिका 5.8** एवं **5.9** में दर्शाये गये हैं ।

तालिका 5.8

प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का क्षेत्राच्छादन

(हजार हेक्टेयर)

फसलें	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 अनुमानित	गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि/कमी
गन्ना	102.00	111.00	103.00	92.00	98.00	(-) 10.67
कपास (रूई)	580.74	636.00	563.00	599.00	603.00	6.39

स्त्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (सा.सा.)

तालिका 5.9

प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन

(हजार मीटरिक टन)

फसलें	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 अनुमानित	गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि/कमी
गन्ना (गुड के रूप मे)	280.10	457.00	528.00	473.00	543.00	(-) 10.41
कपास (रूई) #	1236.10	1929.00	2148.00	2838.00	2859.00	32.12

(#) = 170 किलोग्राम की गांठों में ।

स्त्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (सा.सा.)

5.13 गन्ना : गन्ना फसल के क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन में विगत वर्ष से कमी रही है । गन्ना फसल के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2015-16 की अपेक्षा वर्ष 2016-17 में 10.67 प्रतिशत की कमी हुई और क्षेत्रफल गत वर्ष में 103.00 हजार हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2016-17 में 92.00 हजार हेक्टेयर रह गया, साथ ही गन्ना फसल के उत्पादन में वर्ष 2015-16 की अपेक्षा वर्ष 2016-17 में 10.41 प्रतिशत की कमी हुई और उत्पादन गतवर्ष के 528.00 हजार मीटरिक टन से घटकर वर्ष 2016-17 में 473.00 हजार मीटरिक टन हुआ है।

5.14 कपास (रूई) : कपास फसल के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2015-16 की अपेक्षा वर्ष 2016-17 में 6.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई और क्षेत्रफल गत वर्ष के 563.00 हजार हेक्टर से बढक़र वर्ष 2016-17 में 599.00 हजार हेक्टेयर रह गया । इस अवधि में कपास फसल के उत्पादन में वर्ष 2015-16 की अपेक्षा वर्ष 2016-17 में 32.12 प्रतिशत की वृध्दि हुई और उत्पादन गत वर्ष के 2148.00 हजार मीटरिक टन से बढकर वर्ष 2016-17 में 2838.00 हजार मीटरिक टन रह गया ।

कृषि विकास योजनाएं

5.15 कृषि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बी.टी.कॉटन., रासायनिक उर्वरकों का वितरण, पौध संरक्षण, कल्चर वितरण, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, अन्नपूर्णासूरजधारा योजना-, प्रमाणित बीजों का वितरण परंपरागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना,नेशनल मिशन ऑन आयल सीड एण्ड आयल पॉम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं स्वाइल हेल्थ कार्ड योजना आदि कार्यक्रम संचालित हैं, जिनका विवरण आगे दर्शाया गया है ।

5.16 बी.टी.कॉटन : मध्यप्रदेश में बी.टी.कॉटन की व्यवसायिक खेती वर्ष 2002-03 से भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की जी.ई.ए.सी. की अनुशंसा व निर्धारित शर्तो के अधीन जारी स्वीकृति उपरांत प्रारंभ हुई । बी.टी. कॉटन के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 तक के क्षेत्राच्छादन एवं वितरित पैकिट संख्या का विवरण **तालिका 5.10** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.10

बी.टी. कॉटन का क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन

वर्ष	क्षेत्राच्छादन (हेक्टेयर में)	वितरित पैकिट (संख्या)
2013-14	621000	2684120
2014-15	564000	2436480
2015-16	547000	1447141
2016-17	572000	1510080
2017-18	603000	2065052

5.17 रासायनिक उर्वरकों का वितरण : प्रदेश में खरीफ वर्ष 2017 दिनांक 01.04.2017 से 25.09.2017 तक 18.02 लाख मैट्रिक टन एवं वर्ष 2017-18 में दिनांक 01.10.2017 से 01.01.2018 तक 16.63 लाख मीटरिक टन उर्वरकों का वितरण कराया गया है । कृषि उत्पादन बढ़ाने में रासायनिक उर्वरक विशेष रूप से सहायक होते हैं । फलस्वरूप प्रदेश में संतुलित उर्वरकों के वितरण पर ध्यान दिया जा रहा है । रासायनिक उर्वरकों के वितरण का विवरण वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक **तालिका 5.11** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.11

रासायनिक उर्वरकों का वितरण

(लाख मीटरिक टन)

वर्ष	नत्रजन (N)	फास्फेट (P)	पोटाश (K)	कुल (N+P+K)
2013-14	12.10	6.35	0.57	19.03
2014-15	11.19	6.05	0.72	17.97
2015-16	12.33	6.50	0.82	19.65
2016-17	12.72	6.17	0.92	19.81
2017-18 (01.01.2018 की स्थिति में)	10.75	5.68	0.87	17.31

5.18 पौध संरक्षण : फसलों को रोगों एवं कीड़ों आदि से होने वाली क्षति से बचाने के लिये पौध संरक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है । इसके अन्तर्गत फसल संरक्षण, बीजोपचार, चूहा नियंत्रण तथा नींदा नियंत्रण-उन्मूलन कार्यक्रम मुख्य रूप से सम्मिलित हैं । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 तक उपलब्धियॉ का विवरण **तालिका 5.12** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.12

पौध संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आच्छादित क्षेत्र

(लाख हैक्टेयर)

कार्यक्रम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 दिसम्बर, 2017
बीज उपचार	154.53	142.76	138.62	140.78	122.78
फसल उपचार	37.58	34.15	36.98	30.46	22.63
चूहा नियंत्रण	22.35	23.36	23.96	27.11	20.64
नींदा नियंत्रण	19.50	19.42	20.71	18.47	15.79
योग	**233.96**	**219.69**	**220.27**	**216.82**	**181.84**

5.19 भावांतर भुगतान योजना प्रदेश में किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त नही मिलने पर राज्य सरकार द्वारा **"भावांतर भुगतान योजना"** खरीफ 2017 प्रारंभ की गयी है, जिससे दलहनी फसलें (उडद, तुअर, मुंग) खाद्यान्न फसल (मक्का) तिलहनी फसले (सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल) शामिल की गई है । इसमें प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए राज्य शासन के द्वारा तय किया गया है कि

"समर्थन मूल्य" तथा किसान के द्वारा अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति के प्रांगण में विक्रय किये जाने पर राज्य शासन द्वारा निहित प्रक्रिया अपनाकर घोषित मॉडल विक्रय दर के अंतर को **"भावांतर भुगतान योजना"** अन्तर्गत राशि किसान को प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जावेगी तथा भावान्तर तथा भावान्तर की राशि किसान के खाते में जमा कराई जावेगी ।

मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रदेश में राशि रूपये एक हजार करोड की लागत से मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना दिनांक 29 जून 2017 को की गई है। इसे सुनिशिचत बाजार में हस्तक्षेप कर किसानों को उनकी उपज का उचित दाम प्राप्त हो, इसे सुनिश्चित किया जावेगा ।

5.20 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाः प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, भारत सरकार द्वारा रबी वर्ष 1999-2000 से क्रियान्वित की जा रही है। योजनान्तर्गत प्राकृतिक आपदाओं एवं रोगों के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने पर कृषकों को वित्तीय सहायता दी जाती है । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मुख्य उपलब्धियों को **बॉक्स 5.1** में दर्शाया है।

बॉक्स 5.1

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

म.प्र. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत खरीफ फसलों 2015 मौसम हेतु कुल 30-40 लाख कृषकों का 68.05 लाख हेक्टेयर रकबा बीमित किया गया जिसकी बीमित राशि 1143017.65 लाख थी एवं कृषक अंश प्रीमियम 40451.16 लाख प्राप्त हुआ । जिसमें 21.71 लाख कृषकों को कुल दावा राशि 466099.76 लाख का भुगतान किया गया । रबी 2015-16 मौसम हेतु कुल 24.47 लाख कृषकों का 51.49 लाख हेक्टेयर रकबा बीमित किया गया जिसकी बीमित राशि 903588.62 लाख थी एवं कृषक अंश प्रीमियम 14372.27 लाख प्राप्त हुआ । जिसमें 1.13 लाख कृषकों को कुल दावा राशि 6616.90 लाख का भुगतान किया गया ।

मध्यप्रदेश में उक्त योजना के स्थान पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2016 से प्रारंभ की गई । खरीफ 2016 में कुल 38.36 लाख कृषकों का 71.68 लाख हेक्टेयर का रकबा बीमित किया गया जिसकी बीमित राशि 193681000.00 लाख है एवं कृषक अंश प्रीमियम 40257.00 लाख प्राप्त हुआ । खरीफ 2016 में 387635.00 अऋणी कृषकों का बीमा किया गया। खरीफ 2016 मौसम में राशि रूपये 166337.00 लाख का 839601 कृषकों को भुगतान किया जा चुका है। खरीफ 2016 हेतु राज्यांश प्रीमियम अनुदान राशि रूपये 1234.12 करोड एवं केन्द्रांश प्रीमियम अनुदान राशि रूपये 1234.12 करोड बीमा कंपानियों को भुगतान किया गया । इस प्रकार कृषक अंश मिलाकर कुल राशि रूपये 2870.81 का भुगतान बीमा कंपानियों को किया गया है । रवी वर्ष 2016-17 में कुल 27.77 लाख कृषकों का 56.02 लाख हेक्टेयर का रकबा बीमित किया गया है । जिसकी बीमित राशि 1797315.00 लाख है एवं कृषक अंश प्रीमियम 269.73 लाख प्राप्त हुआ । रवी 2016-17 हेतु 50 प्रतिशत अग्रिम राज्यांश प्रीमियम अनुदान राशि रूपये 193.84 करोड एवं 50 प्रतिशत अग्रिम केन्द्रांश प्रीमियम अनुदान राशि रूपये 193.84 करोड का बीमा कपंनियों को भुगतान किया गया है ।

5.21 अन्नपूर्णा एवं सूरजधारा योजनाः मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषको के कल्याण हेतु यह योजना वर्ष 2000-2001 से लागू की गई है । सूरजधारा योजना में दलहन एवं तिलहन तथा अन्नपूर्णा योजना में खाद्यान्न फसलों के बीज उपलब्ध कराये जाते है ।

5.22 सूरजधारा योजनान्तर्गत : वर्ष 2013-14 में मार्च 2014 तक अनुसूचित जाति के 77 हजार एवं अनुसूचित जनजाति के 69 हजार कृषकों को लाभान्वित किया जा चुका है । वर्ष 2014-15 में मार्च 2015 तक अनुसूचित जाति के 91 हजार एवं अनुसूचित जनजाति के 84 हजार कृषको को लाभान्वित किया जा चुका है। वर्ष 2015-16 में अनुसूचित जाति के 126 हजार एवं अनुसूचित जनजाति के 117 हजार कृषकों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2016-17 मार्च, 2017 तक अनुसूचित जाति के 140 हजार एवं अनुसूचित जनजाति के 136 हजार कृषकों को लाभान्वित किया गया है । वर्ष 2017-18 में राशि रूपये 5000.00 लाख प्रावधान के विरूद्ध दिसम्बर, 2017 तक 2,64111 कृषकों को लाभांवित किया गया है। जिसमें अनुसूचित जनजाति के 124503 एवं अनुसूचित जाति के 139608 कृषक शामिल है।

5.23 अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत : वर्ष 2013-14 में अनुसूचित जाति के 135 हजार एवं अनुसूचित जनजाति के 195 हजार कृषकों को लाभान्वित किया जा चुका है, वर्ष 2014-15 में अनुसूचित जाति के 91 हजार एवं अनुसूचित जनजाति के 98 हजार कृषको को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2015-16 में अनुसूचित जाति के 128 हजार एवं अनुसूचित जनजाति के 133 हजार कृषकों को लाभान्वित किया जा चुका है। वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जाति के 147 हजार अनुसूचित जनजाति के 146 हजार कृषकों को लाभान्वित किया गया है । वर्ष 2017-18 में दिसम्बर, 2017 तक राशि रूपये 5100.00 लाख प्रावधान के विरूद्ध 250308 कृषकों को लाभान्वित किया गया है जिसमें अनुसूचित जनजाति के 126425 एवं अनुसूचित जाति के 123883 कृषकों को लाभान्वित किया गया है ।

5.24 प्रमाणित बीजों का वितरणः राज्य में कृषि विकास हेतु बीज उत्पादन एवं वितरण में वृद्धि कर बीज प्रतिस्थापन दर बढ़ाने के निरंतर प्रयास किये जा रहे है, विभिन्न योजनाओं तथा बीजग्राम योजना, सूरजधारा, अन्नपूर्णा योजना एवं अन्य योजनान्तर्गत गुणवत्तायुक्त बीजों का वितरण किया जा रहा है। वर्ष 2014-15 में 32.72 लाख क्वि. प्रमाणित बीज वितरित किया गया । वर्ष 2015-16 में 34.68 लाख क्वि. प्रमाणित बीज वितरित किया गया एवं वर्ष 2016-17 में 39.13 लाख क्वि. प्रमाणित बीज वितरित किया गया एवं वर्ष 2017-18 में खरीफ 2017 हेतु 17.95 लाख क्वि. प्रमाणित बीज वितरित किया गया है । रबी वर्ष 2017-18 में 26.19 लाख क्वि. रबी बीज वितरण के लक्ष्य के विरूद्ध 29.48 लाख क्वि. रबी बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चत की गई है

केन्द्रीय योजनायें

5.25 परंपरागत कृषि विकास योजना : (पीकेव्हीवाय) परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेव्हीवाय) वर्ष 2015-16 से प्रदेश में लागू की गई है । योजना का मुख्य उद्देश्य वर्तमान खेती में रासायनिक उर्वरकों, खरपतवार, नाशकों व कीटानाशकों के बढते उपयोग के कारण भूमि एवं वातावरण में हानिकारक तत्वों की मात्रा में बढोत्तरी हो रही है । जिसके कारण पर्यावरण मृदा उर्वरता तथा मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड रहा है । इसलिए पर्यावरण एवं स्वास्थ्य की रक्षा हेतु जैविक खेती को बढावा देना आवश्यक है ।

वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 30.44 करोड के विरूद्ध 31 मार्च, 2017 तक राशि रूपये 30.44 करोड व्यय किये जा चुके है । वर्ष 2017-18 में 880 क्लस्टर एवं वित्तीय राशि रूपये 25.48 करोड रूपये का कार्यक्रम भारत सरकार कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय एवं कृषि भवन नई दिल्ली को भेजा गया है । इसके अतिरिक्त योजना में 500 क्लस्टर वित्तीय राशि रूपये 35.69 करोड भारत सरकार से अनुमोदन उपरांत प्रथम रिलीज के रूप में राशि रूपये 10.70 करोड रूपये प्राप्त हुए है ।

योजनांतर्गत कृषक एल.आर.पी. प्रशिक्षण, किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन,एक्सपोजर विजिट, मृदा नमूना संग्रहण परीक्षण/, किसानों के लिए फील्ड का निरीक्षण, नमूना का रेसिडयू विश्लेषण, प्रमाणीकरण चार्ज, भूमि का जैविक परिवर्तन, बायोलॉजिकल फसल रोपण,तरल जैव पैस्टिसाइड हेतु सहायता, नीम केक नीम तेल/,कृषि यंत्रों का उपयोग, पैकिंग मटेरियल लोगो आदि पर सहायता, जैविक उत्पाद का टान्सपोर्टेशन एवं जैविक मेलों का आयोजन किया जाता है।

5.26 राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाः भारतीय अर्थव्यवस्था पर वर्ष 1991 की रिपोर्ट के अनुसार देश का कुल घरेलू उत्पाद में पिछले वर्षों में 6 से 8 प्रतिशत की गिरावट ऑकी गई है। कुल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 30 प्रतिशत था वह भी धीरे-धीरे गिर रहा है । इन सभी परिस्थियो का अध्ययन करने के उपरांत योजना आयोग तथा राष्ट्रीय कृषि विकास परिषद द्वारा 29 मई 2007 से देश में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लागू की गई है। योजना द्वारा 14वें वित्तीय आयोग की अनुशंसा के अनुरूप राष्ट्रीय विकास योजना वर्ष 2020 तक निरतंर रखी जाना है । राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत जिलों में कृषि के समग्र विकास हेतु संसाधनों के अनुरूप योजनाएँ तैयार की जा रही है। जिनके अनुरूप उन्हें सहायता भी प्रदान की जा रही है।

योजना में विभिन्न विभागों,संस्थाओं,निगम,मंडल के अंतर्गत सामयिक आवश्यकताओं पर आधारित प्रोजेक्ट जो किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, कृषि मशीनीकरण, पशुपालन, मत्स्य पालन, राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम को प्रोत्साहन, उद्यानिकी, रेशमपालन,राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था,कृषि एवं पशुपालन विश्वविद्यालय,सहकारिता,फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन, डेयरी विकास बोर्ड, कुक्कुट विकास निगम,मत्स्य महासंघ, जैविक प्रमाणीकरण संस्था, एवं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल स्वीकृत किये गये हैं।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, एवं 2017-18 में दिसम्बर 2017 तक क्रमश : 511.78, 439.33, 356.15 एवं 120.27 करोड रूपये राशि प्राप्त हुई । जिसका वर्ष 2016-17 में 228.96 एवं 2017-18 में दिसम्बर, 2017 तक 23.87 करोड रूपये उपयोग राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में व्यय किया गया है । वर्ष 2015-16 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में केन्द्र तथा राज्य की भागीदारी 60:40 के आधार पर क्रियान्वित की जानी है ।

5.27 नेशनल मिशन ऑन आयल सीड एवं आयल पॉमः यह योजना वर्ष 2014-15 से संचालित है। योजना का उद्देश्य प्रदेश में तिलहनी फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि करना है। वर्ष 2014-15 में भारत सरकार से प्राप्त रिलीज के आधार उपलब्ध राशि रू . 6034.44 लाख के विरूद्ध 3417.18 लाख रूपये व्यय किये गये वर्ष 2015-16 में गतवर्ष की अवशेष राशि एवं भारत सरकार से प्राप्त रिलीज के अनुसार राशि रू.7834.64 लाख व्यय हेतु उपलब्ध है । जिसके विरूद्ध मार्च 2016 तक राशि रू. 3257.60 लाख व्यय किये गये । वर्ष 2016-17 में राशि रू. 8048.48 लाख के विरूद्ध 31 मार्च, 2017 तक राशि रू. 4115.32 लाख व्यय किये गये । वर्ष 2017-18 में राशि रूपये 4766.48 लाख के विरूद्ध दिसम्बर, 2017 तक राशि 1339.22 लाख का व्यय किया गया है ।

5.28 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशनः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एक बहुयामी योजना है। धान गेहूं एवं दलहन फसलों के क्षेत्र विस्तार, उत्पादकता एवं उत्पादन वृद्धि के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन उन क्षेत्रों में संचालित है । जहॉ इन फसलों की उत्पादकता कम है। योजना का उद्देश्य सतत् रूप से तकनीकी का विस्तार कर कृषि उपज में वृद्धि करना एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारना है। वर्ष 2014-15 में भारत सरकार से प्राप्त रिलीज के आधार पर राशि रू. 26233.36 लाख के विरूद्ध राशि रू.18088.67 लाख व्यय किये गये । वर्ष 2015-16 में गतवर्ष की अवशेष राशि एवं भारत सरकार से प्राप्त रिलीज के अनुसार 20730.80 लाख के विरूद्ध राशि रूपये 13519.93 व्यय किये गये वर्ष 2016-17 में गत वर्ष की शेष राशि रू 31481.19 लाख के विरूद्ध राशि रू .14963.59 लाख व्यय की गई है । वर्ष

2017-18 में गतवर्ष की शेष राशि रूपये 30609.59 लाख के विरूद्ध दिसम्बर, 2017 तक राशि रूपये 8299.43 लाख व्यय किये गये।

5.29 स्वाइल हैल्थ कार्ड योजना : इस योजना का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा प्रत्येक कृषक को प्रति तीन वर्ष में स्वाईल हेल्थ कार्ड प्रदाय करने हेतु वर्ष 2014-15 से योजना लागू की गई । जिसमें ग्रिड के आधार पर मिटटी नमूना लिये जाकर मिटटी परीक्षण प्रयोगशालाओं में नमूना परीक्षण उपरान्त अनुशंसा के साथ कृषकों को कार्ड उपलब्ध कराया जाता है ।

प्रदेश में वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 हेतु लक्षित नमूना 23.13 लाख के विरूद्ध 24.07 लाख नमूने एकत्रित किये जाकर 24.07 लाख नमूने विश्लेषित उपरांत अद्यतन रूप 89.83 लाख कृषकों को स्वाइल हैल्थ कार्ड उपलब्ध कराये गये ।

कृषकों को विकास खण्ड स्तर पर शासन द्वारा मिटटी परीक्षण की सुविधा हेतु 265 प्रयोगशालाओ को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है । जिसके अन्तर्गत 229 प्रयोगशालाओं के भवन निर्मित हो चुके है ।

द्वितीय चक्र अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु लक्षित 11.57 लाख मृदा नमूना एकत्रीकरण के विरूद्ध दिसम्बर, 2017 तक 8.84 लाख नमूने एकत्रित किए जाकर 4.80 लाख नमूने विश्लेषण उपरांत दिसम्बर,2017 तक अद्यतन रूप में 13.79 लाख कृषकों को स्वाइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराए गये है । स्वाइन हेल्थ कार्ड योजना अन्तर्गत वर्ष 2017-18 हेतु प्रावधानित राशि रूपये 2713.63 लाख के विरूद्ध दिसम्बर,2017 तक 1771.57 लाख व्यय किए गए है ।

कृषि यंत्रीकरण

प्रदेश में फार्म पावर की उपलब्धता वर्ष 2007-08 में 0.85 किलोवाट प्रति हेक्टर थी जो कृषि यंत्रीकरण के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने से वर्ष 2015-16 में बढ़कर 1.85 कि.वाट/हेक्टर हो गई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक फार्म पॉवर 2.50 कि.वाट/हेक्टर किये जाने का लक्ष्य है ।

5.30 रेज्ड-बेड पद्धति को बढ़ावा : सोयाबीन अन्य खरीफ (धान को छोडकर) फसल को अतिवर्षा एवं अल्प वर्षा से होने वाले नुकसान से बचाने तथा उसकी उत्पादकता बढ़ाने में उपयोगी रिज-फरो पद्धति को प्रदेश में प्रोत्साहित किया गया फलस्वरूप खरीफ 2017 में लगभग 1.65 लाख हेक्टेयर रकबे में इस प्रद्धति के माध्यम से फसलों की बुबाई हुई । कृषकों को 842 रेज्ड बेड प्लान्टर 75 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराये गये है।

5.31 गहरी जुताई : प्रदेश के कृषकों को खेतों की गहरी जुताई हेतु प्रोत्साहित करने के लिए इस वर्ष 2017-18 में 50.00 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में 2000 रूपये प्रति हेक्टेयर के अनुदान पर कार्यक्रम लिया जाकर गहरी जुताई की गई । योजना प्रारंभ से अभी तक 4.5 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में गहरी जुताई का कार्य किया जा चुका है । गहरी जुताई कार्य से इन कृषकों के खेतों की उर्वरक शक्ति में वृद्धि होने वर्षा जल के बेहतर संग्रहण तथा कीटों के नियंत्रण से फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

5.32 निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्रों तथा हाई-टेक हब की स्थापना : प्रदेश में लघु एवं सीमांत कृषकों की कमजोर वर्गो के कृषको को आधुनिक कृषि यंत्रों एंव तकनीकों का लाभ दिलाने की दृष्टि से वर्ष 2012-13 में निजी क्षेत्र में कस्टर हायरिंग केन्द्रों की स्थापना का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। वर्ष 2016-17 तक 1800 केन्द्रों की स्थापना की गई है तथा वर्ष 2017-18 में अतिरिक्त 510 कस्टम हायरिंग केन्द्र निजी क्षेत्र में स्थापित करने का कार्यक्रम लिया गया है।

उच्च गुणवत्ता के तथा मंहगे कृषि यंत्रों को किराये आधार पर कृषकों को उपलब्ध कराने के उद्येश्य से वर्ष 2013-14 से हाईटेक हब स्थापित करने हेतु कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2016-17 तक 102 हाईटेक हब की स्थपना की गई है तथा वर्ष 2017-18 में अतिरिक्त 50 हाईटेक हब स्थापित करने का कार्यक्रम लिया गया है।

5.33 यंत्रदूत ग्रामों का विकास तथा नई तकनीक के कृषि यंत्रों का विस्तार -: कृषि यंत्रों के उपयोग से उत्पादकता में वृद्धि के लिए शासन द्वारा प्रतिवर्ष 200 ग्रामों का चयन यंत्रदूत ग्राम के रूप में किया जाता है जिससे फसलों के उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि की संभावनाओं को दर्शाया जाता है। वर्ष 2016-17 में 600 ग्रामों में ऐसे प्रयोग किये गये हैं जिससे उत्साह वर्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में 1000 ग्रामों को विकसित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है ।

मौसम में हो रहे परिवर्तनों तथा खेत की तैयारी, बुवाई एवं अन्य कृषि कार्य हेतु नई तकनीकों तथा उच्च गुणवत्ता के कृषि यंत्रों की उपलब्धता का समावेश किया गया है। धान की बुवाई में मजदूरों की कमी तथा समय की बचत को ध्यान में रखते हुए राइस ट्रांसप्लांटर का उपयोग करने हेतु कृषकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे बालाघाट जिले में खरीफ 2017 में राइस ट्रांसप्लांटर के उपयोग से धान की उत्पादकता में 70 से 100 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है ।प्रदेश के धान के क्षेत्रों में धान की कटाई में विलंब हाने के कारण कई क्षेत्रों में रबी की बुवाई नहीं हो पाती है एंव खेत खाली छूट जातें है। इन क्षेत्रों में हैप्पी सीडर तथा जीरोटिल सीड ड्रिल के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिससे इन क्षेत्रों में भी रबी की फसल ली जा सके तथा कृषकों को एक अतिरिक्त फसल का लाभ प्राप्त हो सके।

उद्यानिकी

5.34 उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र विस्तार उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से उद्यानिकी संचालनालय द्वारा मुख्य रूप से मसाले, सागसब्जी-, फल पुष्प तथा औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार, उच्च तकनीकी से बेमौसम में फूलों एवं सब्जियों के उत्पादन को बढावा देने हेतु संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना, उद्यानिकी में यांत्रिकीकरण, फसलोत्तर प्रबंधन, अधिकारियों/कर्मचारियों कृषकों को उद्यानिकी की अधुनिकतम तकनीकी से अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है।

राज्य पोषित योजनाएं :

5.35 फल पौध रोपण योजना : फल पौध रोपण योजना को संशोधित कर वर्ष 2016-17 से नये स्वरूप में लागू किया गया है। योजनान्तर्गत प्रदेश की भूमि जलवायु तथा सिंचाई सुविधा की उपलब्धता के आधार पर कृषकों द्वारा ड्रिप सहित उच्च/ अति उच्च घनत्व के फल पौध रोपण कराने पर इकाई लागत का 40 प्रतिशत अनुदान 3 वर्षों में 60:20:20 के अनुपात में देय है। योजना के अंतर्गत न्यूनतम 0.25 हेक्टयर एवं अधिकतम 4.00 हेक्टयर के लिये अनुदान देय है। योजना अंतर्गत वर्ष 2016-17 में 2295 हेक्टेयर क्षेत्र में तथा 2017-18 में माह दिसम्बर, 2017 तक 5091 हेक्टेयर क्षेत्र में फल पौध रोपण कराया गया ।

5.36 सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना : वर्ष 2016-17 से सब्जी क्षेत्र विस्तार की नवीन योजना में संशोधन किया गया है। सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत (उन्नत/संकर बीज) सब्जी फसलों में बीज की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10.00 हजार रूपये प्रति हेक्टर जो भी कम होगा अनुदान देय होगा। जड एवं कंदवाली फसल जैसे- आलू, अरबी उत्पादन हेतु रोपण सामग्री का 50 प्रतिशत अधिकतम 30.00 हजार रूपये जो भी कम होगा अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है । योजना में एक कृषक को 0.25 हेक्टर से लेकर 2.00 हेक्टर के लिये अनुदान देय है। वर्ष 2016-17 में 6050 हेक्टर में सब्जी क्षेत्र विस्तार किया गया है। वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर 2017 तक 5993 हेक्टर में सब्जी क्षेत्र विस्तार किया गया है ।

5.37 मसाला क्षेत्र विस्तार योजना : प्रदेश में मसाला क्षेत्र विस्तार की नवीन योजना अंतर्गत सभी वर्ग के कृषकों के लिये उन्नत संकर मसाला फसल (मिर्च, धनिया, मैथी, कलौंजी ,जीरा और अजवाइन) उत्पादन का 50 प्रतिशत अधिकतम 10.00 हजार रूपये प्रति हेक्टयर जो भी कम होगा अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है । जड एवं कंद/प्रकंद वाली व्यवसायिक फसल लहसुन, हल्दी एवं अदरक फसल उत्पादन हेतु रोपण सामग्री की लागत 50 प्रतिशत अधिकतम 50 हजार प्रति हेक्टयर जो भी कम होगा रोपण सामग्री अनुदान देय

है। योजना के अंतर्गत एक कृषक को 0.25 हेक्टर से लेकर 2.00 हेक्टर तक का लाभ दिया जा सकता है । वर्ष 2016-17 में 4170 हजार हेक्टर में मसाला क्षेत्र विस्तार किया गया है । वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर 2017 तक 4240 हजार हेक्टर मसाला क्षेत्र का विस्तार किया गया है ।

5.38 औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार : योजना के तहत कृषकों के द्वारा क्षेत्र के अनुकूल औषधीय एवं सुगंधित फसल लगाने हेतु प्रति कृषक 0.25 से 2.00 हेक्टेयर तक निर्धारित मापदण्ड अनुसार अनुदान दिया जाता है । वर्ष 2016-17 में 391 हेक्टेयर में औषधीय फसलों का क्षेत्र विस्तार किया गया तथा वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर 2017 तक 56 हेक्टेयर में क्षेत्र विस्तार किया गया ।

5.39 व्यवसायिक उदयानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना : व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना में एकीकृत बागवानी मिशन द्वारा निर्धारित मापदंड एंव बागवनी में प्लास्टिकल्चर उपयोग संबधी राष्ट्रीय समिति (एन.सी.सी.ए.एच.) के द्वारा निर्धारित ड्रांइग डिजाइन के अनुसार ग्रीन हाउस शेडनेट हाउस प्लास्टिक मल्चिंग एंव प्लास्टिक लो-टनल इत्यादि का निर्माण कराने पर कृषकों को निर्धारित मापदंड अनुसार इकाई लागत कर 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है । वर्ष 2016-17 में 2931.28 हेक्टेयर में निर्माण कराया गया तथा वर्ष 2017-18 में माह दिसंबर 2017 तक 3845.37 हेक्टेयर में निर्माण किया गया है ।

5.40 उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना : उद्यानिकी फसलों की खेती में उपयोग में आने वाले आधुनिक यंत्रों की इकाई लागत ज्यादा होने से सामान्य कृषक इसका उपयोग नहीं कर पाते है, अतः ऐसे कृषक अथवा कृषकों को निर्धारित किये गए आधुनिक यंत्रों का उपयोग उद्यानिकी फसलों में करना चाहते है, योजना में उन्हें ऐसे यंत्रों पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है । वर्ष 2016-17 में 687 उद्यानिकी यंत्रों के क्रय पर अनुदान उपलब्ध कराया गया तथा वर्ष 2017-18 में दिसम्बर 2017 तक 1136 उद्यानिकी यंत्रों के क्रय पर अनुदान उपलब्ध कराया गया है ।

5.41 बाडी (किचन गार्डन) के लिये आदर्श कार्यक्रम: राज्य शासन की प्राथमिकता के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लघु/सीमांत किसानों एवं खेतिहर मजदूरों को इस योजनांतर्गत प्रति हितग्राही को 75 रूपये सीमा तक उसकी बाडी हेतु स्थानीय कृषि जलवायु के आधार पर सब्जी बीजों के पैकिट वितरित किये जाते है। वर्ष 2016-17 में 438908 सब्जी बीज पैकेट तथा वर्ष 2017-18 के माह दिसम्बर, 2017 तक 308592 सब्जी बीज पैकेट का वितरण किया गया है ।

5.42 कृषक प्रशिक्षण : कृषकों को उद्यानिकी फसलों की खेती की नवीन तकनीक एवं उससे होने वाले लाभ से अवगत कराने हेतु कृषकों को प्रदेश के अन्दर तथा प्रदेश के बाहर भ्रमण कराकर प्रशिक्षित किया जाता है । वर्ष 2016-17 में 10354 कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया तथा वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर 2017 तक 10690 कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया है ।

5.43 प्रदर्शनी मेला एवं प्रचार-प्रसार : जिला एवं ब्लॉक स्तर पर फल, फूल एवं सब्जी आदि की प्रदर्शनी एवं सेमीनार आयोजित कर कृषकों को नवीन तकनीकी एवं विकास के कार्यक्रम प्रदर्शित किये जाते हैं । वर्ष 2016-17 में 1992 प्रर्द्शनी/मेलों का आयोजन कर 77922 कृषक लाभांवित हुये तथा वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर 2017 तक 870 प्रर्द्शनी / मेलों का आयोजन कर 34800 कृषक लाभांवित हुये है ।

5.44 मौसम आधारित फसल बीमा : प्रदेश में उद्यानिकी कृषकों की फसलों के बीमा हेतु वर्ष 2013-14 से मौसम आधारित फसल बीमा योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसके अंतर्गत खरीफ की फसलें- बैंगन, प्याज,टमाटर,केला,पपीता,मिर्च एवं संतरा तथा रबी की फसलें- आलू, टमाटर, बैंगन, प्याज, पत्तागोभी, फूलगोभी हरी मटर धनियां, लहसुन, आम, अंगूर एवं अनार फसलें शामिल हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 से मौसम आधारित फसल बीमा हेतु नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार उक्त फसलों की बीमित राशि का 5 प्रतिशत प्रीमियम कृषक द्वारा एवं शेष प्रीमियम का 50:50 केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है। योजना के मापदण्डों के अनुरूप मौसम के निर्धारित घटकों में बिचलन आने पर कृषकों को क्लेम देय होता है। वर्ष 2016-17 में 513595 कृषकों की फसलों का बीमा दावों के विरूद्ध 389949 कृषकों को राशि रू. 176.40 करोड का भुगतान बीमा कम्पनियों के द्वारा किया गया । वर्ष 2017-18 में खरीफ 2017 में 159.60 कृषकों के द्वारा फसलों का बीमा कराया जा चुका है। रबी उदयानिकी फसलों के लिए लगभग 205720 कृषकों को बीमित किये जाने का अनुमान है ।

5.45 नर्मदा नदी के दोनों तटों पर 1-1 किलोमीटर की पटटी तक फल पौध रोपण की योजना : शासन द्वारा मध्यप्रदेश में नर्मदा नदी के संरक्षण एंव प्रदूषण मुक्त करने के साथ क्षेत्र के किसानों की आय बढाने के लिये नदी के मध्य को केन्द्र बिन्दु मानकर दोनों तटों पर एक-एक किलोमीटर की पटटी तक निजी भूमि में फल पौध रोपण की योजना वर्ष 2016-17 से प्रारभं की गई है। योजनान्र्तगत प्रथम वर्ष में 5000 दिवतीय वर्ष में 20000 तथा तृतीय वर्ष में 20000 कुल 45000 हेक्टेयर में फल पौध रोपण कराने हेतु कृषकों को अनुदान हेतु राशि रु. 534.20 करोड की स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2017-18 में माह दिसंबर 2017 तक 11371 हेक्टेयर में फल पौध रोपण कराया गया है।

5.46 खाद्य प्रसंस्करण : मध्यप्रदेश उद्योगों को देय विशिष्ट वित्तीय सहायता अंतर्गत दिनांक 06.08.2016 को नीति लागू की गई है जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना, तकनीकी उन्नयन एवं क्षमता में वृद्धि के लिये तकनीकी निर्माण एवं मशीनरी की लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम 250.00 लाख राशि रूपये अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। इसके अलावा अन्य घटकों के लिये भी वित्तीय सहायता का प्रावधान है। वर्ष 2017-18 में 80 उद्योग इकाईयों को राशि रूपये 27.20 करोड रूपये अनुदान सहायता दी गई है। इस नीति के तहत ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें नेशनल मिशन ऑन फूल प्रोसेसिंग एवं मध्यप्रदेश कृषि व्यवसाय नीति 2012 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन को 15 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 25.00 लाख देने का प्रावधान है।

5.47 मसाले : वर्ष 2015-16 में कुल मसालों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्रमशः 5.82 लाख हेक्टेयर एवं 26.87 लाख मीटरिक टन रहा है । वर्ष 2016-17 कुल मसालों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्रमश; 7.12 लाख हेक्टेयर एवं 41.20 लाख मीटरिक टन रहा । वर्ष 2017-18 में अनुमानित कुल मसालों का क्षेत्रफल 7.16 लाख हेक्टयर तथा उत्पादन 41.45 लाख मीटरिक टन रहने का अनुमान है। प्रमुख मसालों के अन्तर्गत क्षेत्र एवं उत्पादन का वर्षवार विवरण **तालिका 5.13** एवं **5.14** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.13

प्रमुख मसालों का क्षेत्राच्छादन

(हेक्टेयर में)

मसाले	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17 स.**	**2017-18 प्रथम अनुमानित**
मिर्च	147700	150654	101436	98538	95531
अदरक	25528	26038	19675	23153	23900
लहसून	98861	103805	122987	156880	161508
धनिया	192187	197915	248354	275763	277413
कुल मसाले **(समस्त मसाले सहित)**	**554204**	**571165**	**582154**	**711544**	**715678**

तालिका 5.14

प्रमुख मसालों का उत्पादन

(लाख मीटरिक टन में)

मसाले	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16 A**	**2016-17 स.**	**2017-18 प्रथम अनुमानित**
मिर्च	13.39	13.88	3.74	3.04	2.68
अदरक	3.59	3.66	3.13	3.73	3.80
लहसून	11.74	12.40	11.98	17.80	17.99
धनिया	5.47	6.04	3.50	3.87	3.91
कुल मसाले **(समस्त मसाले सहित)**	**42.33**	**44.46**	**26.87**	**41.20**	**41.45**

5.48 साग-सब्जी : वर्ष 2015-16 में कुल साग-सब्जी का क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्रमश: 7.57 लाख हेक्टेयर एवं 137.44 लाख मीटरिक टन रहा । वर्ष 2016-17 में कुल साख सब्जी का क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्रमश: 8.70 लाख हेक्टेयर एवं 172.69 लाख मीटरिक टन रहा तथा वर्ष 2017-18 में अनुमानित साग सब्जी का क्षेत्रफल 8.73 लाख हेक्टयर तथा उत्पादन 174.88 लाख मीटरिक टन उत्पादन रहने का अनुमान है। प्रमुख साग-सब्जी फसलों के क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन का वर्षवार विवरण क्रमशः **तालिका 5.15 व 5.16** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.15

प्रमुख साग, सब्जी फसलों का क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

फसलें	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 सं.	2017-18 प्रथम अनुमानित
आलू	109963	136012	134136	159997	155936
शकरकन्द	2758	3089	2513	4432	4655
प्याज	117311	153969	140837	150839	143886
मटर	56118	57802	85822	95205	96620
टमाटर	65718	70225	74231	95395	97580
फूल गोभी	25047	26042	34345	46355	46872
कुल सब्जी (समस्त सब्जी सहित)	**621691**	**701509**	**756812**	**869589**	**873070**

तालिका 5.16

प्रमुख साग, सब्जी फसलों का उत्पादन

(लाख मीटरिक टन में)

सब्जी	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 सं	2017-18 प्रथम अनुमानित
आलू	23.22	30.48	27.43	34.61	35.37
शकरकन्द	0.50	0.60	0.35	0.63	0.71
प्याज	28.26	41.35	32.40	38.21	36.88
मटर	5.61	6.07	7.17	9.58	9.79
टमाटर	19.37	21.77	18.06	27.23	27.84
फूल गोभी	7.04	7.50	7.16	9.92	10.08
कुल सब्जी (समस्त सब्जी सहित)	**128.41**	**153.90**	**137.44**	**172.69**	**174.88**

5.49 फल : वर्ष 2015-16 में कुल फलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्रमशः 2.91 लाख हेक्टर एवं 53.12 लाख मीटरिक टन रहा । वर्ष 2016-17 में कुल फलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्रमश: 3.45 लाख हेक्टेयर एवं 67.80 लाख मीटरिक टन रहा तथा वर्ष 2017-18 में अनुमानित फलों का क्षेत्रफल 3.59 लाख हेक्टयर रहा तथा उत्पादन 74.03 लाख मीटरिक

टन रहने का अनुमान है। प्रमुख फलों के क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन वर्षवार विवरण **तालिका 5.17 एवं 5.18** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.17

प्रमुख फलों के अंतर्गत क्षेत्राच्छादन

(हेक्टेयर में)

फल	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 सं	2017-18 प्रथम अनुमानित
केला	26272	27795	22637	26970	27081
आम	25435	26707	36026	43609	45200
मौसंबी/संतरा	61017	68848	104914	129559	131474
पपीता	13163	13821	9122	10931	11090
कुल फल (समस्त फलो सहित)	**210532**	**226834**	**291411**	**345373**	**358711**

तालिका 5.18

प्रमुख फलों का उत्पादन

(लाख मीटरिक टन में)

फल	2013-14	2014-15	2015-16 A	2016-17 सं.	2017-18 प्रथम अनुमानित
केला	17.35	18.36	15.56	18.74	18.92
आम	3.80	3.96	4.42	5.89	6.41
मौसंबी/संतरा	10.04	11.35	13.20	17.99	22.29
पपीता	4.34	4.55	4.00	4.64	4.67
कुल फल (समस्त फलो सहित)	**57.81**	**62.04**	**53.12**	**67.80**	**74.03**

तालिका 5.19

प्रमुख पुष्पों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन

पुष्प का नाम	वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18 प्रथम अनुमानित	
	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मी.टन)	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मी.टन)
गेंदा	18120.62	237083.95	19924.37	279223.73
गुलाब	2988.39	35168.15	2662.11	39828.16
सेवन्ती	929.46	11284.31	951.21	11575.17
रजनीगंधा	270.61	3208.33	230.10	10720.05
ग्लेडूल्स	1055.87	9448.17	1010.48	19101.65
अन्य पुष्प	5440.14	55496.15	5313.16	56166.26
योग	**28805.09**	**351689.06**	**30091.43**	**416615.01**

तालिका 5.20
प्रमुख औषधि का क्षेत्रफल एवं उत्पादन

औषधि का नाम		वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18 प्रथम अनुमानित	
		क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मी.टन)	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मी.टन)
अश्वगंधा		4135.43	5400.58	4069.60	5450.09
सफेद मुसली		1497.09	5490.59	1417.86	5577.23
ईसबगोल		19734.85	24008.46	22956.85	27769.26
कोलियस		116.1	622.59	166.30	890.36
अन्य औषधियां		15054.90	48827.80	15070.80	49177.63
योग		40538.37	84350.02	43681.41	88864.57
1	**सुगंधित फसल**	**1639.80**	**2322.87**	**1627.90**	**2263.25**
महायोग		**1997489.25**	**28607447.00**	**2022859.66**	**29543267.98**

केन्द्रीय योजनाएं :

5.50 एकीकृत बागवानी विकास मिशन :

- कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदेश में वर्ष 2005-06 से राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारम्भ किया गया है । वर्ष 2014-15 से योजना का नाम परिवर्तित कर एकीकृत बागवानी विकास मिशन अन्तर्गत राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन किया गया है । मिशन के अन्तर्गत 10 वीं पंचवर्षीय योजना में वर्तमान उद्यानिकी क्षेत्रफल की उत्पादकता में वृद्धि कर उत्पादन को दो गुना करने का लक्ष्य रखा गया है । वर्ष 2009-10 से इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के चयनित 40 जिलों में मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है । भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाडा, जबलपुर, सागर, इंदौर, खरगोन, खंण्डवा, बुरहानपुर, धार, बड़वानी, झाबुआ, देवास, उज्जैन, शाजापुर, मंदसौर, रतलाम, डिण्डोरी, मंडला, रीवा, सतना, हरदा, राजगढ़, गुना, नीमच, ग्वालियर, छतरपुर, सीहोर, विदिशा, सीधी, अशोकनगर, अलीराजपुर, रायसेन, सिंगरौली, दमोह, टीकमगढ, पन्ना दतिया एवं आगर मालवा ।

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में उद्यानिकी फसलों का क्षेत्र विस्तार तथा उत्पादन दो गुना करना है । योजना के अंतर्गत निजी तथा शासकीय प्रक्षेत्र में उच्च गुणवत्ता की पौध रोपण सामग्री तैयार करना। ऑवला, संतरा अमरूद, सीताफल, आम, अनार एवं केले के नये बगीचे तैयार किये जाना है । इसके अलावा आम, अमरूद, संतरा पपीता आदि के पुरानेबगीचे का जीर्णोद्धार करना, मिर्च, धनियां एवं लहसुन मसाला फसलों एवं पुष्प फसलों का उत्पादन कार्यक्रम लेना, समन्वित कीट एवं पौषक तत्व

प्रबंधन प्रणाली को लागू करना, जलसंवर्धन हेतु तालाबों का निर्माण यत्रीकरण, संरक्षित खेती एवं मानव संसाधन विकास तथा फसलोत्तर प्रंबधन आदि कार्यक्रम सम्मिलित है।

- वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 6155 व्यय किये गये तथा वर्ष 2017-18 में जनवरी, 2018 के अंत तक 2279.45 लाख रूपये व्यय किए गए ।

5.51 माईक्रो इरीगेशन योजना (PMKSY) : माईक्रो इरीगेशन योजना अंतर्गत वर्ष 2016-17 में 41881.70 हेक्टेयर में ड्रिप/स्प्रिंकलर स्थापित किये गये वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर 2017 तक 20743.17 हेक्टेयर में ड्रिप/स्प्रिंकलर स्थापित किये गये है।

5.52 राष्ट्रीय औषधीय पौध मिशन : प्रदेश में औषधीय पादप मिशन वर्ष 2008-09 से प्रारंभ किया गया है । यह मिशन भारत शासन के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के व्दारा जारी मूल दिशा निर्देशों का पालन करते हुए संचालित किया जा रहा है । औषधीय फसलों की खेती हेतु कृषकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार अनुदान दिया जाता है । वर्ष 2016-17 में औषधीय पौध मिशन अंतर्गत 2480 हेक्टर औषधीय फसलों का क्षेत्र विस्तार किया गया वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर 2017 तक 1565 हेक्टर औषधी फसलों का क्षेत्र विस्तार किया गया ।

5.53 राष्ट्ीय कृषि विकास : राष्ट्ीय कृषि विकास योजना अंतर्गत केन्द्रांश 60 प्रतिशत एवं राज्यांश 40 प्रतिशत का प्रावधान है । योजना अंतर्गत हितग्राही मूलक योजनाओं में 35 से 50 प्रतिशत अनुदान एवं शासकीय क्षेत्र में 100 प्रतिशत सहायता का प्रावधान है वर्ष 2016-17 में योजना अंतर्गत विभिन्न घटकों में 6570.90 लाख की अनुदान सहायता उपलब्ध कराई गई तथा वर्ष 2017-18 माह दिसम्बर 2017 तक 2094.65 लाख रूपये की अनुदान सहायता उपलब्ध कराई गई है ।

कृषि विपणन

कृषकों को बिचौलियों के शोषण से बचाने, समयावधि में उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने एवं उनको विपणन की बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराने में मंडी समितियों का महत्वपूर्ण योगदान है । प्रदेश में वर्तमान में **मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मंडी बोर्ड)** एक तीन स्तरीय संस्था जिसमें मुख्यालय, 7 आंचलिक कार्यालय भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर एवं रीवा तथा 257 मंडियां एवं 293 उप मंडियां कार्यरत हैं । प्रदेश में कुल हाट बाजारों की संख्या 1321 है ।

5.54 मंडियों में अधिसूचित जिन्सों की कुल आवक : प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में वर्ष 2016-17 माह अप्रैल से मार्च 2017 की अवधि में प्रदेश की मंडियों में 253.70 लाख टन कुल आवक हुई थी, जो गत वर्ष 2015-16 में हुई आवक 262.20 लाख टन की तुलना में 8.50 लाख टन कम है जो 3.24 प्रतिशत कम है। वर्ष 2017-18 में माह अगस्त 2017 की अवधि में प्रदेश की मंडियों में 143.54 लाख टन आवक हुई है, जो विगत वर्ष 2016-17 में माह अगस्त 2017 तक हुई आवक 105.07 लाख टन की तुलना में 38.47 लाख टन अधिक है। जो 36.60 प्रतिशत अधिक है।

5.55 मंडियों की मण्डी फीस से आय : राज्य शासन द्वारा मंडियों की आय में वृद्धि हेतु किये जा रहे सुधारात्मक उपायों के फलस्वरूप मंडियों की आय में भी वृद्धि हो रही है । प्रदेश की मंडी समितियों की वर्ष 2016-17 (माह अप्रेल से मार्च की अवधि में प्रदेश की मंडियों क 1126.95 करोड की आय हुई जो वर्ष 2015-17 में हुई आय की तुलना में 52.62 करोड रूपये अधिक है। वर्ष 2017-18 में माह अप्रेल से अगस्त 2017 तक की अवधि में प्रदेश की मंडियों की फीस रूपये 545.96 करोड रूपये की आय हुई जो विगत वर्ष 2016-17 (अगस्त 2017) अवधि में प्राप्त आय से 457.61 की तुलना में 88.35 करोड जो 19.31 प्रतिशत अधिक है।

5.56 किसान सड़क निधि तथा कृषि अनुसंधान एवं अधोसरंचना विकास निधि : वर्ष 2001 से वर्ष 2017 माह अगस्त तक इस निधि के अंतर्गत 4341.25 करोड रुपये अर्जित किये गये है । मंडी बोर्ड द्वारा मध्यप्रदेश ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण को राज्य की सडकों के विकास के लिए किसान सडक निधि से माह अगस्त 2017 तक 2534.62 करोड रूपये हस्तांतरित किये गये, एवं अन्य विभागों को 13.81 करोड रूपये हस्तांतरित किये गये । मंडी बोर्ड द्वारा सडक निधि से दिनांक 08.10.2010 में हुए संशोधन के फलस्वरूप माह अगस्त 2017 तक 1007.11 करोड आंचलिक कार्यालयों को विमुक्त किये गये हैं ।

5.57 कृषि अनुसंधान एंव अद्योसंरचना विकास निधि: वर्ष 2001 से माह अगस्त 2017 तक इस निधि अन्तर्गत 515.29 करोड रूपये अर्जित किये गये हैं, जिसके विरूद्ध विभिन्न परियोजनाओं के लिए शासन द्वारा गठित समिति की अनुशंसा उपरांत विभिन्न संस्थाओं को राशि रूपये 352.31 करोड अनुदान स्वरूप प्रदाय किये गये हैं तथा ब्याज मद से राशि रूपये 130.45 करोड व्यय की गई है ।

5.58 गौ के संरक्षण तथा संवर्धन निधि : गौ संरक्षण व संवर्धन हेतु राज्य शासन द्वारा कृषि अधौसंरचना निधि में संशोधन जुलाई 2004 को किया गया है इस योजना अंतर्गत माह अगस्त 2017 तक कुल रूपये 229.22 करोड रूपये अर्जित किये गये हैं जिसमें मध्यप्रदेश गौ

पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड भोपाल को कुल रूपये 156.96 करोड रूपये प्रदेश के समस्त जिलों की गौशालाओं को अनुदान प्रदान करने हेतु विमुक्त किये गये हैं ।

5.59 बोर्ड शुल्क : बोर्ड की आय का मुख्य स्त्रोत बोर्ड शुल्क अर्थात विपणन विकास निधि है कृषि विभाग के अधिसूचना अनुसार कृषि उपज मंडी पर दिनांक 01.04.2000 से मण्डी फीस दर रू 2 प्रति सैकडा पर नियत है बोर्ड को शुल्क के रूप में वर्ष 2014-15 में राशि रू . 129.24 करोड तथा वर्ष 2015-16 में राशि रू 131.45 करोड प्राप्त हुए हैं तथा वर्ष 2016-17 में राशि रुपये 135.60 करोड प्राप्त हुये तथा वर्ष 2017-18 में माह अगस्त 2017 तक रूपये राशि 77.42 करोड रूपये प्राप्त हुए।

5.60 मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना : प्रदेश के कृषकों की सहायता के लिये यह योजना सितम्बर 2008 से लागू की गई है । योजनांतर्गत वर्तमान में कृष्क की कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना में मृत्यु होने पर सहायता राशि रूपये 4.00 लाख, स्थायी अपंगता में राशि रूपये 1.00 लाख, अस्थायी अपंगता में राशि रूपये 50.00 हजार एवं अन्त्येष्टि सहायता राशि रूपये 4.00 हजार दिये जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2015-16 में 506 हितग्राहियों को राशि रुपये 373.91 लाख की सहायता वितरित की गई । वर्ष 2016-17 में 514 हितग्राहियों को राशि रुपये 355.81 लाख की सहायता वितरित की गई । वर्ष 2017-18 माह सितम्बर 2017 तक 225 हितग्राहियों को राशि रुपये 297.35 लाख की सहायता वितरित की गई है।

5.61 मंडी बोर्ड के द्वारा क्रियान्वित की जा रही प्रमुख योजनाऍ -:

- **मुख्यमंत्री मंडी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना 2008 (संशोधित वर्ष 2014) :** प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटियों के उत्थान के लिये योजना लागू की गई है । मध्यप्रदेश शासन द्वारा संकल्प 2010 में संकल्प क्रमांक 37 द्वारा समग्र सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत मुख्यमंत्री मंडी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना 2008 (संशोधित वर्ष 2014) को शामिल किया गया है इस योजना के अन्तर्गत प्रसुति अवकाश सहायता (अधिकत्म 02 प्रसूति) 15 दिवस की अकुशल मजदूरी (पुरूष/महिला) 45 दिवस की अकुशल मजदूरी (महिला हम्माल) विवाह, छात्रवृत्ति मेधावी छात्र पुरस्कार, चिकित्सा सहायता दुर्घटना में स्थाई अपंगत एवं मृत्यु की स्थिति,मंडी प्रांगण में कार्य करतेसमय हुई दुर्घटना राशि उपलब्ध करायी जाती है।

वर्ष 2015-16 में 5612 हितग्राहियों को 160.42 लाख की सहायता राशि वितरित की गई । वर्ष 2016-17 में 4523 हितग्राहियों को 86.27 लाख की सहायता वितरित की गई । वर्ष 2017-18 में माह सितम्बर 2017 तक 1023 हितग्राहियों को राशि रूपये 22.04 लाख की सहायता वितरित की गई।

- **कृषि विपणन पुरस्कार योजना :-** इस योजना अंतर्गत मण्डी समितियों द्वारा लाटरी द्वारा प्रत्येक वर्ष में दो बार बलराम जयंती एवं नर्मदा जयंती पर ड्रॉ डाले जाते हैं । जिसमें बम्पर ड्रा के पुरस्कार में क संवर्ग की मण्डी में 35 अश्वशक्ति का टेक्टर एवं ख,ग,घ, प्रवर्ग की मण्डी समिति में रू. 50 हजार मूल्य में कृषि यंत्र दिये जाते हैं साथ ही इसके अतिरिक्त 1.00 हजार रू. से 21.00 हजार रूपये तक के नगद पुरस्कार राशि देने का प्रावधान है ।

- **कृषकों को रियायती दर पर भोजन की योजना** : इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की समस्त कृषि उपज मंडी समितियों में कृषि उपज के विक्रय के लिए मंडी प्रांगण में आने वाले कृषकों को 5 रूपये प्रति भोजन थाली उपलब्ध कराने की योजना लागू की गयी है ।

- **इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज के माध्यम से स्पॉट ट्रेडिंग** : मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए विशेष अनुज्ञप्ति नियम 2009 में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज के माध्यम से स्पॉट ट्रेडिंग के लिए विशेष प्रावधान किये गये ।

- **फल सब्जी विक्रय की वैकल्पिक सुविधा** : मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 6 में संशोधन किया जाकर फल सब्जी को मंडी प्रांगण के बाहर विक्रय करने की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है । मंडी प्रांगण के बाहर क्रय विक्रय की गई फल सब्जी को विनियमन से मुक्त रखा गया है।

- **मिटटी परिक्षण प्रयोगशाला** : मंडी बोर्ड द्वारा जिला स्तर की उन 26 कृषि उपज मंडी समितियों में स्थापित मिटटी परीक्षण प्रयोगशालाओं को कृषि विभाग को हस्तांतरित किया गया है साथ ही सात चलित मिटटी परीक्षण प्रयोगशालाओं को भी दिनांक 16-09-2016 से हस्तांतरित किया गया है ।

- **इलेक्ट्रानिक तौल कांटे** : प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में 130 नग बडे (10 से 100 टन क्षमता) तथा 6439 नग छोटे (01 से 05 क्विंटन क्षमता) इलेक्ट्रानिक तोल कांटे स्थापित हैं इसके अतिरिक्त 111 मंडी/उप मंडियों में बी.ओ.टी; आधार पर बडे तौल कांटे स्थापित है ।

- **मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब पवारखेडा जिला होशंगाबाद :** जन निजी भागीदारी योजना के अन्तर्गत प्रदेश में कम्पोजिट लॉजिस्टिक हब पवारखेडा जिला होशंगाबाद में स्थापित किया गया है । इस योजनान्तर्गत लगभग 115 एकड भूमि का आधिपत्य मंडी बोर्ड ने प्राप्त किया है । इसमें से 88 एकड भूमि जन निजी भागीदारी से रूपये 150.00 करोड राशि का निवेश लॉजिस्टिक हब विकसित किया गया है । वर्तमान में लांजिस्टिक हब प्रारंभ किया जा चुका है । इस परियोजना के क्रियान्वयन से होशंगाबाद से लगभग 100 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र के कृषि उद्योग लाभान्वित होंगे ।

- **राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना:** (ई-नाम) राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) एक पैन-इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि से संबंधित उपजों के लिये एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करने के लिये मौजूदा कृषि उपज मंडी समिति का एक प्रसार है। ई-नाम पोर्टल सभी कृषि उपज मंडी समिति से संबंधित सूचना और सेवाओं के लिये सिंगल विण्डो सेवा प्रदान करता है। इसमें अन्य सेवाओं के बीच उपज के आगमन और कीमतों, व्यापार प्रस्तावों को खरीदने और बेंचने, व्यापार प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया के लिये प्रावधान शामिल हैं।
  - दिनांक 14 अप्रैल 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली से ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना (ई-नाम) पोर्टल की शुरूआत। प्रदेश की एक मंडी "पंडितल लक्ष्मीनारायण शर्मा कृषि उपज मंडी समिति करौंद भोपाल" में पायलेट योजना का आरम्भ।
  - योजना के प्रथम चरण अंतर्गत शेष 19 चयनित मंडियों में योजना का क्रियान्वयन माह सितम्बर 2016 से आरम्भ कर दिया गया है।
  - राष्ट्रीय कृषि बाजार के सुचारू संचालन हेतु राज्य शासन के द्वारा म.प्र. कृषि उपज मंडी (ऑनलाइन व्यापार ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति) नियम 2016 का अंतिम प्रकाशन दिनांक 06 जनवरी 2017 के राजपत्र में हो गया है।
  - भोपाल की पायलेट मंडी को मिलाकर प्रथम चरण की कुल 20 मंडियों में चयनित जिन्स के अतिरिक्त 05 जिन्सों का चयन करवाया जाकर माह मार्च 2017 से 06 जिन्सों पर ऑनलाईन ट्रेडिंग शुरू की गई है।
  - द्वितीय चरण की 30 मंडियों में योजना का क्रियान्वयन माह मार्च 2017 तक शुरू हो गया है।
  - तृतीय चरण हेतु 08 और मंडियों का चयन कर योजना का आरम्भ किया गया है। वर्तमान में कुल 58 मंडी समितियां ई-नेम पोर्टल पर कृषि जिंसों का व्यापार कर रही है।
  - " राष्ट्रीय कृषि बाजार" प्रगति दिनांक 30 सितम्बर 2017 तक प्रदेश की 58 मंडियों को योजना अन्तर्गत जोडा गया है जिनमें दिनांक 30 सितम्बर 2017 तक 192101

कृषकों से 18593 अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों के द्वारा 988426.03 क्विंटल कृषि जिन्सों का व्यापार ई-प्लेटफार्म के माध्यम से सम्पन्न हुआ है जिसका मूल्य लगभग रूपये 41787.03 लाख है।

भण्डारण सुविधा

5.62 प्रदेश में कृषकों की उपज को वैज्ञानिक भंडारण हेतु मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन की वर्तमान में 230 शाखाओं पर 78.54 लाख मीटरिक टन औसत क्षमता में कार्यशील हैं । निगम का प्रमुख उद्देश्य कृषकों / जमाकर्ताओं को अपने कृषि उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो, इसके लिये स्कंध के वैज्ञानिक भण्डारण हेतु गोदामों का निर्माण करना एवं वैज्ञानिक भण्डारण की सुविधा उपलब्ध कराना है। विगत दो वर्षो में मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन की भौतिक/ वित्तीय स्थिति को **तालिका 5.21 एवं 5.22** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.21
भण्डारण शाखाओं की संख्या एवं कुल भण्डारण क्षमता

(क्षमता लाख मीटरिक टन)

वर्ष	शाखाओं की संख्या	स्वयं की क्षमता +केप क्षमता + पी.ई.जी	किराये की क्षमता +केप क्षमता	JV की क्षमता + प्रा + पी.ई.जी	कुल क्षमता	उपयोगिता	उपयोगिता की प्रतिशत
2015-16	281	22.11	02.10	49.01	73.22	50.96	70
2016-17	281	22.77	01.20	35.24	59.21	31.37	54
2017-18 माह अगस्त 2017 की स्थिति में	230	22.80	05.39	50.15	78.34	64.42	82

तालिका 5.22
भण्डारण शाखाओं की वित्तीय स्थिति

(रूपये लाख में)

वर्ष	आय	व्यय	लाभ (कर पश्चात)
2015-16	27192.25	21951.09	5241.16
2016-17	20451.30	16910.20	3541.10
2017-18 माह अगस्त 2017तक (प्रावधिक)	17906.00	16028.30	1877.70

- MPWLC द्वारा कृषको को वैज्ञानिक भंडारण की सुविधा का लाभ पहुचाते हुए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सामान्य कृषकों हेतु 30 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों हेतु 40 प्रतिशत भंडारण शुल्क में रियायत 200 बोरों पर प्रदान की जाती है ।
- कृषकों द्वारा 200 क्विंटल से अधिक स्कंध जमा करने पर सोयाबीन में 25 प्रतिशत एवं अन्य खाद्यान तथा धान पर 15 प्रतिशत भण्डारण शुल्क में रियायत का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 के माह मार्च, 2017 तक कृषक जमाकर्त्ताओं द्वारा उनके जमा स्कंध के समक्ष जारी वेयरहाउस रसीद की प्रतिभूति पर बैंकों द्वारा लगभग रूपये 239.77 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2017 में माह अगस्त 2017 तक कृषक जमाकर्ताओं द्वारा उनके जमा स्कंध के समक्ष जारी वेयरहाऊस रसीद की प्रतिभूति पर बैंकों द्वारा लगभग राशि रूपये 109.65 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
- मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपार्जन नीति के अन्तर्गत उपार्जित गेहूं के भंडारण हेतु मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया था। भण्डारण हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करते हुए विगत वर्षो में उपार्जित गेहूं की भण्डारण व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन द्वारा निम्नानुसार मात्रा का भंडारण किया गया :-

रबी विपणन वर्ष	उपार्जित मात्रा	निगम द्वारा भंडारित मात्रा
2016-17	39.91 लाख मे.टन	33.48 लाख मे.टन +0.43 लाख मे.टन सायलो बेग +2.24 लाख मे.टन स्टील सायलो
2017-18	67.25 लाख मे.टन	53.50 लाख मे.टन +0.27 लाख मे.टन स्टील सायलो बेग +3.36 लाख मे.टन स्टील सायलो

- मध्यप्रदेश में इन्दौर, उज्जैन, देवास, भोपाल, विदिशा, सीहोर, हरदा, होशंगाबाद एवं सतना जिलों में कुल 9 स्थानों पर 4.50 लाख मीटिरिक टन क्षमता का स्टील सायलों प्रोजेक्ट मध्यप्रदेश में प्रथम बार पीपीपी मॉडल पर स्थापित किये गये है। वर्ष 2017-18 के उपार्जित गेहूं का 3.26 लाख मीटिरिक टन में भण्डारण किया गया है ।

- रबी सीजन वर्ष 2017-18 में उपार्जित गेहूं को गोदाम में सुरक्षित भंडारण करने के लिए निजी पंजीकृत गोदामों के ऑनलाईन प्रस्ताव विभिन्न JVS में प्राप्त करते

हुए JVS अंतर्गत निजी WDRA पंजीकृत गोदामों को रूपये 60 प्रति मीटिरिक टन प्रतिमाह एवं गैर WDRA गोदामों को रूपये 55 प्रति मीटिरिक टन प्रतिमाह की दर से भुगतान पर शासन द्वारा $4^{1/2}$ माह की व्यवसाय गारंटी प्रदान की गई है।

पशुधन एवं डेयरी विकास

5.63 प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है । पशु पालन खेती का एक अभिन्न अंग है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रगति में इसका महत्वपूर्ण योगदान है । वर्ष 2012 की पशु संगणना के अनुसार प्रदेश में 3.63 करोड़ पशुधन तथा 119.05 लाख कुक्कुट एवं बतख् पक्षी है । पशुधन वृद्धि का वर्षवार विवरण **तालिका 5.21** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.23

पशुधन वृद्धि

पशु संगणना	पशुधन (करोड़ में)	कुक्कुट एवं बतख (लाख में)
वर्ष 2007 के अनुसार	4.07	73.84
वर्ष 2012 के अनुसार	3.63	119.05

विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से पशुओं को बचाने तथा उनकी स्वास्थ्य रक्षा के लिये प्रदेश में वर्ष 2017-18 के अंत तक 1063 पशु चिकित्सालय, 1585 पशु औषधालय, 38 चलपशु चिकित्सा इकाईयां, 27 विरूजालय, 10 मातामहामारी अनुगामी इकाई, 7 माता महामारी उन्मूलन सतर्कता इकाई, 7 सघन टीकाकरण इकाई, 2 माता महामारी रोग शमनदल, 19 माता महामारी जॉच चौकियां, एक पशु निरोध स्थल तथा एक राज्य स्तरीय एवं 22 जिला स्तरीय रोग अनुसंधान शालाएं कार्यरत हैं ।

वर्ष 2012 की पशु संगणना के अनुसार प्रदेश में गौ एवं भैंसवंशीय प्रजनन योग्य पशुओं की (मादाओं)संख्या 109.90 लाख है । राज्य में अधिकांश पशु अवर्णित नस्ल के हैं जिनकी दुग्धोत्पादन क्षमता अपेक्षाकृत कम है । विभागीय संस्थाओं द्वारा वर्ष 2016-17 में 28.23 लाख पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा उक्त अवधि में 9.42 लाख वत्सोत्पादन हुए । इस प्रकार वर्ष 2016-17 में गत वर्ष की तुलना में 03.60 प्रतिशत कृत्रिम गर्भाधान में तथा 09.66 प्रतिशत वत्सोत्पादन में वृद्धि परिलक्षित हुई है । वर्ष 2017-18 में माह नवम्बर, तक 14.39 लाख पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा उक्त अवधि में 05.17 लाख वत्सोत्पादन हुए ।

प्रदेश में वर्ष 2012 की पशु संगणना के अनुसार 3.09 लाख भेड़े एवं 80.14 लाख बकरें बकरियां हैं । वर्ष/2016-17 में 21.88 हजार भेड़े फलाई गई, जिसके फलस्वरूप 19.35 हजार मेमने उत्पन्न हुये। वर्ष 2017-18 में माह नवम्बर, तक 15.37 हजार भेड़ें फलाई गईं तथा 9.22 हजार मेमने प्रक्षेत्र एवं विस्तार केन्द्रों पर उत्पन्न हुए ।

प्रदेश में 8 पशु प्रजनन प्रक्षेत्र हैं । इन प्रक्षेत्रों पर **साहीवाल, हरियाणा, मालवी, निमाड़ी, जर्सी तथा मुर्रा** आदि उन्नत नस्ल के सॉड़ रखे जाते हैं ।

सुदूर ग्रामीण अंचलों में पशुपालकों के पशुओं को नैसर्गिक गर्भाधान सुविधा उपलब्ध कराने हेतु योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में 1869 उन्नत नस्ल के गौ-सांड प्रदाय किये गये हैं तथा वर्ष 2017-18 में माह नवम्बर तक 2450 गौ-सांड प्रदाय किये गये ।

प्रदेश में वर्ष 2015-16 में दुग्ध उत्पादन 12148 हजार मे. टन, अण्डा का उत्पादन 14414 लाख तथा मांस उत्पादन 70 हजार में टन रहा । इसी प्रकार प्रदेश में वर्ष 2016-17 में दुग्ध उत्पादन 13445 हजार में. टन, अण्डा का उत्पादन 16941 लाख तथा मांस उत्पादन 79 हजार में. टन रहा ।

5.64 दुग्ध उत्पादन : प्रदेश में दुग्ध उत्पादन का वर्षवार विवरण चित्र 5.2 में दर्शाया गया है । वर्ष 2015-16 की अपेक्षा वर्ष 2016-17 में दुग्ध उत्पादन में 10.68 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई ।

चित्र 5.2

दुग्ध उत्पादन

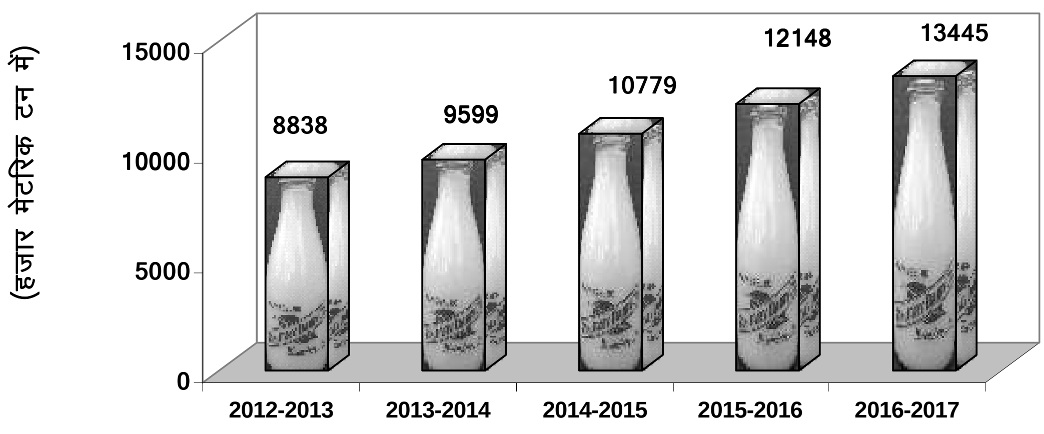

5.65 अंडों का उत्पादन : प्रदेश में वर्ष 2015-16 की अपेक्षा वर्ष 2016-17 में अण्डों के उत्पादन में 17.53 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई। वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 तक का अंडों का उत्पादन का वर्षवार विवरण **चित्र 5.3** में दर्शाया गया है ।

चित्र 5.3

अंडो का उत्पादन

5.66 मांस का उत्पादन : वर्ष 2015-16 की अपेक्षा वर्ष 2016-17 में मास के उत्पादन में 12.85 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई। वर्ष 2012-13 वर्ष 2016-17 तक का मांस उत्पादन का वर्षवार विवरण **चित्र 5.4** दर्शाया गया है ।

चित्र 5.4

मांस का उत्पादन

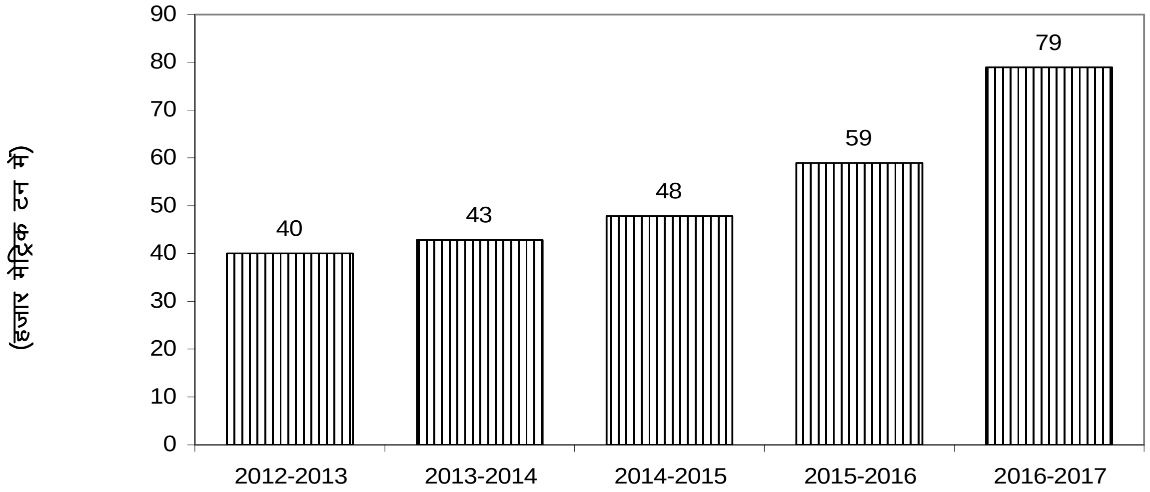

पशुधन एवं कुक्कुट विकास

5.67 मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना 19 नवम्बर 1982 को हुई। निगम का मुख्य उददेश्य पशु उत्पादन तथा कुक्कुट उत्पादों का उत्पादन संग्रहण पालन पोषण और विपणन करना और पशु तथा कुक्कुट का संरक्षण प्रबंध और विकास करना है । निगम के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति का विवरण **तालिका 5.22** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.24
म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कट विकास निगम की योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

विवरण	उपलब्धि							
	लक्ष्य 2016-17		उपलब्धि 2016-17		लक्ष्य 2017-18		उपलब्धि 2017-18 (दिसम्बर, 2017)	
	भौतिक	वितीय लाख रू.	भौतिक	वितीय लाख रू.	भौतिक	वितीय लाख रू.	भौतिक	वितीय लाख रू.
• उच्चवंशीय पशुधन का प्रदाय (बैलजोड़ी भी सम्मिलित)	-	-	467	162.84	-	-	193	87.04
• नस्ल सुधार (गौ-वंश / भैस-वंश / बकरा / सूकर,)	10375	1584.02	12372	1502.65	9638	1779.70	5702	1212.86
• पशु आहार का उत्पादन (गौ-भैंसवंश, बकरा एवं पक्षी)	-	-	353.62 मे.टन	80.60	-	-	142.60 मे.टन	35.69
• तरल नत्रजन का विक्रय	-	-	11.68 लाख लीटर	306.83	-	-	7.07 लाख लीटर	274.49
• फ्रोजन सीमन डोजेज (स्टा) का उत्पादन	-	-	27.85 लाख स्ट्रा	320.96	30.00 लाख स्ट्रा	492.00	20.58	337.51

विवरण	उपलब्धि							
	लक्ष्य 2016-17		उपलब्धि 2016-17		लक्ष्य 2017-18		उपलब्धि 2017-18 (दिसम्बर, 2017)	
	भौतिक	वित्तीय लाख रू.	भौतिक	वित्तीय लाख रू.	भौतिक	वित्तीय लाख रू.	भौतिक	वित्तीय लाख रू.
• राष्ट्रीय गौ-भैंस वंशीय प्रजनन कार्यक्रम, (NPBB 2014-15) पशु प्रक्षेत्र रतोना, मिनोरा कीरतपुर, बुलमदर फार्म, भदभदा भोपाल	-	860.40	मैंत्री 128 प्रशिक्षण एवं उपकरण आदि का प्रदाय , कृग सांड क्रय 60 रिप्लेसमेंट कृग उपकरण अंतर्गत, BA-2-1000,AI KIT-500, Thawing Unit-716 Goblests-11, 170 Strengthening o f AI Centres अंतर्गत AI KIT-124, Castrator-522, AI Seath 66,500 Gloves 66000 strenghening Bulk LN Transport & distribution अंतर्गत, BA-11-400 J-12-101 TA-55-201 क्षमता के 175 नग पात्रों का प्रदाय।	860.40	-	1000.00	कृग सांड क्रय 27 रिप्लेस मेंट कृग उपकरण अंतर्गत, LN CONT. 1.5 LTR. 574 AI Kit-197 strengthening Bulk LN Transport & distribution अंतर्गत, OMR 320 ltr.-3 transport Tanker-1 BA-55-200 J-12-100	213.67
• बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	1000	400.00	268.00	107.20	-	-	-	-
• रिस्क मैनेजमेंट एण्ड इंश्योरेंश (पशुधन बीमा योजना)	112232	762.38	59113	388.01	80000	557.64	23159	185.20

विवरण	उपलब्धि							
	लक्ष्य 2016-17		उपलब्धि 2016-17		लक्ष्य 2017-18		उपलब्धि 2017-18 (दिसम्बर, 2017)	
	भौतिक	वित्तीय लाख रू.	भौतिक	वित्तीय लाख रू.	भौतिक	वित्तीय लाख रू.	भौतिक	वित्तीय लाख रू.
• कीरतपुर में मुर्रा भैंस प्रजनन केन्द्र की स्थापना	-	-	114 वत्स उत्पादित	-	-	-	-	-
• मुर्रा नर संगोपन (रतौना, कीरतपुर, मिनोरा, बुल मदर फार्म) भदभदा भोपाल	-	-	-	-	-	-	-	-
• भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला	250 भ्रूण संकलन 250 प्रत्यारोपण	,	251 भ्रूण संकलित एवं 204 प्रत्यारोपण, 34 हिमकृत किये तकनीक से, 24 वत्सों का उत्पादन हुआ	-	-	-	-	-
• राज्य पशु प्रजनन केन्द्र	-	-	वायो सिक्योरिटी बाउंड्रीवाल रोड वर्षा जल संरक्षण हेतु तालाब, भूमि का समतलीयकरण सिंचाई व्यवस्था डेव्हलेपमेंट एवं सीमन आयात	135.00	-	-	-	-
• नेशनल कामधेनू ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना	-	2500.00	-	-	-	-	-	-
• दतिया में सीमन स्टेशन की स्थापना	-	1000.00	1 सीमन स्टेशन का निर्माण	737.17	निर्माणाधीन	-	-	-
• कृतिम गर्भधान प्रशिक्षण संस्थान, रतौना(सागर)	-	500.00	-	332.32	-	-	-	-
• टर्न ओव्हर	-	7606.80	-	4933.98	-	3829.34	-	2346.82

5.68 मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की प्रमुख उपलब्धियां :

- निगम के केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय, भदभदा, भोपाल का सुदृढीकरण किया गया । संस्था को भारतीय मानक ब्यूरो से ISO Certificate 9001 : 2008 (BIS Certificate) प्रमाण पत्र दिनांक 25 मार्च 2016 से 24 मार्च 2019 तक के लिए प्राप्त हुआ है ।

- केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय भोपाल में प्रजनन नीति के अनुसार देश/प्रदेश के 12 नस्लों का विशेषकर देशी गौ वंश मालवी, निमाडी, केनकथा, गिर, साहीवाल एवं थारपारकर नस्ल भैंसों की मुर्रा जाफरावादी एवं भदावरी, जर्सी, जर्सीसंकर, एच एफ संकर, एच एफ नस्ल आदि का 25 लाख डोजेज से अधिक का फ्रोजन सीमन का उत्पादन किया जा रहा है ।

- भारत सरकार के द्वारा गठित CMU से केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय भदभदा भोपाल को वर्ष 2015-16 में "A" ग्रेड प्राप्त हुआ है।

- क्षेत्रीय सीमन बैंक इन्दौर एवं रीवा को ISO certificate प्रदान किया गया है ।

- केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय द्वारा वर्ष 2017-18 माह दिसम्बर 2017 तक में गौ एवं भैस वंशीय नस्लों का 18.27 लाख फ्रोजन सीमन डोजेज का उत्पादन किया गया है ।

5.69 पशुपालकों को प्रशिक्षण :

- निगम के दो प्रक्षेत्र बुल मदर फार्म, भदभदा भोपाल एवं पशु प्रजनन प्रक्षेत्र कीरतपुर होशंगाबाद में पशुपालन का उन्नत तकनीक से प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।
- दिनांक 29-01-2010 को निगम एवं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविदयालय, भोपाल के मध्य पशु पालन के क्षेत्र में कार्यरत पशुपालकों को प्रशिक्षण हेतु प्रोग्राम स्टडी सेंटर की स्थापना हेतु करारनामा हस्ताक्षरित किया गया ।
- वर्ष 2013-14 से mplpdc-ignue अध्ययन केन्द्र से पशुपालकों के स्वरोजगार हेतु प्रमाण पत्र कार्यक्रम/पाठ्यक्रम प्रारंभ किये गये।
- इस संस्थान में वर्ष 2017-18 दिसम्बर 2017 तक 700 प्रशिक्षणर्थियों को अवेयरनेस प्रोग्राम, ऑन डेयरी फार्मिग तथा 100 प्रशिक्षाणियों को सर्टिफिकेट ऑनपोल्ट्री फार्मिग पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है ।
- प्रक्षेत्र पर भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से गायों को गर्भित किया गया।

निगम की प्रमुख योजनायें जो केन्द्र एवं राज्य शासन संचालित की जाती है निम्नानुसार है :

राष्ट्रीय गौ-भैस वंशीय पशु प्रजनन परियोजना (केन्द्र परिवर्तित योजना) बकरी नस्ल सुधार योजना, हितग्राहियों को उन्नत नस्ल के पशुओं को प्रदाय नंदीशाला योजना, समुन्नत पाडा योजना, सूकर त्रयी प्रदाय योजना, नर सूकर प्रदाय योजना, दुधारू पशु बीमा योजना निगम की अन्य नवीन योजनायें जिनमें भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला की स्थापना एवं तरल नत्रजन उत्पादन संयंत्र की स्थापना एवं आर.के.व्ही. वाय योजना के अन्तर्गत तीन संयत्र क्रमश: केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर में स्थापना की गई है ।

5.70 पशु प्रजनन प्रक्षेत्र कीरतपुर जिला होशंगाबाद : इसमें बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना, बकरी पालन प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास केन्द्र की स्थापना, मुर्रा भैंस के प्रजनन एवं विकास केन्द्र की स्थापना एवं यूरिया मोलेसिस ब्लाक प्लांट की स्थापना तथा पशु आहार संयत्र की गई है ।

5.71 तरल नत्रजन संयंत्रों की स्थापना:- RKVY योजनान्तर्गत चार संयंत्र क्रमश: केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय, इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, एवं जबलपुर में स्थापना की गयी है। बुंदेलखण्ड विशेष पैकेज द्वितीय चरण के तहत रतोना प्रक्षेत्र, सागर में एक तरल नत्रजन संयंत्र की स्थापना की गई है। एक तरल नत्रजन संयंत्र से एक दिवस में लगभग 600 लीटर के हिसाब से प्रतिवर्ष लगभग 1.80 लाख से 2.00 लाख लीटर तरल नत्रजन का उत्पादन। भोपाल के केन्द्रीय वीर्य संस्थान में तरल नत्रजन संयंत्र की स्थापना कर माह अप्रैल 2014 में उत्पादन एवं वितरण प्रारंभ हो चुका है। ग्वालियर संयंत्र से माह मई 2015 से उत्पादन एवं वितरण प्रारंभ प्रारंभ हो चुका है। सागर एवं जबलपुर में मार्च, 2016 से उत्पादन प्रारंभ हो गया है तथा इंदौर से सितम्बर, 2017 से उत्पादन प्रारंभ हो गया है जिसमें वर्ष 2016-17 में 11.68 एवं वर्ष 2017-18 में 7.07 लाख लीटर तरल नत्रजन का जिलों को (माह दिसम्बर 2017तक) प्रदाय किया गया है।

सहकारी दुग्ध संघ की भागीदारी

5.72 दुग्ध संकलन एवं वितरण : मध्यप्रदेश में सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत समन्वित डेयरी विकास की गतिविधियां सर्वप्रथम पश्चिमी एवं मध्य क्षेत्र के 9 जिलों में वर्ष 1975 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से इन्टर नेशनल डेवलमेंट एजेंसी (IDA) से प्राप्त वित्त पोषण से प्रारंभ की गई तथा मध्यप्रदेश स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कार्पोरेशन का गठन किया गया ।

वर्ष 1980-81 में प्रदेश में आपरेशन फ्लड -II कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसके तहत 4 दुग्ध संघों यथा ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर एवं सागर के दुग्धांचलों के अन्तर्गत 29

और जिलों में डेयरी विकास की गतिविधियां प्रारंभ की गयी । सागर क्षेत्र में बुदेलखण्ड सरकारी दुग्ध संघ का गठन कर दिनांक 6.10.2016 को पंजीयन किया गया ।

वर्ष 1980 में आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के तहत राज्य स्तर पर संचालन करने के लिए मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ सहकारी मर्यादित वर्तमान में एम.पी. स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना की गयी । दुग्ध संकलन एवं वितरण कार्य वर्तमान में त्रिस्तरीय संरचना ग्रामीण स्तरीय दुग्ध सरकारी समिति/ क्षेत्रीय दुग्ध संघ /राज्य स्तरीय फेडरेशन के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका वहन कर रहा है । दुग्ध महासंघ की वर्षवार जानकारी का विवरण **तालिका 5.25** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.25

दुग्ध संकलन एवं संबद्ध गतिविधियां

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (अक्टूबर तक)
• कार्यशील दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या	5810	6300	6315	6612	6,414
• कार्यशील दुग्ध सहकारी समितियों की सदस्य संख्या	219059	237013	248717	256150	2,50,232
• दुग्ध संकलन, किलो ग्राम प्रतिदिन	824955	1101610	1029138	889611	9,13,550
• स्थानीय दुग्ध विक्रय (लीटर प्रतिदिन)	669691	712385	703452	741032	7,92,451
• पशु आहार विक्रय (मैं.टन)	104835	115482	116714	110541	63,333
• कृत्रिम गर्भाधान (संख्या)	288070	405698	508362	556633	3,35648
• दुग्ध उत्पादकों को भुगतान (करोड़ रूपये में)	898.25	1243.66	1057.16	954.94	791.00
• विक्रय प्राप्तियां (करोड़ रूपये में)	1274.47	1606.84	1739.51	1718.64	1,023.52
• लाभ/हानि ऋण अदायगी के पूर्व (रू.लाख में)	2645.10	2882.38	7517.19	11582.42	1,976.79
• लाभ/हानि ऋण अदायगी के पश्चात (रू.लाख में)	2317.01	2266.77	6958.19	10866.48	1,417.70

5.73 नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेव्हपलमेंट :-

खरगोन:- इस योजना का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, पोषक आहार की गुणवत्ता में सुधार, रोजगार निर्मित करना व ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढाने के अवसर प्रदान करना है। भारत शासन द्वारा सघन डेयरी विकास कार्यक्रम के स्थान पर यह योजना प्रारंभ की गई है। वर्तमान में यह योजना खरगोन जिले में चलाई जा रही है।

भारत शासन द्वारा योजना अंतर्गत खरगोन जिले हेतु वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए रू. 758.86 लाख की लागत की द्विवर्षीय परियोजना स्वीकृत की थी। इसमें से रू. 583.13 लाख केन्द्र शासन तथा रू. 175.73 लाख क्रियान्वयन एजेंसी का भाग है। परियोजनांतर्गत प्रथम वर्ष हेतु स्वीकृत राशि रू. 459.95 लाख केन्द्र शासन से प्राप्त हुई। इस प्रकार वर्तमान में शेष राशि रू. 123.18 लाख की राशि प्राप्त होना शेष है।

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18 (अक्टूबर 2017 तक)
कार्यरत दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या	177	195	261
दुग्ध उत्पादकों की संख्या	6,465	7,241	7,513
औसत दुग्ध संकलन (कि.ग्रा. प्रतिदिन)	24,054	20,495	24,717
औसत स्थानीय दुग्ध विक्रय (लीटर/दिन)	19,655	18,720	21,576

देवास-धार : केन्द्र शासन द्वारा जिला देवास-धार के लिए नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेव्हलपमेंट के तहत दिनांक 22.06.2017 को एक वर्ष की अवधि के लिए परियोजना स्वीकृत की गई। इस परियोजना की स्वीकृत लागत रू. 292.84 लाख है जिसके विरूद्ध दिनांक 14.07.2017 को रू. 219.63 लाख परियोजना क्रियान्वयन हेतु प्राप्त हुए। परियोजना के तहत 65 बल्क मिल्क कूलर तथा भवन निर्माण के साथ-साथ 10 ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में परियोजना क्रियान्वयन प्रगति पर है।

राजगढ-भोपाल: केन्द्र शासन द्वारा जिला राजगढ-भोपाल के लिए नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेव्हलपमेंट के तहत दिनांक 22.06.2017 को एक वर्ष की अवधि के लिए परियोजना स्वीकृत की गई । इस परियोजना की स्वीकृत लागत रू.185.60 लाख है जिसके विरूद्ध दिनांक 14.07.2017 को रू.139.20 लाख परियोजना क्रियान्वयन हेतु प्राप्त हुए। परियोजना के तहत 36 बल्क मिल्क कूलर तथा भवन निर्माण के साथ-साथ 84 ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट स्थापितकिए जाएंगे। वर्तमान में परियोजना क्रियान्वयन प्रगति पर है।

5.74 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना:- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के लिये स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	विवरण	लागत (रू. लाख में)
1	बैतूल डेयरी संयंत्र को केन फ्री किया जाना	290.29
2	इंदौर डेयरी संयंत्र के आरएमआरडी को केन फ्री किया जाना	754.00
3	आगर शीतकेन्द्र को केन फ्री किया जाना	188.50
4	आलोट शीतकेन्द्र को केन फ्री किया जाना	101.74
5	मनासा शीतकेन्द्र को केन फ्री किया जाना	127.18
6	शाजापुर शीतकेन्द्र को केन फ्री किया जाना	236.40
7	शामगढ शीतकेन्द्र को केन फ्री किया जाना	213.96
8	उज्जैन डेयरी संयंत्रके आरएमआरडी को केन फ्री किया जाना	314.18
	योग-	**2226.25**

उक्त कुल राशि रू. 2226.25 लाख में से वर्ष 2017-18 में रू.788.740 लाख एमपीसीडीएफ को परियोजना क्रियान्वयन हेतु प्राप्त हुए।

5.75 महिला दुग्ध समितियों की उपलब्धि :

विवरण	**कुल योग**
दुग्ध सहकारी समितियों का गठन (संख्या)	1590
कार्यशील दुग्ध सहकारी समितियॉ (संख्या)	1185
गठित दुग्ध सहकारी समितियों की सदस्य संख्या	47462
कार्यशील दुग्ध सहकारी समितियों की सदस्यता	35432
दुग्ध संकलन (कि.ग्रा. प्रतिदिन)	177729
पशु उत्प्रेरण (संख्या)	651
कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र (संख्या)	73
कृत्रिम गर्भाधान संपादन (संख्या)	6416
पशु आहार विक्रय (में.टन.)	1083

सहकारी डेयरी कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2017-18 की प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी : वर्ष 2017-18 में एमपीसीडीएफ की प्रमुख उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है:-

- सहकारी डेयरी कार्यक्रम का लाभ प्रदेश के अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादकों को उपलब्ध कराने के दृष्टिगत प्रदेश के लगभग 27 हजार दुग्ध उपलब्धता वाले ग्रामों के सर्वेक्षण का कार्य कराया गया है। इन ग्रामों में अध्यतन स्थिति में 3034 दुग्ध संकलन केन्द्र प्रारंभ किए जा चुके हैं जिनके माध्यम से लगभग 1,54,912 किलोग्राम

प्रतिदिन दुग्ध संकलन किया जा रहा है। एक वर्ष सफलता पूर्वक संचालनके पश्चात इनका दुग्ध सहकारी समितियों में उन्नयन प्रस्तावित है।

- प्रदेश में 6700 दुग्ध सहाकारी समितियां कार्यरत। वर्ष 2017-18 में माह अक्टूबर 2017 तक 348 नवीन समितियों का गठन कियाजा चुका है।
- वर्ष 2017-18 में माह अक्टूबर 2017 तक 9.14 लाख किग्रा प्रतिदिन औसत दुग्ध संकलन जो कि गत वर्ष इसी अवधि की तुलना में 8 प्रतिशत अधिक है।
- दुग्ध उत्पादकों को उनके द्वारा प्रदायित दूध की उचित मूल्य दिलाने के दृष्टिगत दिनांक 21 जून 2017 से 10 अक्टूबर 2017 तक रू. 620 प्रति किलो फैट निर्धारित किया गया,जबकि 31 अक्टूबर 2017 तक रू. 600 प्रति किलो फैट की दर पर दुग्ध क्रय किया गया। यह मूल्य अमूल के लगभग समान है। यह अभी तक की सर्वाधिक दुग्ध क्रय दर है। वर्ष 2017-18 में माह अक्टूबर 2017 तक दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध क्रय मूल्य के रूप में रू. 791 करोड का भुगतान किया गया जो कि गत वर्ष की तुलना में 44 प्रतिशत अधिक है। इससे लगभग 1,77,000 दुग्ध उत्पादक लाभान्वित हुए हैं।
- दुग्ध संघों द्वारा निर्मित पशु आहार सुदाना की विक्रय दरों में भी दिनांक 21 जून 2017से 50 पैसे प्रति किलो की कमी की गई है। वर्तमान विक्रय दर रू. 14.50 प्रति किलोग्राम है। इससे लगभग 1,77,000 दुग्ध उत्पादकों के दूध की उत्पादन लागत में कमी आई है।
- वर्ष 2017-18 में माह अक्टूब्र 2017 तक 7.92 लाख लीटर प्रतिदिन और पैकेट दुग्ध विक्रय जो कि गत वर्ष की तुलना में 8 प्रतिशत अधिक है।
- वर्ष 2017-18 में माह अक्टूब्र 2017 तक 3.35 लाख लीटर प्रतिदिन और पैकेट दुग्ध विक्रय जो कि गत वर्ष की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक है।
- प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में स्थित दुग्ध सहकारी समितियों, शीतकेन्द्र, डेयरी संयंत्र तथा दुग्ध संकलन मार्गों का डिजीटाइजेशन कर जीआईएस मैपिंग की गई है।
- एमपीसीडीएफ द्वारा उपभोक्ताओं को उनकी मांग के आधार पर घर पर ही दूध एवं दुघ पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए सांची ऑनलाईन मोबाईल एफ लांच किया गया है।
- राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से भोपाल दुग्ध संघ की 4 दुग्ध सहकारी समितियों में क्लाउड आधारित एएमसीयू सॉफ्टवेयर का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया गया। शीघ्र ही पूरे दुग्ध संकलन मार्ग की 20 सहकारी समितियों पर ट्रायल रन किया जाना प्रस्तावित है।
- एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी द्वारा इंदौर दुग्ध संघ के संयंत्र का निरीक्षण कर उसे घी, दुग्ध चूर्ण इत्यादि के एक्सपोर्ट के लिए उपयुक्त पाया है तथा इस हेतु अनुमति जारी की है।
- वर्ष 2016-17 के दौरान 53 बल्क मिल्क कूलर की स्थापना की गई जिनकी कुल क्षमता 76,000 लीटर प्रतिदिन है। वर्ष 2017-18 हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास

योजनान्तर्गत 269 बल्क मिल्क कूलर की स्थापना प्रस्तावित है जिनकी कुल क्षमता 3,52,000 लीटर प्रतिदिन होगी।

- सॉची लाईट (स्किम मिल्क) तथा सॉची काउ मिल्क (गाय का दूध) का वितरण प्रारंभ किया गया है।
- दुग्ध संघों द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर 2017 को सांची घी की 15 किलोग्राम तथा 5 लीटर की विश्वस्तरीय पीसीसीपी पैकिंग लांच की गई।
- नकली घी पर रोकथाम हेतु भोपाल एवं इंदौर दुग्ध संघ में घी की सीका पैकिंग प्रारंभ।
- दुग्ध प्रदायक सदस्यों एवं दुग्ध सहकारी समिति के मध्य न्यूनतम दुग्ध मात्रा के प्रदाय हेतु अनुबंध के निष्पादन हेतु कार्यवाही की गई।
- सभी दुग्ध संघ वर्ष 2017-18 में (चालू वित्तीय वर्ष) लाभ की स्थिति में है। भोपाल, इंदौर तथा जबलपुर दुग्ध संघ संचित लाभ में है।
- दुग्ध उत्पादकों को कैशलेस माध्यम से भुगतान। 2.25 लाख सदस्यों के बैंक खाते खुलवाए गए।
- एमपीसीडीएफ एवं दुग्ध संघों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर अधिकारियों/कर्मचारियों के नियुक्ति आदेश जारी।
- दुग्ध प्रदायक सदस्यों हेतु न्यूनतम दुग्ध क्रय दर का निर्धारण।
- इंदौर दुग्ध संघ में प्रयोगशाला को NABL प्रमाणीकरण प्राप्त करने की कार्यवाही पूर्णता की ओर है।
- बछडों के लिए Calf Starter विशेष पशुआहार का उत्पादन प्रारंभ।
- NDPI के तहत RBP,VBMPS एवं FD अंतर्गत 10 कार्यक्रमों का संचालन।
- NDPI के तहत RBP के दो नये कार्यक्रम स्वीकृत।
- NCDFI के ई-मार्केट में रजिस्ट्रेशन कराया गया।
- दुग्ध संघों के विक्रय केन्द्रों/दुग्ध समितियों पर एयरटेल पेमेंट बैक मर्चेंट एप का मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन।
- प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों/उपभोक्ता भण्डारों/विपणन समितियों के माध्यम से 'सांची' एवं 'सुदाना' का विक्रय सुनिश्चित कराया जा रहा है।
- दुग्ध संघों की दुग्ध चूर्ण एवं श्वेत मक्खन की आवश्यकता पर विभिन्न स्टेट डेयरी फेडरेशनों से लगभग 3200 मै0टन दुग्ध चूर्ण एवं 2160 मैं0टन श्वेत मक्खन क्रय कर उपलब्ध कराया गया।
- दुग्ध संघों में अमले की कमी के दृष्टिगत प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से चयन परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। 275 पदों पर प्रत्याशियों का चयन कर नियुक्ति आदेश जारी किए गए। इसके अतिरिक्त 25 पदों पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई।
- 15 जुलाई 2015 से प्रदेश के 85,933 प्राथमिक विद्यालयों के 45.85 लाख विद्यार्थियों तथा 92,230 आंगनवाडियों के 47.88 लाख बच्चों को माध्यान्ह भोजन कार्यक्रम

अंतर्गत सप्ताह में 3 दिन सुगंधित मीठा दूध प्रदाय हेतु दुग्ध संघों द्वारा सुगंधित मीठा दुग्ध चूर्ण प्रदाय किया जा रहा है।

मत्स्य पालन से विकास

5.76 मत्स्य पालन की ग्रामीण स्वरोजगार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका है । बढती आबादी, बेरोजगारी तथा पौष्टिक आहार की कमी को देखते हुये मत्स्य पालन व्यवसाय से जहॉ एक ओर रोजगार मिलता है वहीं दूसरी ओर कम लागत से स्थानीय रूप से प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ मिलता है । यह मछुआरों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर के उन्नयन का मार्ग प्रशस्त करता है । इन संभावनाओं को देखते हुए राज्य में मत्स्य पालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

वर्ष 2016-17 की स्थिति अनुसार राज्य में 4.05 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र उपलब्ध है, जिसमें से 3.97 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र मछली पालन के अंतर्गत विकसित किया जा चुका है, जो कुल उपलब्ध जलक्षेत्र का 98 प्रतिशत है ।

5.77 मत्स्यबीज उत्पादन : वर्ष 2016-17 में 10700 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई मत्स्य बीज उत्पादन के लक्ष्य के विरूद्ध 11113.26 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन हुआ जो लक्ष्य का 103.86 प्रतिशत है । वर्ष 2017-18 में 11870 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई मत्स्य बीज के लक्ष्य के विरूद्ध माह दिसम्बर, 2017 तक 10664.91 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई मत्स्यबीज का उत्पादन हुआ, जो लक्ष्य का 89.85 प्रतिशत है ।

5.78 मत्स्योपादन : वर्ष 2016-17 में समस्त स्त्रोतों से 130,000 टन मत्स्योपादन के लक्ष्य के विरूद्ध 138693.91 टन का मत्स्य उत्पादन किया गया जो लक्ष्य का 106.69 प्रतिशत रहा । वर्ष 2017-18 में समस्त स्त्रोतों से 155,000 टन मत्स्य उत्पादन के लक्ष्य के विरूद्ध माह दिसम्बर, 2017 तक 86225.90 टन मत्स्य उत्पादन किया गया जो लक्ष्य का 55.63 प्रतिशत है ।

5.79 मछुआ सहकारिता : प्रदेश में वर्ष 2016-17 में कुल 2266 मत्स्य सहकारी समितियां थीं जिनमें 84372 सदस्य थे, इन पंजीकृत मछुआ सहकारी समीतियों में 48 समीतियां महिलाओं की है, जिनकी सदस्य संख्या 1632 है ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं वंशानुगत मछुआरों की मछुआ सहकारी समितियों की आर्थिक एवं सांमाजिक स्थिति सुधारने के लिए नवीन मछुआ नीति के अनुसार

मछली पालन के लिए उन्हें दस वर्ष की लम्बी अवधि के लिए सिंचाई/ग्रामीण तालाब जलाशय पट्टे पर दिए जाने का प्रावधान किया गया है । वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर, 2017 तक 789.90 हेक्टेयर जलक्षेत्र के 18 जलाशय 17 मछुआ सहकारी समितियों में 703 सदस्य है एवं 228.45 हेक्टेयर जलक्षेत्र के 13 जलाशय 13 मछुआ समूहों में 124 सदस्यों को नवीन/पुन: आवंटित किये गये है ।

5.80 मछुआ समितियो को अनुदान : मछुआ सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वर्ष 2016-17 में 95.08 लाख रूपये अनुदान के रूप में वितरित किये गये। वर्ष 2017-18 में राशि रूपये 106.05 लाख लक्ष्य के विरूद्ध दिसम्बर, 2017 तक 61.93 लाख रूपये का अनुदान 319 समितियों को वितरित किया गया है ।

5.81 मछुआ प्रशिक्षण : मछुआरों को उन्नत तकनीकी ज्ञान प्रदाय करने हेतु विभाग व्दारा प्रशिक्षण दिया जाता है । वर्ष 2016-17 में 4606 मछुआरों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य रखा गया था माह मार्च, 2017 तक विभाग द्वारा 4048 मछुआरों को प्रशिक्षित किया गया था । वर्ष 2017-18 में 5642 मछुआरों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है माह दिसम्बर, 2017 तक 2748 मछुआरों को प्रशिक्षित किया गया है ।

5.82 मछुआरों का दुर्घटना बीमा : मछुआरों की दुर्घटना बीमा योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार के सहयोग से किया जा रहा है, जिसका 50 प्रतिशत व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है । मछुओं की मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में बीमा दावें की राशि रूपये 2 लाख रूपये नामांकित व्यक्ति को भुगतान की जाती है । इस योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 से क्रियाशील सदस्य वंशानुगत मछुआरों के आश्रित परिवारों के सदस्यों का भी बीमा कराया जा रहा है । वर्ष 2016-17 में 1,84,933 मछुआरों का दुर्घटना बीमा किया गया था । चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर से 1,84,933 मछुआरों का दुर्घटना बीमा किया गया है ।

5.83 फिशरमेन केडिट कार्ड : वर्ष 2012-13 से किसान क्रेडिट कार्ड के समान मत्स्य कृषकों को भी फिशरमेन क्रेडिट कार्ड शून्य प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर बैंक ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु जारी किये जा रहे है । वर्ष 2016-17 में 8939 फिशरमेन क्रेडिट कार्ड राशि रूपये 477.74 लाख के जारी किये गये हैं । वर्ष 2017-18 में 10.00 हजार फिशरमेन क्रेडिट कार्ड जारी किये जाने के लक्ष्य के विरूद्ध माह दिसम्बर, 2017 तक 4023 फिशरमेन क्रेडिट कार्ड जारी किये जा चुके हैं ।

5.84 बचत-सह-राहत : मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 के तहत 16 जून से 15 अगस्त की अवधि में मछलियों का प्रजनन काल होने के कारण मत्स्याखेट कार्य प्रतिबन्धित होता है । इस प्रतिबन्धित काल में मछुआरों को अजीविका निर्वहन हेतु आर्थिक सहायता

उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार के अशंदान से बचत-सह-राहत योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है, इस योजना के अन्तर्गत माह सितम्बर से माह मई तक कुल 9 माह प्रति मछुआ 100 रूपये प्रतिमाह बैंक/पोस्ट आफिस में जमा कराई जाकर कुल जमा राशि के बराबर 50:50 प्रतिशत राशि केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में अंशराशि मछुआरों को माह जून, जुलाई, अगस्त में दी जाती है । वर्तमान में 900 रूपये मछुआ अशंराशि 900 रूपये राज्य शासन एवं 900 रूपये केन्द्र शासन कुल 2700 रूपये दो माह में मछुआरों को प्रदाय किया जाता है ।

वर्ष 2016-17 में 16438 हितग्राहियों के खाते में राशि रूपये 295.89 लाख जमा की गई है । वर्ष 2017-18 में बचत रूपये 1500/- राज्य शासन एवं केन्द्र शासन प्रत्येक का अशंदान रू. 1500/- योग 3000 कुल राशि रू. 4500/- दो माह में मछुआरों को प्रदाय किया जाना प्रावधानित है ।

5.85 मछुआ आवास : मछुआरों को बेहतर आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभाग में मछुआ आवास योजना लागू है । वर्ष 2016-17 में प्रदेश में मछुआ आवास हेतु राशि रूपये 91.50 लाख का प्रावधान रखा गया है । वर्तमान में शासन की प्रधानमंत्री आवास योजना लागू होने के कारण मछुआ आवास योजना हेतु बजट आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है।

5.86 रोजगार सृजन : वर्ष 2016-17 में 230 लाख मानव दिवसों के रोजगार सृजन के लक्ष्य के विरूद्ध 222.89 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया । वर्ष 2017-18 में 230 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन के लक्ष्य के विरूद्ध माह दिसम्बर, 2017 तक 152.69 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन किया जा चुका है ।

5.87 मत्स्य पालन प्रसार : मत्स्य सहकारी समितियों के समान मत्स्य पालको को भी विभाग द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जाता है । वर्ष 2016-17 में मत्स्य पालकों को अनुदान हेतु राशि रूपये 82.85 लाख के प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 69.95 लाख का वितरण किया गया है । वर्ष 2017-18 में राशि रूपये 81.25 लाख के अनुदान प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर, 2017 तक राशि रूपये 38.06 लाख का अनुदान वितरण किया गया है ।

वानिकी

5.88 वन संपदा की दृष्टि से मध्य प्रदेश एक सम्पन्न राज्य है। राज्य की अर्थ व्यवस्था में वनों का महत्वपूर्ण योगदान है । सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र का अंश वर्ष 2017-18 में 1.81 प्रतिशत है । प्रदेश का कुल वन क्षेत्र 94.69 हजार वर्ग किलोमीटर है जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 30.72 प्रतिशत है । राज्य के कुल वनक्षेत्र का 65 प्रतिशत

आरक्षित वन, 33 प्रतिशत संरक्षित वन एवं 2 प्रतिशत क्षेत्रफल अवर्गीकृत वनों के अंतर्गत आता है । प्रदेश के वनों में इमारती एवं जलाऊ लकड़ी, बांस एवं अन्य वनोत्पाद (मुख्य एवं गौण) वनोपज पाई जाती है । वनोत्पादन का वर्षवार विवरण **तालिका 5.26** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.26

वनोत्पादन का विवरण

वर्ष	इमारती लकड़ी (लाख घनमीटर)	जलाऊ चट्टे (लाख नग)	बांस नोशनल टन (लाख में)
2012-13	2.53	1.90	1.06
2013-14	2.35	1.73	0.79
2014-15	2.40	1.78	0.41
2015-16	2.07	1.28	0.36
2016-17	1.83	1.19	0.33

वनोत्पादन के अंतर्गत इमारती लकड़ी एवं जलाऊ चट्टे में गत वर्ष से क्रमश: 11.59 एवं 07.03 प्रतिशत की कमी तथा बांस के उत्पादन में 08.33 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई है । इमारती लकडी का उत्पादन गत वर्ष से 2.07 लाख घन मीटर से घटकर वर्ष 2016-17 में 1.83 लाख घन मीटर रहा है । इसी अवधि में जलाऊ चटटे का उत्पादन गत वर्ष के 1.28 लाख नग से घटकर 1.19 लाख नग तथा बांस का उत्पादन 0.36 लाख नोशनल टन से घटक़र 0.33 लाख नोशनल टन हो गया है ।

5.89 राजस्व प्राप्तियां : वर्ष 2015-16 में विभाग के लिए रूपये 1298.00 करोड़ का लक्ष्य के विरूद्ध 1081.31 करोड रू. का राजस्व प्राप्त हुआ है । जो निर्धारित लक्ष्य का 83.30 प्रतिशत है । वर्ष 2016-17 में रूपये 1050.00 करोड लक्ष्य का लक्ष्य के विरूद्ध रूपये 1016.32 करोड का राजस्व प्राप्त हुआ है। जो निर्धारित लक्ष्य का 96.79 प्रतिशत है।

5.90 अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी : मध्यप्रदेश के वनो की उत्पादकता बढ़ाने एवं वनक्षेत्रों के बाहर सामुदायिक एवं निजी भूमि पर वनीकरण कार्य किया जाकर वनोपज की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रदेश के 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों के अर्न्तगत भोपाल, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, सागर, इन्दौर, खण्डवा, झाबुआ, रतलाम, सिवनी एवं बैतूल में एक-एक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त स्थापित किये गये हैं ।

प्रत्येक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त के अंतर्गत उच्च तकनीकी रोपणियां स्थापित की गई है । वर्तमान में 161 अनुसंधान एवं विस्तार रोपणियां विभिन्न अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों में कार्यरत हैं जहां सभी प्रजातियों के मानक गुणवत्ता के पौधे तैयार किये जा रहे हैं ।

प्रदेश में प्रथम बार पौधो की आयु, ऊचाई एवं कॉलर गोलाई के साथ-साथ बीज संग्रहरण का मानकीकरण किया गया है ताकि वृक्षारोपण की सफलता सुनिश्चित हो सके। इन पौधों का प्रदाय विभागीय वृक्षारोपण के अलावा निजी क्षेत्र के पौध रोपण में किया जाता है। अनुसंधान एवं विस्तार रोपणियों से माह सितम्बर 2017 तक विभिन्न योजनान्तर्गत 5.72 करोड पौधों का निवर्तन विभाग में एवं विभाग के बाहर किया गया है। विभाग के बाहर पौधा निर्वतन से राशि रूपये 1.25 करोड का राजस्व प्राप्त हुआ है। अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों की रोपणियों में क्षेत्रीय वन मंडलों की मांग अनुसार वर्ष 2018 एवं 2019 के रोपण हेतु पौधे तैयारी का कार्य प्रगति पर है।

दिनांक 02 जुलाई 2017 को नर्मदा नदी के किनारे 7.10 करोड पौधों का रोपण किया गया है जिसमें से 3.16 करोड पौधे वन विभाग एवं शेष अन्य विभागों द्वारा रोपित किये गए हैं। कैम्पा मद के अंतर्गत वित्त पोषित **'कृषि वानिकी से कृषक समृद्धि योजना'** अंतर्गत कृषकों की भूमि पर रोपण हेतु 1.08 करोड पौधों का प्रदाय माह सितम्बर 2017 अन्त तक किया गया है।

निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना अंतर्गत भूस्वामी/वनदूतों को माह सितम्बर 2017 अंत तक राशि रूपये 39.36 लाख अनुदान वितरित किया गया है। प्रमुख स्थलों पर रोपणी को ईको-टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित कर पर्यटकों को आकर्षित करते हुए पर्यावरण एवं वृक्षारोपण हेतु जनसामान्य में जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस हेतु सर्वप्रथम अनुसंधान विस्तार वृत्त ग्वालियर की तपोवन रोपणी एवं अनुसंधान वृत्त रतलाम की उज्जैन जिले में क्षिप्रा विहार रोपणी में इस संबंध में काम प्रगति पर है। त्रैमासिक पत्रिका **'म0प्र0 वनांचल संदेश'** के तृतीय संस्करण का प्रकाशन कर जारी किया गया है।

5.91 वन्यप्राणी संरक्षण : प्रदेश में वन्यप्राणियों एवं उनके रहवास स्थलों की सुरक्षा एवं विकास को सुनिश्चित करने हेतु 10 राष्ट्रीय उद्यान एवं 25 अभ्यारण्य है जिसमें 6 टाईगर रिजर्व 2 खरमोर अभ्यारण्य, 2 सोन चिड़िया अभ्यारण्य, 3 घड़ियाल (एवं अन्य जलजीव) अभ्यारण्य हैं तथा 2 राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म संरक्षण हेतु स्थापित किये गये हैं । प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल 10.99 हजार वर्ग किलोमीटर है जिसमें से वन क्षेत्र 9.12 हजार वर्ग किलोमीटर है । भारतीय वन्य जीव संस्थान देहारादून द्वारा 2014 की गणना अनुसार देश में बाघो की संख्या 2226 है । जिसमें मध्यप्रदेश में 308 बाघ है । इसी प्रकार देश में 10 हजार से 12 हजार तेंदुएं हैं । जिसमें मध्यप्रदेश में तेंदुए की अनुमानित संख्या 1848 है । उक्त के पश्चात प्रदेश में वर्ष 2016 में समस्त संरक्षित क्षेत्रों में बाध, तेदुएं एवं अन्य शाकाहारी वन्यप्राणीयों के गणना का कार्य सम्पन्न किया गया । गणना मे प्राप्त आंकडों का विश्लेषण राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर द्वारा किया

गया । गणना के परिणाम में अनुसार प्रदेश के टायगर रिजर्व में 251 बाघों का आंकलन है । वर्ष 2014 में प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों में 222 बाघों का आंकलन था इस प्रकार से दो वर्षो में प्रदेश में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। संरक्षित क्षेत्रों के अतिरिक्त क्षेत्रीय वन्य मंडलों बालाघाट वृत्त में 24, भोपाल वृत्त 13, देवास वन मंडल में 7, दतिया वन मंडल में 1 बाघों के उपस्थिति के प्रमाण कैमरा ट्रेप द्वारा लिए गये चित्रों से मिलते है।

ईको पर्यटन गतिविधियों को आम जनता तक पहुँचाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश वन्य प्राणी (संरक्षण) नियम 1974 में संशोधन किया गया है एवं प्रदेश के वन क्षेत्रों में ईको पर्यटन गतिविधियों के विस्तार के उद्देश्य से वन्यप्राणी अनुभव एवं मनोरंन क्षेत्रों को अधिसूचित किया जा रहा है।

प्रदेश में पहली बार वर्ष 2016 में संकटग्रस्त प्रजाति गिद्धों की गणना की गई है । प्रदेश में 7 प्रजाति के लगभग 7000 हजार गिद्ध पाये गये है । आम जनता को वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए शिक्षित करने के उदृश्य से प्रदेश वन विहार, भोपाल मुकुन्दपुर सतना में चिडियाघर का संचालन किया जा रहा है । वर्ष 2017 में वन्य प्राणियों के लिए अतिरिक्त आवास स्थल सुलभ कराने के लिए संरक्षित क्षेत्र से 19 ग्रामों के 1969 परिवारों को बाहर पुन स्थापित किया गया है ।

मध्यप्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटकों की सुविधा को सुगम बनाने के उद्देश्य से ऑनलाईन परमिट बुकिंग व्यवस्था कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुडा, एवं बांधवगढ टाईगर रिजर्व में जारी है। इसी क्रम को आगे बढाते हुए पर्यटन वर्ष 2016-17 में अतिथि देवो.भव: की तर्ज पर भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों के शुल्क में एकरूपता लाई गई जिसके प्राथमिक परिणाम उत्साह वर्धक आ रहे है जिसमें पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 2015-16 में पर्यटकों की संख्या 10.24 लाख थी जिससे 26.08 करोड आय प्राप्त हुई। वर्ष 2016-17 में 10.67 लाख पर्यटकों की संख्या थी जिससे 21.39 करोड रूपये की आय प्राप्त हुई है।

5.92 मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ : मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ का गठन 1984 में किया गया था। प्रदेश में लघु वनोपज का संग्रहण एवं व्यापार इस संस्था द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 1989 में इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और लघु वनोपज के संग्रहण कार्य में संलग्न प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्ग के ग्रामीणों की आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु वनोपज के संग्रहण एवं विपणन का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु संपूर्ण प्रदेश में वास्तविक संग्रहणकर्ताओं की सदस्यता से 1071 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां कार्यरत हैं। क्षेत्रीय वनमंडलों के स्तर पर वर्तमान में 60 जिला लघु वनोपज यूनियन बनाये गये हैं।

इस त्रिस्तरीय सहकारी संरचना के शीर्ष स्तर पर मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ पहले से ही कार्यरत है। वनोपजों को राष्ट्रीकृत एवं अराष्ट्रीकृत दो श्रेणीयों में बांटा गया है। राष्ट्रीकृत वनोपज में वर्तमान में तेन्दूपत्ता एवं कुल्लू गोंद है। प्रदेश के वनवासियों को अराष्ट्रीयकृत वनोपज जैसे चिरोंजी, महुआ, नीम बीज, करंज बीज, लाख, आंवला आदि एवं औषधीय वनोपजों का नि:शुल्क संग्रहण, परिवहन, विक्रय भी करने की छूट दी गई है। संघ की विभिन्न गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

1. **राष्ट्रीयकृत वनोपज्ज**

I. **तेंदूपत्ता-**_ विगत तीन वर्षों में संग्रहण एवं निर्वतन की जानकारी निम्नानुसार है:-

तलिका 5.27

तेंदूपत्ता का संग्रहण एवं निवर्तन

(मात्रा लाख मानक बोरो में)

राशि करोड रूपये में

संग्रहण वर्ष	संग्रहण दर (रूपये./मा.बो.)	कुल गोदामीकृत मात्रा	संग्रहण मजदूरी की राशि (करोड़ रूपये में)	अब तक विक्रय की गई मात्रा	विक्रय मूल्य (करोड़ रूपये में)
2015	950	16.05	152.47	16.05	329.27
2016	1250	18.57	232.07	18.57	627.25
2017	1250	23.36	292.00	23.36	1339.00

अराष्ट्रीयकृत वनोपज :

महुआ फूल / अचार गुठली / सालबीज का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिनांक 18.04.2017 को उमरिया उत्सव के दौरान की गई घोषणा महुआ फूल, अचार गुठली एवं साल बीज का क्रय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर समितियों के माध्यम से निर्धारित दरों पर करने के अनुपालन में मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ.25-5/2010/10-3 दिनांक 02.05.2017 द्वारा सालबीज क्रय हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य रूपये 10/- प्रति किलो निर्धारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ.31-1/2011/10-3 दिनांक 25.10.2016 द्वारा सालबीज वनोपज को विनिर्दिष्ट (राष्ट्रीकृत) वनोपज से हटाकर इसे अराष्ट्रीकृत वनोपज घोषित किया गया है। संग्रहण वर्ष 2017 में समितियों के माध्यम से 1129.50 क्विंटल सालबीज का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ.25-5/2010/10-3 दिनांक 02.05.2017 द्वारा महुआ फूल के क्रय हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य रूपये 14/- एवं महुआ गुल्ली का न्यूनतम

समर्थन मूल्य रूपये 9/- प्रति किलो से बढाकर दोनो का न्यूनतम समर्थन मूल्य रूपये 30/- प्रति किलो निर्धारित किया गया है।

वर्ष 2017 में महुआ फूल हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य राशि रूपये 30/- प्रति किलो पर **75135.10** क्विंटल रूपये 22.54 करोड में क्रय किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ.25-5/2010/10-3 दिनांक 02.05.2017 द्वारा अचार गुठली के क्रय हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य रूपये 85/- प्रति किलो से बढाकर रूपये 100/- प्रति किलो निर्धारित किया गया है।

वर्ष 2017 में अचार गुठली हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 111.58 क्विंटल का संग्रहण किया गया है।

वन मेला:- प्रदेश की जडीबूटियों के संग्राहकों को स्पर्धात्मक बाजार मूल्य उपलब्ध कराने एवं इन जडीबूटियों के प्रचार-प्रसार करने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिनांक 14-12-17 से 20-12-17 तक भोपाल के लाल परैड मैदान पर अंतराष्ट्रीय वन मेला का आयोजन किया गया जिसमें रूपये 90.00 लाख का विक्रय हुआ तथा क्रेता विक्रेताओं के बीच रूपये 156.00 लाख के एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किए गए हैं।

5.93 म.प्र. राज्य वन विकास निगम :

स्थापना तथा उददेश्य : म.प्र. राज्य वन विकास निगम कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत 24 जुलाई 1975 को राष्ट्रीय कृषि आयोग की अन्तरित रिपोर्ट (फारेस्ट्री मैन मैड फारेस्ट 1972) के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड भोपाल की स्थापना की गई । इसका प्रमुख उददेश्य निम्न कोटि के वन क्षेत्रों को तेजी से बढने वाली बहुमूल्य तथा बहुउपयोगी प्रजीतियों के रोपण द्वारा उच्च कोटि के वनों में परिवर्तित कर उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता में सुधार लाना ।

5.94 निगम की गतिविधियां एवं उपलब्धियां : निगम की प्रमुख गतिविधि सागौन एवं बास का व्यावसायिक रोपण निगम की मुख्य गतिविधि है । निगम विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत व्यावसायिक बैकों से ऋण प्राप्त कर वन विभाग द्वारा हस्तान्तरिण वन भूमि पर रोपण करता है । जिसके वर्ष 2017 में विभिन्न योजना जैसे व्यावसायिक वृक्षारोपण 259485 क्षेत्रफल हेक्टेयर, कैम्पा योजनान्तर्गत सागौन रोपण 16393 क्षेत्रफल हेक्टेयर, बिगडे वनों का सुधार 18346 क्षेत्रफल हेक्टेयर, 12वें एवं 13वें वित्त आयोग अन्तर्गत सागौन रोपण

13549 क्षेत्रफल हेक्टेयर, में वृक्षारोपण किया गया । इसके अतिरिक्त निगम द्वारा राज्य एवं केन्द्रीय शासन की योजनाओं के अन्तर्गत ही रोपण किया गया । डिपाजिट रोपण के अन्तर्गत खदानी एवं अन्य क्षेत्रों में 291.76 लाख पौधो का रोपण किया गया ।

वर्ष 2016-17 के लेखों का अंतिमिकरण कार्य प्रगति पर है। स्थापना वर्ष से ही निगम निरंतर लाभ में चल रहा है। वर्ष 2015-16 तक संचित लाभ रूपये 295.86 करोड है। निगम द्वारा प्रदत्त अंश पूंजी पर वर्ष 2015-16 के लिए राज्य शासन को रूपये 6999.18 लाख तथा भारत सरकार को रूपये 280.87 लाख लाभांश का भुगतान किया जा चुका है। निगम द्वारा मध्यप्रदेश शासन वन विभाग को वर्ष 2015-16 तक का लीजरेंट कुल राशि रूपये 677.25 करोड रूपये का भुगतान/समायोजन किया गया है।

5.95 सामाजिक दायित्व : नवीन कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों अनुसार वन क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों एवं समीपस्थ ग्रामीणों के लिये शुद्ध लाभ की 2 प्रतिशत राशि निगमित सामाजिक दायित्व के अन्तर्गत मछलीपालन एवं प्रशिक्षण स्वास्थ्य शिविर आदि कार्यो पर व्यय की जा रही है । सामुदायिक भवन निर्माण, नलकूप खनन, तालाब निर्माण/ गहरीकरणकार्यो पर वर्ष 2014-15 में राशि रू. 138.14 लाख वर्ष 2015-16 में राशि रू. 183.56 लाख व्यय की गई है तथा वर्ष 2016-17 में राशि रू. 50.75 लाख व्यय की गई है तथा वर्ष 2017-18 में राशि रूपये 156.90 लाख के कार्य स्वीकृत किये जा रहे हैं ।

निगम को निगमित सामाजिक दायित्व की गतिविधियों के अन्तर्गत वानिकी कार्यों हेतु ग्रीनटेक फाउण्डेशन के द्वारा चतुर्थ वार्षिक ग्रीनटेक सी.एस.आर पुरूस्कार 2014 में स्वर्ण श्रेणी का प्रदाय किया गया है ।

5.96 संयुक्त वन प्रबंधन के अन्तर्गत समितियों को लाभांश वितरण : वन विभाग द्वारा हस्तातंरित निगम के क्षेत्र में संयुक्त वन प्रबंधन के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में 98 समितियों को राशि रू. 504.06 लाख एवं वर्ष 2012-13 में 72 समितियों को राशि रू. 537.07 लाख लाभाशं की राशि वितरित की जा चुकी है । वर्ष 2013-14 में 87 समितियों के लिए राशि 371.79 लाख वितरित की जा चुकी है। वर्ष 2014-15 के लाभांश की राशि रू. 541.34 लाख प्राप्त वितरण हेतु विमुक्त की जा चुकी है । वर्ष 2015-16 में लाभांश वितरण हेतु आवश्यक राशि की मांग संयुक्त वन प्रबंधन/वनविकास अधिकरण द्वारा चाहे अनुसार परियोजना मण्डलवार गणना पत्रक प्रेषित किया गया है। उनके द्वारा पुष्टि उपरांत लाभांश का वितरण संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को किया जावेगा। राशि प्राप्त होने पर लाभांश वितरण किया जावेगा । निगम द्वारा काष्ठ बॉस उत्पादन (विक्रय एवं प्राप्त राजस्व का विवरण **तालिका 5.28** में दर्शाया गया है ।)

तालिका 5.28
काष्ठ बॉस उत्पादन (विक्रय एवं प्राप्त राजस्व)

वित्तीय वर्ष	इमारती लकड़ी (घनमीटर)	जलाउ चटटे (नग)	बॉस (नो.टन)	प्राप्त राजस्व (करोड़ रू. में)
2012-13	125745	151911	5122	213.24
2013-14	112867	124761	6994	211.77
2014-15	91762	94042	4874	195.48
2015-16	103651	98681	3429	238.94
2016-17	105193	95937	3139	225.80

नोट : बल्लियों के लिए 100 बल्ली =1 घनमीटर, व्यापारिक बांस के लिए 500 बांस = 1 नो. टन माना गया ।
भौतिक आंकडे विक्रय के है ।

संयुक्त वन प्रबंधन:

5.97 दीनदयाल वनांचल सेवा:- संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत मध्यप्रदेश में 94 हजार 689 वर्ग किलोमीटर वन है और वनक्षेत्र से 5 किमी दूरी तक के वनों में 15 हजार 228 वन समितियाँ कार्यरत हैं।

- दीनदयाल वनांचल सेवा का शुभारंभ 20 अक्टूबर 2016 को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान के कर-कमलों द्वारा किया गया है।

- दीनदयाल वनांचल सेवा वन सुरक्षा एवं विकास के साथ सुदूर वनांचलों में पदस्थ वन अधिकारियों/कर्मचारियों के सहयोग से वनवासियों के कल्याण एवं सेवा का एक अभिनव प्रयास है।

- स्वस्थ जन स्वथ्य वन की अवधारणा पर आधारित है। इस योजना के तहत सुदूर वनांचलों में पदस्थ वनकर्मियों द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग में प्रचलित विभिन्न कार्यक्रमों एवं वनवासियों तक विभागीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सहयोग किया जाना लक्षित है।

- अन्तर्विभागीय समन्वय का एक अभूतपूर्व उदाहरण है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक विशेष वनरक्षक स्वास्थ्य प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया गया है, जिसका विमोचन मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया था। स्वास्थ्य विभाग द्वारा वनरक्षकों के स्वास्थ्य उन्मुखीकरण प्रशिक्षण के लिये प्रदेश स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स (आशा कार्यकर्ता) को प्रशिक्षित कर विभिन्न वनमंडलों के साथ

संलग्न किया गया है। इस योजना के तहत विभिन्न वृत्तों में एवं राष्ट्रीय उद्यानों में अन्तर्विभागीय बैठकों एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से अभी तक वनकर्मियों के कुल 286 प्रशिक्षण किये गये हैं, जिसमें 9234 वनकर्मी प्रशिक्षित हुये हैं।

- सुदूर वनांचलों में एवं वनग्रामों में आज दिनांक तक 502 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन हुआ है जिसमें कुल 61184 ग्रामीण लाभान्वित हुये हैं जिसमें अधिकांश ग्रामीण (विशेषकर महिलाएं) समाज के कमजोर एवं गरीब तबके के हैं। इन शिविरोंके माध्यम से मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कम करने एवं जटिल बीमारियों से ग्रसित मरीजों को निकिटतम अस्पताल पहुंचाने, गर्मवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराने, महामारी जैसे गंभीर रोगों की सूचना देने, टीकाकरण, मलेरिया उन्मूलन, किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य सुधार एवं कुपोषण दूर करने के प्रयास किये जा रहे हैं। वन ग्रामों में जिंक/ओ.आर.एस डिब्बे बनाने में सहयोग प्रदान करना, वनरक्षकों द्वारा दस्तक अभियान, भ्रमण दल को पांच वर्ष तक के बच्चों के घर में ओ.आर.एस. पैकेट पहुंचाने एवं दस्त रोग से बचाव संबंधी परामर्श प्रदान करने में सहयोग, दीनदयाल वनांचल योजना के साथ समन्वित गतिविधियाँ सम्पन्न करना।

- वनांचलों में स्कूल शिक्षा एवं आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित शालाओं में इस वर्षा ऋतु में पौधा रोपण करने हेतु यथासंभव पौधों की उपलब्धता की गई है एवं स्कूली बच्चों को पौधों की देखभाल करने की प्रेरणा भी दी जा रही है।

- दीनदयाल वनांचल सेवा का प्रचार-प्रसार प्रदेश में विभिन्न प्रदर्शनियों, यथा वन मेला 2016 चित्रकूट ग्रामीण मेला, राज्य एवं जिला स्तरीय कार्यक्रमों में प्रदर्शनी लगाकर किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कार्यक्रमों एवं आयोजनों के माध्यम से न केवल अन्तर विभागीय तालमेल बढ रहा है, वरन विभिन्न विभागों की योजनाओं को दूरगम वनांचलों के रहवासियों तक लाभ पहुचाने के सतत प्रयास किये जा रहे हैं।

- योजना अंतर्गत वन विभाग के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग ने विभिन्न योजनाओं का सम्पादन किया गया जिसमें प्राप्त उपलब्धियाँ निम्नानुसार है-

1. इंदौर वृत्त के चोरल परिक्षेत्र में दिनांक 10-12-2016 को 17 आंगनबाडियों के क्षेत्र में 80 बच्चों को गोद लिया गया व उपयुक्त पोषण हेतु ग्रोविट पाउडर एवं मालिश हेतु तेल वितरण किया गया तथा नियमित रूप से बच्चों को पोषण आहार लेने हेतु

माताओं को प्रेरित किया गया, जिसके उपरांत 10.01.17 को पुन: वजन करने पर बच्चों के वजन में 100 ग्राम से लेकर 400 ग्राम की वृद्धि देखी गई एवं एक बच्चा अधिकतम वजन से सामान्य वजन की श्रेणी में आ गया।

2. जबलपुर व बैतूल वृत्त के अंतर्गत 6 वनमंडलों में पॉयलट प्रोजेक्ट के रूप में कुल 78 शिविरों का आयोजन किया जिसमें 22293 महिलाएं लाभंवित हुई इनमें 614 वनग्रामों से 1898 महिलाएं उपस्थित हुई। 18857 गर्भवती महिलाओं का परीक्षण किया गया। 4088 हाईरिस्क प्रकरण प्राप्त हुए जिन्हें अस्पताल रेफरल किया गया तथा 1622 एनीमिया के प्रकरण दर्ज किये गये।

ईकोटूरिज्म:-

5.98 अनुभूति कार्यक्रम:- मध्यप्रदेश वन विभाग की यह अवधारणा है कि जन सामान्य में वन, वन्यप्राणी एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता विकसित की जाये। जागरूक समाज ही प्रकृति एवं जैव विविधता संरक्षण के मार्ग को प्रशस्त कर सकता है। स्कूली विद्यार्थियों की इस संकल्प की पूर्ति में अहम भूमिका है। यदि स्कूली विद्यार्थी पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी व्यवहार रखते हैं तो समाज में प्रकृति संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता स्वत: ही विकसित हो सकती है। इस प्रदेशव्यापी कार्यक्रम के तहत गत वर्ष 1938 विद्यालयों के 53,935 विद्यार्थियों के वन भ्रमण कराया व प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया गया। इस वर्ष भी माह दिसम्बर/जनवरी में प्रदेश के कुल 450 परिक्षेत्रों में आयोजित कर 1,00,000 स्कूली विद्यार्थियों को प्रकृति का अनुभव दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

6

उद्योग

विनिर्माण

कृषि प्रधान वर्षा आधारित अर्थ व्यवस्था को विकास के उच्च स्तर पर ले जाने के लिये औद्योगिकीकरण आवश्यक है । इससे अर्थव्यवस्था का विविधीकरण होता है तथा वर्षा पर निर्भरता कम होती है । कृषि उत्पादों के मूल्य वर्धन की सुविधा उपलब्ध होती है तथा कृषि उत्पादन के लिये आदान प्राप्त होते हैं साथ ही कृषि पर रोजगार के लिये निर्भरता कम होती है ।

6.1 स्थिर भावों पर राज्य के सकल मुल्यवर्धन में द्वितियक क्षेत्र (उद्योग) का योगदान वर्ष 2011-12 के 27.09 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर वर्ष 2015-16 में 25.22 प्रतिशत तथा वर्ष 2016-17 के त्वरित अनुमानों के अनुसार 23.87 प्रतिशत आंका गया है । विनिर्माण-क्षेत्र में गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 (त्वरित) के दौरान 7.38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई ।

6.2 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना : वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर, 2017 तक 151114 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हुई जो वर्ष 2016-17 में स्थापित उद्योगों 87071 से 73.55 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। वर्ष 2013-14 से 2017-18 (दिसम्बर) 2017 तक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित हुये जिसका विवरण **चित्र 6.1** में दर्शाया गया है

चित्र 6.1
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना

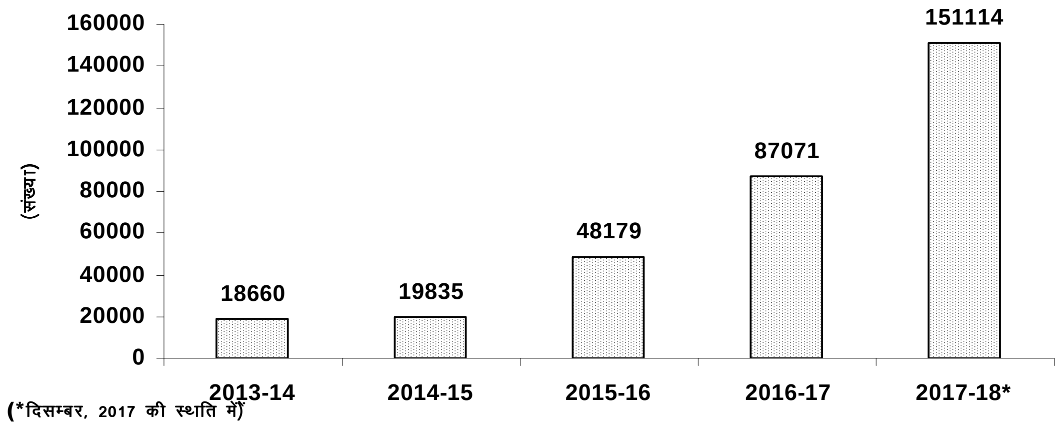

6.3 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों मे पूंजी निवेश : वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर, 2017 तक 10243 करोड रूपये का पूंजी निवेश सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों में किया गया जो वर्ष 2016-17 में निवेशित 9547 से 7.29 प्रतिशत अधिक है । वर्ष 2013-14 से 2017-18 दिसम्बर 2016 तक किये गए पूंजी निवेश का विवरण **चित्र 6.2** में दर्शाया गया है ।

चित्र 6.2
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में पूंजी निवेश करोड रूपये

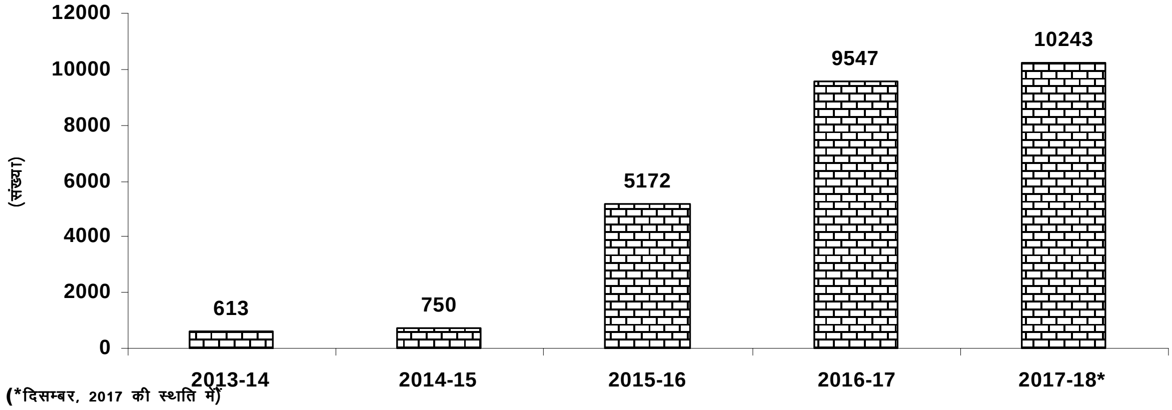

6.4 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में निर्मित रोजगार : वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर 2017 तक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में 448712 रोजगार निर्मित किये गये जो कि वर्ष 2016-17 में निर्मित रोजगार 363812 से 37 प्रतिशत अधिक है । वर्ष 2012-13 से 2016-17 दिसम्बर 2016 तक रोजगार निर्मित किये गये हैं जिसका विवरण **चित्र 6.3** में दर्शाया गया है ।

चित्र 6.3

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में निर्मित रोजगार

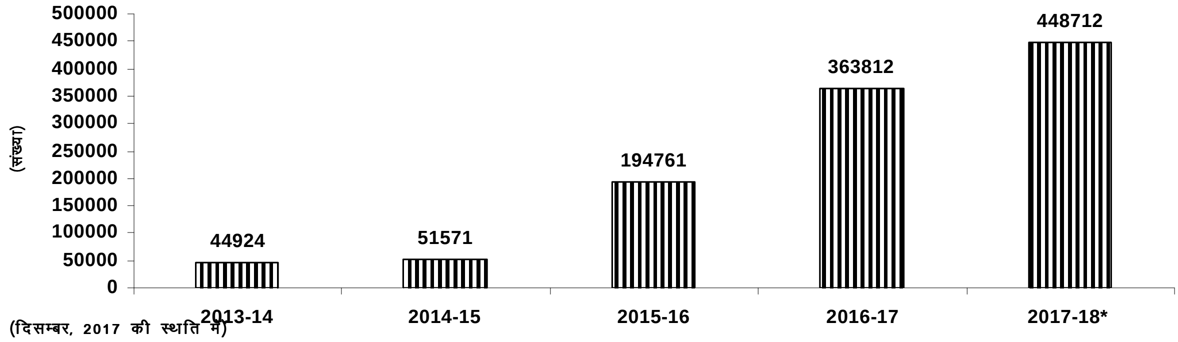

6.5 वित्तीय सहायता : उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । विगत वित्तीय वर्ष 2016-17 में रुपये 158.07 करोड की वित्त्तीय सहायता प्रदान कर 1861 सूक्ष्म लघु एंव मध्यम विनिर्माण इकाइयों को लाभांवित किया गया जबकि चालू वित्त्तीय वर्ष 2017-18 में दिसंबर 2017 अंत तक रुपये 149.74 करोड की वित्त्तीय सहायता प्रदान कर 1358 सूक्ष्म लघु एंव मध्यम विनिर्माण इकाइयों को लाभांवित किया गया है।

अधोसंरचना विकास

6.6 एम.एस.ई-सी.डी.पी. योजनान्तर्गत अधोसंरचना विकास हेतु सैदधांतिक स्वीकृति प्राप्त परियोजनाएं :-

- **औधौगिक क्षेत्र अप्रैरल क्लस्टर ग्राम बिजैपुर जिला इन्दौर:-** इन्दौर जिले में औधोगिक क्षेत्र ग्राम बिजैपुर में अप्रैरल क्लस्टर के विकास हेतु औधोगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 14.08.2015 को सैदधांतिक स्वीकृति प्रदान की गई । परियोजना लागत राशि रू. 1489.00 लाख भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें केन्द्रांश राशि रू. 600.00 लाख

राज्यांश राशि रू 889.00 लाख है परियोजना भारत सरकार द्वारा राशि रू. 511.46 लाख औधौगिक केन्द्र विकास निगम, इंदौर को प्राप्त हुई। परियोजना में माह जून 2017 तक कार्य पूर्ण हो चुका है जिस पर राशि रू. 1712.00 लाख का व्यय किया गया है।

- **औधौगिक क्षेत्र रेडीमेड गारमेंट पार्क गदईपुरा जिला ग्वालियर:-** ग्वालियर जिले में रेडीमेंड गारमेंट पार्क गदईपुरा में क्लस्टर के विकास हेतु औधोगिक अधोसंरचना विकास निगम,ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 14.08.2015 को सैदधांतिक स्वीकृति की गई है । परियोजना लागत राशि रू. 1693.87 लाख भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें केन्द्रांश राशि रू. 456.00 लाख आई.आई.डी.सी. ग्वालियर का अंश राशि रू. 1237.87 लाख है । परियोजना पर दिसंबर 2017 तक रुपये 1773.56 लाख का व्यय किया गया है।

- **औधौगिक क्षेत्र फूड क्लस्टर बडौदी जिला शिवपुरी :-** शिवपुरी जिले में फूड क्लस्टर के विकास हेतु औदयोगिक अधोसंरचना विकास निगम, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 14.08.2015 को सैद्धातिंक स्वीकृति प्रदान की गई । परियोजना लागत राशि रू. 1136.23 लाख भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई जिसमें केन्द्रांश राशि रू. 487.00 लाख राज्यांश राशि रू. 649.23 लाख है । परियोजना में भारत सरकार द्वारा राशि रू. 136.34 लाख प्राप्त हुई । राज्यांश की राशि रू. 510.00 लाख जारी की जा चुकी है।

- **ग्राम करमदी जिला रतलाम में नमकीन एण्ड एलाईड क्लस्टर का विकास:-** रतलाम जिले में ग्राम करमदी में नमकीन एण्ड एलाईड क्लस्टर के विकास हेतु औधोगिक केन्द्र विकास निगम, उज्जैन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 14.08.2015 को सैद्धातिंक स्वीकृति प्रदान की गई परियोजना लागत राशि रू 2274.00 लाख भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें केन्द्राशं राशि रू. 600.00 लाख राज्यांश राशिरू. 400.00 लाख एवं अन्य 1274.00 लाख है । परियोजना में भारत सरकारद्वारा कोई राशि प्राप्त नही हुई है । राज्यांश की राशि रू. 100.00 लाख जारी की है। वर्ष 2017 तक राशि रू. 934.00 लाख व्यय हुआ है। कार्य प्रगति पर है।

6.7 ऑटो टेस्टिंग ट्रेक : आटो टेस्टिंग ट्रेक की परियोजना विकसित करने का निश्चय भारत सरकार के वृहद उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय (वृहद् उद्योग विभाग) द्वारा किया गया है । इसके लिए नेशनल आटोमोटिव्हस टेस्टिंग एवं आर.एन.डी. इन्फ्रारट्रक्चर प्रोजेक्ट (नेट्रिप) की क्रियान्वयन संस्था NATRIP implementation society (NATIS) का गठन भारत

सरकार, वृहद उदयोग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, वृहद उदयोग विभाग के पत्र क्रमांक 7/9/2005 एइआई-11 दिनांक 30.08.2005 से हुआ ।

उक्त परियोजना हेतु भूमि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध करायी गई है। इस हेतु भू-अर्जन मुआवजा राशि रूपये 121.65 करोड़ एवं विशेष अनुग्रह राशि रूपये 61.18 करोड़ एवं न्यायालयीन प्रकरणों में राशि रुपये 1714.89 करोड़ कुल राशि रू. 2046.71 करोड़ कलेक्टर, धार को भू स्वामियों को प्रदान करने हेतु उपलब्ध करायी गई है । उक्त परियोजना हेतु 1405.432 हेक्टेयर निजी भूमि एवं 270.979 हेक्टेयर शासकीय भूमि का आधिपत्य क्रियान्वयन संस्था नेट्रिप को प्रदान किया गया हैं ।

6.8 औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना का विकास : प्रदेश में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों/संस्थानों में अधोसंरचना विकसित करने हेतु राशि उपलब्ध कराई गई है । वित्तीय वर्ष 2017-18 में 36 विकास कार्यो हेतु प्लान/नॉनप्लान मद से राशि रू. 4921.63 लाख की वित्तीय स्वीकृति विभिन्न क्रियान्वयन संस्थाओं के पक्ष में माह दिसम्बर 2017 तक की स्थिति में प्रसारित की गई है ।

हाथकरघा उद्योग

6.9 हाथकरघा उद्योग परम्परागत एवं कलात्मक वस्त्रों के उत्पादन के साथ-साथ प्रदेश के बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराता है । वर्ष 2016-17 में राज्य के लगभग 34704 स्थापित हाथकरघों में से लगभग 19328 हाथकरघे कार्यशील रहे है । कार्यशील करघों पर राशि रुपये 11070 लाख का वस्त्र उत्पादन कर लगभग 45000 बुनकर/कारीगरों को रोजगार समर्थन उपलब्ध कराया गया है । वर्ष 2017-18 में माह दिसंबर, 2017 तक कुल 35222 स्थापित हाथकरघों में से लगभग 20004 हाथकरघे कार्यशील रहे है । कार्यशील करघों पर लगभग राशि रुचये 5208 लाख वस्त्रों का उत्पादन कर 45000 बुनकरों/कारीगरों को रोजगार समर्थन दिया जा रहा है।

6.10 मुख्यमंत्री स्व-रोजगार / आर्थिक कल्याण योजना : प्रदेश में वर्ष 2016-17 में मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना एंव आर्थिक कल्याण योजना में लगभग 3623 शिल्पियों को रोजगार समर्थन उपलब्ध कराया गया एंव वर्ष 2017-18 में माह दिसंबर तक 3548 को रोजगार स्थापित करने हेतु सहायता स्वीकृत की गई है ।

वर्ष 2017-18 में एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम / उदयमी/ स्व-सहायता समूह/ अशासकीय संस्थाओं को सहयोग / युवा बुनकरों को संस्थागत प्रशिक्षण / प्रमोशन अभिलेखीकरण / कबीर बुनकर प्रोत्साहन योजना / हाथकरघा बुनकरों को वित्तीय पैकेज / वेलफेयर पैकेज / हाथकरघा उदयोग विकास योजना एवं मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना के अतंर्गत कुल वार्षिक लक्ष्य राशि रुपये 3616.12 लाख के विरूद्ध माह दिसंबर 2017 तक कुल राशि रुपये 2362.701 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई जिसके अतंर्गत कुल 4796 हितग्राही/बुनकर/क्लस्टर लाभाविंत हुए ।

संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास

6.11 मध्यप्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना म.प्र. लघु उद्योग निगम की सहायक कंपनी के रूप में वर्ष 1981 में हुई थी वर्तमान में निगम की अधिकृत पूंजी 2.00 करोड़ रूपये व प्रदत्त पूंजी 126.16 लाख रूपये है । वर्ष 1999 से राज्य शासन द्वारा निगम को हाथकरघा संबंधी कार्य सौपने के फलस्वरूप अब निगम का नाम **"मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम"** हो गया है । शासन के निर्देश के पालन में वर्ष 2013 से निगम का नाम **"संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम"** हो गया है। निगम के दायित्व में परम्परागत शिल्पियों व बुनकरों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करना तथा प्रशिक्षित शिल्पियों व बुनकरों को अनुदान पर उन्नत औजार उपलब्ध कराना शामिल है। इसके साथ साथ निगम द्वारा शिल्पियों को बाजार की मांग से अवगत कराने के लिये रुपांकन व तकनीकि कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है जिससे युवा वर्ग का रुझान बढे।

वर्ष 2013-14 तक संचालित अनेक योजनाओं को निम्नलिखित योजनाओं में समाहित कर दिया गया है -

6.11.1 एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम 6778 योजना का आच्छादन

कुटीर एवं ग्रामोदयोग विभाग के अंतर्गत क्लस्टरों को विशिष्ट बनाना, वर्तमान क्लस्टरों को सुदृढ करना तथा नवीन क्लस्टरों को विकसित करना, क्लस्टरों में वित्तिय सार्मथ्य को बढानें हेतु डायग्नोस्टिक प्रति स्टडी हेतु रूपये 0.50 लाख की वित्तीय सहायता का प्रावधान है । नवीन एवं आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन एवं विकास, अन्य आवश्यक इनपुट,डिजाईन, बाजार लिंकेज, सलाहकारों की सेवाये हेतु प्रति परियोजना रूपये 1.50 लाख वित्तीय सहायता का प्रावधान है । कमियों को चिन्हित करने हेतु अध्ययन, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, क्लस्टर में लघु एवं मध्यम उदयमियों अशासकीय संस्थाओं को समर्थन देने हेतु सेमीनार वर्कशाप, अध्ययन भ्रमण आदि हेतु प्रति परियोजना रूपये 1.50 लाख वित्तीय

सहायता का प्रावधान है । क्लस्टर अंतर्गत बुनियादी आवश्यकता सडक, नाली, पेयजल, विदयुत प्रदाय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधायें, अधोसंरचना, प्री-लूम, पोस्ट लूम सुविधाओं की स्थापना करना ।

शासकीय विभाग, शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थायें, स्थानीय निकाय, निगम, बोर्ड, क्लस्टर क्लब एवं राज्य स्तरीय क्लस्टर डेवलपमेंट सेल क्रियान्वयन ऐजेंसी है । इस योजना में सौर उर्जा की व्यवस्था भी की जा रही है ।

6.11.2 ग्रामोदयोगों के ``प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण`` योजना हेतु नियम 2004 (संशोधित 2011)

प्रदेश के कुटीर एवं ग्रामोदयोग से संबंधित उत्पादों की लोकप्रियता बढाने तथा विकास कार्यों का अभिलेखीकरण जिसमें डिजाईन डिक्शनरी प्रकाशन, बोशर, प्रिटिंग, परियोजना प्रतिवेदन, इलेक्ट्रानिक मीडिया का उपयोग तथा बेस्ट प्रेक्टिसेस आदि के अभिलेखीकरण हेतु सहायता दी जावेगी । निगम, अशासकीय संस्थाये, शासकीय संस्थायें, हाथकरघा क्लस्टर क्लब एवं राज्य स्तरीय क्लस्टर डेवलपमेंट सेल आदि क्रियान्वयन ऐजेंसी है । यह योजना प्रोजेक्ट आधारित है ।

6.11.3 स्पेशल प्रोजेक्ट योजना हेतु अनुदान क्र. 6795

हाथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम एवं खादी क्षेत्र के विशेष उदेश्यों की पूर्ति के लिए राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप अंतगर्त निजी इकाईयों, कम्पनियों एवं व्यक्तिगत उदयमियो द्वारा परियोजना का क्रियान्वयन।

राज्य राष्ट्रीय/राष्ट्रीय निगम, मण्डल, शासकीय संस्थायें एवं अंर्तराष्ट्रीय अशासकीय संस्थायें, निजी इकाईयां/कम्पनी/व्यक्तिगत उदयमी क्रियान्वयन एजेंसी हैं ।

यह सहायता प्रोजेक्ट आधारित है । प्रोजेक्ट सहायता, हाथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम एवं खादी से संबंधित विभिन्न मदों जैसे विपणन, स्वास्थ्य, रंगाई, डायवर्सिफिकेशन आफ प्रोडक्ट इत्यादि पर आधारित होगी । प्रोजेक्ट राशि का अधिकतम 70% राशि राज्य शासन द्वारा तथा कम से कम 30% राशि क्रियान्वयन संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। यह सहायता सक्षम वित्तिय समितियों (SFC) के विवेकाधीन होंगी । प्रस्ताव हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम में प्रस्तुत किए जा सकते हैं । स्वीकृति आवंटित बजट की सीमा में दी जायेगी ।

6.11.4 उद्यमियों/स्व-सहायता समूहों/अशासकीय संस्थाओं को सहयोग के लिये योजना क्र. 6792

हाथकरघा, हस्तशिल्प,रेशम तथा खादी से संबंधित इकाईयों में संबंध व्यक्तियों उद्यमियों, स्व-सहायता समूहों एवं अशासकीय संस्थाऐ इत्यादि को नवीन एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, डिजाईन विकास, उत्पाद परिवर्तन, विपणन एवं निर्यात से जुडी हुई गतिविधियों के उत्थान के लिए सहायता ।

सहकारी समितियां, इकाईयों, उद्यमी अथवा स्व-सहायता समूह, अशासकीय संगठन क्रियान्वयन एजेन्सी है। केवल वे ही संस्थाएं योजना में सहायता के पात्र होगे जिनका कार्यक्षेत्र में मध्यप्रदेश शामिल हो उनके उद्देश्य में ग्रामोद्योग सेक्टर में हाथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम एवं खादी उद्‍योग से संबंधित गतिविधियों को बढावा देने का उल्लेख हो ।

इस योजना में 6 माह के नवीन प्रशिक्षण के लिए 10 हितग्राहियों हेतु रूपये 0.78 लाख, 3 माह के उन्नत प्रशिक्षण के लिए रूपये 0.60 लाख, विशेषज्ञों की सेवा के लिए अधिकतम रूपये 1.00 लाख 2 प्रदर्शनियों के लिए रूपये 1.00 लाख का प्रावधान है । मेला प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए भी अधिकतम रूपये 1.50 लाख का अनुदान उपलब्ध है । प्रदेश के बाहर के मेलों में भागीदारी के लिए अधिकतम रूपये 30,000/- का प्रावधान भी है। निर्यात प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए भी वास्तविक खर्च का 75 प्रतिशत या रूपये 2.00 लाख, जो भी कम हो मिल सकता है । अधोसंरचना के लिए स्वयं की जमीन होने पर नई कर्मशाला निर्माण के लिए रूपये 5.00 लाख व पुराने भवन के मरम्मत के लिए रूपये 2.00 लाख का अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है। स्वीकृत राशि का 75 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा व शेष 25 प्रतिशत संबंधित इकाई को अशंदान देना होगा । उन्नत उपकरण क्रय के लिए औजार की कीमत के अनुसार, अधिकतम 12.000/- की सीमा में अनुदान स्वीकृत किया जाता है । कुल स्वीकृति का सामान्य वर्ग के लिए 50 प्रतिशत अनुदान है व अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 75 प्रतिशत अनुदान है । शेष अंश संबंधित शिल्पी/संस्था को मिलाना होगा ।

उद्यमी/स्व-सहायता समूह/अशासकीय संस्थाऐं अपने प्रस्ताव हस्तशिल्प एवं हाथकरधा विकास निगम की शाखाओं को प्रस्तुत कर सकते है । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा छानबीन की प्रक्रिया के बाद अनुदान स्वीकृत किया जाता है । कुल स्वीकृति बजट पर निर्भर करेगी ।

6.11.5 अनुसंधान एवं विकास योजना क्र. 6897

शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थाएं, सहाकारी समितियां इकाई एवं स्व-सहायता समूह, क्लस्टर क्लब एव क्लस्टर डेवलपमेट सेल क्रियान्वयन एजेन्सी है ।

हाथकरधा, हस्तशिल्प, रेशम एवं खादी से संबंधित इकाईयों को क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्य संपादित करने हेतु अध्ययन एवं मूल्यांकंन (इम्पेक्ट एसेसमेंट) हेतु नीतियों के क्रियान्वयन का व्यावसायिक तथा विशेषज्ञ संस्थाओं से अध्ययन/ विश्लेषण कार्य कराये जाने हेतु सहायता दी जा सकती है ।

6.11.6 सूचना प्रौद्योगिकी योजना : इस योजना में निगम द्वारा स्वयं के विकास केन्द्रों, हाथकरघा संचालनालय के जिला कार्यालयों के अतिरिक्त शिल्पियों / स्व-सहायता समूहो /बुनकर सहकारी समितियों के लिए कम्प्यूटर की व्यवस्था की जा रही है। शिल्पी/ स्व-सहायता / बुनकर सहकारी समितियों को कम्प्यूटर 33 प्रतिशत अनुदान पर दिये जा रहे है । अनुसूचित जाति व जनजाति के हितग्राहियों के लिए अनुदान 50 प्रतिशत है ।

6.11.7 शिल्पी कल्याण योजना : इस योजना में निगम द्वारा शिल्पियों के लिए स्वास्थ्य केम्प का आयोजन, अनुदान पर स्वास्थ्य बीमा, महिला शिल्पियों/ शिल्प-बुनकर परिवार की बेटियों के लिए नि:शुल्क प्रोफेशनल स्टडीज की व्यवस्था की जा रही है।

6.12 विपणन सहायता : शिल्पियों व बुनकरों के लिये सबसे प्रमुख समस्या विपणन की होती है । शिल्पियों के उत्पाद बिक्री हेतु निगम द्वारा उन्हें विपणन सहायता उपलब्ध कराई जाती है । विपणन सहायता देने के लिये निगम द्वारा 23 एम्पोरियम संचालित किये जा रहे है, जिनमें से 10 प्रदेश के बाहर स्थित है । इन एम्पोरियमों द्वारा डायरेक्ट मार्केट लिंकेज के लिए देश भर में प्रतिवर्ष प्रदर्शनियां लगाकर शिल्पों की बिक्री की जाती है । निगम ने वर्ष 2016-17 में एम्पोरियमों के माध्यम से 11.42 करोड़ रूपये के शिल्प व हाथकरघा वस्त्रों की बिक्री की गई है । वर्ष 2017-18 में दिसंबर 2017 तक में एम्पोरियमों द्वारा 758.47 लाख (28 दिसंबर) रूपये के शिल्प व हाथकरघा वस्त्रों की बिक्री की जा चुकी है । निगम द्वारा सीधे मार्केट लिंकेज के लिये देश भर में प्रदर्शनियां लगाई जाती है । वर्ष 2016-17 में इन प्रदर्शनियों में शिल्पियों व बुनकरों द्वारा लगभग राशि रुपये 10.87 करोड की बिक्री की गई। वर्ष 2017-18 में दिसंबर 2017 तक 42 प्रदर्शनियों में राशि रुपये 589.27 लाख की बिक्री की गई। वर्ष 2017-18 में दिसंबर 2017 तक 42 प्रदर्शनियां आयोजित की गई जिसमें राशि रुपये 589.27 लाख का विक्रय किया गया एंव एम्पोरियमों से रु. 758.49 लाख का विक्रय किया गया । कुल विक्रय दिसंबर 2017 तक रुपये 1347.74 लाख का किया गया (28 दिसंबर तक)।

6.13 शासकीय प्रदाय : भण्डार क्रय नियमों की कण्डिका 14 अ के अंतर्गत यह निगम आयुक्त, हाथकरघा एवं हस्तशिल्प का प्रदायकर्ता अभिकरण है । निगम द्वारा हाथकरघा क्लस्टर्स में भारत शासन की योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय हाथकरघा विकास निगम के यार्न डिपों संचालित किये जा रहे है । आयुक्त, हाथकरघा एवं हस्तशिल्प से प्राप्त आदेश व उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार निगम, बुनकर समितियों/संस्थाओं को यार्न बिक्री करता है । वर्ष 2016-17 में 54.80 लाख रूपये के वस्त्र शासकीय विभागों को प्रदाय किये गये एवं वर्ष 2016-17 में एंव वर्ष 2017-18 में दिसंबर 2017 तक 118.02 लाख प्रदाय किया।

शिल्पियों की सहायता के लिये निगम द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रमों/ सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिये प्रदेश के विभिन्न अंचलों में 29 विकास सह संग्रहण केन्द्र/सामान्य सुविधा केन्द्र/विपणन सह विस्तार केन्द्र स्थापित किये गये हैं । यह विकास केन्द्र 39 क्लस्टर्स में योजना का लाभ उपलब्ध करवाते है । विपणन के लिए निगम द्वारा 23 एम्पोरियम संचालित किये जा रहे है जिनमे से 10 प्रदेश के बाहर (मुम्बई, बंगलुरु, चेन्नई, पुणे, कालीकट गोवा, अहमदाबाद, नोएडा, कोलकत्ता व जयपुर) में है । शिल्पियों को सीधे ग्राहको के संपर्क में लाकर विपणन सहायता देने के लिये मेला परिसर, ग्वालियर व गौहर महल, भोपाल लाल बाग पैलेस इन्दौर में शहरी हाट संचालित है । शहरी हाट में शिल्पियों को रोटेशन से अपना माल सीधे ग्राहको को बिक्री करने का अवसर दिया जाता हैं ।

वर्ष 2016-17 एंव 2017-18 के लिये योजनाओं के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय लक्ष्य 1906.79 तथा भौतिक लक्ष्य 14081 निर्धारित है जिसमें वित्तीय उपलब्धि 1414.645 तथा भौतिक उपलब्धि 12190 परिलक्षित हुई।

रेशम उद्योग

6.14 कृषि वानिकी पर आधारित रेशम उद्योग का मुख्य उद्देश्य ग्राम में ही ग्रामीणों को रोजगार के लाभदायक साधन उपलब्ध कराना है ताकि वे अपना जीविकोपार्जन सुचारू रूप से चला सकें । रेशम उद्योग की योजनाएँ मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिये क्रियान्वित की जा रही है । इस उद्योग को महिलायें रोजगार के रूप में व्यापक रूप से अपनाती हैं, इसलिये इस उद्योग में उनकी भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं । वर्तमान में लगभग 44 जिलों में रेशम उद्योग की गतिविधियाँ संचालित हैं ।

वर्ष 2016-17 में 17.00 लाख किलो मलबरी कोया तथा 1000.00 लाख नग टसर कोया का उत्पादन तथा 48992 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था,

जिसके विरूद्ध मार्च, 2017 तक 7.019 लाख किलो मलबरी कोया एवं 288.83 लाख नग टसर कोया का उत्पादन हुआ । इस अवधि में रेशम गतिविधियों के माध्यम से 24248 हितग्राही लाभान्वित हुये है । इसके अतिरिक्त 2016-17 में 1124 हेक्टर क्षेत्र में मलवरी पौधरोपण का लक्ष्य जिसमें 1096 हेक्टेयर निजी क्षेत्र एवं स्वावलंबन केन्द्रों पर 28 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्ध माह मार्च 2017 तक 426 हेक्टेयर निजी क्षेत्र एवं स्वावलंबन केन्द्रों पर 11 हेक्टेयर क्षेत्र में मलबरी पौधरोपण किया जा चुका है ।

वर्ष 2017-18 में 20.00 लाख किलो मलबरी कोया तथा 2000.00 लाख नग टसर कोया का उत्पादन तथा 41733 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्ध सितंबर, 2017 तक लगभग 1.726 लाख किलो मलबरी कोया एवं 15.909 लाख नग टसर कोया का उत्पादन हुआ । इस अवधि में रेशम गतिविधियों के माध्यम से 4351 हितग्राही लाभान्वित हुये है । इसके अतिरिक्त वर्ष 2017-18 में 531 हेक्टेयर क्षेत्र में मलवरी पौधरोपण का लक्ष्य जिसमें 499 हेक्टेयर निजी क्षेत्र एवं स्वावलंबन केन्दों पर 32 हेक्टेयर क्षेत्र में मलबरी पोधरोपण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्ध माह सिंतबर, 2017 तक 238 हेक्टेयर निजी क्षेत्र एवं स्वावलंबन केन्द्रों पर 8.0 हेक्टेयर क्षेत्र में मलबरी पोधरोपण किया जा चुका है ।

रेशम संचालनालय के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 तथा वर्ष 2017-18 के लक्ष्य एंव उपलब्धि को निम्न **तालिका 6.1** में दर्शाया गया है :-

तालिका 6.1

रेशम उत्पादन

विवरण	**वर्ष 2015-16 की उपलब्धि**	**वर्ष 2016-17 की उपलब्धि**	**गत वर्ष से प्रतिशत**	**वर्ष 2017-18 की उपलब्धि (माह सिंतबर 2017 तक)**
मलबरी कोया उत्पादन (किलोग्राम में)	1702900	701900	(-) 41	172600
टसर कोया उत्पादन (लाख नग में)	603.514	288.830	(-) 47	15.909

खादी तथा ग्रामोद्योग विकास

मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में खादी तथा ग्रामोद्योग का विकास कर ग्रामीण रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध कराना है ।

6.15 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना : इस योजना के अंतर्गत 20,000 तक की आबादी वाले ग्रामों में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मान्य विभिन्न ग्रामोद्योग इकाईयों की स्थापना हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण/मार्जिन मनी उपलब्ध कराई जाती है । योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में 513 इकाईयों में 2104.02 लाख रूपये मार्जिन मनी का वितरण कर 4096 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा वर्ष 2017-18 में माह दिसंबर, 2017 तक 246 इकाईयों में 1027.78 लाख मार्जिन मनी का वितरण कर 3900 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है ।

6.16 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना : योजना का उद्देश्य विभिन्न जिलों में समाज के सभी वर्गो के लिए स्वयं का उद्योग (विनिर्माण/सेवा) अन्तर्गत स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है । योजनान्तर्गत हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ दिया जायेगा । इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत न्यूनतम 20,000 रूपए से अधिकतम रूपए 10 लाख सीमा तक होगी । योजना के अतंर्गत परियोजना लागत पर बी.पी.एल./अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोडकर)/ महिला/ अल्प संख्यक/ नि:शक्तजन हेतु 30 प्रतिशत, अधिकतम 2 लाख रूपये अनुदान राशि की पात्रता होगी ।

इसके अतिरिक्त परियोजना लागत पर 5 प्रतिशत की दर से (अधिकतम 25,000 रूपये प्रतिवर्ष) ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षो तक देय होगा । योजना के अंतर्गत गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्ष तक देय होगा । वर्ष 2016-17 में 4051 इकाईयों में 3959.39 लाख रूपये अनुदान वितरण किया गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में 4800 इकाईयों में रूपये 4040.00 लाख का अनुदान वितरण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है । माह दिसंबर, 2017 तक 2204 इकाईयों में राशि रुपये 2466.89 लाख अनुदान वितरण किया गया है।

6.17 खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादन : मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों में सूती खादी, पॉली वस्त्र, रेशमी खादी, ऊनी खादी एवं अन्य ग्रामोद्योग उत्पादन के कुल 15 उत्पादन केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। वर्ष 2016-17 में विभिन्न प्रकार की खादी एवं ग्रामोद्योग सामग्री का 550.43 लाख रूपये का उत्पादन किया गया और 423 कत्तिन बुनकरों को रोजगार

उपलब्ध कराया गया है । वर्ष 2017-18 में माह दिसंबर, 2017 तक रुपये 154.72 लाख का उत्पादन किया गया एवं 287 कत्तिन बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

पर्यटन

6.18 पर्यटन : प्रदेश में पर्यटन के विस्तार, निजी, निवेशकों को आकर्षित करने, पर्यटन नीति के क्रियान्वयन एवं प्रदेश में समग्र पर्यटन विकास एवं प्रोत्साहन के कार्य के संपादन हेतु माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन दिनांक 22 फरवरी 2017 को किया गया। बोर्ड के गठन के पूर्व में गतिविधियां जो मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अंतर्गत पर्यटन संवर्धन इकाई, पब्लिकसिटी, योजना एवं साहसिक व जल पर्यटन के अंतर्गत की जा रही थी। जो अब मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के द्वारा की जा रही है।

6.19 प्रदेश में समग्र पर्यटन हेतु नीतियों का निर्धारण:-

- **पर्यटन नीति लागू करना:-** विभाग द्वारा पर्यटन नीति वर्ष 2016 तैयार कर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2016 के अवसर पर जारी की गई है। प्रदेश की पर्यटन नीति को भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा भी सराहा गया है। मध्यप्रदेश देश का एक मात्र ऐसा राज्य है जहां पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को बढावा देने के लिये एक पृथक सेटअप मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के अंतर्गत क्रियाशील है जिसकी विशेषताएं सहज सुलभ नीति, व्यापक नीति एवं पारदर्शी नीति के अनुसार शामिल की गई है।
- **मार्ग सुविधा केन्द्र नीति लागू करना:-** मध्यप्रदेश की भौगोलिक स्थिति देश में किसी भी भाग में आवागमन हेतु केन्द्रीय स्थिति होने के कारण महत्वपूर्ण है। प्रदेश से होकर आने जाने वाले पर्यटकों को यात्रा के दौरान अच्छी एवं गुणवत्ता पूर्ण यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य मार्ग सुविधा केन्द्र नीति मई 2016 में लागू की गई। इस नीति के अंतर्गत निजी निवेश के माध्यम से योजना बनाकर पूरे प्रदेश में 300 से अधिक मार्ग सुविधाएं विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि प्रत्येक 40 से 50 किमी के बीच प्रदेश के राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्गो पर मार्ग सुविधाएं उपलब्ध हो सके । मार्ग सुविधा केन्द्रों के विकास हेतु ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड एवं फ्रेंचाइजी माडल का नीति में प्रावधान किया गया है। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसकी अपनी मार्ग सुविधा केन्द्र नीति है।
- **जल पर्यटन नीति लागू करना:-** प्रदेश में जल पर्यटन को बढावा देने की दृष्टि से विभाग द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2017 को प्रदेश के जल क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों हेतु निजी क्षेत्र को लायसेंस देने की नीति लागू की गई है इस नीति के तहत प्रदेश के अधिसूचित जल क्षेत्रों में निजी निवेशकों को मोटर बोट, हाउसबोट,

क्रूज,पैरासेलिंग,स्पीड बोर्ड, एवं बाटर स्पोटर्स की विभिन्न गतिविधियों हेतु मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा लायसेंस जारी किये गये है।

6.20 नीतियां क्रियान्वयन की उपलब्धियां:- निवेश क्षेत्रों एवं गतिविधियों का चिन्हीकरण पूरे प्रदेश में 5 पर्यटन क्षेत्रों में बांटा जाकर निवेश की संभावनाओं को चिन्हित किया गया है। क्षेत्रवार विवरण जिसमें भोपाल क्षेत्र, जबलपुर क्षेत्र, इंदौर क्षेत्र, ग्वालियर क्षेत्र एवं खजराहो क्षेत्र में बांटा गया है।

- प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु लैण्ड बैंक बनाया गया है। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के अंतर्गत कार्यरत भूमि शाखा द्वारा लगभग 144 स्थानों पर 849 हेक्टयर शासकीय भूमि पर्यटन विभाग के नाम पर हस्तांतरित कराई जाकर लैण्ड बैंक बनाया गया है। उपरोक्त के अलावा 71 स्थानों पर अतिरिक्त 432 हेक्टयर भूमि चिन्हित की गई है जिसका हस्तांतरण पर्यटन विभाग को कराया जा रहा है।
- विगत 2 वर्षो में 13 भूखण्ड निविदाएं आमत्रित कर आवंटित किये गए हैं तथा 8 निविदाएं प्रक्रियाधीन है। इन निविदाओं के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में कार्यरत सुप्रसिद्ध समूहों जैसे महेन्द्रा लींडे, ऑरेंज काउंटी, स्टेट एक्सप्रेस, जहानुमा पैलेस होटल लि. सृष्टि वेंचर्स आदि को भूमि आवंटित की गई है।
- पर्यटन विभाग के पास वर्तमान में 5 हेरिटेज परिसम्पतियां उपलब्ध हैं। गोविन्दगढ फोर्ट रीवा एवं ताजमहल पैलेस भोपाल को निविदा प्रक्रिया द्वारा निवेशकों को आवंटित किया गया जिसमें राशि रूपये 8.64 करोड की राशि प्राप्त हुई है। राजगढ पैलेस दतिया, बेनजीर पैलेस भोपाल एवं माधवगढ फोर्ट सतना बैतूल निविदा जारी की जा रही है एवं लक्ष्य है कि वर्ष 2018-19 में ये परिसम्पतियां भी निजी निवेशकों को हेरिटेज होटल स्थापना हेतु सौंप दी जाएगी।
- आगामी वर्षों में निजी निवेश के माध्यम से हेरिटेज होटलों के विकास हेतु हेरिटेज परिसम्पतियों का बैंक बनाया जा रहा है जिसमें मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति द्वारा हेरिटेज परिसम्पतियों को पर्यटन विभाग को हस्तांतरित करने के लिए चिन्हित किया गया है।
- प्रदेश में ब्राउन फील्ड मॉडल के माध्यम से 52 नये मार्ग सुविधा केन्द्र तैयार किये गए हैं जिसमें से निजी निवेशकों को 31 का आवंटन किया जा चुका है। निजी निवेशकों द्वारा 17 मार्ग सुविधा केन्द्रों का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है।
- प्रदेश में जल पर्यटन को बढावा देने के लिये पर्यटन गतिविधियों हेतु प्रदेश के लगभग 3000 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले 18 बांधों एवं जलाशयों को अधिसूचित किया गया है। इन क्षेत्रों में जल पर्यटन गतिविधियों के संचालन हेतु ऑनलाईन अभिरूचि आमत्रंण प्रक्रिया सतत जारी है। नीति जारी होने के उपरांत अब तक 76 आवेदकों को अनुमति

पत्र जारी किया गया है तथा 2 आवेदकों ने उपकरण क्रय कर लायसेंस भी प्राप्त कर लिया गया है।

- पर्यटन नीति के अंतर्गत अनुदान आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया का सुस्पष्ट निर्धारण कर 45 दिवस में अनुदान स्वीकृत करने की नीति लागू की गई है। इस नीति के फलस्वरूप प्रदेश में वर्ष 2016-17 से अनुदान का आवंटन प्राप्त हुआ एवं अब तक 30 पर्यटन परियोजनाओं को राशि रूपये 42.68 करोड का अनुदान वितरित किया गया है। अनुदान प्रोत्साहन के फलस्वरूप प्रदेश में राशि रूपये 624.59 की लागत से 2061 नवीन कक्षों का निर्माण हुआ है एवं 6250 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है।
- प्रदेश की पर्यटन नीति, निवेश संभावनाओं एवं निवेशकों को उपलब्ध सुविधाओं के प्रचार-प्रसार हेतु विगत 2 वर्षों में प्रदेश में 13 स्थानों पर एवं प्रदेश के बाहर 11 स्थानों पर रोड शो एवं इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया।
- ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2016 के अंतर्गत पर्यटन से संबंधित प्राप्त निवेश के प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु सतत अनुसरण किया गया। प्राप्त प्रस्तावों में से राशि रूपये 50.00 करोड से अधिक निवेश के 11 एवं राशि रूपये 50.00 करोड से कम के 34 प्रस्ताव क्रियाशील है।

6.21 जिला पर्यटन संवर्धन का गठन:- पर्यटन नीति के अंतर्गत जिलों में वीकेन्ड एवं स्थानीय पर्यटन को बढावा देने, सांस्कृतिक एवं पर्यटन उत्सवों के आयोजन तथा निजी निवेश से स्थानीय स्तर पर पर्यटन स्थलों के विकास एवं संचालन के लिये जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है वर्तमान में प्रदेश के सभी 51 जिलों में प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में जिला संवर्धन परिषद गठित की गई है। स्थानीय जन प्रतिनिधि इस परिषद के सदस्य हैं तथा जिला कलेक्टर सचिव है।

भारत सरकार द्वारा आयोजित पर्यटन पर्व वर्ष 2017 के दौरान जिला पर्यटन परिषद द्वारा विभिन्न जिलों में केवल मध्यप्रदेश के 600 कार्यक्रम आयोजित किये गए जबकि पूरे देश में 1100 कार्यक्रम आयोजित हुए। उपरोक्त उपलब्धि के फलस्वरूप **भारत सरकार द्वारा प्रदेश को " Best Partner State" का अवार्ड दिया गया है।**

6.22 पर्यटन प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग शो- मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आयोजन किए जाते एवं ख्याति प्राप्त आयोजनों में सहभागिता कर वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर प्रदेश की ब्रांडिंग का काम निरन्तर किया जाता है ।

6.23 कौशल विकास एवं रोजगार:- मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा प्रदेश में प्रशिक्षण एवं कौशल विकास से संबंधित संस्थान- स्टेट इंस्टीट्यूट आफ होटल मैंनेजमेंट इंदौर, इंस्टीट्यूट आफ होटल मैंनेजमेंट भोपाल एवं ग्वालियर, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट जबलपुर एवं रीवा एवं एम.पी.

इंस्टीट्यूट आफ हास्पिटेलिटी ट्रेवल एण्ड टूरिज्म स्टडीज भोपाल चलाया जा रहा है। इन संस्थानों में भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय तथा इन्दिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम हेतु 1620 सीटस की अनुमति प्राप्त है। इन संस्थानों के माध्यम से विगत 2 वर्षों से 869 छात्रों को रोजगार हेतु सक्षम बनाया गया है तथा 1316 छात्रों का कौशल विकास कर पर्यटन क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त पर्यटन के क्षेत्र में कार्यशील 6507 सेवा प्रदाता यथा कुली, पर्यटन पुलिस, बोटमैन, टैक्सी ड्राइवर, होटेलियर्स इत्यादि को प्रशिक्षण दिया गया है साथ ही टूरिस्ट हेल्पलाईन, सी.एम.हेल्पलाईन, महिला हेल्पलाईन प्रचलन में है।

6.24 भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन:- भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन, प्रसाद योजना एवं डेस्टीनेशन डेवलपमेंट के अंतर्गत अभिनव परियोजनाओं को स्वीकृत कर अनुदान दिया जाता है। मध्यप्रदेश केन्द्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं लाभ लेने में एक अग्रणी राज्य है। भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के तहत वर्ष 2015-16 में वाईल्ड लाइफ सर्किट के लिये राशि रूपये 9221.91 लाख वर्ष 2016-17 में हेरिटेज सर्किट के लिए राशि रूपये 9977.09 लाख, बुद्धिस्ट सर्किट के लिये राशि रूपये 7494.08 लाख एवं 2017-18 में ईको सर्किट विकास के लिये राशि रूपये 9962.05 लाख तथा प्रसाद योजनांतर्गत ओंकारेश्वर विकास के लिये राशि रूपये 4067.52 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

6.25 विविध कार्यक्रमों का आयोजन:- विविध कार्यक्रमों के आयोजनों के अंतर्गत मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा स्कूली छात्र-छात्राओं में पर्यटन के प्रति रूचि जागरूक करने के दृष्टि से विगत 2 वर्षों से समस्त जिलों में पर्यटन क्विज का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2017-18 में माह अगस्त में प्रदेश के 5990 स्कूलों में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसमें 17970 बच्चों द्वारा भाग लिया गया। प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में विभाग द्वारा 22 विभिन्न श्रेणियों में पर्यटन पुरूस्कार दिये जाते हैं जिसमें प्रतिष्ठित ज्यूरी द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभाओं/संस्थानों को पर्यटन पुरस्कार से समानित किया गया है। साथ ही जलमहोत्सव वर्ष 2016-17 के दौरान एडवेंचर टूरिज्म एसोसिएशन आफ इंडिया का वार्षिक सम्मेलन भी हनुवंतिया में सफलता पूर्वक आयोजन किया गया। मध्यप्रदेश ट्रेवल मार्ट के आयोजन में देश एवं विदेश के बायर एवं सेलर्स द्वारा भाग लिया गया।

6.26 प्रदेश में पर्यटक आगम संख्या:- वर्ष 2016-17 में मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को राशि रूपये 12625.73 लाख पर्यटन आय के रूप में प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर 2017 तक राशि रूपये 7824.04 लाख की आय प्राप्त हुई है। इस दौरान वर्ष 2017-18 में माह जनवरी 2017 से माह सितम्बर 2017 तक 58942920 भारतीय एवं 257505 विदेशी, इस प्रकार कुल 59200425 पर्यटक मध्यप्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर भ्रमण हेतु आए।

6.27 प्रदेश को राष्ट्रीय सम्मान:- मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर पर्यटन पुरस्कार प्रतिवर्ष प्राप्त हुए है। भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा इस वर्ष मध्यप्रदेश को 10 पर्यटन पुरस्कार प्रदान कियेगये जिसमें पहली बार दिया जानेवाला "Hall of Fame" अवार्ड सम्मिलित है। यह अवार्ड पहली बार ऐसे राज्य को दिया गया है जिसने पिछले 3 वर्षो में लगातार श्रेष्ठ पर्यटन राज्य का पुरस्कार प्राप्त किया हो। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा प्रकाशित कॉफी टेबल बुक एवं सिंहस्थ ब्रोशर को प्रकाशन में श्रेष्ठता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है।

प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र के सर्वागीण विकास एवं पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड सतत् प्रयत्नशील है।

खनिज

6.28 राज्य की अर्थ व्यवस्था एवं औद्योगिक प्रगति में खनिजों का महत्वपूर्ण योगदान है । खनिज संसाधनो में प्रचूरता की दृष्टि से मध्यप्रदेश राष्ट्र के आठ प्रमुख खनिज सम्पन्न राज्यों में से एक है ।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में (तेल एवं प्राकृतिक गैस को छोड़कर) प्रदेश में कोयला के सकल उत्पादन में राष्ट्र में चौथा स्थान है । राज्य में वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्य खनिजों का उत्पादन मूल्य 14965.30 करोड़ रूपये (अंनतिम) हुआ जो गत वित्तीय वर्ष में उत्पादित मुख्य खनिज के उत्पादन मूल्य 15040.05 करोड़ रूपये से 00.50 प्रतिशत कम है ।

बाक्स 6.1

खनिज उत्पादन

खनिज संपदा की दृष्टि से प्रदेश राष्ट्र की आठ खनिज सम्पन्न राज्यों में से एक है, प्रदेश में प्रमुख रूप से 08 प्रकार के खनिजों का उत्पादन वर्तमान में किया जा रहा है ।

हीरा उत्पादन में प्रदेश को राष्ट्र में एकाधिकार प्राप्त होने के साथ-साथ ताम्र अयस्क, मैग्नीज अयस्क के उत्पादन में भी राष्ट्र को प्रथम स्थान प्राप्त है । इसके अतिरिक्त प्रदेश को चूना पत्थर, राकफॉस्फेट के उत्पादन में द्वितीय तथा कोयला के उत्पादन में चतुर्थ स्थान प्राप्त है। प्रदेश में वर्ष 2016-17 में हीरा, कोयला, रॉक फास्फेट के उत्पादन में वृद्धि अंकित की गई है। इसी अवधि में सर्वाधिक 3.03 प्रतिशत की वद्धि रॉक फास्फेट के उत्पादन में दर्ज की गई है।

प्रदेश में विगत वर्षों में महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में हुई वृद्धि / कमी का वर्षवार विवरण **तालिका 6.2** में दर्शाया गया है ।

तालिका 6.2
प्रदेश में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन

(लाख टन में)

खनिज	2014-15	गतवर्ष से वृद्धि (प्रतिशत)	2015-16 (स)	गतवर्ष से वृद्धि (प्रतिशत)	2016-17 (प्रावधिक)	गतवर्ष से वृद्धि/कमी (प्रतिशत)
कोयला	876.00	(+) 15.89	1077.14	(+) 22.96	1085.48	(+) 0.77
बाक्साइट	8.32	(+) 7.22	6.84	(-) 17.78	6.58	(-) 3.80
ताम्र अयस्क	23.79	(+) 0.13	25.36	(+) 6.59	24.15	(-) 4.77
आयरन ओर	41.93	(+) 100.62	24.47	(-) 41.64	17.30	(-) 29.30
मैगनीज अयस्क	8.78	(+) 10.30	7.66	(-) 12.75	6.48	(-) 15.40
रॉक फास्फेट	0.79	(-) 39.69	0.66	(-) 16.46	0.68	(+) 3.03
हीरा (कैरेट)	36107	(-) 3.76	36044	(-) 0.17	36516	(+) 1.30
चूना पत्थर	395.30	(+) 4.49	394.30	(-) 0.25	358.43	(-) 9.09

नोट:- 1. उपरोक्त जानकारी आई.बी.एम. की mineral year book के आधार पर है।
2. भारत सरकार द्वारा दिनांक 10.02.2015 से खनिज डोलोमाईट, फायरक्ले,गेरू गौण खनिज के रूप में घोषित किये गये है।

प्रदेश में वर्ष 2016-17 में वर्ष 2015-16 की तुलना में महत्वपूर्ण खनिजों यथा कोयले के उत्पादन में 0.77 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं बाक्साइड, ताम्र अयस्क ,आयरन और मैंगनीज अयस्क, चूनापत्थर में क्रमश: 3.80, 4.77, 29.30, 15.40, एवं 9.09 प्रतिशत की कमी परिलक्षित रही।

वही अन्य मुख्य खनिजों यथा रॉक फास्फेट, के उत्पादन में वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2016-17 में वृद्धि परिलक्षित हो रही है। हीरे का उत्पादन 2015-16 में 36044 कैरेट था जो वर्ष 2016-17 में बढकर 36516 कैरेट हो गया।

बाक्स 6.2

खनिज नीति एवं खनिज प्रशासन

वर्तमान में गौण खनिज की रियासते उत्खनन पट्टा अथवा व्यापारिक खदान के रूप में मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के प्रावधान के अनुसार स्वीकृत/अनुबंधित की जाती है। इनकी रायल्टी निर्धारण का कार्य भी इन नियमों के अंतर्गत किया जाता है। दिनांक 12-01-2015 से खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के तहत आवेदकों द्वारा प्रस्तुत रिकोनेसेन्स परमिट/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति/खनिपट्टा स्वीकृत किये जाने के प्रावधान थे। दिनांक 12.01.2015 के पश्चात भारत सरकार ने उक्त अधिनियम में संशोधन कर दिया है। जिसके फलस्वरूप अब मुख्य खनिज के क्षेत्रों को समेकित अनुज्ञप्ति (पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति सह खनन पट्टा) एवं खनिपट्टा के रूप में नीलामी से स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया गया है। नीलाम किये जाने वाले खनिज का चिन्हांकन व चयन निर्धारित मापदण्डों के अनुसार राज्य शासन द्वारा किया जाता है।

प्रदेश में गौण खनिजों के अवैध उत्खनन की रोकथाम हेतु म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 के प्रावधान के अनुसार दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाती है। वहीं मुख्य खनिजों के मामलों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के प्रावधानों के तहत खनिजों के अवैध उत्खननकर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। इसके अलावा मुख्य खनिज एवं गौण खनिज के भण्डार पर विक्रय करने वालों के लिये राज्य शासन द्वारा म.प्र. अवैध (खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवाकरण) नियम 2005 के तहत कार्यवाही की जाती है। बिना अनुमति के भण्डारण करने वालों के विरूद्ध इन नियमो के तहत अवैध भण्डारण के प्रकरण दर्ज कर दण्डित कियेजाने का प्रावधान किया गया है।

राज्य शासन द्वारा म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 56 के प्रावधानों के तहत प्रदेश में गौण खनिजों से प्राप्त होने वाली रायल्टी, डेड रेंट, सरफेस रेंट, ब्याज और शास्तियों से प्राप्त होने वाले राजस्व को वित्त विभाग द्वारा बजट प्रावधानों के अधीन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को उपलब्ध कराया जाता है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ऐसी आवंटित रकम का उपयोग पंचायत राज संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं सचिव, ग्राम पंचायत के मानदेय के भुगतान तथा अधोसंरचना विकास में करता है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 12.01.2015 से खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 में जो संशोधन किये गये हैं, इन संशोधनों के फलस्वरूप दिनांक 12.01.2015 से पूर्व स्वीकृत खनिपट्टों से उनके द्वारा देय रायल्टी के अलावा देय रायल्टी की 30 प्रतिशत राशि जिला खनिज प्रतिष्ठान मद में जमा कराया जाता है। इस मद में प्राप्त राशि का उपयोग खनन से प्रभावित क्षेत्रों में जैसे पेयजल, स्वास्थ्य, सडक निर्माण, शिक्षा आदि के क्षेत्रों में किया जाता है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 12.01.2015 से अधिनियम में संशोधन कर यह भी प्रावधान लाया गया है कि मुख्य खनिज के पट्टाधारियों को देय रायल्टी के अलावा 2 प्रतिशत की राशि नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट में जमा करना होगी। इस राशि का उपयोग प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में खनिजों की खोज के लिए किये जाने का प्रावधान किया गया है।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 9-B के अधीन प्रत्येक जिले में जिला खनिज प्रतिष्ठान के गठन के प्रावधान किये गये है। इस अधिनियम के अधीन भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुरूप दिनांक 12.01.2015 के पूर्व स्वीकृत मुख्य खनिज के खनि पट्टेधारियों से देय रायल्टी का 30 प्रतिशत तथा दिनांक 12.01.2015 के पश्चात स्वीकृत मुख्य खनिज के खनि पट्टेधारियों से देय रायल्टी का 10 प्रतिशत जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि में वसूली योग्य होगा।

अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम 2016 दिनांक 28.07.2016 से अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 15.05.2015 से प्रत्येक जिले में जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट गठित किया गया है। अधिनियम के अनुरूप दिनांक 12.01.2015 से इस निधि में राशि देय कियेजाने के प्रावधान किये गये थे।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में खनिज राजस्व से शीर्ष 0853/0035 के अंतर्गत खनिज राजस्व का संशोधित लक्ष्य 3750.00 करोड़ रूपये रखा गया था, जिसके विरूद्ध राजकोष में 3746.11 करोड़ रूपये की राजस्व प्राप्तियां हुई ।

6.29 खनिज अन्वेषण : विभाग द्वारा खनिज अन्वेषण कार्य विभागीय पदस्थ अमले द्वारा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में खनिजों के सर्वेक्षण/पूर्वेक्षण तथा खनिज भण्डारों की उपलब्धता एवं गुणवत्ता का आंकलन किया जाता है। आंकलित खनिज भण्डार प्रदेश में उद्योग स्थापित करने हेतु उपयोगी होते है। खनिज भण्डार के सर्वेक्षण/पूर्वेक्षण उपरांत खनिज ब्लॉकों के चिन्हांकन एवं नीलामी द्वारा निवर्तन उपरांत खनिज राजस्व अर्जित किया जाता है।

नीलामी के द्वतीय चरण में विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 में मुख्य खनिज के 10 खनिज खंडो का ई-नीलामी से निर्वतन किये जाने संबंधी कार्यवाही की जाएगी जिसमें 05 चूनापत्थर, 01 हीरा, 01 आयरन और 02 बाक्साइट तथा 01 ग्रेफाइट खनिज ब्लॉक का चिन्हांकन किया जाकर नीलामी किये जाने की योजना है तथा आगामी 03 वर्षो से 25-30 खनिज ब्लॉको का सर्वेक्षण/पूर्वेक्षण उपरांत चिन्हांकन किया जाकर नीलाम किये जाने की योजना है। जिससे खनिज राजस्व में वृद्धि होगी एवं खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना हो सकेगी।

वर्ष 2015-16 में खनिज अन्वेषण के अंतर्गत 1206 वर्ग किलोमीटर भाग में सर्वेक्षण/मानचित्रण तथा 4354 मीटर वेधन किया गया था। वर्ष 2016-17 में 248 वर्ग किलोमीटर भाग में दुर्तगति सर्वेक्षण, 17.79 वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत मानचित्रण तथा 2732.45 मीटर वेधन कार्य किया गया।

वर्ष 2017-18 में विभाग द्वारा जिला रीवा, सतना, धार, श्योपुर, मुरैना, अलीराजपुर, झाबुआ तथा डिंडोरी में क्रमश: चूनापत्थर, बॉक्साइट के लिये जी-3/जी-2 श्रेणी का पूर्वेक्षण कार्य प्रस्तावित है जिसमें लगभग 7350 मीटर वेधन कार्य 950 वर्ग किमी दुर्तगति सर्वेक्षण कार्य एवं लगभग 17.87 वर्ग कि.मी. में विस्तृत मानचित्रण का कार्य किया जायेगा। जिसके परिणाम स्वरूप आगामी वर्ष में खनिज चूनापत्थर एवं बॉक्साइट की विद्यमानता प्रमाणित होने पर नवीन खनिज खण्ड नीलामी हेतु उपलब्ध हो सकेगे।

6.30 प्रदेश में स्थित खनिज भण्डार : राज्य में वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 तक प्रदेश के विभिन्न जिलो छतरपुर, सतना, धार, रीवा, एवं डिण्डोरी आदि जिलों में चूनापत्थर, डोलोमाइट, बाक्साइट तथा लेटेराइट के खनिज भण्डारों का पूर्वेक्षण कार्य किया जाकर भण्डारों का आंकलन किया गया है । राज्य में आंकलित भण्डारों का वर्षवार विवरण **तालिका 6.3** में दर्शाया गया है ।

तालिका 6.3
प्रदेश में स्थित खनिज भण्डार

(मिलियन टन)

वर्ष	क्र.	खनिज का नाम	जिला	भण्डारों का आकलन
2012-13	1	डोलोमाइट	छतरपुर	6.37
	2	चूना पत्थर	सतना	15.00
2013-14	1	डोलोमाइट	छतरपुर	6.37
	2	चूना पत्थर	सतना	15.00
2014-15	1	चूना पत्थर	सतना	15.00
2015-16	1	चूना पत्थर	धार	20.74
2016-17	1	चूना पत्थर	धार	36.48
	2	चूना पत्थर	रीवा	4.00
	3	चूना पत्थर	सतना	6.00
	4	बाक्साइट	डिण्डौरी	12.03
	5	लेटेराइट	डिण्डौरी	23.46

6.31 प्रदेश के खनिज भण्डारों की जानकारी : राज्य में प्रमुख खनिजों की विभिन्न श्रेणियों के भण्डार आर्थिक दृष्टि से उपलब्ध हैं । खनिज भण्डारों का वर्ष 2015 की स्थिति का विवरण **तालिका 6.4** में दर्शाया गया है ।

तालिका 6.4
प्रदेश के खनिज भण्डार

खनिज	2015	
	इकाई	कुल भण्डार
हीरा	हजार कैरेट	28734.35
पायरोफिलाइट	मिलियन टन	31.57
डोलोमाइट	मिलियन टन	2253.25
मेंगनीज अयस्क	मिलियन टन	52.12
कोयला	मिलियन टन	26535.79
चूना पत्थर	मिलियन टन	7542.52
रॉकफॉस्फेट	मिलियन टन	56.92
डायस्पोर	मिलियन टन	3.75
कॉपर	मिलियन टन	287.66

स्त्रोत- भारतीय खान ब्यूरो खनिज पुस्तक ।

7

अधोसंरचना

अधोसंरचना विकास प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों की उत्पादक गतिविधियों के विस्तार और विकास के लिये आवश्यक है । विगत पॉच वर्षो में प्रदेश के अधोसंरचना विकास कार्यों में तेजी आई है । प्रदेश में विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण क्षमता विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन द्रुतगति से चल रहा है । उद्योग एवं व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज मार्गों के उन्नयन कार्य में तेजी आई है । त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत वृहद सिंचाई परियोजनाओं के अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्माण का कार्य प्रगति पर है । सस्ती हवाई सेवा से प्रदेश के चारों प्रमुख नगरों- इन्दौर, भोपाल, जबलपुर तथा ग्वालियर को देश की राजधानी से जोड़ा गया है ।

ऊर्जा

नब्बे के दशक से विद्युत की बढ़ती हुई मांग के अनुरूप विद्युत उत्पादन क्षमता को नहीं बढ़ाया जा सका, साथ ही पारेषण एवं वितरण अधोसंरचना के क्षेत्र में भी आवश्यकता की तुलना में काफी कम कार्य हुए, परिणाम स्वरूप विद्युत उपलब्धता और मांग में अंतर बढ़ता गया तथा विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता में भी व्यापक गिरावट आई । धन की कमी के चलते पारेषण और वितरण अधोसंरचना विकास पर भी समुचित ध्यान नहीं दिया गया । वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के कारण तत्कालीन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की आस्तियों, दायित्वो लेनदारी एवं देनदारी का उचित बटवारा के उपरांत भी प्रदेश में विद्युत क्षेत्र की कठिनाईयों में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ वित्तीय संकट में भी वृद्धि हुई । प्रदेश में विद्युत क्षेत्र को वित्तीय एवं विद्युत कमी के संकट से उबारने के लिए सुधार की प्रक्रिया वर्ष 2001 में प्रारंभ की गई ।

7.1 संस्थागत सुधार : विद्युत क्षेत्र के प्रभावी प्रबंधन के लिये मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के वृहद्ध स्वरूप का पुनर्गठन किया गया तथा उत्पादन, पारेषण एवं विद्युत वितरण हेतु कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत विद्युत कम्पनियों का गठन जुलाई, 2002 में किया गया।

सभी विद्युत कंपनियां यथा म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी, मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी, म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, एवं म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, 1 जून 2005 से पूर्णतः स्वशासी हो गई है । विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत विद्युत के थोक व्यापार के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक पावर ट्रेडिंग कंपनी गठित कर उसे माह जून 2006 से क्रियाशील किया

गया । पावर ट्रेडिंग कंपनी का मूल कार्य तीनो वितरण कंपनियों के लिए विद्युत की व्यवस्था करना है। कंपनी का नाम 10 अप्रैल, 2012 को परिवर्तित कर एम.पी पावर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड किया गया एवं विद्युत वितरण के कार्यो को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए इसे तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की होल्डिंग कम्पनी का स्वरूप प्रदान किया गया । म.प्र. राज्य विद्युत मंडल का पावर मेनेजमेंट कंपनी में 26 अप्रैल, 2012, को विलय कर दिया गया है, तथा मंडल अब अस्तित्व में नहीं है । उर्जा विभाग के अधीन इन कम्पनियों की सरंचना **बॉक्स** 7.1 में दर्शाया गया है ।

बॉक्स 7.1

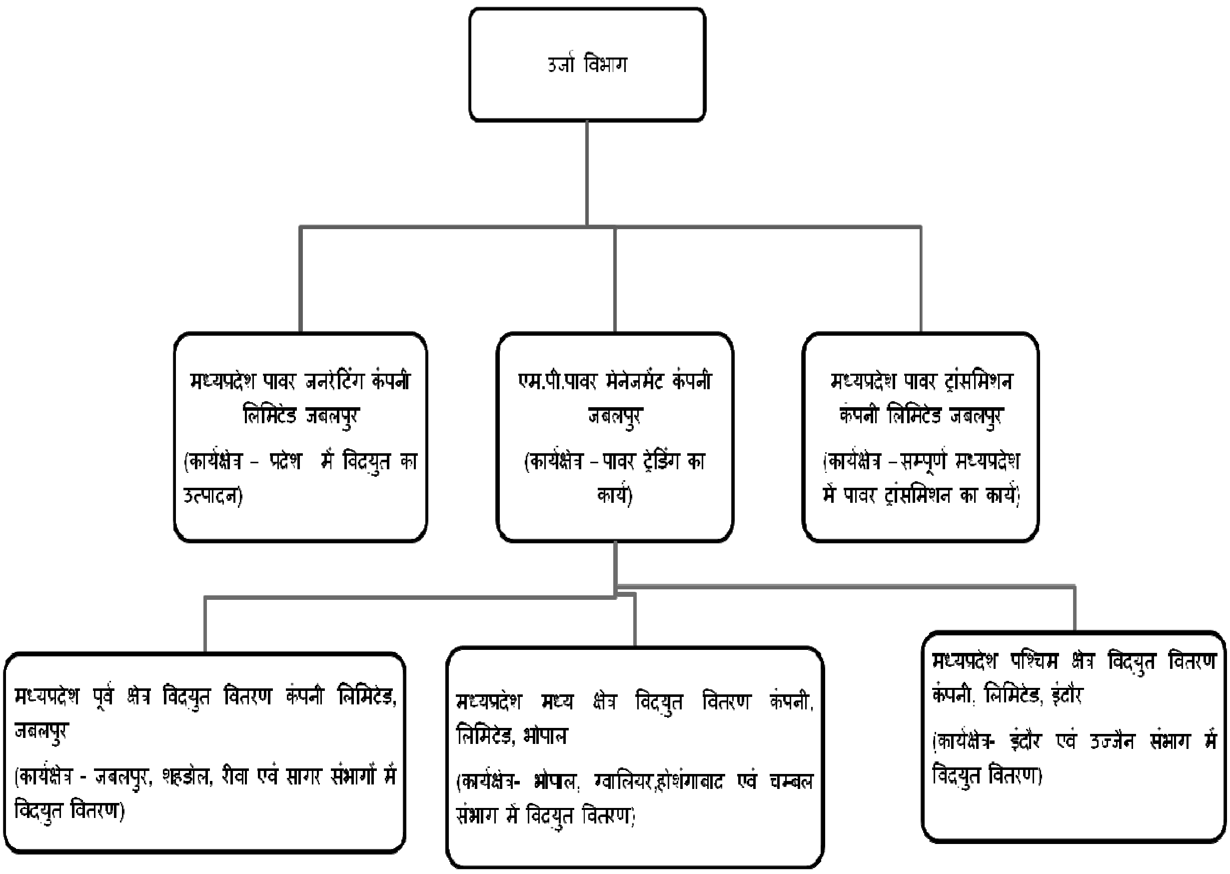

विद्युत कंपनियों तथा उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण, विद्युत क्षेत्र में राज्य सरकार का कार्य नीति निर्धारण तक सीमित करने तथा विद्युत दरों के निर्धारण एवं नियमन कार्यो के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 1998 में स्थापना की गयी थी। विद्युत अधिनियम 2003 लागू होने के उपरान्त नियामक आयोग व्दारा इस अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत विद्युत कंपनियों व्दारा प्रेषित राजस्व आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये तथा जन सुनवाई के उपरांत विद्युत दरों के निर्धारण हेतु टैरिफ आदेश जारी किये जाते है । इन टैरिफ

आदेशों के माध्यम से विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं पर लागू विद्युत दरों के युक्ति-युक्तकरण करने के प्रयास किये गये है ।

7.2 विद्युत उपलब्धता : दीर्घ कालीन विद्युत क्रय अनुबंधों के माध्यम से प्रदेश में विद्युत उपलब्धता में व्यापक वृद्धि हुई है । प्रदेश में सभी गैर-कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा हैं । माह सिंतबर 2017 की स्थिति में प्रदेश में उपलब्ध विद्युत क्षमता का विवरण **तालिका 7.1** में दर्शाया गया है ।

तालिका 7.1

उपलब्ध विद्युत क्षमता

(माह सिंतबर 2017 की स्थिति में)

विद्युत उत्पादन	**उपलब्ध क्षमता (मेगावाट)**
1.म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी के (ताप विद्युत गृह)	4080
2.म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी के (जल विद्युत गृह)	917
3.संयुक्त उपक्रम जल परियोजना, (नर्मदा प्रोजेक्ट एवं अन्य जल व़िद्युत गृह)	2427
4.केन्द्रीय विद्युत उत्पादन क्षेत्र एवं डी.वी.सी. से प्राप्त अंश	4000
5.निजी क्षेत्र के ताप विद्युत गृह से प्राप्त अंश	3397
6.पारम्परिक उर्जा स्त्रोत एवं अन्य	2945
कुल उपलब्ध विद्युत क्षमता	**17766**

राज्य सरकार ने विद्युत उपलब्धता में वृद्धि हेतु बारहवीं पंचवर्षीय योजनांतर्गत एवं आगामी वर्ष हेतु एक समग्र योजना बनाई है जिस पर क्रियान्वयन प्रगति पर है । योजना का वर्षवार विवरण **तालिका 7.2** में दर्शाया गया है ।

तालिका 7.2

विद्युत उपलब्धता वृद्धि योजना

सिंतबर 2017 की स्थिति में

वर्ष	**म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी की परियोजनाओं से**	**केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं से**	**निजी क्षेत्र की परियोजनाओं से**	**अपारम्परिक उर्जा स्त्रोत से**	**कुल विद्युत उपलब्धता (मेगावाट)**
2017-18	-	276	-	237	513
2018-19	1188	1080	-	1026	3294
2019-20	-	128	-	1441	1569
2020-21	-	724	-	460	1184
कुल	**1188**	**2208**	**-**	**3164**	**6560**

7.3 विद्युत प्रदाय : प्रदेश में विगत वर्षो से औद्योगिक क्षेत्र को 24 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है । जून 2013 से सभी गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण 10 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है । विद्युत प्रदाय का वर्षवार विवरण **तालिका 7.3** में दर्शाया गया है ।

तालिका 7.3
विद्युत प्रदाय

(मिलियन यूनिट)

वर्ष	म.प्र. विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा			संयुक्त उपक्रम जल परियोजना			केन्द्रीय इकाईयों एवं डी.वी.सी से	निजी क्षेत्र अपारंपरिक एवं अन्य	प्रदेश की प्रणाली में प्रदायित विद्युत (*)
	ताप विद्युत	जल विद्युत	कुल	इन्दिरा सागर	सरदार सरोवर	ओंकारेश्वर			
2012-13	14814	3152	17966	2887	2057	1256	20943	3927	48028
2013-14	14180	3655	17835	4049	3250	1620	20576	6385	51104
2014-15	15231	2720	17951	2543	1621	1121	22104	12530	56210
2015-16	16927	2033	18960	1940	1194	953	22144	19788	62791
2016-17	13193	2930	16123	3253	1785	1417	20657	21053	61144

विद्युत वितरण कंपनियों को एक्स-बस आपूर्ति, जिसमें ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं की आपूर्ति एंव अन्य संस्थाओं को विक्रय की गई विद्युत सम्मिलित नहीं है।
वर्ष 2015-16 के समान ही वर्ष 2016-17 में भी विद्युत की संपूर्ण मांग की आपूर्ति की गई।

7.4 विद्युत मांग : सिंतबर 2017 में विद्युत उपलब्धता क्षमता 17766 मेगावाट हो चुकी है। इसमें केन्द्रीय क्षेत्र एवं डी.वी.सी.से प्राप्त 4000 मेगावाट विद्युत क्षमता सम्मिलित हैं। रबी के मौसम (नवम्बर से मार्च) में कृषि क्षेत्र की विद्युत मांग लगभग 3500 से 4000 मेगावाट की वृद्धि होती है। रबी के मौसम में न्यूनतम और अधिकतम आवश्यकता क्रमानुसार लगभग 6500 मेगावाट एवं 11500 मेगावाट रहती है, अतः रबी मौसम में विद्युत प्रदाय की सुचारू व्यवस्था के लिये विद्युत बैंकिग का उपयोग भी किया जाता है। प्रदेश में विद्बुत की पर्याप्त उपलब्धता है तथा भविष्य में भी यही स्थिति बनी रहेगी।

7.5 विद्युत विक्रय : वर्ष 2016-17 में वर्ष 2015-16 की तुलना में 4.9 प्रतिशत कम विद्युत हुई, जिसका मुख्य कारण उच्चदाब उपभोक्ता रेल्वे का ओपन एक्सेस पर जाना है। रेल्वे के कारण लगभग 2000 मिलियन यूनिट कम विद्युत विक्रित हुई। वर्ष 2012-13 से 2016-17 में विद्युत विक्रय की स्थिति **चित्र 7.1** में दर्शायी गई है ।

चित्र 7.1
विद्युत विक्रय

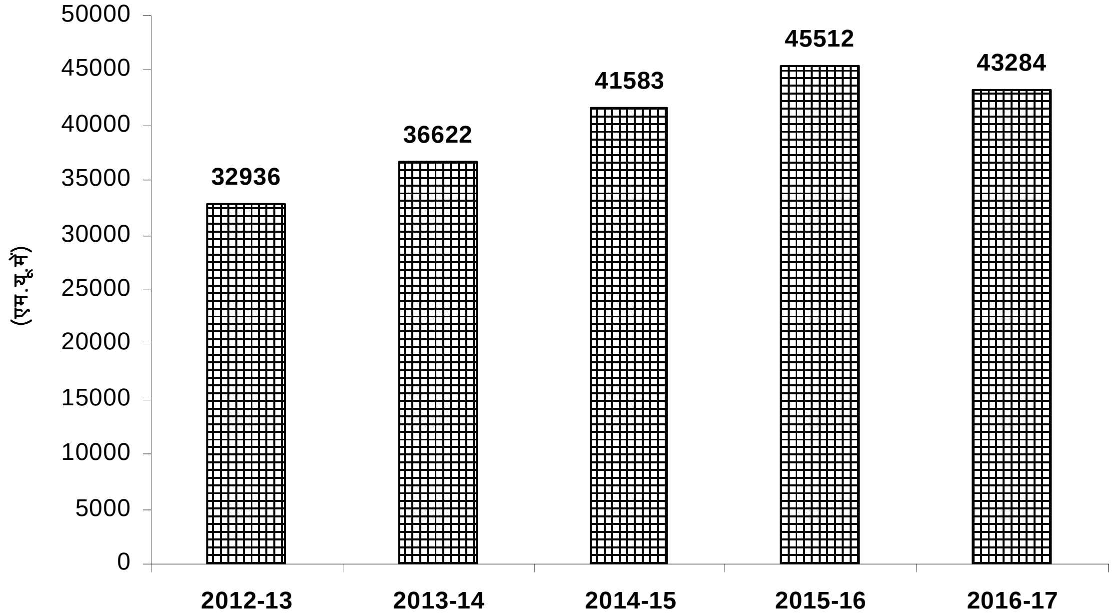

7.6 अधिकतम विद्युत मांग की आपूर्ति : विगत वर्षों में विद्युत की उपलब्धता में निरन्तर वृद्धि होने से कृषि क्षेत्र हेतु विद्युत की उपलब्धता है । वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक विद्युत मांग आपूर्ति **चित्र 7.2** में दर्शायी गई है ।

चित्र 7.2
अधिकतम विद्युत मांग की आपूर्ति

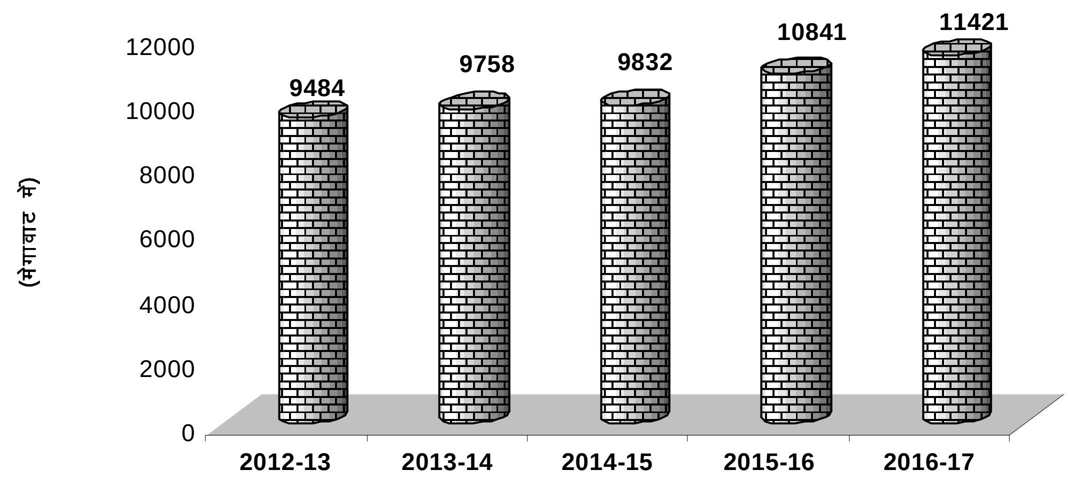

7.7 विद्युत पारेषण प्रणाली में इनपुट : वर्ष 2012-13 से 2016-17 में मध्यप्रदेश की विद्युत वितरण प्रणाली में किये गये इनपुट का विवरण **चित्र 7.3** में दर्शाया गया है ।

चित्र 7.3

विद्युत पारेषण प्रणाली में इनपुट

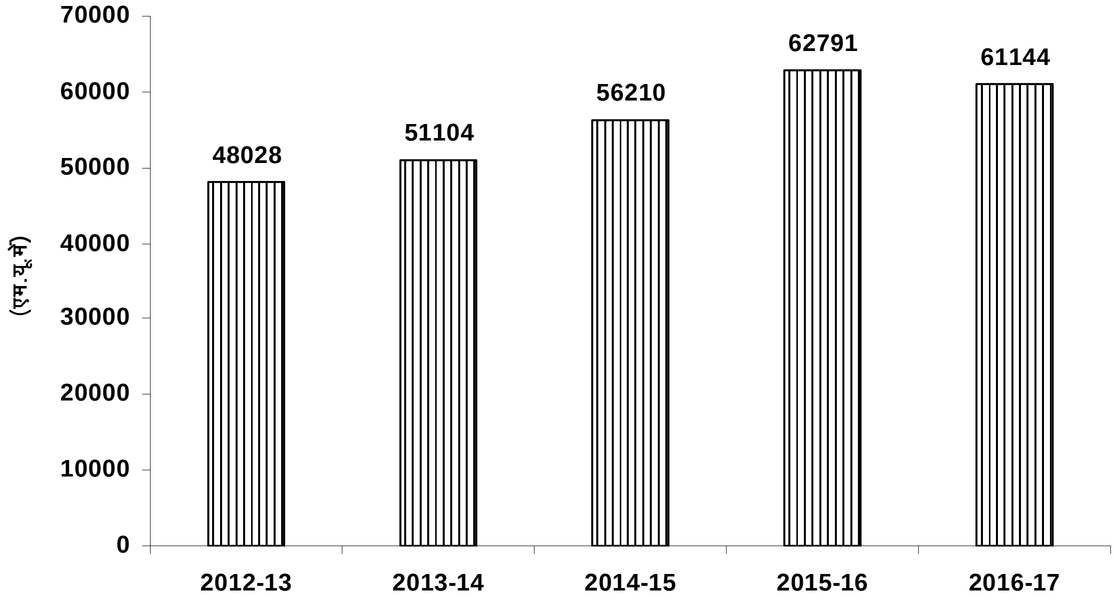

7.8 विद्युत पारेषण एवं वितरण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण : मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पारेषण एवं वितरण के क्षेत्र में अधोसंरचना सुधार एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु विद्वुत कम्पनियों के लिये धन की व्यवस्था भी की गई है तथा वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से विद्युत कंपनियों को ऋण प्राप्त करने में सहायता प्रदान कर रही है । विगत वर्षो में विभिन्न वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण तथा राज्य शासन के बजट के माध्यम से उपलब्ध करायी गई वित्तीय सहायता के तहत् विभिन्न अधोसंरचना के कार्य विद्युत कंपनियों द्वारा निष्पादित किये जा रहें है । परिणाम स्वरूप पारेषण नेटवर्क की क्षमता वर्ष 2002-03 के 3890 मेगावाट से बढ़कर मार्च 2017 में 15100 मेगावाट हुई है । यह वृद्धि लगभग 288 प्रतिशत है । उपपारेषण तथा वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण के विगत वर्षो में किये गये कार्यों के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2004 की तुलना वित्तीय वर्ष 2017 तक वितरण अधोसंरचना में व्यापक वृद्धि हुई है। वर्ष 2003-04 में उपभोक्ताओं की संख्या 64.42 लाख थी जो बढ़कर मार्च 2017 में बढ़कर 129.3 लाख हो गई है ।

7.9 श्रेणीवार विद्युत का उपयोग : वर्ष 2016-17 में विद्युत उपयोग के अन्तर्गत सर्वाधिक विद्युत उपभोग 40.4 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में किया गया है । इसी अवधि में औद्योगिक उत्पादन

हेतु विद्युत उपभोग का प्रतिशत 23.9 रहा है । वर्ष 2012-13 से 2016-17 में विभिन्न क्षेत्रों मे विद्युत के श्रेणीवार उपयोग को **चित्र 7.4** में दर्शाया गया है ।

चित्र 7.4

विद्युत का उपयोग

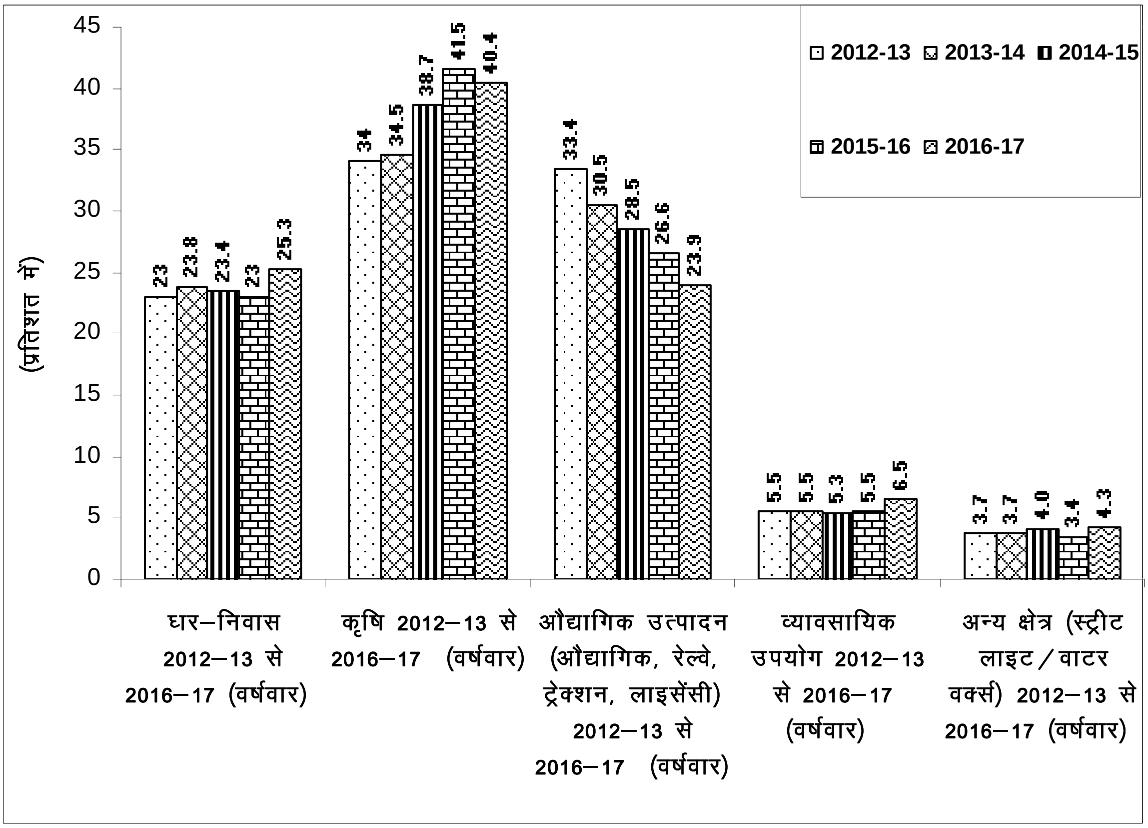

7.10 ग्रामीण विद्युतीकरण : वर्तमान में माह अगस्त 2017 की स्थिति में प्रदेश में कुल 42 ग्राम अविदयुतिकृत हैं जिनमे से 22 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य परमपरागत रूप से लाईन विस्तार कर एवं 20 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य गैर परम्परागत उर्जा स्त्रोतों से किया जाना है।

प्रदेश में विद्युतीकरण के लिये 10 वीं एवं 11 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में आर.ई.सी. लिमिटेड से प्रदेश के सभी जिलों हेतु 2745 करोड़ रूपये लागत की कुल 52 योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई थी । उक्त योजनाओं में 845 अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण, 38250 ग्रामों के सघन विद्युतीकरण एंव 14.43 लाख बी॰पी॰एल॰ हितग्राहियों को नि:शुल्क कनेक्शन देने के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में रुपये 1402.22 करोड लागत की 34 योजनाओं की स्वीकृति आरईसी लिमिटेड से प्राप्त हो चुकी है। **``दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना``** के अंतर्गत दिनांक 30-07-2015 को

प्रदेश के 51 जिलों हेतु रूपये 2865 करोड लागत की 50 योजनाओं की स्वीकृति आर.ई.सी. लिमिटेड से प्राप्त हुई है इन योजनाओं में सम्मिलित कार्य टर्न-की आधार पर कराए जाने हेतु निविदा कार्यवाही उपरान्त 48 योजनओं हेतु अवार्ड जारी कर दिया गया है तथा शेष 2 योजनाओं हेतु निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

7.11 इनर्जी आडिट : वाणिज्यिक हानियो मे कमी लाने के उद्देश्य से अधिक विद्युत हानि के क्षेत्रों की पहचान करने एवं अधिक हानियों पर जिम्मेदारी तय करने के लिए ई.एच.वी.,33 के.व्ही.एवं 11 के.व्ही. फीडर्स पर 100 प्रतिशत मीटरीकरण कर इनर्जी आडिट का कार्य किया जा रहा है । संभागीय स्तर तक निरन्तर इनर्जी आडिट का कार्य किया जा रहा है। डी.टी.आर. स्तर तक मीटरीकरण किया जा रहा है तथा तकनीकी व वाणिज्यिक हानियों को कम करने हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ।

7.12 राजस्व प्रबंधन : प्रदेश में विद्युत के क्षेत्र में राजस्व प्रबंधन सुधार हेतु विशेष कदम उठाए गए हैं फलस्वरूप राजस्व प्राप्ति में विगत वर्षों में वृद्धि हुई है जिसका वर्षवार विवरण **तालिका 7.4** में दर्शाया गया है ।

तालिका 7.4

राजस्व प्राप्ति

(राशि करोड़ रूपये में)

वित्तीय वर्ष	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	कुल
2012-13	4580	4473	6230	15283
2013-14	6260	5011	7120	18391
2014-15	6695	5998	8219	20912
2015-16	7386	6808	9549	23743
2016-17	7585	7225	10713	25523

7.13 उपभोक्ता सर्विस के सुधार हेतु कदम : विद्युत कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को गुणवत्ता पूर्ण सेवा सुनिश्चित करने हेतु नियामक आयोग द्वारा विद्युत सप्लाई कोड भी लागू किया गया है । उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत तीनों वितरण कंपनियों के अंतर्गत अलग-अलग उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम गठित किये गये हैं । विद्युत नियामक आयोग के अंतर्गत एक लोकपाल की नियुक्ति भी की गई ताकि उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की कार्यवाही से संतुष्ट नही होने की स्थिति में लोकपाल के समक्ष अपील कर सकें । नवीन कनेक्शनों के लिये ऑनलाईन सेवा प्रारंभ की गई है तथा आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेओं की संख्या न्यूनतम की गई है।

किसानों के हित में लागू योजनाएं

7.14 फीडर विभक्तिकरण योजना : इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पृथक-पृथक 11 केवी फीडरों के माध्यम से घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है । इस योजना के अंतर्गत लगभग 4500 करोड रुपये के कार्य कर, 11 के॰वी॰ के 6332 फीडरों को विभक्त किया गया है । बेहतर विद्युत प्रदाय व्यवस्था से वित्तीय वर्ष 2011-12 से वित्तीय वर्ष 2015-16 की अवधि में कृषि क्षेत्र हेतु विद्युत प्रदाय 9438 मिलियन यूनिट से बढ़कर 18882 मिलियन यूनिट हुआ । इस तरह कृषि क्षेत्र हेतु 5 वर्षों में विद्युत प्रदाय दोगुना हुआ ।

7.15 मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना : किसानों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने के लिये राज्य शासन ने सितंबर 2016 से "मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना" लागू की है । इस योजना में लगभग 5 लाख स्थायी पंप कनेक्शन प्रदान किये जाने है, जिस हेतु योजना की लागत लगभग 4 हजार करोड रुपये आंकलित की गयी है इसमें 40 प्रतिशत राशि अर्थात 1600 करोड रुपये राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनियों को अंशपूंजी के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है । इस वित्तीय वर्ष के बजट में इस हेतु रुपये 851 करोड का प्रावधान भी किया गया है। शेष 60 प्रतिशत राशि वितरण कंपनियों द्वारा वित्तीय संस्थाओं से ऋण के रूप में प्राप्त की जा रही है, जिसके लिये राज्य शासन द्वारा गांरटी प्रदान की जा रही है। "मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना" में किसान को मात्र प्रति हार्सपावर निर्धारित अंश राशि जमा करनी होती है तथा अधोसंरचना की लागत का संपूर्ण वहन राज्य शासन एंव वितरण कंपनियों द्वारा किया जाता है । राज्य एंव वितरण कंपनियों द्वाराएक पंप पर विद्युत अधोसंरचना के कार्य हेतु औसतन लगभग 1.5 लाख रुपये का खर्च किया जा रहा है ।

7.16 फलेट रेट योजना : स्थायी कृषि उपभोक्ताओं के लिये फलेट रेट आधारित बिलिंग योजना दिनांक 01-04-2013 से लागू की गई है । योजना अंतर्गत किसानों को वर्ष में दो बार छ:माही समान किश्तों में 1400 रुपये प्रति हार्सपावर वार्षिक बिजली का बिल देय है तथा शेष राशि का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाता है । राज्य शासन द्वारा इस हेतु वितरण कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2016-17 में 5127 करोड रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में 554 करोड रुपये का प्रावधान रखा गया है ।

7.17 अनुसूचित जाति / जनजाति के पंप धारक कृषि उपभोक्ताओं को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय : योजना में 1 हेक्टेयर तक भूमि वाले 5 अश्वशक्ति तक के उक्त श्रेणी के कृषि पंप उपभोक्ताओं को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय का लाभ दिया जाता है । इसकी प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनियों को नि:शुल्क नियुत प्रदाय सब्सिडी के रूप में की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस मद में 3144 करोड रुपये वितरण कंपनियों को सब्सिडी प्रदाय की गई तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में 3186 करोड रुपये बजट प्रावधान रखा गया है।

7.18 स्वंय का ट्रांसफार्मर लगाने की योजना (ओ॰वाय॰टी॰) : राज्य शासन द्वारा कृषकों को शीघ्र स्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन दिये जाने के दृष्टिगत दिनांक 4 मई 2011 से कृषकों के लिये "स्वयं का ट्रांसफार्मर" लगाये जाने की योजना लागू की गई है । इस योजना में किसान अपने व्यय से, निर्धारित मापदंड के अनुसार ट्रांसफार्मर स्थापित कर सकते है । योजना अंतर्गत नये किसान तथा ऐसे किसान, जिनका पूर्व में ही कनेक्शन विद्यमान है, वे भी अपने पंप कनेक्शन के लिये ट्रांसफार्मर लगा सकते है । योजना प्रारंभ होने से अभी तक कुल लगभग 46000 ट्रांसफार्मर योजना अंतर्गत लगाये जा चुके है । कृषि उपभोक्ताओं को समूह में इस योजना का लाभ दिये जाने बावत प्रावधान भी योजना में गत वर्ष से शामिल किये गये है ।

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा

7.19 उजाला योजना :- उर्जा संरक्षण एवं बिजली की बचत हेतु उजाला योजना के अन्तर्गत दिनांक 30 अप्रैल 2016 को माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश एवं माननीय केन्द्रीय उर्जा मंत्री के शुभारंभ उपरान्त 9 वाट क्षमता के एल.ई.डी. ब्लव का वितरण प्रारंभ किया गया। प्रदेश में दिसम्बर 2017 अन्त तक 1 करोड़ 60 लाख से अधिक एल.ई.डी॰ ब्लव का वितरण किया गया। राज्य में प्रति माह औसत 798,595 बल्व का वितरण किया गया है। जिसमें हमारे राज्य की स्थिति देश में द्वितीय स्थान पर है। इसके अतिरिक्त दिनांक 27 अक्टूबर 2016 से 20 वॉट एल.ई.डी. ट्यूबलाईट व 50 वॉट, 5 स्टार रेटिंग पंखे का वितरण प्रारंभ किया गया है व दिसम्बर अंत तक 3,68,638 ट्यूबलाईट तथा 90,282 पंखे वितरित किए गए है, जिसमें हमारे राज्य की स्थिति पूरे देश में क्रमश: तीसरे व चौथे स्थान पर है। उपरोक्त ऊर्जा दक्ष उत्पादों के वितरण से सालाना 3300 मिलियन यूनिट्स बिजली की बचत होगी व उपभोक्ताओं के बिल में सालाना रू. 2000 करोड की कमी आएगी।

7.20 डी.डी.जी. कार्यक्रम (ऑफ ग्रिड) : डी.डी.जी कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानिय ग्रिड के माध्यम से घर-घर एवं अन्य व्यवसायिक गतिविधियों हेतु विद्युत व्यवस्था की जाती है। वर्ष 2014-15 से उक्त कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2014-15 से माह दिसम्बर 2017 तक 24 ग्रामों को सौर उर्जा से विद्युतीकृत किया गया है।

7.21 सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट (आफ ग्रिड) : प्रदेश के आदिवासी छत्रावासों/सामुदायिक स्वास्थ केन्द्रों/जेलों/शैक्षणिक संस्थाओं इत्यादि में निर्बाध रूप से विद्युत प्रदाय हेतु सोलर

फोटोवाल्टिक पावर पैक की स्थापना की जाती है। वर्ष 2009-10 से माह दिसम्बर 2017 तक 8541.4 कि.वा. क्षमता के सयंत्र स्थापित किये गये हैं जिनमे मुख्यत: शासकीय भवन वन विभाग पुलिस विभाग की दूरस्थ ग्रामीण चौकियों/थानों पातालकोट क्षेत्र के ग्रामों एवं अन्य संस्थायें सम्मिलित हैं। उपरोक्त आकडों में सोलर रूफटॉप नेट मीटिंग पालिसी के अंतर्गत 2816.8 कि.वा. क्षमता के संयत्र शामिल हैं।

7.22 सोलर फोटोवोल्टिक स्ट्रीट लाईट एवं होम लाईट (ऑफ ग्रिड) : प्रदेश के सुदुर ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर फोटोवोल्टिक स्ट्रीट लाईट एवं होम लाईट के माध्यम से प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2004-05 से माह दिसम्बर 2017 तक 17235 स्ट्रीट लाईट एवं 13225 होम लाईट संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं।

7.23 सोलर पम्प कार्यक्रम (आफ ग्रिड) : प्रदेश के कृषकों एवं आम जन हेतु सिंचाई पेय जल व्यवस्था के लिये सोलर पम्प की स्थापना की जाती है । वर्ष 2013-14 से माह दिसम्बर 2017 तक 4876 नग सोलर पम्प स्थापित किये जा चुके हैं। प्रदेश के किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान तक 1771 नग स्थापित किए गए है जो कि उपरोक्त आंकडों में शामिल हैं।

7.24 सूर्यमित्र स्किल डेवलेपमेंट कार्यक्रम : आई.टी.आई / डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को सौर उर्जा से संबंधित स्थापना कमिशनिंग एवं संचालन रखरखाव हेतु राष्ट्रीय सौर उर्जा संस्थान (NISE) भारत सरकार द्वारा तीन माह का निशुल्क आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 2015-16 से प्रारंभ किया गया है। अभी तक NISE से स्वीकृत 10 प्रशिक्षणों में से 09 संस्थानों में 255 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण पूर्ण किया जा चुका है । शेष 01 संस्थान (CRISP) में जारी है। इन प्रशिक्षित छात्र-छात्राओं प्रदेश में स्थापित/स्थापनाधीन सौर पावर प्लान्टस में रोजगार हेतु प्रयास किये जा रहा हैं व अब तक 48 प्रशिक्षित छात्र छात्राओं का प्लेसमेन्ट कराया गया है।
शेष हेतु प्रयास जारी है।

7.25 विकासखण्ड स्तरिये अक्षय उर्जा शॉप : अक्षय उर्जा एवं उर्जा दक्ष उत्पादों के प्रचार प्रसार विपणन एवं संयंत्रों के रखा रखाव हेतु प्रदेश के विकासखण्डों व जिलों में निजि अक्षय उर्जा शॉप कार्यरत हैं। इस अक्षय उर्जा शॉप द्वारा मुख्य रूप से एल.ई.डी. ब्लव एल.ई.डी. टयूवलाईट व 5 स्टार रेटिंग पंखे का वितरण भी किया जा रहा है।

7.26 बायोमास : कृषि अवशिष्टों से बायोमास आधारित केप्टिव/थर्मल/इलेक्ट्रीकल/ कोजनरेशन/कम्बस्चन तकनीक पर आधारित संयंत्र स्थापित किये जाते है। 2004-05 से दिसम्बर 2017 तक कुल 45.336 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं। जिसमें मुख्यत: बेकरी/इंडस्ट्रीज इत्यादि सम्मिलित हैं। राईस मिल्स क्षेत्रों व अन्य क्षेत्रों में बायोमास गैसिफिकेशन आधारित केप्टिव पावर जनरेशन प्लान्ट एवं बैकरिज एवं अन्य

इंडस्ट्रीज में कैप्टिव थर्मल आधारित प्लाटं स्थापित किये जाने के संबंध में प्रयास किये जा रहे हैं।

7.27 सेमीनार/ वर्कशॉप /प्रचार-प्रसार/प्रशिक्षण :

- निगम द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के तहत सेमीनार, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण आयोजित किये जाते है ।
- अक्षय उर्जा की योजनाओं / गतिविधियों व एल.ई.डी. बल्व व टयूवलाईट व 5 स्टार रेटिंग पंखे का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से जिलो में होर्डिंग मोबाइल मीडिया वैन / प्रचार-रथ, दैनिक समाचार पत्रों, नुक्कड नाटक कार्यक्रमों, वॉल पेटिंग, बस स्टॉप सेल्टर्स पर एवं रेल्वे स्टेशन के ग्लोशाइन बोर्डो पर निगम की योजनाओं के विज्ञापन का डिस्प्ले विभिन्न जिलों में किया गया है ।

नवीन एवं नवकरणीय उर्जा मंत्रालय भारत सरकार से स्वीकृति विलबं से प्राप्त होने अथवा स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण निर्धारित लक्ष्यों के विरूद्ध कमी परिलक्षित है ।

परिवहन

प्रदेश में अधोसंरचनात्मक सुविधाओं की दृष्टि से यातायात मार्गों एवं परिवहन संसाधनों का विशेष महत्व है । आवागमन हेतु राज्य में सड़कों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है । राज्य में उपलब्ध खनिज, वनोपज, कृषि उपज उपभोक्ता वस्तुओं एवं जनसामान्य को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिये रेल एवं सड़क मार्गों का उपयोग होता है । प्रदेश में रेल मार्गो की लम्बाई की अपर्याप्तता के फलस्वरूप सड़क यातायात पर निर्भरता अपेक्षाकृत अधिक है ।

7.28 राज्य की अर्थव्यवस्था में परिवहन क्षेत्र की भागीदारी स्पष्ट करना समीचीन होगा । वर्ष 2015-16 (प्रा) एवं 2016-17 (त्व.) में सकल राज्य मुल्यवर्धन में प्रचलित भावों पर इस क्षेत्र की क्रमशः 3.02 एवं 2.78 प्रतिशत अंश की भागीदारी रही है । स्थिर भावों पर (2011-12) राज्य घरेलू उत्पाद में परिवहन क्षेत्र की भागीदारी का अंश वर्ष 2015-16 व 2016-17 (त्व.) में क्रमशः 3.38 एवं 3.19 रहा । मध्य प्रदेश राज्य के सकल मुल्यवर्धन में वर्ष 2015-16 के प्रावधिक अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर रेल्वे का अंश 1.19 प्रतिशत रहा जबकि स्थिर भावों (2011-12) पर 1.33 प्रतिशत अंश है । वर्ष 2015-16 के त्वरित अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर रेल्वे का अंश 1.12 प्रतिशत तथा स्थिर भावों पर 1.24 प्रतिशत है । मध्य प्रदेश में सकल मुल्यवर्धन के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के प्रावधिक अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर संचार क्षेत्र का अंश 2.14 प्रतिशत एवं वर्ष 2016-17 (त्व.) के अनुसार 2.18 प्रतिशत है जबकि स्थिर भावों (2011-12) पर वर्ष

2015-16 में 2.40 प्रतिशत एवं वर्ष 2017-18 (त्व.) में 2.51 प्रतिशत अंश परिलक्षित है । राज्य सकल मुल्यवर्धन में परिवहन का अंश का वर्षवार विवरण **तालिका 7.5** में दर्शाया गया है ।

तालिका 7.5
सकल राज्य मूल्य वर्धन में परिवहन का अंश

अवधि	क्षेत्र					
	परिवहन (अन्य साधन)		रेल्वे		संचार	
	प्रचलित भावों पर	स्थिर (2011 -12) भावों पर	प्रचलित भावों पर	स्थिर (2011-12) भावों पर	प्रचलित भावों पर	स्थिर (2011 -12) भावों पर
2011-12	3.22	3.22	1.05	1.05	1.69	1.69
2012-13	3.10	3.17	1.19	1.24	1.65	1.69
2013-14	3.00	3.18	1.10	1.24	1.85	1.97
2014-15	3.09	3.31	1.09	1.20	2.02	2.16
2015-16 (प्रा.)	3.02	3.38	1.19	1.33	2.14	2.40
2016-17 (त्व.)	2.78	3.19	1.12	1.24	2.18	2.51

(प्रा.) - प्रावधिक अनुमान (त्व.) - त्वरित अनुमान

पंजीकृत वाहन

7.29 परिवहन विभाग एक गैर-योजनेत्तर विभाग है, जिसका प्रमुख कार्य केन्द्रीय/राज्यीय मोटरयान अधिनियमों/नियमों 1988 मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत पंजीयन, नियमन नियंत्रण एंव शासन को शुल्क व कर के रूप में राजस्व संग्रहण उपलब्ध कराना है । वर्ष 2016-17 में परिवहन विभाग ने 2200 करोड़ रूपये का राजस्व अर्जित किया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि रूपये 2576.00 करोड के विरूद्ध दिनांक 28 अगस्त 2017 तक लगभग राशि रूपये 1013.67 करोड का राजस्व लक्ष्य अर्जित किया गया है। जो गत वर्ष की तुलना में लगभग 37 प्रतिशत अधिक है।

7.30 प्रदेश में पंजीकृत वाहनों में निरंतर वृद्धि हो रही है जहां वर्ष 2016-17 में 13193 हजार वाहन पंजीकृत हुये एवं वर्ष 2017-18 के अगस्त 2017 तक 519 हजार वाहन पंजीकृत हुये है।

तालिका 7.6
पंजीकृत वाहनों की संख्या

(संख्या हजार में)

वर्ष	कार एवं जीप	टेक्सी केब/ थ्रीव्हीलर	यात्री वाहन	माल वाहन	मोटर-सायकिल/ स्कूटर, मोपेड आदि	अन्य ट्रेक्टर ट्राली सहित	कुल पंजीकृत वाहन
2012-13	493	132	153	242	6887	815	8722
2013-14	611	151	156	263	7668	872	9721
2014-15	696	226	172	244	8831	972	11141
2015-16	784	243	176	267	9632	1027	12129
2016-17	877	261	180	292	10498	1085	13193

7.31 विभाग की कार्ययोजना की प्रगति एवं लाभकारी योजना:- मध्यप्रदेश परिवहन विभाग द्वारा आम जनता को मोबाइल एप्प तथा एस.एम.एस. के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

एम.पी.मोबाइल एप्प सेवा के माध्यम से पंजीकृत वाहन, ड्रायविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, वाहनों पर लगने वाले मोटरयान कर की गणना अस्थाई पंजीयन एवं भुगतान रसीद के विवरण आदि की जानकारी सहजता से प्राप्तकी जा सकती है इसके अलावा विभाग द्वारा प्रारंभ की गई ई-सेवा के तहत परिवहन विभाग की बेबसाईट www.mptransport.org व एस.एम.एस. नम्बर 53030 पर वाहनों से संबंधित समस्त जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है।

इसके अलावा ई-डी.एल. एवं ई-आर.सी.सेवा के माध्यम से चालक लाइसेंस एवं पंजीयन प्रमाण पत्र को डिजीटल स्वरूप में मोबाइल में डाउनलोड किया जा सकता है।

वाहनों का पंजीयन, चालक लाइसेंस, फिटनेस अनापत्ति प्रमाण पत्र, वाहनों के परमिट, कर भुगतान एवं डीलर प्वाइंट इन्रोलमेंट रजिस्ट्रेशन व्यवस्था ऑनलाइन प्रारंभ की जा चुकी है। डीलर प्वाइंट इन्रोलमेंट रजिस्ट्रेशन व्यवस्था से नवीन वाहन क्रय करने वाले वाहन स्वामियों को परिवहन कार्यालय जाने की आवश्यकता समाप्त हो गई है।

7.32 लोकसेवा गारंटी के अंतर्गत सेवायें: आम जनता की सुविधा के उद्देश्य से विभाग से संबंधित 17 आवश्यक सेवाओं को लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2065 की परिधि में लाया गया है। लर्निंग ड्रायविंग लाइसेंस जारी करना, वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करना, वाहन का

पंजीयन, लर्निंग लायसेंस की प्रतिलिपि जारी करना, वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि जारी करना, वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण, ड्रायविंग लाइसेंस जारी करना,डुप्लीकेट ड्रायविंग लायसेंस जारी करना, ड्रायविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, मंजिली गाडी के लिये अस्थाई परमिट जारी करना, मंजिली गाडी के लिये स्थाई परमिट जारी करना, डुप्लीकेट वाहन पंजीयन कार्ड, वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण, मृत्यु के बाद स्वामित्व का हस्तांतकरण (परिवार के अंदर), स्वामित्य का हस्तांतरण के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना,पते में परिवर्तित के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना, वाहनों पंजीयन का नवीनीकरण।

- मध्यप्रदेश शासन ने परिवहन विभाग द्वारा महिलाओं के हित में चालक अनुज्ञप्ति नि:शुल्क जारी किये जाने का निर्णय लिया है। दिसम्बर 2015 से यह व्यवस्था लागू की जा चुकी है। जिसमें 31 जुलाई 2017 तक ड्रायविंग लायसेंस 114561 तथा लर्निंग लाइसेंस 153804 नि:शुल्क जारी किये जा चुके है।
- 01 अगस्त 2017 से चालक अनुज्ञप्ति के आवेदन कर्ताओं को उसी दिन लर्निंग लायसेंस देने की व्यवस्था की गई है। माह अगस्त 2017 तक 47907 लर्निंग लायसेंस जारी किये जा चुके है।
- यात्री वाहनों में महिलाओं के लिए पृथक से सीट आरक्षित कराने की व्यवस्था की गई है साथ ही नवजात शिशुओं की माताओं के लिये चालक के ठीक पीछे वाली सीट को आरक्षित करते हुए उसे तीन ओर से पर्दे से ढंके जाने की व्यवस्था भी लागू की गई है जिससे यात्रा के दौरान नवजात शिशु को माता द्वारा दूध पिलाने में असहजता का सामना न करना पडे।
- दिव्यांग यात्रियों को यात्री वाहनों में यात्रा के समय देय किराये में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान किये जाने के साथ-साथ उनके लिए पृथक से सीटों को आरक्षित किये जाने का आदेश भी जारी किये गये है।
- मध्यप्रदेश राज्य परिवहन नीति बनाने वाला देश का प्रथम राज्य है जिसमें खुली परमिट नीति, कम टैक्स दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री वाहन सुविधा उपलब्ध कराना। बस स्टेण्डों का प्रबंधन तथा यात्रियों को सुरक्षित एवं सुलभ परिवहन संसाधन मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है। आरामदायक यात्रा तथा गंतव्य स्थल पर शीघ्र पहुंचाने की दृष्टि से नॉन स्टाप बस सेवा प्रारंभ की गई है। यात्री सुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से यात्री वाहनों में दो दरवाजे एवं एक आपातकालीन खिडकी होना, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है।
- दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने तथा जनहानि को न्यूनतम किये जाने के लिए स्कूल वाहनों के साथ-साथ अन्य यात्री एवं मालवाहनों में 01 अप्रैल 2017 से स्पीड गर्वनर लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के निर्देशों के अनुपालन में राज्य सडक सुरक्षा क्रियान्वयन समिति का भी गठन किया

है। व्यावसायिक वाहनों के चालकों का वर्ष में एक बार नेत्र परीक्षण अनिवार्य किया गया है। सभी वाहनों में तृतीय पक्ष बीमा (Third party insurance) भी अनिवार्य किया गया है।

- यात्री वाहनों में सफर करने वाले यात्रियों की समस्याओं का निदान करने हेतु परिवहन आयुक्त कार्यालय मोतीमहल ग्वालियर में एक कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है जो 24 घंटे लगातार कार्यरत रहता है। कन्ट्रोल रूमें में नम्बर 0751-2423105 एवं 0751-2423113 व मोबाइल नं0 09479925202 है एवं महिलाओं की सुरक्षा के लिये की जाने वाली सहायता हेल्पलाईन नं0 1091 यात्री वाहनों पर अंकित कराया गया है।
- प्रदेश को प्रदूषण मुक्त किये जाने तथा हरित मध्यप्रदेश (Green M.P.) के निर्माण की दिशा में सी.एन.जी./ बैटरी चलित छोटे वाहनों पर मोटरान कर की दरों में कमी की गई है तथा पुरानी वाहनों पर ग्रीन टैक्स अधिरोपित किया गया है और पी.यू.सी. लायसेंस देने की प्रक्रिया को सरल करने के आदेश जारी किये गये है।
- शासन द्वारा प्रदेश में कार्यरत मोटरयान चालकों/परिचालकों और उनके परिवार के कल्याण हेतु मध्यप्रदेश मोटरयान चालक/ परिचालक कल्याण योजना 2015 जारी की गई जिसके अंतर्गत शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत चालक / परिचालकों को लाभांवित किया जाता है। चालक अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित भाव से कार्य करें इसके लिए उनके उत्साहवर्धन हेतु प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ चालक को शासन की ओर प्रशस्ति पत्र एवं एक लाख रूपये के नगद पुरूस्कार से सम्मानित किया जावेगा।
- यात्रियों को नई बसों में यात्रा करने की सुविधा मिले इस हेतु दिनांक 28.12.15 से निर्णय लिया गया है कि स्टेज केरिज के रूप में मार्ग पर संचालित परमिट की बसे 15 वर्ष से अधिक की न हो।
- ग्रामीण क्षेत्र से शहर जाने वाले महाविद्यालयों में पढने वाले छात्रों को ले जाने हेतु नि:शुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने का शासन ने निर्णय लिया है। व्यापक जनहित की दृष्टि से मार्गो के सूत्रीकरण एवं अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञा पत्र के अधिकार क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार (आर.टी.ए.) को प्रत्यायोजित किये गये है। शासन द्वारा ग्रामीण परिवहन सेवा अंतर्गत अधिक से अधिक परमिट प्राप्त करने हेतु मंजिली यात्री वाहनों पर शर्त लगाने का भी परीक्षण किया जा रहा है।
- करो के सरलीकरण के संदर्भ में अब 12000 किलोग्राम सकल यान भार के माल यानों को भी जीवन काल कर जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है।
- इंदौर में ऑटोमेटिक एवं कम्प्यूटीकृत ड्रायविंग ट्रेक का निर्माण किया गया है। ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर व सागर में ड्रायविंग ट्रेक खोलने की योजना प्रथम चरण में है। जिस हेतु केन्द्र शासन को रूपये 2.80 करोड का प्रस्ताव केन्द्र शासन को भेजा गया है।

परिवहन नीति 2010 की कार्य योजना : जनहितकारी सार्वजनिक परिवहन योजना के अंतर्गत सार्वजनिक परिवहन बसों को प्रोत्साहन, माल वाहनों पर प्रभावी नियंत्रण, प्रदेश के मार्गो का विकास एवं निर्माण तथा जानमाल की सुरक्षा बढ़ाने एवं दुर्घटनाएं कम करने के उपायों को सम्मिलित किया गया है । खुली परमिट व्यवस्था परमिट शर्तो का पालन कराया जाना सम्मिलित है । ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ करना । बस स्टेण्ड प्रबंध एवं नियमन की उचित प्रशासनिक व्यवस्थायें की जाना । इलेक्ट्रॉनिक तौल काँटे पी.पी.पी. मॉडल पर चैकिंग हेतु लगाये जाने एवं एकीकृत एवं इलेक्ट्रॉनिक जॉच चौकियों का निर्माण कराया जाना ।

तैयार की गई कार्य योजना की प्रगति एवं अन्य लाभकारी योजनाओं की अद्यतन जानकारी :

- महिलाओं के कल्याण की दिशा में नि:शुल्क ड्रायविंग लाइसेंस बनाने की योजना 28.12.2015 से प्रारंभ की गई है । महिलाओं/विकलांगों एवं नि: शक्तजनों के लिये वाहनों में सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है ।
- चालक / परिचालकों के कल्याण हेतु चालक परिचालक कल्याण बोर्ड 2015 का गठन किया गया है जिसके तहत व्यावसायिक वाहनों के चालकों/परिचालकों का समग्र में पंजीयन कराया जाएगा । चालक /परिचालकों के कल्याण एंव उनके परिवार के सदस्यों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोडा जावेगा ।
- वाहन स्वामियों की सुविधा हेतु करों (ज्गमे) का युक्तियुक्तकरण किया गया है जिसके तहत निजी वाहन स्वामियों को जीवनकाल कर के भुगतान की सुविधा प्रदाय की गई है ।
- स्कूल बसों को कर में छूट दी गई है । मात्र 1/- रूपये प्रतिसीट प्रतिमाह के मान से रियायती दर से कर निर्धारित किया गया है । जिससे शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी अपेक्षाकृत कम व्यय में वाहन सुविधा प्राप्त कर सके । स्कूलबसों का किराया निर्धारण किये जाने से संबंधित समस्याओं हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में किराया निर्धारण समिति का गठन किया गया है ।
- बीओटी मॉडल के आधार पर 24 परिवहन जॉच चौकियों को कम्प्यूटराईज्ड करने की योजना है जिसमें अधिकांश चौकियों का आधुनिकीकरण कर दिया है ।
- ग्रामीण जनता के परिवहन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन सेवा का शुभारंभ किया गया है जिसके तहत ग्रामीण जनता को रियायती दरों पर परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो सके । ग्रामीण परिवहन सेवा अन्तर्गत अनुज्ञाधारी से न्यूनतम दर 60/- प्रति तिमाही प्रति सीट के मान से मोटरयान कर लिया जा रहा है । सभी ग्रामीण क्षेत्रों को जिला मुख्यालयों से जोडने की शुरूआत की है ।
- इन्दौर, भोपाल, उज्जैन, छिंदवाडा एवं जबलपुर में नॉन स्टॉप सेवा प्रारंभ की गई है ।

- वाहनों के प्रदूषण की जॉच हेतु **" प्रदूषण जॉच केन्द्रों "** को खोलने की प्रकिया की प्रकियाका सरलीकरण किया गया है ।
- वाहन दुर्घटनाओं को कम करने के लिये व्यावसायिक वाहन चालकों का नेत्र परीक्षण अनिवार्य किया गया है । ट्रेक्टर / ट्रॉलियों में वाहनों के रिफलैक्टर लगाए जाने का कार्य प्रारंभ किया गया है जिसक तहत अभियान चलाकर 3 लाख से अधिक वाहनों में रिफलैक्टिंग टेप लगाये गये है ।
- बस स्टेण्डों के उन्ययन के लिये **मध्यप्रदेश इनटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी** का गठन किया गया है ।
- लोक सेवा गारन्टी योजना के तहत परिवहन विभाग की 11 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है ।
- इन्दौर एवं ग्वालियर शहर में वाहनों के नम्बर आवंटन की प्रक्रिया को सरलीकरण करते हुए वाहन पंजीयन डीलरों के माध्यम से प्रारंभ किया गया है । वाहनें मोटरयान अधिनियम 1980 में प्रावधानित निर्धारित समय में वाहनों के मार्ग पर चलने की दृष्टि से डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम ग्वालियर एवं इन्दौर में प्रारंभ किया जा चुका है । इस प्रणाली के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए शेष जिलों में भी लागे किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है ।
- शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई जिसके तहत 301 वाहन चालकों के चालान बनाए जाकर उनके लाइसेंस निलंबित किये गए ।
- वास्तविक कृषकों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले ट्रेक्टर अनुयान, हार्वेस्टर एवं कम्बाईन यानों को 3 वर्ष तक राज्य में पंजीयन कराए जाने पर उन्हें 6 प्रतिशत के स्थान पर एक प्रतिशत मोटरयान कर लिये जाने की योजना प्रारंभ की गई है ।
- केन्द्र शासन द्वारा पांढुरर्ना जिला छिंदवाडा में ड्रायविंग ट्रेनिंग स्कूल फिटनेस सेंटर का निर्माण किया गया है । चालकों को उपयुक्त एवं बेहतर प्रशिक्षण देने की दृष्टि से भोपाल, जबलपुर एवं सागर में ड्रायविंग ट्रेनिंग स्कूल के निर्माण का प्रस्ताव केन्द्र शासन को भेजा जा रहा है ।

लोक निर्माण विभाग की सड़क

राज्य में रेल परिवहन के साथ-साथ सड़क परिवहन, माल तथा यात्री परिवहन के प्रमुख संसाधन है । प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के साथ-साथ प्रधान मंत्री ग्रामीण सडक योजनान्तर्गत राज्य में विभिन्न श्रेणी के मार्गो की लंबाई की जानकारी निम्नानुसार है:-

तालिका 7.7

प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों की लम्बाई

(किलोमीटर)

वर्ष	राष्ट्रीय राजमार्ग	प्रान्तीय राजमार्ग	मुख्य जिला मार्ग	अन्य जिला / ग्रामीण मार्ग	कुल योग(कि.मी.)
2015 जनवरी	4771	10934	19429	26482	61616
2016	4771	10934	19429	26482	61616
2017	7806	11060	20412	24359	63637
2018 जनवरी	7806	11389	22129	23395	64719

7.33 राष्ट्रीय राजमार्ग : मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरने वाले 46 राष्ट्रीय राजमार्गो की लंबाई 7806 किलोमीटर है । जिसमें सर्वाधिक लंबाई 717 किलोमीटर आगरा-मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग की है, वाराणसी- कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 511 किलोमीटर है यह दूसरा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो प्रदेश से गुजरता है । राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य को देश के मुम्बई, आगरा, वाराणसी, कन्याकुमारी, जयपुर, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद, अहमदाबाद, रेनुकूट, ऊधमपुर, कोटा, बांदा, अजमेर, कानपुर, आदि महत्वपूर्ण नगरों से जोड़ते हैं ।

7.34 प्रान्तीय राजमार्ग : प्रान्तीय राज्य मार्गो की लम्बाई वर्ष 2017-18 के माह जनवरी, तक 11389 किलोमीटर रही है ।

7.35 मुख्य जिला मार्ग : राज्य में वर्ष 2017-18 के जनवरी, तक कुल 22129 किलोमीटर है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

प्रदेश के सभी गांव समृद्ध और आत्म निर्भर बनें इस उद्देश्य से “स्मार्ट गांव-स्मार्ट पंचायत की अवधारणा को लागू कर ग्रामीण अंचलों के समग्र विकास की नई रणनीति लागू की जा रही है । स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित होकर हजारों गांव तरक्की के नये रास्ते पर आगे बढे इसलिये गांवो के अधोसंरचना विकास के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा तथा आर्थिक और वैयक्तिक विकास की दिशा में सुनियोजित प्रयास हो रहे है ।

प्रदेश के गांव समृद्ध स्वच्छ और सशक्त बन सकें, इसलिये विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के जरिये गांवो की तस्वीर बदलने और सामाजिक तथा आर्थिक विकास के सुनियोजित प्रयास हो रहे है। गांव में पक्की सडकें, पीने के पानी का इंतजाम और बैंक

सुविधाओं से लोगों के जीवन में नया बदलाव आया है । बडी तादाद में ग्राम में पंचायतों आंगनवाडियों और स्कूलों के भवन बन रहे है ।

प्रदेश के गांव इंटरनेट के जरिये दुनिया से जुड सकें इसलिये पंचायत भवनों में आधुनिक ई-पंचायत कक्ष बनाये जा रहे है । यहां कम्प्यूटर, प्रिंटर और टेलीविजन सुविधा भी मुहैया कराई गई है। ग्राम पंचायतों को सशक्त और अधिकार संपन्न बनाने के लिये पंचायत प्रतिनिधियों को गांव के विकास के व्यापक अधिकार दिये गये है ।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार एवं विकास हेतु दिसंबर 2000 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत सामान्य विकासखण्ड क्षेत्र में 500 या इससे अधिक तथा आदिवासी विकासखण्ड क्षेत्र में 250 या इससे अधिक आबादी वाले संपर्क विहीन ग्रामों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने तथा अन्य जिला एवं ग्रामीण मार्गों का निर्माण एवं उन्नयन कार्य किया जाता है ।

बाक्स 7.2

मार्गो का चयन

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक जिले का एक मास्टर प्लान, कोर नेटवर्क तथा आबादी के घटते क्रम में प्राथमिकता सूची तैयार की गई है । उसी के अनुसार प्रत्येक वार्षिक योजना में लेने हेतु सड़कों का चयन किया जाता है । भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार संपर्कविहीन ग्रामों को जोड़ने हेतु केवल नये मार्गो का निर्माण किया जाता है, साथ ही भारत सरकार द्वारा दिशानिर्देशों में किये गये परिवर्तनानुसार पूर्व में निर्मित BT/WBM एवं ग्रेवल रोड जो खराब स्थिति में हैं का सुधार एवं उन्नयन का कार्य भी किया जाता हैं । वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर नये दिशा निर्देशों के अनुसार CNCPL (Comprehensive New Connectivity Prirority List), or CUPL (Comprehensive Upgradation Priority List) तैयार किये जाते है एवं इन्हीं के आधार पर मार्गो का प्राथमिकता सूची के अनुसार चयन किया जाता है ।

योजनायें एंव उपलब्धियां :-

1. योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में वार्षिक लक्ष्य 5000 किमी सडक निर्माण के विरूद्ध 5081 किमी सडक निर्माण कराए जाकर राशि रूपये 1653 करोड का व्यय किया गया। वित्तीय 2017-18 में वार्षिक लक्ष्य 5000 कि.मी. हेतु राशि रूपये 1500 करोड के विरूद्ध माह दिसम्बर 2017 तक राशि रूपये 1348 करोड राशि व्यय करते हुए 3178 करोड सडक निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है।

2. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के तहत प्रारंभ से दिसंबर 2017 तक कुल 68771 किमी. लम्बाई की 16888 सडकों तथा 188 बडें पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए रूपये 19824 करोड का व्यय किया गया । शेष स्वीकृत मार्गो का कार्य एवं निविदा कार्यवाही प्रगति पर है ।

3. हरित क्रांति को बढावा देने की दृष्टि से प्राधिकरण द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट **(Waste Plastic)** का उपयोग कर 3811 किमी मार्गों का निर्माण कराया गया। वित्तीय वर्ष 2017-18 में माह दिसंबर अंत तक प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रयोग कर लगभग 750 किमी मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

4. भारत सरकार द्वारा विद्यमान अन्य जिला मार्ग एवं ग्रामीण मार्गों के उन्नयन के उद्देश्य से पीएमजीएवाय-2 योजना प्रारंभ की गई है। जिसके तहत प्रदेश को 5000 किमी मार्गो का उन्नयन करने का लक्ष्य भारत सरकार से प्राप्त हुआ है। भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप प्रदेश द्वारा मार्गों के चयन का कार्य पूर्ण करते हुए भारत सरकार से प्रथम चरण में 172 मार्गों की लंबाई 2156 किमी तथा 25 बडे पुलों हेतु राशि रूपये 1425.29 करोड की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है एवं निविदा कार्यवाही प्रचलन में है तथा द्वितीय चरण के तहत 205 मार्गो की लंबाई 2859 किमी एवं 121 बडे पुलों की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु राशि रूपये 1979.57 करोड के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिये गये हैं। अद्यतन स्थिति में स्वीकृति अपेक्षित है।

5. विश्व बैंक की सहायता से मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना द्वारा 10000 किमी ग्रेवल मार्गो का डामरीकरण एवं 510 किमी नवीन मार्गो का निर्माण कार्य प्रस्तावित है । परियोजना की अनुमानित लागत 505 मिलियन यू.एस.डी. है। ग्रेवल मार्गो के नवीनीकरण हेतु 187 पैकेजों की निविदा आमंत्रित की जाकर 4000 किमी के कार्य हेतु अनुबंध किया जा चुका है एवं 230 पैकेजों के द्वारा 5000 किमी के मार्गों के डामरीकरण हेतु निविदा आंमत्रित की गई है, जो प्रक्रियाधीन है। परियोजना प्रबंधन हेतु विश्व बैंक की गाइडलाईन के अनुसार राज्यस्तर पर प्रोजेक्ट मेनेजमेंट कंसलटेंट की नियुक्ति एवं परियोजना क्रियान्वयन ईकाई स्तर पर सुपरविजन कंसलटेंट की नियुक्ति की जा चुकी है।

7.36 मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना : सामान्य क्षेत्र में 500 तथा आदिवासी क्षेत्र में 250 से कम आबादी के समस्त राजस्व ग्रामों को सिंगल कनेक्टिविटी द्वारा पुल-पुलियों सहित बारहमासी सडक सम्पर्क (ग्रेवल सडक उपलब्ध कराने) हेतु मनरेगा, बीआजीएफ और राज्य मद के अभिसरण से मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना का शुभारंभ वर्ष 2010-11 में किया गया है । योजनांतर्गत 8854 ग्रामों को जोडने हेतु 8391 सडके जिसकी लंबाई 19456 किमी के कार्य के लिये राशि रूपये 4191 करोड के सम्पन्न कराए जा रहे हैं। नवम्बर 2017 तक 6892 ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोडा जाकर 6658 सडकों का कार्य पूर्ण करा जा चुका है। जिस पर राशि रूपये 2596 करोड व्यय किये गये है।

सिंचाई

7.37 कुल सिंचाई क्षमता : राज्य की अर्थ व्यवस्था कृषि प्रधान है जिसमें सिंचाई का विशेष महत्व है । राज्य की 10 प्रमुख नदियों में वार्षिक औसतन 81500 मिलियन घन मीटर (75 प्रतिशत निर्भरता) है जिसमें से लगभग 56800 मिलियन घनमीटर प्रदेश को आवंटित है । जो कुल उपलब्ध जल क्षेत्र का 69.7 प्रतिशत है ।

7.38 सिंचित क्षेत्र एवं सिंचाई के स्त्रोत : वर्ष 2015-16 शुद्ध सिंचित क्षेत्र 9284.5 हजार हेक्टर था जो बडकर वर्ष 2016-17 में 9876.0 हजार हेक्टर हो गया । इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में 6.37 प्रतिशत की बृद्धि रही । वर्ष 2016-17 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई का प्रतिशत 66.48 कुएं एवं नलकूप से है, उसके पश्चात नहरों/तालाबों से सिंचाई का प्रतिशत 21.12 तथा अन्य स्त्रोतों से शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत 12.40 रहा । विभिन्न स्त्रोतों से सिंचित क्षेत्र का वर्षवार विवरण **तालिका 7.8** में दर्शाया गया है ।

तालिका 7.8

सिंचाई के स्त्रोत द्वारा कुल सिंचित क्षेत्रफल

(हजार हेक्टर में)

वर्ष	शासकीय नहरें	गैर शासकीय नहरें	तालाब	नलकूप/कुऐं	अन्य	शुद्ध सिंचित क्षेत्र	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	कुल बोया गया क्षेत्र	शुद्ध बोये गये क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत
2012-13	1440.38	0.1	226.8	5727.0	1156.0	8550.2	15455	23233	55.32
2013-14	1625.0	-	264.5	6217.6	1347.5	9454.6	15525	24150	60.9
2014-15	1646.3	-	273.1	6403.0	1261.6	9584.0	15454	23913	62.0
2015-16	1682.5	-	262.1	6198.8	1141.1	9284.5	15252	23817	60.9
2016-17	1791.2	-	295.1	6565.3	1224.4	9876.0	15331	24317	64.4

स्त्रोतः- भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त म.प्र.

7.39 शासकीय साधनों से निर्मित सिंचाई क्षमता एवं उपयोग : राज्य में शासकीय साधनों से अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित करने के निरन्तर सत्त प्रयास किये जा रहे हैं। जल संसाधन

विभाग द्वारा वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2016-17 में 2902.74 हजार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई क्षमता का उपयोग किया गया था जो वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर 2017 तक 2376.83 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का उपयोग किया गया है।

राज्य में वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं से निर्मित सिंचाई क्षमता एवं उपयोग का वर्षवार विवरण **तालिका 7.9** में दर्शाया गया है।

तालिका 7.9

सिंचाई क्षमता एवं उपयोग

(हजार हेक्टर में)

वर्ष	**वृहद एवं मध्यम सिंचाई क्षमता का उपयोग**	**लघु सिंचाई क्षमता का उपयोग**	**कुल योग सिंचाई क्षमता का उपयोग**
2012-13	1440.88	579.78	2020.66
2013-14	1569.00	761.00	2330.00
2014-15	1633.10	758.90	2392.00
2015-16	1968.71	781.68	2750.39
2016-17	1998.63	904.11	2902.74
2017-18 (दिसम्बर 2017 तक)	1732.86	643.96	2376.83

राज्य में शासकीय साधनों से अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित करने सतत प्रयास किये जा रहे है । जल संसाधन विभाग द्वारा वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2017-18 माह दिसम्बर 2017 तक में अद्यतन लगभग 23.77 लाख हेक्टर सिंचाई क्षमता का उपयोग किया गया है।

7.40 फसलों के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र : समस्त फसलों का सिंचित क्षेत्र वर्ष 2015-16 में 10029 हजार हेक्टेयर एवं वर्ष 2016-17 में 10671 हजार हेक्टेयर रहा । इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में समस्त फसलों के सिंचित क्षेत्रफल में 6.40 प्रतिशत की बृद्धि रही । इस अवधि में धान, गेहू, समस्त दलहन, समस्त तिलहन, कपास, मसाले, फल एवं सब्जिया एवं अन्य के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र में क्रमशः 16.78, 7.21, 3.95, 4.42, 2.09, 1.42, 2.53 एंव 6.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा गन्ना के सिंचित क्षेत्र में 7.69 प्रतिशत की कमी आंकी गई है । प्रमुख फसलों के अंतर्गत कुल सिंचित क्षेत्र का वर्षवार विवरण **तालिका 7.10** में दर्शाया गया है ।

तालिका 7.10
प्रमुख फसलों के अंतर्गत कुल सिंचित क्षेत्र

(हजार हेक्टेयर में)

वर्ष	धान	गेहू	समस्त दलहन	समस्त तिलहन	गन्ना	कपास	मसाले	फल एवं सब्जियां	अन्य	कुल योग
2012-13	466	5086	1805	414	87	318	315	315	160	8966
2013-14	557	5638	2054	428	102	325	328	330	157	9919
2014-15	704	5934	1910	393	121	333	369	341	195	10300
2015-16	721	5647	1797	407	130	335	423	396	173	10029
2016-17	842	6054	1868	425	120	342	429	406	185	10671

स्त्रोत:- भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त म.प्र.

कमाण्ड क्षेत्र (विकास) :-

7.41 कमाण्ड क्षेत्र (विकास) कार्यक्रम एवं सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी : राज्य में बेहतर भूमि, जल प्रबंधन तथा वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अधीन सैच्य क्षेत्रों में अधिकतम सिंचाई क्षमता का विकास एवं उपयोग कर, कृषि उत्पादन में वृध्दि करने के उदेश्य से भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य शासन के संकल्प दिनांक 09 सितम्बर 1974 के अनुसार प्रदेश में कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है ।

प्रारम्भ में इसका नियंत्रण सामान्य प्रशासन विभाग तथा कृषि विभाग के पास रहा । इन कार्यक्रम को और अधिक गति प्रदान करने के उदेश्य से राज्य शासन द्वारा 23 सितम्बर 1980 को स्वतंत्र रूप से आयाकट विभाग का, कृषि उत्पादन आयुक्त के अंतर्गत गठन किया गया ।इसके उपरांत सात अन्य प्राधिकरण बारना, बरगी (रानी अवंती बाई लोधी सागर), वैनगंगा, ग्वालियर, बाण सागर, हसदेव, महानदी, का गठन किया गया एवं समन्वय स्थापित करने हेतु राज्य स्तरीय आयाकट प्रकोष्ठ का गठन किया गया ।

मंत्री परिषद के निर्णय दिनांक 2 दिसम्बर 1999 के पालन में राज्य शासन द्वारा दिनांक जनवरी 2002 द्वारा आयाकट विभाग को समाप्त कर इसका संविलियन जल संसाधन विभाग में किया गया विभाग के आदेश दिनांक 16-12-2003 द्वारा आयाकट विकास प्राधिकरणों को प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में रखा गया है ।

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग द्वारा दिनांक 22-08-2007 के माध्यम से कमाण्ड क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के लिए राज्य स्तरीय आयाकट प्रकोष्ठ भोपाल को पुनर्विनियोजित कर कमाण्ड क्षेत्र विकास संचालनालय जल संसाधन विकास भोपाल बनाया गया ।

विभाग द्वारा 12 अक्टूबर 2012 में संचालक कमाण्ड क्षेत्र विकास का पद पुनर्विनियोजित कर आयुक्त, कमाण्ड क्षेत्र विकास का पद सृजित किया गया। जिसके (प्रमुख अभियंता स्तर) अधीन आठ कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन प्रकोष्ठ भोपाल, ग्वालियर, सिवनी, जबलपुर, रीवा, सागर, इन्दौर, एवं दतिया कार्यरत हैं ।

मध्यप्रदेश राज्य सिंचाई परियोजना के कमांड क्षेत्र विकास के उद्देश्य से कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम क्रियान्वयन किया जा रहा है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान में 8 कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन प्रकोष्ठ कार्यरत हैं, जिसमें 23 परियोजनाये क्रमशः कोलार, कुंवर चैन सागर, रेहटी, सगड, बघरू, संजय सागर (बाह), थावंर, पेंच, बिलगांव, महुअर,सिंध फेस 2, सिंहपुर, महान, कछाल, हरसी, बैनगंगा, बाघ, रानी अवंतीबाई लोधी सागर, राजघाट नहर परियोजना, बरियारपुर एवं बाणसागर माही एंव गुरमा नाला परियोजनायें शामिल हैं । इन परियोजनाओं के अंतर्गत कुल 1037765 हेक्टर क्षेत्र के विरूद्ध मार्च, 2017 तक 555285 हेक्टेयर क्षेत्र में फील्ड चैनल निर्माण कार्य किया गया है । प्रदेश में कमांड क्षेत्र विकास की गतिविधियों हेतु सिंचाई परियोजनाओं में कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उददेश्य से 2045 जल उपभोक्ता संस्थाओं का गठन किया गया है । वर्तमान में कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत 570 जल उपभोक्ता संस्थाओं द्वारा भागीदारी सुनिश्चित की गई है । भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं में वर्ष 2017-18 में रू0 59.47 करोड केन्द्राश राशि प्राप्त हुई है ।

कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित गतिविधियों के लिए वित्तिय वर्ष 2017-18 हेतु 163209 हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसंबर 2017 तक 111054 हेक्टेयर कार्य संपादित किया गया है एंव 398.39 करोड के बजट प्रावधान के विरुद्ध दिसंबर 2017 तक 224.60 करोड व्यय किया गया है ।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

"प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास" परियोजनाओं की आयोजना, क्रियान्वयन अनुश्रवण हेतु " राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन", मध्यप्रदेश नोडल संस्था है, जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश के अधीन म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत संस्था है। "विकास आयुक्त" राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के अध्यक्ष है।

- "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास का मुख्य उद्देश्य (1) मृदा एवं जल संरक्षण/संवर्धन के माध्यम से वर्ष आधारित कृषि क्षेत्र में सुरक्षात्मक सिंचाई उपलब्ध

कराना। (2) वर्षा आधारित कृषि भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करना। (3) संसाधनहीन ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविका उन्नयन हेतु सहायता प्रदान करना है।

- इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में वर्तमान राशि रूपये 2547.89 करोड की लागत से 21.23 लाख हेक्टयर क्षेत्र में 377 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। कार्यक्रम के अंतर्गत राशि रूपये 12000.00 प्रति हेक्टयर के मान से परियोजना राशि आवंटित की जाती है। जो वित्त पोषण हेतु 60: केन्द्रांश तथा 40: राज्यांश का प्रावधान किया गया है।
- योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल राशि रूपये 372.19 करोड उपलब्ध हुए जिसके विरूद्ध राशि रूपये 330.38 करोड व्यय किये जाकर वित्तीय 89% प्रगति अर्जित की गई है।
- योजनांतर्गत वर्ष 2016-17 में 4784 जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण कराया गया है। परिर्णामतः 25525.00 हेक्टयर भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराते हुए 127.00 हेक्टयर पडत भूमि को कृषि/उद्यानिकी भूमि के रूप में विकसित किया गया है।
- योजनांतर्गत वर्ष 2017-18 में दिसम्बर 2017 तक कुल राशि रूपये 176.98 करोड उपलब्ध हुए है जिसके विरूद्ध राशि रूपये 150.32 करोड व्यय किये जाकर वित्तीय वर्ष 2017-18 में 85 प्रतिशत प्रगति अर्जित की गई है।
- योजनांतर्गत वर्ष 2017-18 में 2534 जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण कराया गया है। परिर्णामतः 7602 हेक्टयर भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है एवं 105 हेक्टयर पडत भूमि को कृषि/उद्यानिकी भूमि के रूप में विकसित किया गया है।

8

सामाजिक क्षेत्र

शिक्षा

पिछले एक दशक में राज्य में साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । वर्ष 2011 की जनगणनानुसार प्रदेश की साक्षरता दर 70.6 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत 74.04 से कम है । उपरोक्त साक्षरता दर के उपरांत भी लगभग 40 प्रतिशत महिलायें निरक्षर है । राज्य में साक्षरता दर में वृद्धि हेतु सघन प्रयास किये जा रहे हैं ।

प्रारंभिक शिक्षा

8.1 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 : प्रदेश में 01 अप्रैल, 2010 से यह योजना प्रभावशाली है । इस योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में मार्च, 2011 को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 जारी किये गये हैं। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप समस्त अपेक्षित कार्यवाहियां राज्य शासन ने पूर्ण की है ।

प्रारंभिक शिक्षा के मौलिक अधिकार के क्रियान्वयन के लिये बनाया गया निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों का क्रियान्वयन सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है । सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2017-18 के लिये स्वीकृत 5740.95 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत हुई है । राज्य शिक्षा केन्द्र से संबंधित योजनाओं की वर्ष 2017-18 की वित्तीय उपलब्धि (अगस्त 2017 की स्थिति में) का विवरण **तालिका 8.1** में दर्शाया गया है ।

तालिका 8.1

राज्य शिक्षा केन्द्र की योजनाऐं

(करोड़ रूपये में)

घटक	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
सर्व शिक्षा अभियान	5632.50	959.01
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय	108.45	34.51
योग	**5740.95**	**993.52**

8.2 सर्व शिक्षा अभियान : प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन प्रदेश के समस्त जिलों में किया जा रहा है । अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराना है । प्रारंभिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण के अन्तर्गत बिन्दुओं को **बाक्स 8.1** में दर्शाया गया है ।

बाक्स 8.1

प्राथमिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण

- **प्रत्येक बसाहट के निर्धारित माप दण्डों के अनुसार बसाहट में 6 से 11 आयु वर्ग के न्यूनतम 40 बच्चे उपलब्ध होने पर 1 किलो मीटर की परिधि में प्राथमिक शाला सुविधा तथा 3 किमी की परिधि में 11 से 14 आयु वर्ग के न्यूनतम 12 बच्चे उपलब्ध होने पर माध्यमिक शाला की सुविधा उपलब्ध कराना है।**
- **6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को शाला में दर्ज कराना ।**
- **शालाओं में दर्ज बच्चों की नियमितता सुनिश्चित करना ।**
- **सभी बच्चों की शालाओं में निरंतरता ।**
- **शाला त्यागी दर कम करना ।**
- **सभी बच्चे आठ वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करें ।**
- **शिक्षा के गुणात्मक स्तर में वृद्धि पर विशेष बल देना ।**
- **बालक-बालिकाओं के बीच भेदभाव तथा सामाजिक असमानताओं को प्रारंभिक की शिक्षा के स्तर से दूर करना।**

8.3 शालायें : राज्य में शासकीय प्राथमिक शालायें 83890 एवं शासकीय माध्यमिक शालायें 30341 हैं । निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रदेश की समस्त बसाहटों में शाला सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

8.4 नामांकन : राज्य में वर्ष 2015-16 में प्राथमिक शालाओं में कुल नामांकन 80.94 लाख था। जो कि वर्ष 2016-17 में घटकर 78.92 हो गया । माध्यमिक शालाओं में कुल नामांकन वर्ष 2015-16 में 46.86 लाख था जो वर्ष 2016-17 में घटकर 44.61 लाख हो गया । प्रदेश की शासकीय तथा निजी शिक्षण संस्थाओं में कुल नामांकन की स्थिति **तालिका 8.2** में दर्शाया गया है ।

तालिका 8.2
प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शालाओं में नामांकन

(संख्या लाख में)

स्तर	वर्ष 2015-16			वर्ष 2016-17		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
प्राथमिक (कक्षा 1 से 5)	42.66	38.28	80.94	41.45	37.47	78.92
माध्यमिक (कक्षा 6 से 8)	24.25	22.61	46.86	23.40	21.21	44.61
प्रारम्भिक (कक्षा 1 से 8)	**66.91**	**60.89**	**127.80**	**64.85**	**58.68**	**123.53**

प्रदेश में बालिका शिक्षा की ओर किये जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर बालक एवं बालिकाओं के शुद्ध नामांकन अनुपात लगभग समान हो गया है । अनुसूचित जाति के बच्चों का शुद्ध नामांकन अनुपात भी अन्य वर्गो के शुद्ध नामांकन अनुपात के लगभग समान हो चुका है । अनुसूचित जनजाति के बच्चों का शुद्ध नामांकन अनुपात अन्य वर्गो की तुलना में कम है, इस दिशा में अधिक प्रयासों की आवश्यकता है । शुद्ध नामांकन अनुपात का विवरण **तालिका 8.3** में दर्शाया गया है ।

तालिका 8.3
प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर शुद्ध नामांकन अनुपात 2016-17 (N.E.R.)

वर्ग	प्राथमिक स्तर			माध्यमिक स्तर		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
अनुसूचित जाति	99.88	99.86	99.87	99.88	99.61	99.66
अनुसूचित जनजाति	99.13	98.97	99.05	99.13	97.94	98.11
अन्य	99.91	99.91	99.91	99.91	99.71	99.75
योग	**99.70**	**99.65**	**99.68**	**99.70**	**99.24**	**99.32**

8.5 शाला त्याग दर : विभिन्न कारणों से छात्र/छात्रायें अपनी शिक्षा बीच में छोड़कर शाला त्याग देते हैं, गत वर्ष से प्रदेश में राज्य शासन के अथक प्रयासों से शाला छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी आई है । राज्य में वर्ष 2015-16 में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों की शाला त्यागी दर 6.2 प्रतिशत एवं छात्राओं की शाला त्यागी दर 6.1 प्रतिशत है । जबकि वर्ष 2016-17 में कक्षा 1 से 5 तक कक्षा की शाला त्यागी दर छात्रों की 5.1 प्रतिशत एवं छात्राओं की 4.7 प्रतिशत थी । राज्य में वर्ष 2015-16 में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों की शाला त्यागी दर 8.2 प्रतिशत एवं छात्राओं की शाला त्यागी दर 11.0 प्रतिशत है । जबकि वर्ष 2016-17 में 6 से 8 तक कक्षा की शाला त्यागी दर छात्रों की 6.9 प्रतिशत एवं छात्राओं की 6.6 प्रतिशत है। विभिन्न स्तर की शालाओं में शाला त्यागी दर **तालिका 8.4** में दर्शाया गया है ।

तालिका 8.4

शाला त्याग दर

स्तर	2015-16			2016-17		
	छात्र	छात्राऐं	योग	छात्र	छात्राऐं	योग
प्राथमिक (कक्षा 1 से 5)	6.2	6.1	6.1	5.1	4.7	4.9
माध्यमिक (कक्षा 6 से 8)	8.2	11.0	9.6	6.9	6.6	6.7

8.6 निःशुल्क पाठ्य पुस्तके एवं गणवेश वितरण : शासकीय विद्यालयों पंजीकृत मदरसो एवं संस्कृत शालाओं में कक्षा 1 से 8 तक शासकीय विद्यालयों, पंजीकृत मदरसों एवं संस्कृत शालाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई । समस्त बच्चों को दो जोड़ी गणवेश हेतु 400 रूपये के मान से अकाउंट पेयी चैक के माध्यम से वितरण किया गया ।

8.7 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग की छोटी-छोटी बसाहटो की बालिकाओं को माध्यमिक स्तर की शिक्षा को पूर्ण करने के लिये 207 आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित है । इनमें प्रतिवर्ष लगभग 28800 हजार बलिकाएं लाभान्वित हो गई । इसके अलावा 324 बालिका छात्रावास स्थापित किये गये जिनमें प्रतिवर्ष 23 हजार बालिकाएं लाभान्वित हो रही है । इसके अतिरिक्त प्रदेश में शहरी क्षेत्रों के बेघर अनाथ बच्चों के 15 नए 100 सीटर आवासीय छात्रावास स्वीकृत किये गये हैं । इनमें प्रतिवर्ष शहरी क्षेत्रों के लगभग 1500 बेघर, अनाथ एवं शाला से बाहर बच्चे लाभान्वित हो रहे है । इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों के बेघर अनाथ बच्चों के लिये 51 नये 100 सीटर आवासीय छात्रावास स्वीकृत कराये गये हैं।

8.8 निःशुल्क सायकिल वितरण : प्रदेश में कक्षा पांचवीं पास करके छठवीं में दूसरे ग्राम से शासकीय शालाओं में अध्ययन हेतु जाने वाली बालक/बालिकाओं को निःशुल्क सायकिल हेतु 2300 रूपये प्रति सायकिल का प्रावधान है । वर्ष 2016-17 में 1.81 लाख से अधिक बालक एवं बालिकाओं को सायकिल वितरित की गई है, जिनमें से 37 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति एवं 17 प्रतिशत अनुसूचित जाति के बच्चों को लाभाविन्त हो रहे हैं । वर्ष 2016-17 में बच्चों को सायकिल क्रय करके प्रदान की जा रही है ।

8.9 सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति वितरण : शासकीय शालाओं की कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत सामान्य निर्धन वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है ।

8.10 विकलांग बच्चों के लिये विशेष प्रयास : विकलांग बच्चों के लिये 60 छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं । बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यक उपकरण प्रदाय किये जा रहे हैं । निःशक्त बच्चों के लिये कक्षा 1 से 8 तक की पुस्तकें ब्रेल लिपि में भी विकसित की गई है ।

8.11 स्कूल चले हम : प्रतिवर्ष बच्चों को स्कूल तक लाने के लिये **"स्कूल चले हम"** अभियान संचालित है । **"स्कूल चले हम अभियान"** चार चरणों में संचालित किया जा रहा है। प्रथम चरण में ग्राम शिक्षा पंजी को अद्यतन करना, द्वितीय चरण में नामांकन अभियान चलाया गया, तृतीय एवं चतुर्थ चरण में शिक्षा की गुणात्वता पर केन्द्रित है । इस वर्ष स्कूल चले हम अभियान को जन आदोलन के रूप में संचालित किया जा रहा है तथा यह वर्ष गुणवत्ता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है । इस हेतु मोटिवेटर (प्रेरक) की व्यवस्था की गई है । जो 39 हजारसे अधिक मोटिवेटर (प्रेरक) पंजीकृत हुए है । अभियान का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों की पहचान कर उन्हें उनकी आयु के अनुरूप कक्षा के शालाओं में दर्ज कराने के साथ-साथ उनकी नियमित उपस्थिति एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा भी सुनिश्चित करना है । सर्वेक्षण के दौरान ही चिन्हिंत किये गये शाला से बाहर बच्चे जो अपनी आयु के अनुरूप कक्षा की दक्षतायें नही रखते, उनके लिए आवासीय/ गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था है ।

अभियान को व्यापक जन आंदोलन बनाने के उददेश्य से जन प्रतिनिधियों, अशासकीय संस्थाओं, शिक्षाविदो को जोडा गया है, ताकि यह अभियान अपने उद्‌देश्यों को सार्थक कर सके ।

8.12 गुणवत्ता सुधार योजना : राज्य के प्रत्येक जिलों द्वारा आवश्यकताओं और भौतिक परिस्थितियों को देखते हुए जिले के अकादमी गुणवत्ता सुधार योजना कार्यक्रम चलाया गया है । 3099 संकुलो में संकुल स्तर पर 4 प्राथमिक एवं 4 मिडिल शालाओं को उन्नत शाला के रूप में विकसित करने का कार्यक्रम चलाया गया है । शिक्षा की गुणवत्ता को केन्द्र बिंदु में रखते हुए शैक्षणिक उपलब्धियों एवं शालेय व्यवस्थाओं के सही मूल्यांकन हेतु प्रतिभा पर्व कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है । बच्चों में पढ़ने के प्रति रूचि जागृत करने एवं पढ़ना उनकी आदत में शामिल हो इस हेतु प्रयास करने, भाषा की दक्षताओं के विकास के उदृेश्य से प्रदेश में कहानी उत्सव तथा मिल बांचे मध्यप्रदेश कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है । मध्यप्रदेश के बच्चे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता/परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सके इस उद्देश्य से प्रदेश में कुछ विषयों में एन.सी.ई.आर.टी. पुस्तकें लागू करने का निर्णय लिया गया है । कक्षा 1 एवं 2 को पढाने वाले शिक्षकों को मूलभूत दक्षताओं के संबंध में विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण हेतु आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। गुणवत्ता सुधार हेतु 16005 प्राथमिक शालाओं में गतिविधि आधारित शिक्षण (ABL) तथा 14280 माध्यमिक शालाओं में सक्रिय अधिगम प्रविधि (ALM) कार्यक्रम चलाया गया है। वर्ष 2017-18 में समस्त मिडिल शालाओं को गणित

विज्ञान किट उपलब्ध कराई जाएगी। जूनियर गणित व विज्ञान ओलिंपियाड का आयोजन किया जा रहा है।

8.13 शिक्षा का अधिकार : नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 01 अप्रैल 2010 से लागू हो चुका है । इसके क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में 26 मार्च 2011 को नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 जारी किए गए है । अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप समस्त अपेक्षित कार्यवाहियां राज्य शासन ने पूर्ण की है । नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत प्राइवेट स्कूल की प्रवेशित कक्षा में वांछित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटे आरक्षित की जाकर अब तक 9.50 लाख से अधिक बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश दिया गया है ।

8.14 स्वच्छ विद्यालय अभियान : स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत प्रदेश में प्रत्येक प्राथमिक, माध्यमिक, हाई एवं हायरसेकेण्डरी विद्यालय में बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है । प्रदेश में 6 माह की अवधिमें विभिन्न स्त्रोतों से राशि की व्यवस्था कर लगभग 58 हजार से अधिक शौचालय यूनिट बनवाएं गए है, जबकि भारत सरकार में प्रदेश के लिये 35 हजार शौचालय यूनिट बनाने का लक्ष्य दिया था । इस संबंध में मध्यप्रदेश की उपलब्धियों को भारत सरकार द्वारा भी सराहना प्राप्त हुई है ।

8.15 विशेष प्रयास :

- वेब पर शिक्षा विभाग का एजूकेशनल पोर्टल **http://www.education portal.mp.gov.in** प्रारंभ कर जन सामान्य हेतु सुलभ किया गया तथा स्कूल शिक्षा विभाग से जुडे मुद्दों तथा शालाओं, शिक्षकों,बच्चों के नामांकन, शाला से बाहर बच्चों एवं उनके फॉलोअप, गणवेश एवं साइकिल वितरण, निर्माण कार्य, बच्चो की उपलब्धि स्तर की जानकारी हेतु एक ऑन लाईन पोर्टल तैयार किया गया है ।
- **विद्यालयों के विकास के लिए प्रणाम पाठशाला- विद्यालय उपहार योजना-**प्रणाम! भारतीय संस्कृति का एक ऐसा शब्द है जो कि किसी को सम्मान और आदर देने के लिए गढा गया है। प्रणाम जब पाठशाला से जुड जाता है तो सम्मान के दो शब्दों का युग्म बन जाता है और इसकी महत्ता और अधिक बढ जाती है। प्रणाम पाठशाला- विद्यालय उपहार योजना भी एक ऐसी ही भावानात्मक योजना है, जो कि विद्यालय के प्रति अपने सम्मान और आदर को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करती है। शालाओं के भौतिक और अकादमिक विकास में सामाजिक सहयोग की दृष्टि से प्रारंभ की गई इस योजना में कोई व्यक्ति, संस्था शासकीय विद्यालयों को उपहार स्वरूप सामग्री अथवा धनराशि प्रदान कर सकते हैं।

- राज्य द्वारा प्रदेश की समस्त शालाओं (प्राथमिक,मिडिल, हाई, हायर सेकेन्डरी) की **जी.आई.एस. मैपिंग** की जा रही है । प्रदेश के 51 जिलों में 1.21 लाख शालाओं की मैपिंग का कार्य पूर्ण ।
- **KHEL प्रोजेक्ट:- IIT** बॉम्बे के सहयोग से शैक्षिक गुणवत्ता के लिए कक्षा 1 से 3 के लिए, विभिन्न विषयों (गणित, हिन्दी, अंग्रेजी) की दक्षताओं पर आधारित शिक्षा का प्रोजेक्ट- सिहोर, देवास, एवं खण्डवा जिले में पायलटिंग। IIT बॉम्बे के सहयोग से शैक्षिक गुणवत्ता के लिए **KHEL** प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों को आईटी तथा भौतिक खेलों के माध्यम से रूचिकर ढंग से शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है।
- **नॉलेज हब पोर्टल** : शिक्षकों तथा छात्रो के लिए नॉलेज शेयरिंग नेटवर्क प्रारम्भ किया जा रहा है । नॉलेज हब पोर्टल के उददेश्य- शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए ज्ञान स्त्रोत उपलब्ध कराना, विचार-विमर्श (विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्न एवं उनके उत्तर) अन्य उपयोगी साइट्स की लिंक आदि उपलब्ध कराई गई हैं, साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता तथा नॉलेज शेयरिंग के उद्देश्य से राज्य शिक्षा केन्द्र का **यूट्यूब चैनल** भी प्रारंभ किया गया है।
- **हेडस्टार्ट:-** सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रदेश के माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए कम्प्यूटर समर्थित शिक्षा कार्यक्रम यथा हेडस्टार्ट 2589 शालाओं में क्रियांवित है। यह कार्यक्रम कम्प्यूटर साक्षरता का न होकर, इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य पाठ्यक्रम की विषयगत कठिन अवधारणाओं को कम्प्यूटर के माध्यम से सरल करना है।
- **स्मार्ट क्लास:-** सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन में 1380 माध्यमिक स्कूलों में स्मार्ट क्लास की स्थापना की गई है।
- हेडस्टार्ट एवं स्मार्ट क्लास में अकादमिक कठिन बिन्दुओं को मल्टीमीडिया के माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था है।
- **ई-बस्ता:-** मध्यप्रदेश में कक्षा 1 से 12 वीं तक की शासन द्वारा मुद्रित समस्त पाठ्य पुस्तकें ऑनलाइन उपलब्ध करा दी गई हैं। शासकीय विद्यालयों में पढने वाले समस्त विद्यार्थियों को नि:शुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती है। ई-बस्ता परियोजना से अशासकीय विद्यालयों में पढने वाले विद्यार्थियों को भी ऑनलाइन पुस्तकों की सुविधा उपलब्ध हो गई है।

माध्यमिक शिक्षा

8.16 माध्यमिक शिक्षा:- छात्रों के बौद्धिक विकास के लिये माध्यमिक शिक्षा अत्यावश्यक है। माध्यमिक शिक्षा को बढावा देने की दृष्टि से प्रदेश मे कुल 7882 हाईस्कूल एवं 9074 हायर सेकेण्डरी स्कूल इस प्रकार कुल 16956 शालाएं संचालित हैं। हाईस्कूलों में 25.78 लाख तथा हायर सेकेण्डरी स्कूलों में 13.60 लाख इस प्रकार कुल 39.38 लाख छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं।

वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में क्रमश: 100-50 माध्यमिक शाला का हाईस्कूल में एवं 300-100 हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी शाला में उन्नयन किया गया है एवं 2015-16 में 100 माध्यमिक से हाईस्कूल एवं 100 हाईस्कूल से हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किया गया है। प्रदेश में कुल नामांकन एवं शिक्षकों की जानकारी निम्नानुसार है।

तालिका 8.5

शालाओं की संख्या की स्थिति (वर्ष 2017-18)

(यूडाईस के आधार पर)

स्तर	कुल शालाओं में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शालाएं	आदिम जाति कल्याण विभाग, सामाज कल्याण विभाग, स्थानीय निकाय द्वारा संचालित शालाएं	निजी एवं अन्य द्वारा संचालित शालाएं	प्रदेश में संचालित कुल शालाएं
हाईस्कूल	3588	1159	3135	7882
हायरसेकेण्डरी स्कूल	2951	887	5236	9074
योग	**6539**	**2046**	**8371**	**16956**

सितम्बर 2017 की स्थिति में

तालिका 8.6

कुल नामाकंन की स्थिति (वर्ष 2017-18)

(संख्या लाख में)

स्तर	वर्ष 2017-18			छात्राओं का प्रतिशत
	छात्र	छात्राएं	योग	
हाईस्कूल (कक्षा 9 से 10)	13.82	11.96	25.78	46.39 प्रतिशत
हायरसेकेण्डरी स्कूल (कक्षा 11 से 12)	7.30	6.30	13.60	46.32 प्रतिशत
योग (कक्षा 9 से 12)	**21.12**	**18.26**	**39.38**	**46.36 प्रतिशत**

सितम्बर 2017 की स्थिति में

तालिका 8.7
कुल नामाकंन में अनुसूचित जाति के
छात्र-छात्राओं के नामाकंन की स्थिति

(संख्या लाख में)

स्तर	वर्ष 2017-18			छात्राओं का प्रतिशत
	छात्र	छात्राएं	योग	
हाईस्कूल (कक्षा 9 से 10)	2.40	1.99	4.39	42.70 प्रतिशत
हायरसेकेण्डरी स्कूल (कक्षा 11 से 12)	1.74	1.47	3.21	45.79 प्रतिशत
योग (कक्षा 9 से 12)	**4.14**	**3.46**	**7.60**	**45.52 प्रतिशत**

सितम्बर 2017 की स्थिति में

तालिका 8.8
कुल नामाकंन में अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के नामाकंन की स्थिति
(वर्ष 2017-18)

(संख्या लाख मे)

स्तर	वर्ष 2017-18			छात्राओं का प्रतिशत
	छात्र	छात्राएं	योग	
हाईस्कूल (कक्षा 9 से 10)	2.47	2.30	4.77	48.21 प्रतिशत
हायरसेकेण्डरी स्कूल (कक्षा 11 से 12)	0.91	0.89	1.80	49.44 प्रतिशत
योग (कक्षा 9 से 12)	**3.38**	**3.19**	**6.57**	**48.55 प्रतिशत**

सितम्बर 2017 की स्थिति में ।

तालिका 8.9
समस्त शासकीय शालाओं में शिक्षकों की संख्या की स्थिति
(वर्ष 2017-18)

स्तर	वर्ष 2017-18			महिलाओं का प्रतिशत
	पुरूष	महिला	योग	
हाईस्कूल (कक्षा 9 से 10)	31762	16715	48477	34.48 प्रतिशत
हायरसेकेण्डरी स्कूल (कक्षा 11 से 12)	6291	3451	9742	35.42 प्रतिशत
योग (कक्षा 9 से 12)	**38053**	**20166**	**58219**	**34.64 प्रतिशत**

सितम्बर 2017 की स्थिति में

8.17 उत्कृष्ट विद्यालय : शासकीय स्कूलों में माध्यमिक स्तर की गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालयों एवं विकास खंड के मुख्यालयों पर एक शासकीय उ.मा.वि. को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है । वर्तमान में 41 जिला मुख्यालयों एवं 194 विकास खंड मुख्यालयों पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं । वर्तमान में जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों में 39037 विद्यार्थियों को लाभांवित किया गया है । जबकि विकास खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय में 182360 विद्यार्थी वर्ष 2016-17 में जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 10 एवं 12 वीं का परीक्षा परिणाम लगभग 88.36 प्रतिशत एवं 90.53 प्रतिशत रहा है ।

8.18 निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण : शासकीय हाई स्कूल/हायर सेकेन्ड्री स्कूल में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत सभी वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु संचालित है। जो योजना की सफलता के दृष्टिगत शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त वर्ग के छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक के उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना का विस्तार किया गया है। राज्य एवं केन्द्र के पाठ्यक्रम में एकरूपता को इस हेतु राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 23 नवबंर 2016 द्वारा राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों को राज्य में अभिग्रहित किए जाने के संबंध में आदेश जारी किये गए हैं, जिसके अनुसार प्रदेश में शिक्षा सत्र 2017-18 से कक्षा 9 वी के विद्यार्थियों को गणित एवं विज्ञान तथा कक्षा 11 वीं के विद्यार्थियों को गणित, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की पाठ्यपुस्तकें अभिग्रहित कर नि:शुल्क उपलब्ध कराई गई है एवं शिक्षा सत्र 2018-19 में कक्षा 10 वीं में गणित एवं विज्ञान तथा कक्षा 12 वीं में गणित, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की पाठ्य पुस्तकें (एन.सी.ई.आर.टी.) अभिग्रहीत कर नि:शुल्क वितरण योजनांतर्गत उपलब्ध कराई जाएगी।

योजनांतर्गत समस्त वर्गो (एससी/एसटी/सामान्य/निर्धन वर्ग) छात्र-छात्राओं को लाभांवित किया जाता है। वर्ष 2018-19 में लगभग 25.50 लाख छात्र-छात्राओं को लाभांवित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

8.19 वर्ष 2016-17 में निःशुल्क सायकिल प्रदाय योजना : नि:शुल्क सायकिल योजनान्तर्गत कक्षा 9 वी में शासकीय विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले ग्रामीण क्षेत्र के समस्त प्रवर्ग के छात्र-छात्राओं को जिनके गॉव में शासकीय हाई स्कूल नही है, जो शहर के शासकीय स्कूल में अध्ययन के लिये जाते है। उसे नि:शुल्क सायकिल वितरण योजनांतर्गत लाभांवित किया जाएगा। इस योजना का लाभ छात्र को 9 वी प्रथम प्रवेश पर एक ही बार मिलेगा। अर्थात 9 वी कक्षा में पुन: प्रवेश लेने पर उसे सायकिल की पात्रता नहीं होगी। कक्षा 9 वी के विद्यार्थी को 20 इंच की सायकिल प्रदाय की जाती है। वर्ष 2017-18 में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा-ऐसे मजरे/टोले जिनकी दूरी विद्यालय से 2 किमी से ज्यादा है तो ऐसे मजरे टोले से

विद्यालय में आने वाले छात्रों को सायकिल दी जावेगी। शालाओं की मैपिंग एवं समग्र शिक्षा पोर्टल पर छात्रों की प्रोफाईल अपडेट करने के उपरांत 2017-18 में लगभग 5.03 लाख (कक्षा 9वी) छात्र-छात्राओं को जैम पोर्टल के माध्यम से सायकिल प्रदाय की जावेगी।

8.20 छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति प्रोत्साहन योजना : स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2008-09 से प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य निर्धन वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिये छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति योजना प्रारंभ की है जिसके अंतर्गत निम्न छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ।

- सुदामा प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना ।
- स्वामी विवेकानंद पोस्ट मैट्रिक प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना ।
- सुदामा शिष्यवृत्ति योजना ।
- डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना ।
- पितृहीन कन्याओं को छात्रवृत्ति ।
- मृत/अंपग/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चों के लिये छात्रवृत्ति ।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षण सत्र 2012-13 से "**बेटी बचाओ अभियान**" अन्तर्गत इकलौती बेटी को "**शिक्षा विकास छात्रवृत्ति**" योजना प्रारंभ की गई है । इस योजनान्तर्गत ऐसी समस्त प्रतिभावान बालिकायें जो अपनी माता-पिता की इकलौती संन्तान है एवं म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल से मान्यता प्राप्त एवं मंडल का पाठयक्रम संचालित करने वाले समस्त अशासकीय हायरसेकेण्डरी विद्यालय में प्रवेश लेने पर छात्रवृत्ति की पात्र होगी । यह छात्रवृत्ति उन्ही मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में अध्ययन हेतु दी जायेगी जिनका मासिक शिक्षण शुल्क रूपये 1500/- से कम होगा ।

वर्ष 2013-14 से उक्त योजनाऐं समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन अंतर्गत समेकित छात्रवृत्ति योजना में सम्मिलित है। समेकित छात्रवृत्ति योजनांतर्गत राज्य शासन के 8 विभागों की 30 प्रकार की छात्रवृत्तियां समग्र शिक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृत कर विद्यार्थियों के खाते में सीधे अंतरित की जा रही है। समेकित छात्रवृत्ति योजनांतर्गत वर्ष 2016-17 में मिशन वन-क्लिक के माध्यम से लगभग 74 लाख विद्यार्थियों को लगभग 444 करोड की राशि वन-क्लिक के माध्यम से छात्रवृत्ति राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की गई है।

8.21 सुपर 100 योजना : शासकीय स्कूल में कक्षा 10 में उत्तीर्ण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को व्यावसायिक संस्थाओं, आई.आई.टी./मेडिकल कालेज/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रशिक्षण हेतु भोपाल में शासकीय उत्कृष्ट उ.मा.वि. एवं इन्दौर के शासकीय मल्हाराश्रम उ.मा.वि. में सुपर 100

योजना संचालित है । वर्ष 2017-18 में 3.00 करोड़ रूपये प्रावधान के विरूद्ध 510 विद्यार्थी को लाभांवित किया गया है ।

8.22 विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा योजना (I.E.D.S.S.) : यह योजना 1 अप्रैल, 2009 से लागू है । यह योजना को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत भारत शासन द्वारा कक्षा 9 से 12 तक सामान्य विद्यालयो में अध्ययन करने वाले सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को रूपये 3000/- के मान से सुविधा भत्ता प्रदाय करती है । I.E.D.S.S. योजनांतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को वार्षिक रूप से प्रदाय किये जाने वाली राशि पुस्तक, स्टेशनरी एवं गणवेश भत्ता हेतु राशि रूपये 800 प्रति हितग्राही प्रतिवर्ष की दर से प्रदाय किया जाएगा तथा मासिक दर के आधार पर प्रदान की जाने वाली राशि जिसमें परिवहन भत्ता हेतु राशि रूपये 1000 बालिकाओं के लिए राशि 200 रूपये प्रति हितग्राही माह की दर से अधिकतम 10 माह के लिये राशि रूपये 2000 प्रदाय किया जाता है। विशेष आवश्यकता वाले शारीरिक एवं मानसिक रूप से अध्याधिक अक्षम बच्चों के लिये राशि रूपये 750 प्रति विद्यार्थी एवं अल्प दृष्टि बाधित व दृष्टि बाधित बच्चों के लिये राशि रूपये 750 प्रति छात्र प्रदाय किया जाता है। वर्ष 2017-18 में उक्त दर से लगभग 12051 बच्चे लाभांवित होने जा रहे हैं।

8.23 मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना : राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2009-10 से मधावी छात्र प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है । शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 12वी में 85 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्रापत करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को कम्प्यूटर क्रय हेतु रू. 25,000 प्रति छात्र के मान से प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जाती है । यह प्रोत्साहन राशि वर्ष 2009-10 से सतत प्रदाय की जा रही है ।

वर्ष 2016-17 की माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हायर सेकेण्डरी परीक्षा में शासकीय/अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 18578 विद्यार्थियों द्वारा सामान्य वर्ग के 85 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/ जनजाति एवं विमुक्त एवं अर्ध घुमक्कड जाति के विद्यार्थियों को जिनके द्वारा 75 प्रतिशत अथवा अधिक अंक प्राप्त किये जाने पर उन्हें प्रति विद्यार्थी को 25,000 हजार की दर से कुल राशि रू. 46,44,50,000 वितरित कर लाभांवित किया गया । वर्ष 2016-17 से व्यवसायिक शिक्षा से उत्तीर्ण छात्रों को भी उपरोक्तानुसार लाभ प्रदाय किया गया है।

8.24 मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन:- मॉडल स्कूलों की स्थापना वर्ष 2011-12 में की गई है। इन स्कूलों को बैंचमार्क के रूप में विकसित किए जाने की योजना थी जिसके अंतर्गत प्रदेश में शैक्षणिक रूप से पिछडे सभी 201 विकासखण्डों में मॉडल स्कूल संचालित है। वर्ष 2016-17 से प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 100 सीट निर्धारित रहेगी। कक्षा 9 वीं प्रवेश

चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। इन स्कूलों में वर्तमान में कक्षा 9 वीं से 12 तक कक्षा संचालित है जिसमें विगत वर्ष 2015-16 में कुल 42556 विद्यार्थी अध्ययनरत है। वर्ष 2015-16 तक योजना में 75:25 का केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात था। वर्ष 2015-16 से भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग बंद किए जाने के कारण केन्द्र परिवर्तित योजनाओं के संचालन के संबंध में जून 2015 को अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग की अध्यक्षता में हुई बैठक में मॉडल स्कूलों का संचालन राज्य स्तर पर किए जाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2016-17 का मॉडल स्कूल की कक्षा 10 वीं का परीक्षा परिणाम 72.37 प्रतिशत एवं कक्षा 12 वीं का परीक्षा परिणाम 75.62 रहा है। मॉडल स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिये उपयुक्त अध्ययन सुविधा उपलब्ध कराने में सफल रहा है। वर्तमान में 201 मॉडल स्कूलों में से 196 स्थानों पर स्वयं के मॉडल स्कूल भवन निर्मित हो चुके हैं इन मॉडल स्कूलों में से 177 मॉडल स्कूलों को फर्नीचर दिया जा चुका है। शेष में शीघ्र उपलब्ध कराया जा चुका है।

उच्च शिक्षा

मध्यप्रदेश के विकास में उच्च शिक्षा की अहम भूमिका है । उच्च शिक्षा विभाग ज्ञान और कौशल का ही विकास नही करता बल्कि शिक्षित व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में भी मार्ग प्रशस्त कर समाज में स्तर को ऊपर उठाने एवं राष्ट्रनिर्माण में उनकी भागीदारी के अवसर प्रदान करता है । उच्च शिक्षा विभाग को प्रासंगिक बनाये रखने के लिये उसमें समसामयिक चुनौतियों और परिवर्तनों में सामंजस्य स्थापित करने की पहल इस विभाग की कार्य योजना का महत्वपूर्ण पहलू है ।

विगत वर्ष 2016 में उच्च शिक्षा द्वारा ग्रामीण एवं दूरस्थ अंचल में 20 नवीन महाविद्यालय तथा पूर्व से संचालित शासकीय महाविद्यालय में 20 नवीन संकाय / विषय भी प्रारंभ किये गये है । प्रदेश में पूर्व स्थापित कुल 437 शासकीय महाविद्यालयों के स्थान पर अब महाविद्यालयों की संख्या 457 हो गई है ।

8.25 प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर : पाठयक्रमों में ऑनलाईन प्रवेश की व्यवस्था छात्र हित में संचालित की गई है । इस प्रक्रिया के संचालन से विद्यार्थियों को घर बैठे प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई है । वर्ष 2016-17 में स्नातक में 3,58,545 एवं स्नातकोत्तर में 73124 कुल 4,31,669 विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश लिया गया है ।

8.26 महाविद्यालयों में स्मार्ट फोन का वितरण:- विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2014-15 में महाविद्यालयों में प्रवेशित विद्यार्थियों को कुल 121138 एवं वर्ष 2015-16 में कुल 134386 इस प्रकार कुल 255524 को स्मार्ट फोन का वितरण सुनिश्चित किया गया है।

8.27 गांव की बेटी योजना : उच्च शिक्षा के सतत विकास एवं छात्राओं में उच्च शिक्षा के प्रति रूझान के लिये ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं के लिये गांव की बेटी योजना लागू की गई है, जिसमें गांव की बेटी योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में 31 मार्च 2017 तक ग्लोबल बजट राशि रू. 1685.00 लाख का प्रावधान एवं प्रतिभा किरण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में ग्लोबल बजट राशि रू. 230.00 लाख राशि का प्रावधान है । गांव की बेटी योजना अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में 31 मार्च 2017 तक 57131 छात्राएं लाभांवित हुई तथा प्रतिभा किरण में 4267 छात्राएं लाभांवित हुई ।

8.28 पुस्तकें एवं स्टेशनरी प्रदाय:- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को नि:शुल्क पुस्तकें एवं स्टेशनरी प्रदाय करने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में 31 मार्च 2017 तक ग्लोबल बजट में राशि रू. 1150.00 लाख का प्रावधान किया जाकर कुल 51046 विद्यार्थियों को योजना का लाभ प्रदाय किया गया है ।

8.29 छात्राओं हेतु आवागमन सुविधा योजनान्तर्गत : वित्तीय वर्ष 2016-17 में 31 मार्च 2017 तक ग्लोबल बजट रूपये 540.00 लाख का प्रावधान है । आवागमन योजना अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में 31 मार्च 2017 तक 80543 छात्राएं लाभान्वित हुई ।

8.30 प्रयोगशाला उन्नयन योजना : इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में रूपये 500.00 लाख का प्रावधान था जिसमें 449.47 लाख रूपये व्यय हुआ है तथा इस योजना का लाभ 42 महाविद्यालयों को हुआ है । ई-लायब्रेरी योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में 350.00 लाख का प्रावधान था । जिसमें 207.40 लाख का व्यय हुआ है तथा इस योजना का लाभ 32 महाविद्यालयों को हुआ है ।

8.31 भवन निर्माण योजना : इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासकीय महाविद्यालयों के निर्माण तथा अतिरिक्त निर्माण कार्य हेतु रूपये 6884.00 लाख के प्राप्त बजट आवंटन को लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.)को राशि रूपये 5287.63 लाख व्यय किया जा चुका है । वित्तीय वर्ष 2016-17 में 21 शासकीय महाविद्यालयों के मुख्य भवन एवं 30 अन्य निर्माण कार्य हेतु राशि रू. 9377.88 लाख की स्वीकृति जारी की गई है ।

8.32 विक्रमादित्य योजना : इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में ग्लोबल बजट 65.00 लाख का प्रावधान है तथा इस हेतु राशि रू. 64,00,110/- का व्यय किया गया है । विक्रमादित्य योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में 3202 छात्र लाभन्वित हुए ।

8.33 नवीन योजनाओं का क्रियान्वयन:- विभाग द्वारा तीन योजनाओं का क्रियान्वयन छात्र हित में प्रारंभ किया जा रहा है। जिसमें प्रावधानिक योजनाओं में

(1) अनाथ बालिकाओं की कक्षा 12 के बाद स्नातक स्तर की उच्च शिक्षा का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किये जाने की योजना (यदि कक्षा 12 में उसे कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हों।
(2) प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को शासकीय खर्च पर उच्च शिक्षा के लिए विदेश तक जाने हेतु छात्रवृत्ति योजना क्रियान्वित की गई है।
(3) माध्यमिक शिक्षा मण्डल की कक्षा 12 वीं की परीक्षा में मैरिट होल्डर छात्रा की उच्च शिक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था की जावेगी।

उच्च शिक्षा विभाग की विशिष्ट उपलब्धियां :

- उच्च शिक्षा में उच्चतर सुधार हेतु विश्व बैंक परियोजना के संदर्भ में भारत सरकार विश्व बैंक तथा मध्यप्रदेश शासन के मध्य अनुबंध हस्ताक्षरित किया जा चुका है ।
- प्रदेश के शैक्षणिक रूप से पिछडे जिले को मुख्य धारा में लाने हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शहडोल स्वशासी महाविद्यालय का उन्न्यन विश्वविद्यालय के रूप में करने हेतु केन्द्र से राशि की प्रथम किशत प्राप्त एवं विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य प्रारंभ ।
- महाविद्यालयों का नैक से मूल्यांकन हेतु प्रोत्साहन योजना के तहत दिनांक 15.09.2016 तक 67 शासकीय महाविद्यालय-नैक मूल्यांकित है । इसमें 15 ए-ग्रेड प्राप्त है ।
- 100 महाविदयालय में वर्चुअल कक्षाओं का संचालन सुनिश्चित कर स्नातक स्तर पर 453 व्याख्यान आयोजित किये गये हैं ।
- कौशल विकास कार्यक्रम-केम्पस से 2015-16 तक 8082 तक प्लेसमेंट हुए ।
- राज्य स्तरीय व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ-प्रदेश में विदयार्थियों के व्यक्तित्व विकास के महत्व को समझते हुए भोपाल में प्रकोष्ठ का गठन किया गया है । जिसके तहत 51 जिले एवं संभाग स्तर पर प्रभारी समन्वयक नियुक्त किये जा चुके हैं, अभी तक 1 लाख से अधिक विदयार्थी लाभांवित हुए हैं । अशासकीय महाविदयालयों में प्रकोष्ठ प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं ।
- इन्दौर जिले देपालपुर तथा जबलपुर जिले सिहोरा के महाविद्यालयों का उन्नयन मॉडल महाविद्यालय के रूप में करने हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान अन्तर्गत केन्द्र से राशि प्राप्त है ।
- झाबुआ एवं श्योपुर जिले में नवीन महाविद्यालय की स्थापना हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत केन्द्र से राशि प्राप्त ।

तकनीकी शिक्षा

तकनीकी शिक्षा मानव संसाधन को अधिक दक्ष एवं कौशल युक्त बनाती है। प्रदेश में स्थापित तकनीकी संस्थाओं में विभिन्न स्तरों के पाठयक्रमों के लिये संस्थाओं की संख्या एवं वार्षिक प्रवेश क्षमता का वर्षवार विवरण **तालिका 8.10** में दर्शाया गया है।

तालिका 8.10

तकनीकी शिक्षण संस्थाएं

(संख्या में)

तकनीकी संस्था	2016-17		2017-18	
	संस्थाओं की संख्या	प्रवेश क्षमता	संस्थाओं की संख्या	प्रवेश क्षमता
इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर	192	79895	180	72153
एम.सी.ए.	51	3358	49	3110
एम.बी.ए.	166	20100	164	20295
बी. फार्मा/डी फार्मा	71	5068	100	7166
डिप्लोमा (इंजी.) पाठ्यक्रम	145	27286	149	30231

वर्ष 2017-18 प्रदेश में कुल 642 तकनीकी शिक्षण संस्थाएं संचालित हैं, जिनमें प्रवेश क्षमता की संख्या 132955 है । शासन द्वारा अनुदान प्राप्त परियोजना संस्थाओं का विवरण **तालिका 8.11** में दर्शाया गया है ।

तालिका 8.11

शासन द्वारा अनुदान प्राप्त परियोजना संस्थाओं का विवरण

(करोड़ रूपये में)

संस्था का नाम	उपघटक	परियोजना राशि	संस्थाओं को जारी की गई राशि	माह जुलाई 2017 तक (परियोजना अंतर्गत भुगतान अवधि) व्यय की गई राशि ब्याज सहित
आर.जी.पी.व्ही, {भोपाल}	1.2	12.50	2.00	1.38
एस.जी.एस.आई.टी.एस. {इन्दौर}	1.2	12.50	10.70	10.95
एम.आई.टी.एस. {ग्वालियर}	1.1	10.00	10.00	10.52
एस.एटी.आई इंजी.महावि.{विदिशा}	1.1	10.00	10.00	10.52
एस.आई.आर.टी. {भोपाल}	1.1	04.00	4.00	04.09
योग		**49.00**	**36.70**	**37.46**

मुख्य उपलब्धियां :

8.34 नवीन इंजीनियरिंग एवं पोलीटेक्निक महाविद्यालयों की स्थापना :

- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत धार जिले में इंजीनियरिंग महाविद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है । भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त की राशि रू. 13 करोड स्वीकृत की कार्यवाही प्रचलन में हैं।
- एन.टी.पी.सी. के सहयोग से शिवपुरी में राज्य क्षेत्र के इंजी महाविद्यालय का निर्माण कार्य प्रारंभ ।
- नौगांव इंजीनियरिंग महाविद्यालय प्रारंभ किया जा चुका है ।
- जिला सिंगरौली में एन.सी.एल. तथा एन.टी.पी.सी. के सहयोग से माईनिंग इंजीनियरिंग महाविद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।
- केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत 21 नवीन पोलीटेक्निक की स्थापना कर कक्षाएं प्रारंभ । 17 संस्थाओं के भवनों का आधिपत्य प्राप्त किया जा चुका है । शेष 4 भवनों का आधिपत्य कार्यवाही प्रचलन में है ।
- लटेरी, हरसूद एवं बरेली एवं आगर मालवा में नवीन पोलीटेक्निक का शैक्षणिक कार्य वर्ष 2017-18 से प्रारंभ किया जा रहा है ।
- नवीन जिले आगर-मालवा में पोलीटेक्निक महाविद्यालयों की स्थापना वर्ष 2017-18 में किये जाने की योजना है ।

8.35 एकलव्य पॉलीटेकनिक योजना:- वर्ष 2006-07 से राज्य के शासकीय पॉलीटेकनिक महाविद्यालय, मण्डला एवं झाबुआ में क्रमश: अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए नि:शुल्क पूर्ण आवासीय पॉलीटेकनिक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना संचालित की गयी है। इन पॉलीटेकनिक महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को नि:शुल्क आवास, भोजन के अतिरिक्त स्टेशनरी एवं ड्राईंग सामग्री का प्रदाय अधिकतम रूपये 2,000/- तथा पाठयपुस्तकों का अधिकतम रूपये 2,000/- प्रति सेमेस्टर के मान से देने के साथ ही राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल के परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है। इन संस्थाओं में प्रवेशित छात्र-छात्राओं को प्रतिमाह रू. 1,000/- के मान से छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। हरसूद जिला खण्डवा में इस योजना के अंतर्गत पॉलीटेकनिक की स्थापना का वर्ष 2017 में की जा चुकी है एवं शैक्षणिक सत्र 2017-18 से प्रवेश प्रारंभ किये गये है।

8.36 डॉ. बाबा साहब अंबेडकर पोलीटेक्निक योजना : वर्ष 2006-07 से राज्य के शासकीय महाविद्यालय, सीहोर एवं मुरैना में अनुसूचित जाति के छात्र- छात्राओं के लिए अन्य सभी प्रावधान एकलव्य पोलीटेक्निक योजना के समान है। लटेरी, जिला विदिशा में इस योजना के अन्तर्गत पोलीटेक्निक की स्थापना का वर्ष 2017 में की जा चुकी है एवं शैक्षणिक सत्र 2017-18 से प्रवेश प्रारंभ किये गये है।

8.37 सामान्य निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों के लिये विक्रमादित्य नि:शुल्क शिक्षा योजना:- शासकीय/स्वशासी पॉलीटेकनिक महाविद्यालय एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालय में अध्ययनरत सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र- छात्रायें जो कि मध्यप्रदेश के वास्तविक मूल निवासी हों तथा जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से 1,20,000/- रूपये से अधिक न हो ऐसे छात्र छात्राओं के शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाती है।

8.38 कम्यूनिटी कॉलेज योजना:- इस योजना में दो वर्ष की अवधि का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने पर एसोसिएट डिग्री दी जाएगी। कम्यूनिटी महाविद्यालयों की अवधारणा यह है कि कोई भी व्यक्ति जोकि उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय जाना चाहता है उसकी शैक्षणिक गुणवत्ता को अवरोध न मानते हुए प्रवेश दिया जाये। यह कम्यूनिटी महाविद्यालय ऐसे विद्यमान महाविद्यालयों/पॉलीटेकनिक महाविद्यालयां में द्वितीय शिफ्ट में संचालित किए जा सकेंगे जोकि उद्योगों के नजदीक हों तथा वहां स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। विषयों का चयन आवश्यकता एवं रोजगार की संभावनाओं पर आधारित होगा।

प्रदेश के चार स.व. पॉलीटेकनिक महाविद्यालय, भोपाल, महात्मा ज्योतिबा फुले पॉलीटेकनिक महाविद्यालय,खण्डवा, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर पॉलीटेनिक महाविद्यालय, ग्वालियर एवं कलानिकेतन पॉलीटेनिक महाविद्यालय, जबलपुर में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनान्तर्गत स्वीकृत किये गये हैं।

8.39 टयूशन फी-वेवर स्कीम : अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली व्दारा अधिसूचित टयूशन फी-वेवर योजना सत्र 2009-10 लागू की गई है । अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित समस्त संस्थाओं में तीन/चार वर्षीय, डिग्री, डिप्लोमा एवं पोस्ट डिप्लोमा पाठयक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क में छूट की योजना अनिवार्य रूप से लागू होती है जिसमें प्रति पाठयक्रम स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य रूप से उपलब्ध रहते है । ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी है तथा जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रू. 6.00 लाख से कम है, इन स्थानों के लिए प्रवेश हेतु पात्र है । शिक्षण शुल्क में छूट की योजना के अन्तर्गत छूट केवल शिक्षण शुल्क की राशि, जैसा की राज्य शासन द्वारा/प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा निर्धारित की गई हो, तक सीमित रहती है ।

8.40 नि:शक्जनों को तकनीकी शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिये 03 पॉलीटेकनिक महाविद्यालयों में संचालित योजना:- भारत सरकार की सहायता से प्रदेश के तीन पॉलीटेकनिक महाविद्यालय यथा- स.व. पॉलीटेकनिक महाविद्यालय, भोपाल,शासकीय महिला पॉलीटेकनिक महाविद्यालय, ग्वालियर एवं कलानिकेतन पॉलीटेकनिक महाविद्यालय, जबलपुर में नि:शक्तजनों (दिव्यांग) को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने की केन्द्र प्रवर्तित परियोजना है। यह योजना वर्ष 2001-02 से प्रारंभ की गई है। इस योजना में प्रतिमाह रू. 250/- छात्रवृत्ति का प्रावधान है।

8.41 मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना:- इस योजना के अंतर्गत जिन विद्यार्थियों द्वारा 12 वीं में माध्यमिक शिक्षा मंडल से 75 प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हो एवं सीबीएसई की बोर्ड में 85 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों एवं मध्यप्रदेश के मूल निवासी के साथ-साथ उनके पालक की वार्षिक आय 6.00 लाख से अधिक न हो ऐसे विद्यार्थियों को निम्नांकित पाठ्यक्रम हेतु 2017-18 में प्रवेश लिया हो को मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत शिक्षण शुल्क राज्य शासन द्वारा वाहन किया जावेगा।

- इंजीनियरिंग हेतु जेईई मेन्स परीक्षा में रैंक 50,000 के अंतर्गत हो, को शिक्षण अधिकतम 1.50 लाख तक अथवा वास्तविक रूप से देय शुल्क ।
- मेडिकल की पढाई हेतु NEET के माध्यम से प्रवेश किया हों।
- विधि की पढाई हेतु सीएलएटी (कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट) के माध्यम से प्रवेश प्राप्त किया हो।

स्वास्थ्य

8.42 डायलिसिस योजना :- प्रदेश में किडनी रोगियों की संख्या में विगत वर्षों में तेजी से वृद्धि हुई है। ऐसे रोगियों को इलाज के लिए नियमित तौर पर सप्ताह में 2 - 3 बार हिमोडायलिसिस कराना होता है। निजी अस्पतालों में इस पर लगभग 24000/- रूपये प्रतिमाह व्यय आता है। डायलिसिस की सुविधा शासकीय जिला अस्पतालों में बीपीएल कार्ड धारकों को नि:शुल्क एवं अन्य वर्ग के रोगियों को न्यूनतम दरों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2015-16 से डायलिसिस योजना 26 जनवरी 2016 से प्रारंभ की गई है। भारत सरकार द्वारा इस योजना को वर्ष 2016-17 से सभी राज्यों में लागू करने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 2017-18 में प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल 1720 रोगियों का डायलिसिस उपचार हेतु पंजीयन किया गया । इस वर्ष शासकीय जिला चिकित्सालयों में कुल 59358 सत्र आयोजित किये गये । इन सत्रों में कुल 1008 मरीजों द्वारा डायलिसिस का लाभ लिया गया।

8.43 म.प्र. राज्य बीमारी सहायता निधि योजना : यह योजना प्रदेश में 2 सितम्बर, 1997 से लागू है । मध्य प्रदेश के ऐसे परिवार जो इस राज्य के मूल निवासी है तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, के परिवार का कोई सदस्य योजनान्तर्गत 21 चिन्हित बीमारी से पीडित होने पर संबंधित चिकित्सालय को रोगी के उपचार हेतु न्यूनतम 25000/- रूपये से अधिकतम 2.00 लाख रूपये तक की सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती है।

राज्य बीमारी सहायता निधि अन्तर्गत एक बार सहायता दिये जाने के पश्चात दूसरी बार पुन: चिन्हित बीमारियों में उपचार/ सर्जरी की आवश्यकता होती है तो इस हेतु 2.00 लाख रूपये की सकल सीमा में रहते हुए (दोनों चिन्हित गंभीर बीमारियों के प्रकरणों को मिला के) सहायता प्रदान की जाती है । राशि रूपये 2.00 लाख तक की सकल सीमा के अंतर्गत परिवार के सदस्य को भी आवश्यकता होने पर इस योजना का लाभ दिया जाता है। ऐसे सभी प्रकरण जिला स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं।

राज्य बीमारी सहायता निधि योजना अंतर्गत वर्ष 2017-18 में 4020 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया । इस वर्ष लगभग 41.31 करोड रुपये व्यय किये गये हैं ।

8.44 मुख्यमंत्री बाल हृदय/ बाल श्रवण उपचार योजना : वर्ष 2016-17 में योजनांतर्गत 0-18 वर्ष के कुल 2728 हृदय रोग के बच्चों की सर्जरी कराई गई एवं वर्ष 2017-18 में दिसम्बर 2017 तक कुल 1920 हृदय रोग के बच्चों की सर्जरी कराई गई है।

वर्ष 2016-17 में बाल श्रवण उपचार योजनांतर्गत कुल 304 श्रवण बाधित एवं वर्ष 2017-18 मे माह दिसम्बर 2017 तक कुल 385 श्रवण बाधित बच्चों की कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी कराई गयी है।

8.45 राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम : राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2017-18 में मोतियाबिंद के कुल 360260 ऑपरेशन 68246 स्कूली छात्रोंका नेत्र परीक्षण एंव 89080 बुजुर्ग नेत्र रोगियों का परीक्षण किया गया । कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2017-18 में 131730463 /- रुपये व्यय किये जा चुके हैं ।

8.46 मातृ स्वास्थ्य : महिलाओं के स्वास्थ्य को शासन द्वारा प्राथमिकता के आधार पर दिया गया है। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर तथा सकल प्रजनन दर को कम करने हेतु आवश्यक हेतु जीवन चक्र आधारित रणनीति अपनाकर गतिविधियों का संचालन किया जाए।

विभाग के अथक प्रयासों से मातृ मृत्यु दर एस.आर.एस. 2007-09 में 269 से कम होकर 221 एस.आर.एस. 2011-13 परिलक्षित हुई है। विभाग द्वारा एनीमिया प्रबंधन को एक प्रमुख गतिविधि के रूप में चिन्हांकन कर इस हेतु अंतरविभागीय समन्वय से समुदाय तथा संस्था स्तरीय हस्तक्षेप द्वारा एनीमिया पर रोकथाम एवं प्रबंधन हेतु **लालिमा अभियान** संचालित है। गर्भवती महिलाओं में एनीमिया के प्रबंधन से मातृ मृत्यु के साथ ही शिशु मृत्यु दर में भी कमी लाई जा सकेगी।

- इंदौर में आयोजित उत्कृष्ट एवं अनुकरणीय कार्यों के चौथे राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में मध्यप्रदेश राज्य को स्वास्थ्य सेवायें नि:शुल्क उपलब्ध कराने हेतु प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है एवं नवाचार के रूप में संचालित नर्सिंग मेंटर्स, बेक ट्रेकिंग, सुरक्षित गर्भपात सेवायें एवं गर्भावस्था में मधुमेह के चिन्हांकन एवं प्रबंधन की गतिविधियों को सराहा गया है।
- प्रदेश में कुल 1517 संस्थाओं को डिलवरी प्वाइंट के रूप में चिन्हित किया गया है जिससे 24x7 प्रसव सेवायें प्राप्त हो सके। वर्तमान में 1341 प्रसव केन्द्र पूर्णरूप से क्रियाशील है। 118 संस्थाओं में ऑपरेशन की सुविधाएं उपलब्ध हैं।
- 5 शासकीय मेडिकल कॉलेज में आब्स्टेट्रिक आई.सी.यू. संचालित हैं।
- प्रदेश के 51 जिला चिकित्सालयों में से 47 में ब्लड बैंक एवं शेष 75 संस्थाओं में ब्लड स्टोरेज इकाई क्रियाशील है।
- प्रदेश के 17 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में गर्भवती महिलाओं में एनीमिया प्रबंधन हेतु फेरस एस कार्बोरिट गोलियों का वितरण किया जा रहा है। साथ ही वर्ष 2017-18 माह नबंबर तक 31066 महिलाओं को ब्लड ट्रांसफ्यूजन उपलब्ध कराया गया तथा 1.30 लाख महिलाओं को इंजेक्शन आयरन सुक्रोज लगाया गया।
- वर्ष 2017-18 में माह नबंबर 2017 तक कुल 12 लाख 71 हजार 424 गर्भवती महिलाओं का पंजीयन कराया गया एवं समस्त पंजीकृत महिलाओं को आयरन की गोली कैल्शियम एवं कृमिनाशक गोली प्रदाय की गई।
- वर्ष 2017-18 माह नबंबर 2017 तक प्रदेश में कुल 12 लाख 43 हजार 218 महिलाओं का संस्थागत प्रसव हुआ है।
- प्रदेश में सुरक्षित गर्भपात की सेवायें प्रदाय कराने हेतु 472 शासकीय एवं 419 स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधीकृत निजी एम.टी.पी. सेंटर संचालित हैं।
- मध्यप्रदेश राष्ट्र में पहला राज्य है जिसने तकनीक कौशल और आवश्यक ज्ञान में कुशल बनाने हेतु स्वास्थ्य सेवायें प्रदायकों के क्षमता निर्माण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में 4 स्किल लैब की स्थापना यथा भोपाल, ग्वालियर, इंदौर एवं रीवा जिलों में की है जिसके माध्यम से लगभग 3161 सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित किया गया। जबलपुर संभाग में स्थापना कार्य जारी है ।

महिला स्वास्थ्य शिविर

- प्रदेश की समस्त महिलाओं को ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य जांच एवं महिलाओं में एनीमिया, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, कैंसर, बांझपन एवं स्त्रीरोग संबंधी अन्य समस्याओं की पहचान एवं उपचार करने हेतु महिला स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। वर्ष 2016-17 में महिला स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से 16 लाख हितग्राही तथा वर्ष 2017-18 में 20.50 लाख महिलाएं लाभांवित हुई। जिनमें 3.6 लाख गर्भवती महिलाएं 11.7 लाख अन्य आयु वर्ग तथा 5.1 लाख किशोरी बालिकाओं का परीक्षण किया गया। 37679 हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं तथा 82691 अन्य आयु वर्ग की महिलाओं को एनीमिया, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज हेतु विकासखण्ड स्तर पर उपचार प्रदान किया जाता है।

- प्रदेश के समस्त जिला अस्पतालों में महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक बुधवार को दोपहर 2 से 5 बजे तक रोशनी क्लीनिक के माध्यम से ओपीडी का संचालन किया जा रहा है। रोशनी क्लीनिक के माध्यम से 2564 महिलाएं उपचार हेतु आयी जिसमें से 1857 प्राथमिक संतानहीनता के प्रकरण चिन्हित किए गए। वर्ष 2017-18 में 13204 एनीमिक महिलाओं को आयरन, सुक्रोज इंजेक्शन लगाया गया तथा 816 महिलाओं को ब्लड ट्रांसफ्यूजन सुविधा उपलब्ध कराई गई। प्रोलेप्सड् यूटरस के 292 प्रकरणों में सर्जरी की गई।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान:-

- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रदेश में अगस्त 2016 से प्रारंभ किया गया है। अभियान अंतर्गत प्रत्येक माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की द्वितीय एवं तृतीय त्रेमास में चिकित्सक द्वारा जांच कराई जा रही है। अभियान अंतर्गत निजी क्षेत्र के 655 चिकित्सकों द्वारा वालेन्टियर सेवायें दी जा रही है। अगस्त 2016 से नवंबर 2017 तक 10 लाख गर्भवती महिलाओं का अभियान अंतर्गत परीक्षण किया गया।

- राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान अंतर्गत किए गए कार्य की समीक्षा अनुसार प्रदेश को सर्वाधिक वोल्टियर पंजीयन एवं द्वितीय एवं तृतीय तिमाही की गर्भवती महिलाओं की जांच हेतु प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

8.47 जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम : प्रदेश में 1 जुलाई 2011 से जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम संचालित है। कार्यक्रम का मुख्य उददेश्य शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं (जन्म से 1 वर्ष तक) के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराना है। वर्ष

2017-18 में माह नबंबर 2017 तक कार्यक्रम अंतर्गत शासकीय संस्थाओं में प्रसव कराने वाली 7.49 लाख महिलाओं को नि:शुल्क सामान एवं सीजेरियन प्रसव, औषधि, सामग्री, भोजन, परिवहन एवं प्रयोगशाला जांचें तथा सोनोग्राफी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। नि:शुल्क परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत 70 प्रतिशत महिलाओं को पिकअप तथा 41 प्रतिशत महिलाओं को ड्रॉपबैक की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

8.48 शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत नवजात शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर तथा बाल मृत्यु दर में कमी लाना प्रमुख लक्ष्य है। प्रदेश की वर्तमान शिशु मृत्यु दर 47 प्रति हजार जीवित जन्म है जिसका 2/3 भाग नवजात शिशु मृत्यु का है। नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिये प्रदेश के 49 जिला चिकित्सालयों एवं 5 चिकित्सा महाविद्यालयों में नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाईयां संचालित हैं। वर्ष 2017-18 में दिसम्बर 2017 तक इन इकाईयों के माध्यम से 75437 शिशुओं को उपचारित किया गया तथा कुल 581057 शिशु लाभांवित हुए। प्रदेश में 60 नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाईयां संचालित हैं। जिनके माध्यम से वर्ष 2017-18 नवंबर 2017 में 13417 तथा कुल 96626 शिशुओं को लाभांवित किया गया। 1517 चिन्हित प्रसव केन्द्रों में 1324 न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर संचालित हैं। जिनके माध्यम से समस्त शिशुओं को आवश्यक नवजात देखभाल एवं नवजात पुनर्जीवन सेवायें प्रदान की जा रही हैं। वर्ष 2017-18 में 9208 तथा कुल 28776 गंभीर रूप से बीमार बच्चों को इकाई के माध्यम से उपचारित किया गया। प्रत्येक जिला चिकित्सालयों में इकाईयां स्थापित की गई हैं।

8.49 दस्तक अभियान:- मध्यप्रदेश में नवाचार के रूप में महिला बाल विकास विभाग के साथ समन्वित गतिविधि के रूप में वर्ष 2017-18 में 5 वर्ष तक के बच्चों के घरों में ए.एन.एम. आशा एंव आंगनवाडी कार्यकर्ता के संयुक्त दल द्वारा **दस्तक** देकर निम्नांकित गतिविधियां संचालित की गई :-

- 5 वर्ष से कम उम्र के गंभीर कुपोषित बच्चों की सक्रिय पहचान रेफरल एंव प्रबंधन ।
- 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों में गंभीर एनीमिया की सक्रिय स्क्रीनिंग एंव प्रबंधन ।
- 9 माह से 5 वर्ष तक के समस्त बच्चों को विटामिन ए अनुपूरण ।
- 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया दस्तरोग आदि के नियंत्रण हेतु सक्रिय प्रबंधन एंव समुचित बाल्यरोग बाल्य आहार संबधीं समझाईश समुदाय को देना ।
- एस.एन.सी.यू. एंव एन.आर.एस. से छुटटी प्राप्त बच्चोंमें बीमारी की स्क्रीनिंग तथा फॉलोअप को प्रोत्साहन ।
- 14 NIDDCP जिलों में घरेलू नमक में आयोडिन पर्याप्तता की जांच एंव आयोडिन अल्पता से बच्चों में होने वाले विकारों के संबंध में सामुदायिक जागरुकता एंव समुदाय में अभियान के दौरान बीमार बच्चों का मूलभूत प्रबंधन ।

दस्तक अभियान के दौरान 10405390 बच्चों में से 8728378 (83.88%) बच्चों के घरों में ओ.आर.एस. पेकेट का वितरण कर उपयोग विधि बताई गई तथा दस्त होने पर जिंक की गोली के उपयोग के लाभ एंव मात्रा उचित आहार की जानकारी दी गई तथा स्वच्छता के विषय पर पूर्ण समझाईश दी गई । दस्तक अभियान के दौरान 664 गंभीर एनीमिया से ग्रसित बच्चों को चिन्हांकित किया गया तथा चरणबद्ध रुप से रक्ताधान के लिये स्वास्थ्य केन्द्रों पर रेफर किया जा रहा है । गंभीर निमोनिया से ग्रसित 194 बच्चों को चिन्हित कर स्वास्थ्य केन्द्र पर उपचार के लिये रेफर किया गया ।

8.50 बाल शक्ति योजना (पोषण पुनर्वास केन्द्र) : प्रदेश मे जन्म से पांच वर्ष के बच्चों में कुपोषण की दर लगभग 42.8 प्रतिशत है, जो अन्य प्रदेशों की तुलना में प्रदेश का तीसरा स्थान है । बच्चों में कुपोषण दर को कम करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाल शक्ति योजना संचालित की जा रही है । इस योजना के अंतर्गत शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में 10/20 बिस्तरीय पोषण पुर्नवास केन्द्र (NRC) की स्थापना कर गंभीर कुपोषित बच्चों को उपचारित करने का प्रावधान है । प्रदेश में 315 पोषण पुनर्वास केन्द्र संचालित हैं । वर्ष 2016-17 में कुल 79458 एवं वर्ष 2017-18 में माह दिसंबर, 2017 तक लगभग 60 हजार गंभीर कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्रों में भर्ती कर उपचार प्रदान किया गया ।

8.51 जननी सुरक्षा योजना : जननी सुरक्षा योजनांतर्गत संस्थागत प्रसव कराने पर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रुपये 1400/- शहरी क्षेत्र की महिलाओं को रुपये 1000/- की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है इसके अतिरिक्त प्रेरत को ग्रामीण क्षेत्र में रुपये 600/- एंव शहरी क्षेत्र में रुपये 400/- की राशि उपलब्ध कराई जाती है ।

योजनांतर्गत ई-ट्रांसफर के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2016-17 में 10.30 लाख महिलाओं को एंव वित्तीय वर्ष 2017-18 में माह दिसंबर 2017 तक 7.86 लाख महिलाओं को योजना का लाभ प्रदान किया गया ।

8.52 आशा (ASHA - Accredited Social Health Activist) कार्यक्रम : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत आशा समुदाय स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण कड़ी है । इस हेतु चयनित आशाओं को निर्धारित मॉड्यूल्स के अनुसार प्रशिक्षित किया जाता है । प्रदेश में लगभग 61912 सक्रिय आशा कार्य कर रही हैं । आशाओं द्वारा किये जाने वाले कार्यों को और बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने हेतु सहयोगी तंत्र विकसित किया गया है । इस सहयोगी तंत्र में 4078 आशा सहयोगी, 242 ब्लाक कम्युनिटी मोबिलाईजर एवं 47 जिला कम्युनिटी मोबिलाईजर कार्य कर रहे हैं । आशा कार्यकर्ताओं को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है । आशा कार्यकर्ता 25 से 45 वर्ष की विवाहित/विधवा महिला हो सकती है जो कि न्यूनतम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो । वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान माह अप्रैल से दिसम्बर

2017 तक आशा कार्यकर्ताओं को कुल राशि 12578.51 लाख रूपये का भुगतान विभिन्न प्रोत्साहन राशि के रूप में किया गया है ।

8.53 दीनदयाल चलित अस्पताल : प्रदेश के आदिवासी एवं अनुसूचित जाति बाहूल्य विकासखण्डों में दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में नि:शुल्क प्राथमिक उपचार हेतु उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2006 से दीनदयाल चलित अस्पताल संचालित हैं। वर्तमान में प्रदेश के 44 जिलों में 144 दीनदयाल चलित अस्पताल संचालित हैं। चलित अस्पताल द्वारा निर्धारित दूरस्थ ग्रामों में जाकर रोगियों का परीक्षण नि:शुल्क उपचार गर्भवती महिलाओं की जांच ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों में बच्चों का टीकाकरण परिवार कल्याण से संबंधित परामर्श तथा स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित सेवायें दी जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कुल 13.17 लाख तथा वर्ष 2017-18 में माह अक्टूबर, 2017 तक कुल 12.95 लाख हितग्राहियों को नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की गई हैं।

8.54 दीनदयाल 108 : नेशनल एम्बुलेंस सर्विस अंतर्गत राज्य में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन हेतु दीनदयाल 108 एम्बुलेंस वाहन संचालित किए जा रहे हैं । ये वाहन आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाओं से युक्त होते हैं । मध्यप्रदेश में यह सेवा Ziqitza Health Care Limited (ZHL) द्वारा संचालित की जा रही है । वर्तमान में मध्यप्रदेश में कुल 606 एम्बुलेंस संचालित की जा रही है वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कुल 7.95 लाख तथा वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर, 2017 तक कुल 4.23 लाख मरीजों को इस सेवा के द्वारा लाभान्वित किया गया है ।

8.55 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम : प्रदेश के सभी स्कूलों में छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है । इसके अंतर्गत प्रत्येक शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त स्कूल में मोबाइल टीम द्वारा छात्रों का परीक्षण किया जाता है । मोबाइल हेल्थ टीम में 4 सदस्य होते हैं - 2 आयुष चिकित्सक, 1 एएनएम एवं 1 फार्मासिस्ट । कार्यक्रम अंतर्गत 4D आधारित- Difects at birth,Dificiencies childhood diseases, Developmental delays and Disabilities अंतर्गत चिन्हित बीमारियों का परीक्षण एवं उपचार प्रदान किया जाता है तथा आवश्यकता अनुसार उच्च स्तरीय स्वास्थ्य संस्था को रेफर किया जाता है । प्रदेश में यह कार्यक्रम माह अक्टूबर 2013 से प्रारंभ किया गया है । वित्तीय वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर, 2017 तक 77.55 लाख बच्चों की स्क्रिनिंग (स्वास्थ्य परीक्षण) की गई है जिसमें कुल 6.96 लाख बच्चों को आवश्यक उपचार प्रदान किया गया तथा 17294 बच्चों को आवश्यक शल्य चिकित्सा शासकीय संस्थान चिकित्सालयों में कराई गई।

8.56 परिवार कल्याण कार्यक्रम :- पूरे देश की तरह म.प्र. में भी राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम संचालित है। प्रारंभ से ही यह कार्यक्रम मूल रूप से स्वैच्छिक स्वरूप का है। वास्तव में परिवार की खुशहाली के लिए किसी भी समुदाय में परिवार को सीमित रखना एक आवश्यकता है। परिवार को सीमित करने के लिए दो प्रकार की विधियॉ हैं :- 1. अस्थायी 2. स्थायी । अस्थायी विधियों के रूप में गर्भ निरोधक गोलियां एवं निरोध का उपयोग किया जाता है। जबकि स्थायी विधि के रूप में पुरूष एवं महिला के नसबंदी आपरेशन किये जाते हैं। सामान्यत: प्रदेश में 3.5-4.5 लाख आपरेशन एक वर्ष में किये जाते हैं। हितग्राही एवं प्रेरक को प्रोत्साहन राशि दिए जाने का भी प्रावधान है। वर्तमान में प्रचलित प्रोत्साहन राशि पेकेज निम्नानुसार है :-

महिला नसबंदी :
मिशन परिवार विकास अंतर्गत 25 जिलों में लागू
एल.टी.टी./मिनीलैप - हितग्राही को राशि रू. 2000/-
प्रेरक/आशा को रूपए 300/-
महिला नसबंदी : प्रसव पश्चात तुरंत सात दिवस के अंदर
हितग्राही को राशि रू. 3000/-
प्रेरक / आशा को रू. 400/-
शेष 26 जिलों में लागू
एल.टी.टी./मिनीलैप - हितग्राही को राशि रू. 1400/-
प्रेरक/आशा को रूपए 200/-
प्रसव पश्चात तुरंत सात दिवस के अंदर
हितग्राही को राशि रू. 2200/-
प्रेरक / आशा को रू. 300/-
पुरूष नसबंदी :
मिशन परिवार विकास अंतर्गत 25 जिलों में लागू
हितग्राही को राशि रू. 3000/-
प्रेरक / आशा को 400/-
शेष 26 जिलों में लागू
हितग्राही को राशि रू. 2000/-
प्रेरक / आशा को रू. 300/-
परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2017-18 में अप्रैल से दिसम्बर 2017 तक महिला नसबंदी-237800 एवं पुरूष नसबंदी 2264 पी.पी.आई.यू.सी.डी. 150835 एवं 154902 को आई.यू.सी.डी. सेवायें प्रदान की गई।

राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम : शिशुओं एवं बच्चों को आठ जानलेवा बीमारियों यथा - क्षय, पोलियो, काली खांसी, गलघोटू, टिटेनस, खसरा, हेपेटाइटिस- बी तथा हिमोफिलस इनफ्लूएंजा-बी बेक्टिरिया से होने वाली बिमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण कार्यक्रम संचालित है। सभी शासकीय अस्पतालों में बच्चों का टीकाकरण नि:शुल्क किया जाता है।

गर्भवती महिलाओं के लिये शासन द्वारा टीकाकरण व्यवस्था (गर्भावस्था की जानकारी होते ही, प्रथम चार सप्ताह उपरांत टी.टी.,टी.टी.बूस्टर) समस्त शासकीय चिकित्सालयों में उपलब्ध है।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन:- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में जीवन यापन कर रहे। शहरी गरीबों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वर्ष 2013-14 से प्रारंभ किया गया इसका क्रियान्वयन कुल 66 शहरों में किया जा रहा है। सभी शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों व अस्पतालों में प्राथमिक उपचार नि:शुल्क पैथोलॉजीकल जांच सुविधाएं, औषधियां, परिवार कल्याण सेवायें समस्त टीकाकरण तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली सेवायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। कार्यक्रम अंतर्गत दो नवीन गर्भनिरोधक साधनों की सेवायें 1. महिला गर्भनिरोधक इंजेक्शन (प्रति डोज 90 दिवस तक की अवधि के लिये) एंव 2. छाया साप्ताहिक ओरल पिल्स भी प्रांरभ की गई हैं ।

पेयजल व्यवस्था

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रदेश की समस्त ग्रामीण बसाहटों में शुद्व पेयजल प्रदाय हेतु योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं । जलप्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन भारत शासन के राष्ट्रीय ग्रामीण जलप्रदाय कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया जा रहा हैं जिनके लिये वित्तीय व्यवस्था योजनाओं के वित्तीय ढॉचे के अनुसार केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त जल निगम के माध्यम से भी समूह पेयजल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। पेयजल व्यवस्था के सुचारू संचालन संधारण हेतु प्रदेश के समस्त सार्वजनिक हैण्डपंपों का संधारण विभाग द्वारा एवं समस्त ग्रामीण नलजल योजनाओं का संचालन एवं संधारण ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता हे। बंद योजनाओं को यथाशीघ्र चालू करने हेतु नियम एवं प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले के कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति गठित की गई, जिसे रू. 20.00 लाख प्रति योजना प्रतिवर्ष तक की मरम्मत कार्य की स्वीकृति के अधिकार सौंपें गये है।

8.57 ग्रामीण बसाहटों में पेयजल व्यवस्था : ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत शासन द्वारा 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नल जल योजना में 70 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति

जल प्रदाय का मापदण्ड निर्धारित किया गया है जिसके आधार पर योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष में इस कार्यक्रम के अंतर्गत हेण्डपंप योजनाओं के माध्यम से लक्षित 10075 बसाहटों के विरूद्ध 6339 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था की जा चुकी है ग्रामीण नलजल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से 167 बसाहटों में नलजल योजनाएं पूर्ण की गई है ।

8.58 प्रदेश में पेयजल गुणवत्ता से प्रभावित बसाहटों में जल प्रदाय व्यवस्था : दिनांक 1.4.2016 की स्थिति में प्रदेश की कुल 246 चिन्हित गुणवत्ता प्रभावित बसाहटें शेष थी, जिनमें फलोराईड आधिक्य की समस्या प्रमुख है तथा इसके अतिरिक्त लौह आधिक्य खारे पानी की भी समस्याएं है । वर्ष 2017-18 में 190 गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने के लक्ष्य के विरूद्ध कुल 03 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराई गई । विभाग सभी गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में पेयजल व्यवस्था के कार्य मार्च 2018 तक पूर्ण करने हेतु प्रयास कर रहा है ।

8.59 ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था : राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था करने का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2016-17 में 600 ऐसी पेयजल विहीन चिन्हित ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने के लक्ष्य के विरूद्ध 449 चिन्हित ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है ।

8.60 आगंनवाडियों में पेयजल व्यवस्था : प्रदेश के सभी आंगनवाडियों में पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाए उपलब्ध कराए जाने के लिए इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है । वर्ष 2017-18 में प्रदेश के विभिन्न जिलो में ऐसे 500 शासकीय भवन हेतु आंगनवाडियों में पेयजल व्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित है जिसके अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में कुल 313 आंगनवाडियों में पेयजल व्यवस्था के कार्य किये गए है ।

8.61 भूजल संवर्धन एवं पुनर्भरण कार्यक्रम : भूजल संरक्षण संवर्धन एवं पुनर्भरण कार्यक्रम का मूल उद्देश्य गिरते हुए भूजल स्तर एवं इसकी उपलब्धता की मात्रा एवं गुणवत्ता में वृद्धि करना तथा पेयजल योजनाओं के स्त्रोतों को स्थायित्व प्रदान करना है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष कुल 233 संरचनाएं निर्मित की गई है ।

श्रम

वर्ष 2017-18 में (अप्रैल से सितम्बर 2017 तक की अवधि में) औद्योगिक अशांति के कारण 01 विवाद उत्पन्न हुए एवं 3.00 हजार मानव दिवसों की हानि हुई।

8.62 ग्रामीण श्रमिको के लिए न्यूनतम मजदूरी : कृषि श्रमिकों के लिये पुनरीक्षित वेतन माह, सितम्बर 1989 से प्रभावशील किया गया था। कृषि नियोजन को उपभोक्ता मूल्य

सूचकांक से संबद्ध किये जाने तथा अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में गत छमाही (जनवरी-जून 2017) में पांच औसत बिंदुओं की कमी हुई है। तथापि 01.04.2017 से जारी दरें यानि 5998 रूपये प्रतिमाह अथवा 200 रूपये प्रतिदिन में कमी नहीं करते हुए इन्हीं दरों को दिनांक 01.10.2017 से भी यथावत रखा गया है।

8.63 बंधक श्रमिक पुनर्वास योजना : बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु मध्यप्रदेश में पूर्व में प्रचलित बंधक श्रमिक पुनर्वास योजना 2000 को निरस्त किया जाकर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नवीन बंधक श्रम पुनर्वास योजना 2016 दिनांक 17.05.2016 से लागू की गई है। इस योजना में शतप्रतिशत-अंश (100 प्रतिशत) केन्द्र शासन द्वारा वहन किया जायेगा। अतएव राज्यांश की आवश्यकता नहीं है।

यह योजना दिनांक 17.05.2016 से पुर्णत: केन्द्रांश राशि से प्रवर्तित है। योजना में बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु राशि पुरूष वयस्क हितग्राहियों हेतु रूपये 1.00 लाख,बालक एवं महिला हितग्राहियों के लिए रूपये 2.00 लाख तथा गंभीर शोषण के प्रकरणों में महिला एवं बालकों के लिए रूपये 3.00 लाख प्रावधानित है। इसके अतिरिक्त बंधक श्रमिक सर्वेक्षण हेतु रूपये 4.50 लाख, प्रति जिला राज्य स्तरीय जन जागरण हेतु रूपये 10.00 लाख तथा मूल्यांकन अध्ययन हेतु रूपये 1.00 लाख का प्रावधान किया गया है। नवीन योजना के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

(अ) प्रत्येक जिले में जिला दण्डाधिकारी के पर्यवेक्षण में जिला बंधक श्रम पुनर्वास निधि का गठन किया जायेगा जिसमें रूपये 10.00 लाख की स्थायी निधि रहेगी जो विमुक्त बंधक श्रमिकों को तात्कालिक सहायता राशि रूपये 20 हजार हेतु प्रयुक्त होगी। निधि में बंधक श्रमिकों के नियोजकों से प्राप्त होने वाले दण्ड की राशि जमा की जायेगी। इस निधि में से किए जाने वाले सम्पूर्ण व्यय की निर्धारित प्रोफार्मा में जानकारी जिला कलेक्टर द्वारा भारत सरकार को भेजे जाने पर व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जायेगी।

(ब) योजना में प्रावधान है कि राज्य में बंधक श्रमिक प्रथा के विरूद्ध जनजागरण हेतु रूपये 10.00 लाख की राशि केन्द्र शासन द्वारा प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(स) योजना अंतर्गत प्रत्येक जिले को बंधक श्रमिक सर्वेक्षण हेतु रूपये 4.50 लाख का प्रावधान है जिसकी प्रतिपूर्ति केन्द्र शासन द्वारा की जायेगी।

उक्त योजना के प्रकाश में प्रथमतया सभी 51 जिलों में जिला बंधक श्रम पुनर्वास निधि गठन करने पर निम्नानुसार CORPUS निर्मित करने हेतु राशि राज्य योजना मद से एक बार दी जाना प्रस्तावित है जिसकी पश्चात में प्रतिपूर्ति केन्द्र शासन द्वारा की जायेगी:-

(1) 51 जिलों हेतु रूपये 10.00 लाख के मान से जिला बंधक श्रम पुनर्वास निधि हेतु रूपये 510 लाख मांगे गये थे जिसमें से राशि रूपये 50.00 लाख बजट प्राप्त हुआ है। अत: शेष राशि रूपये 460 लाख है।

8.64 बाल श्रम : राज्य में बाल श्रम कुप्रथा के उन्नमूलन हेतु विभाग सतत प्रयासरत है। वर्ष 2017 में बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत माह अगस्त 2017 तक 565 निरीक्षण किये गये तथा 35 बाल श्रमिक विमुक्त कराये गये एवं 35 उल्लंघनकर्ता नियोजकों के विरूद्ध अभियोजन दायर किये गये राज्य में वर्तमान में 8 जिलों में राष्ट्र बालश्रम परियोजना के अंतर्गत विशेष विद्यालय संचालित है। जिनके अंतर्गत 205 विशेष विद्यालय/प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है। तथापि अबतक कुल 17 जिलों की परियोजना के अंतर्गत 45000 से अधिक कामकाजी बच्चों को मुख्य धारा में प्रवेश दिलाया गया है।

बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेधएएवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा दिनांक 02.06.2017 को जारी संशोधित नियमोंके परिपालन हेतु नियमानुसार बजट आवंटन आगामी पूरक बजट में निम्नलिखित अपेक्षित है :-

नियम 2 अ-अधिनियम के उल्लंघन में बालकों एवं कुमारों के नियोजन के संबंध में जागरूकता - (क) लोक और पारंपरिक माध्यम तथा जनसंपर्क के माध्यम का उपयोग करके लोक जागरूकता अभियानों का प्रबंध करेगी, जिसके अंतर्गत दूरदर्शन, रेडियो, इंटरनेट और प्रिंट मीडिया है ताकि साधारण पब्लिक, जिसके अंतर्गत बालकों एवं कुमारों, जिन्हें अधिनियम के उपबंधो के उल्लंघन में नियोजित किया गया हो, के नियोक्ता है, को अधिनियम के उपबंधो के विषय में जागरूक किया जाए जिससे कि नियोक्ताओं एवं अन्य व्यक्तियों को बालकों एवं कुमारों को अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी व्यवसाय या प्रक्रिया में नियोजित करने से हतोत्साहित किया जा सके।

उक्त हेतु प्रत्येक जिले हेतु राशि रू. 2.00 लाख की दर से प्रदेश के 51 जिलों हेतु रू.102 लाख।

धारा 14-ख-(1) एवं (2) बालक और कुमार श्रम पुनर्वास निधि-

(1) समुचित सरकार, प्रत्येक जिले में अथवा दो या अधिक जिलों के लिए बालक और कुमार श्रम पुनर्वास निधि नामक एक निधि की स्थापना करेगी, जिसमें ऐसे जिले या जिलों की अधिकारिता के भीतर बालक और कुमार के नियोजक से वसूल की गई जुर्माने की रकम जमा की जाएगी।

(2) समुचित सरकार, प्रत्येक ऐसे बालक या कुमार के लिए, जिसके लिए उपधारा (1) के अधीन जुर्माने की रकम जमा की गई है, निधि में पन्द्रह हजार रूपये की रकम जमा करेगी।

उक्त हेतु प्रत्येक जिले में राशि रू. 2.00 लाख की दर से प्रदेश के 51 जिलों हेतु राशि रू. 102 लाख।

उक्तानुसार अधिनियमों एवं नियमों का परिपालन सुनिश्चित करने हेतु श्रम विभाग को बाल श्रम जागरूकता, पुनर्वास एवं प्रशिक्षण तथा संवेदीकरण मद में रू. 204 लाख (रू. दौ सौ चार लाख मात्र) का आवंटन वर्ष 2017 हेतु आवश्यक है।

8.65 कल्याण मण्डल : निर्माण कार्यों में लगे असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा हेतु राज्य में गठित मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के माध्यम से वर्ष 2017-18 में माह सितम्बर 2017 तक कुल 1,48,502 निर्माण श्रमिकों का हितग्राही के रूप में पंजीयन किया गया । मध्यप्रदेश राज्य में इस तरह अब तक कुल 25,72,151 पंजीकृत निर्माण श्रमिक है । मण्डल को उपकर के रूप में वर्ष 2017-18 में माह सितम्बर 2017 तक रूपये 128.38 करोड की राशि विभाग के प्रयासों से प्राप्त हुई है । मंडल द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में वर्ष 2017-18 में माह सितम्बर 2017 तक कुल 284240 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं में रूपये 110.03 करोड के हितलाभ वितरित किये गये है । इस तरह मध्यप्रदेश राज्य में अब तक कुल 37.17 लाख हितग्राहियों को 789.13 करोड के हितलाभ वितरित किये गये हैं ।

रोजगार

8.66 बेरोजगारी की स्थिति: राज्य में बेरोजगारी एवं रोजगार की स्थिति का आकंलन रोजगार कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है । यद्यपि रोजगार कार्यालयों में पंजीयन कराना ऐच्छिक है, परन्तु अन्य किसी स्त्रोत के अभाव में रोजगार कार्यालयों में उपलब्ध आंकडो से ही राज्य में बेरोजगारी की स्थिति का सांकेतिक ज्ञान हो पाता है ।

8.67 पंजीयन : मध्यप्रदेश राज्य स्थित रोजगार कार्यालय में वर्ष 2015 में 4.22 लाख व्यक्तियों का पंजीयन किया गया था । वर्ष 2016 की अवधि में लगभग 3.45 लाख व्यक्तियो का पंजीयन किया गया । रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजी पर दर्ज कुल बेरोजगारों को रोजगार दिलाए गये व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2015 के अंत में 251 थी जो घटकर वर्ष 2016 के अन्त में 129 हो गई है।

8.68 शिक्षित आवेदकों एवं रोजगार दिलाए गए व्यक्तियों की स्थिति: राज्य के रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजी पर दर्ज कुल शिक्षित आवेदकों की संख्या वर्ष 2015 के अंत में

12.11 लाख थी जो वर्ष 2016 के अंत में 11.24 लाख रह गई है जो गत वर्ष से 7.18 प्रतिशत की कमी दर्शाती है । वर्ष 2015 के अंत में जीवित पंजी पर दर्ज कुल आवेदकों में से शिक्षित आवेदकों को रोजगार दिलाए गए व्यक्तियों की संख्या 732 तथा वर्ष 2016 में 422 रोजगार दिलाये गए व्यक्तियों की संख्या है।

8.69 जीवित पंजी पर दर्ज रोजगार तलाशने वाले एवं व्यवसायिक वर्गीकरण अनुसार आवेदकों की संख्या: राज्य के रोजगार कार्यालय के अनुसार जीवित पंजी पर रोजगार तलाशने वालों की संख्या वर्ष 2015 में कुल 15.60 लाख थी जो वर्ष 2016 में 14.11 लाख संख्या रह गई है । साथ ही व्यवसायिक वर्गीकरण अनुसार जीवित पंजी पर आवेदकों की संख्या वर्ष 2015 में 143546 थी जो वर्ष 2016 में 131438 रह गई है।

8.70 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रोजगार की स्थिति और रोजगार के प्रयास : प्रदेश में स्थित रोजगार कार्यालयों के माध्यम से वर्ष 2016 में (दिसम्बर 2016 तक) तक 51 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है जिसमें 19 अनुसूचित जाति एवं 32 अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है, जबकि पूर्व वर्ष 2015 में रोजगार कार्यालय के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराये गये कुल 98 व्यक्तियों के भरे गए पदों में से 88 अनुसूचित जाति एवं 10 अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति थे । वर्ष 2016 में अनुसूचित जाति में 68468 तथा अनुसूचित जनजाति में 61503 व्यक्तियों का पंजीयन कराया गया था जिसमें अनुसूचित जाति में 653 तथा अनुसूचित जनजाति में 457 व्यक्तियों का संप्रेषण कराया गया है।

प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन

8.71 प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन : प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन की गणनानुसार 31 मार्च, 2017 के अंत तक राज्य में कुल 739771 कर्मचारी कार्यरत रहे । कुल शासकीय कर्मचारियों में वर्ष 2016 की अपेक्षा वर्ष 2017 में 0.59 प्रतिशत की कमी हुई । कुल कर्मचारियों में शासकीय विभागों में नियमित कर्मचारी 447262 राज्यीय सार्वजनिक उपक्रम एवं अर्द्ध-शासकीय संस्थाओं में 59634 नगरीय स्थानीय निकायों में 85961 ग्रामीण स्थानीय निकायों में 138855 विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में 1687 एवं विश्वविद्यालय में 6372 कर्मचारी कार्यरत रहे ।

8.72 कारखानों की संख्या एवं नियोजन : राज्य में कुल पंजीकृत कारखानों की संख्या 15556 है जिसमें कुल नियोजन क्षमता 862012 है वर्ष 2016 -17 में माह 31.12.2016 तक नए पंजीकृत कारखानों की संख्या 178 है जिसमें नियोजन क्षमता 8478 है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार : ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विभिन्न रोजगार मूलक कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक अधोसंरचना का निर्माण करने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों के लिये अनेक योजनाओं का संचालन करता है ।

8.73 इंदिरा आवास योजना : ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा यह योजना क्रियान्वित की जा रही है । जिसमें वर्ष 2016-17 में 5.87 लाख लक्ष्य के विरूद्ध 5.87 लाख आवास निर्माण की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। जिसमें 5.52 लाख आवास पूर्ण कराये गये है।

8.74 मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजना: योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में कुल 0.26 लाख लक्ष्य के विरूद्ध 0.26 लाख आवास निर्माण की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है। जिसमें से 0.23 लाख आवास पूर्ण कराये गए हैं।

8.75 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन : यह योजना प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में आवासहीन एवं कच्चे/अर्धपक्के आवासों में निवासरत ग्रामीणें को पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2011-12 से प्रारंभ की गई है। यह एक " मांग आधारित स्वभागीदारी ऋण-अनुदान" योजना है। यह मिशन 11 राष्ट्रीयकृत बैंकों 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं 6 जिला सहकारी बैकों की सहभागिता से चलाया जा रहा है । योजनान्तर्गत वर्तमान में लगभग 6.50 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को आवास निर्माण हेतु लगभग राशि रूपये 6000करोड का बैंक ऋण उपलब्ध कराया गया है जिसमें राशि रूपये 3000 करोड शासकीय अनुदान वित्तीय वर्ष 2017-18 से योजना को समाप्त किया जा रहा है।

8.76 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) : योजना का औपचारिक शुभारंभ मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 04.12.2016 से किया गया है । जिसका भौतिक लक्ष्य 8.38 लाख का लक्ष्य है जिसकी उपलब्धियां वर्तमान में 7.56 लाख हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र जारी कर दिये गये है । जिसमें से 4.94 लाख आवास पूर्ण किये जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष में लक्ष्य 10238.15 करोड रूपये रखा गया है जिसके विरूद्ध राशि रूपये 8336.60 करोड व्यय किये गये हैं।

8.77 मध्यप्रदेश दीनदयाल अन्त्योदय योजना - राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) :

- मध्यप्रदेश में राज्य आजीविका फोरम के तहत राज्य आजीविका मिशन का प्रारंभ 2012 से ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं के सशक्त स्व सहायता समूह बनाये जाकर उनका संस्थागत विकास तथा आजीविका के संवहनीय अवसर उपलब्ध कराने हेतु हुआ है। भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लिये गये निर्णय अनुरूप

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के स्थान पर आजीविका मिशन का क्रियान्वयन चरणबद्ध क्रम में चयनित जिलों में किया जा रहा है। वर्ष 16-17 में 33 जिलों के 195 विकासखण्डों में सघन रूप से कार्य किया जा रहा है जबकि प्रदेश के शेष 118 विकासखण्डों में गैर-सघन रूप से जिला पंचायतों के माध्यम से मिशनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। मिशन के कार्यक्षेत्र का विस्तार करते हुए वर्ष 17-18 में 10 नवीन जिलों के 76 विकासखण्डों में सघन रूप से क्रियान्वयन आरंभ किया जा रहा है। इस प्रकार प्रदेश के 43 जिलों के 271 विकासखण्डों में सघन रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है।

- स्व-सहायता समूहों से निर्धन ग्रामीण परिवारों को जोडने हेतु वित्त वर्ष 2017-18 के वार्षिक लक्ष्य 5 लाख परिवारों के विरूद्ध माह दिसंबर 2017 तक 1,97,824 परिवारों को 18,086 महिला स्वसहायता समूहों से जोडा गया है।
- स्वसहायता समूहों को बैंक लिंकेज के माध्यम से ऋण प्रदाय करने के वार्षिक लक्ष्य 36,000 समूहों को रू. 550 करोड के बैंक ऋण के विरूद्ध माह दिसम्बर 2017 तक 27,122 समूहों को रू. 411 करोड का ऋण दिलाया जा चुका है।
- ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के वार्षिक लक्ष्य 90,000 युवाओं के विरूद्ध माह दिसंबर 2017 तक 64,752 ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण एवं 453 रोजगार मेला तथा आरसेटी के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए है।
- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2017-18 के वार्षिक लक्ष्य 7,000 हितग्राही एवं बजट राशि रू. 3500.00 लाख के विरूद्ध माह दिसंबर 2017 तक 4443 प्रकरण राशि रू. 2066.10 लाख के स्वीकृत हुए तथा 3423 प्रकरण राशिरू. 1531.53 लाख के वितरण किये गये।
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2017-18 के वार्षिक लक्ष्य 7,000 हितग्राही एवं बजट राशि रू. 7000 लाख के विरूद्ध माह दिसंबर 2017 तक 4779 प्रकरण राशि रू. 5621.45 लाख के स्वीकृत हुये तथा 3654 प्रकरण राशि रू. 4181.32 लाख के वितरण किये गये।

8.78 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी स्कीम-मध्यप्रदेश : योजनांतर्गत ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की मांग करने पर 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना है। योजना प्रदेश में 3 चरणों में लागू की गई है। प्रथम चरण में 18 जिले, द्वितीय चरण में 13 जिले एवं तृतीय चरण में 17 जिलों में योजना का विस्तार किया गया है। वर्ष 2010-11 से तृतीय चरण में 2 जिले अलीराजपुर एवं सिंगरोली की प्रगति पृथक से अंकित किए गए हैं एवं वर्ष 2014-15 से तृतीय चरण में नये गठित जिला आगरमालवा को सम्मिलित करते हुए प्रदेश के समस्त 51 जिलों में योजना चल रही है।

दिसम्बर 2017 तक प्रदेश में 0.62 करोड ग्रामीण परिवारों को जॉब कार्ड उपलब्ध करा दिये गए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष माह दिसम्बर 2017 तक 31.42 लाख परिवारों के वयस्क सदस्यों को अकुशल श्रम कार्य निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध करा दिये गये हैं।

प्रदेश के सभी जिलों में वित्तीय वर्ष 2017-18 का कुल प्रारंभिक शेष 364.23 करोड है। वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर तक कुल उपलब्ध राशि 3361.69 करोड के विरूद्ध 3413.40 करोड का व्यय किया गया है।

वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर तक प्रदेश में कुल 1153914 कार्य प्रगतिरत है। इस वित्तीय वर्ष माह दिसम्बर 2017 तक 234432 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। योजनांतर्गत इस अवधि में 1261.84 लाख मानव दिवस सृजित किये गए हैं।

8.79 मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम : शिक्षा का लोकव्यापीकरण तथा शाला में दर्ज विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि तथा उपस्थिति में निरन्तरता रखने हेतु यह कार्यक्रम सभी प्राथमिक /माध्यमिक शासकीय शासन से अनुदान प्राप्त शालाओं तथा राज्य शिक्षा केन्द्रो से सहायता प्राप्त मदरसों में क्रियान्वित किया जाता है । लक्षित शालाओं के विद्यार्थियों को प्रत्येक शैक्षणिक दिवस में गर्म पका हुआ रूचिकर एवं पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है । कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा का लोकव्यापीकरण, दर्ज विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करना,उपस्थिति में निरंतरता लाना तथा आय मूलक गतिविधियों की संभावनाओं की तलाश कर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

प्रदेश की समस्त लक्षित शालाओं के 60.31 लाख विद्यार्थियों को लाभांवित किया जाना लक्षित है। प्रदेश में कुल 1.14 लाख लक्षित शालाओं में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का लाभ दिया जा रहा है। भोजन पकाने के लिये प्रथम किश्त के रूप में योजना के संचालन हेतु राशि रूपये 33711.01 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरूद्ध 24294.82 लाख व्यय किया जा चुका है। खाद्यान्न का आवंटन एवं उपयोग प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में खाद्यान्न के उपयोग की वार्षिक राशि रूपये 3938.56 लाख के विरूद्ध राशि रूपये 722.00 लाख खाद्यान्न हेतु उपयोग की गई। रसोईयों का पारिश्रमिक वित्तीय वर्ष 2017-18 में रसोईयों का पारिश्रमिक आवंटन राशि रूपये 14541.90 लाख एवं जिलों को राशि रूपये 10378.53 लाख प्रदाय की जा चुकी है।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम क्रियान्वयन में अभी नव प्रयास किये जा रहे हैं जिसके तहत पारदर्शिता एवं भुगतान में समयबद्धता लाने हेतु मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम पोर्टल तैयार किया गया है जिसके माध्यम से रसोईयों को मिलने वाले मानदेय राशि का भुगतान सीधे

संबंधितों के बैंक खातों में किया जा रहा है तथा संबंधित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को शालावार खाद्यान्न आवंटन किया जा रहा है।

प्रदेश के चिन्हित अति-कुपोषित 85 विकासखण्ड में अतिरिक्त पोषण के उद्देश्य से लगभग 24940 प्राथमिक शालाओं के लगभग 11.53 लाख छात्रों को सप्ताह में 3 दिवस गुड मूंगफली से निर्मित चिक्की के प्रदाय की योजना तैयार की गई है। प्राथमिक शालाओं के लगभग 37.00 लाख एवं आंगनबाडियों के लगभग 29.99 लाख बच्चों को सप्ताह में 3 दिवस दूध पाउडर से तैयार कर तरल दूध प्रदाय किया जा रहा है।

8.80 पंचायतराज संचालनालय :पंचायतराज संचालनालय अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में निर्धारित आयोजना राशि 1522.56 करोड, आयोजनेत्तर राशि 3772.52 करोड इस प्रकार कुल राशि रू. 5295.08 करोड है । वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल राशि 5081.79 करोड प्रदाय की गई है।

- पंचायतराज भवन निर्माण योजना में वर्ष 2017-18 में प्रदेश में लगभग 1444 भवन विहीन पंचायतों की जानकारी प्राप्त हुई है। इसका परीक्षण कर वित्तीय संसाधनों के अनुसार स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण हाट बाजार योजनान्तर्गत अब तक 276.14 करोड लागत 1117 हाट बाजार के स्वीकृत कार्यो में से 538 कार्य पूर्ण एवं 579 कार्य प्रगतिरत है ।
- बी.आर.जी.एफ. योजना अंतर्गत अब तक कुल स्वीकृत 113843 कार्य के विरूद्ध 111701 कार्य पूर्ण किये गये। शेष 2142 कार्य प्रगतिरत है। यह योजना भारत सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई है। प्रगतिरत कार्य हेतु राशि उपलब्ध है।
- 14 वां वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2015-2020 के लिये ग्राम पंचायतों को 2011 की जनसंख्या के आधार पर 90 प्रतिशत जनसंख्या के अनुपात में एवं 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के अनुपात में अनुदान राशि 2 रूपों में यथा मूलानुदान तथा परफॉरमेंस ग्रान्ट प्रदाय किया जाकर पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि रूपये 2341.57 करोड ग्राम पंचायतों को जारी कर दी गई है।
- राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में एवं उसके बाद के वर्षो के लिये राशि का वितरण पत्र क्रमांक 335/475/2016/22/पं-1/दिनांक 15.12.2016 के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत जिला पंचायत अध्यक्ष को राशि रूपये 25.00 लाख, उपाध्यक्ष को राशि रूपये 15.00 लाख तथा सदस्य को रु. 10.00 लाख एंव जनपद पंचायत अध्यक्ष को 12.00 लाख उपाध्यक्ष को रु. 8.00 लाख तथा जनपद पंचायत के सदस्य को रु. 4.00 लाख वर्ष 2016-17 में प्रदाय करने का प्रावधान है।

8.81 पुरस्कार योजना : योजनान्तर्गत निर्विरोध निर्वाचित हुए सरपंच तथा पंचों को पुरस्कृत करने हेतु यह त्रि-स्तरीय पुरस्कार योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत ऐसी ग्राम पंचायते

जिसका सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हुए है उसे 1.00 लाख रूपये, ऐसी ग्राम पंचायते जिसका सरपंच एवं सभी पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए है उसे 5.00 लाख रूपये, तथा ऐसी ग्राम पंचायते जिसका सरपंच एवं सभी पंच महिला है उन्हें 10.00 लाख रूपये, राशि देने का प्रावधान है। वर्ष 2015-16 के लिये योजना क्र.8391 त्रि-स्तरीय पुरूस्कार में राशि रूपये 1956.00 लाख जारी किये गये हैं।

स्वच्छ भारत मिशन

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में 2 अक्टूबर 2018 तक सभी 97.97 लाख घरों में स्वच्छ शौचालय का निर्माण पश्चात 22824 ग्राम पंचायत एवं 52000 ग्रामों को खुले से शौच मुक्त करना। इसके साथ-साथ निरंतर स्वच्छता हेतु सभी ग्रामों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत प्रदेश के सभी ग्रामों को खुले से शौचमुक्त कराने का उददेश्य है। इस वित्तीय वर्ष में जिलों द्वारा कुल 1810 ग्राम पंचायतों द्वारा 3306 ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। इसके साथ ही 8 जिले आगरमालवा, भोपाल, बुरहानपुर, होशंगाबाद, खरगोन, नीमच, शाजापुर, एवं उज्जैन जिले का ग्रामीण क्षेत्र खुले में शौच से मुक्त हुआ है। समुदाय को जागृत कर अभियान में उनकी भागीदारी के लिये 10.00 हजार प्रशिक्षित स्थानीय ग्रामवासियों का प्रेरक एवं स्वच्छता दूत के रूप में उपयोग किया जा रहा है। अभी तक 5500 प्रेरक एवं 1000 प्रशासनिक अमले को समुदाय आधारित स्वच्छता गतिविधियों के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया है। मिशन लीडर कलेक्टर को भी नेतृत्व करने हेतु प्रोत्साहित किया गया है।

कार्यों के सघन रूप से अनुश्रवण हेतु ग्राम से लेकर राज्य स्तर तक सशक्त मोनीटरिंग एवं स्थानीय निकाय द्वारा प्रगति का सत्यापन किया जाता है। ग्रामों को स्वच्छ बनाने हेतु वर्ष 2017-18 में प्रदेश की कुल 6415 ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्य के लिये प्रस्तावित किया गया है। राज्य के नवाचार प्रयासों भाई नंबर वन, रद्दी से समृद्धि, कचरे से कंचन को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है।

दिसम्बर 2017 तक 78.20 लाख घरों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। जिसमें से वित्तीय वर्ष में 18.54 लाख घरों में शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रतिवर्ष 25-26 लाख घरों में शौचालय निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। निर्मित शौचालयों हेतु प्रोत्साहन राशि के रूप में 1568.65 करोड रूपये व्यय किये गए हैं।

शहरी क्षेत्र में रोजगार

8.82 दीनदयाल अन्त्योदय योजना -राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM):

8.83 दीनदयाल अन्त्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जिसमें 60 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा तथा 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा

उपलब्ध कराई जाती है । यह योजना शहरी गरीबों के उत्थान के लिए स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर अक्टूबर, 2013 से लागू की गई है ।

8.84.2 यह योजना वर्ष 2011 से जनगणना के आधार पर अक्टूबर 2013 से प्रदेश के 55 शहरों में लागू की गई है। वर्तमान में 70 शहरों में लागू की गई है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :

क्रं.	जनसंख्या	प्रदेश के शहर
1	10 लाख से अधिक	इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर
2	5 लाख से 10 लाख	उज्जैन
3	3 लाख से 5 लाख	सागर
4	1 लाख से 3 लाख	देवास,सतना, रतलाम, रीवा, कटनी, सिंगरौली, खण्डवा, मुरैना, भिण्ड, बुरहानपुर, गुना, विदिशा, छतरपुर, शिवपुरी, मंदसौर, छिन्दवाडा, खरगौन, नीमच, दमोह, होशंगाबाद, सिवनी, बैतुल, दतिया, इटारसी, नागदा, पीथमपुर, डबरा ।
5	01 लाख से कम (जिला मुख्यालय शहर)	शहडोल, बालाघाट, अशोकनगर, टीकमगढ, श्योपुर, शाजापुर, हरदा, नरसिंहपुर, सीधी, सीहोर, मडंला, रायसेन, पन्ना, बडवानी, झाबुआ, उमरिया, राजगढ, अलीराजपुर,अनुपपुर, डिण्डोरी, धार, आगर,
6	50 हजार से अधिक जनसंख्या वाले शहर	मण्डदीप, आष्टा, सिरोंज, गंजवासौदा, गोहद, सेंधवा, गाडरवाडा, मैहर, बीना, खुरई, जावरा, राघौगढ- विजयपुर, मकरोनिया, शुजालपुर, सारणी,

8.84 योजना के प्रमुख घटक :

- सामाजिक जागरूकता एवं संस्थागत विकास ।
- कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से
- स्वरोजगार कार्यक्रम
- क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण
- शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता
- शहरी गरीबों के लिए आश्रय योजना

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) योजना अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों की जानकारी तालिका 8.12 निम्नानुसार है :

तालिका 8.12

शहरी रोजगार आजीविका मिशन (NULM) की प्रगति)

(रु० लाख में)

क्र.	कार्यक्रम का नाम	वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धि	
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक
1	स्वरोजगार कार्यक्रम	2016-17	7200.00	12000	11779.63	15466
2	कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार।		4000.00	40000	2500.30	44432
3	स्वरोजगार कार्यक्रम	2017-18	-	30000	10631.05	15112
4	कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार।	माह दिसम्बर तक	-	49076	-	5285

राज्य शासन की नवीन योजनायें

8.85 हाथठेला एवं साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना : प्रदेश के शहरों में मुख्यमंत्री हाथठेला एवं सायकल रिक्शा चालक कल्याण योजना वर्ष 2009 से प्रारंभ की गई है । इस योजना अन्तर्गत पंजीकृत सदस्यों को स्वरोजगार स्थापना हेतु मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अन्तर्गत सहायता उपलब्ध कराई जाती है । वर्तमान तक 57652 सदस्यों को सहायता उपलब्ध करा दी गई है । प्रसूति सहायता, छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, अनुग्रह सहायता, जनश्री बीमा योजना आदि सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी प्रदान की जाती है ।

8.86 शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना : शहरी घरेलू कामकाजी बहनों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना वर्ष 2009 से प्रारम्भ की गई है । योजना में घरेलू कामकाजी महिलाओं का पंजीयन कर आई.टी.आई. एवं अन्य संस्थाओं से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । प्रशिक्षण अवधि में 2000/- पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है । प्रसूति सहायता, छात्रवृत्ति सहायता, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, अनुग्रह सहायता, जनश्री बीमा योजना आदि सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी प्रदान की जाती है । वर्तमान तक 63109 कामकाजी बहनों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है ।

8.87 मुख्यमंत्री (पथ पर विक्रय करने वाले) शहरी गरीबों के लिए कल्याण योजना : प्रदेश में शहरी फेरीवालों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री (पथ पर विक्रय करने वाले) शहरी गरीबों के लिए कल्याण योजना वर्ष 2012 से लागू की गई है । इस योजना अन्तर्गत पंजीकृत सदस्यों को स्वरोजगार स्थापना हेतु मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अन्तर्गत सहायता उपलब्ध करायी जाती है । वर्तमान तक 32060 सदस्यों को सहायता उपलब्ध करा दी गई है । प्रसूति सहायता, छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, अनुग्रह सहायता, जनश्री बीमा योजना आदि सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी प्रदान की जाती है ।

8.88 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनांतर्गत केश शिल्पी कल्याण योजना : राज्य शासन द्वारा प्रदेश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में केश शिल्पी का कार्य कर रहे केश शिल्पियों के कल्याण के लिए केश शिल्पी कल्याण योजना वर्ष 2013 में लागू की गई है । इस योजना अन्तर्गत पंजीकृत सदस्यों को स्वरोजगार स्थापना हेतु मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अन्तर्गत सहायता उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान तक 10635 सदस्यों को सहायता उपलब्ध करा दी गई है । प्रसूति सहायता, छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, अनुग्रह सहायता, जनश्री बीमा योजना आदि सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी प्रदान की जाती है ।

8.89 मुख्यमंत्री मानव श्रम रहित ई-रिक्शा एवं ई-लोडर योजना : शहरी गरीबों के शारीरिक श्रम को न्यूनतम कर उच्च आय अर्जित करने के युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से जनवरी 2017 से मुख्यमंत्री मानव रहित ई-रिक्शा एवं ई-लोडर योजना प्रारंभ की गई है । उक्त योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अन्तर्गत अतिरिक्त घटक के रूप में वित्त पोषित होगी । नवम्बर 2017 तक 436 हितग्राहियों को ई-रिक्शा तथा 32 हितग्राहियों को ई-लोडर का वितरण किया गया है।

8.90 मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना: योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए स्वरोजगार स्थापित करने के हेतु परियोजना लागत 50,000 रू. तक बैंक के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है । परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान तथा बैंक द्वारा प्रचलित ब्याज दर में 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर की अंतर राशि को ब्याज अनुदान के रूप में अधिकतम 7 वर्ष तक दिया जायेगा । यह योजना वर्ष 2015-16 से प्रारंभ की गई है । वर्तमान तक 30445 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया ।

8.91 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना: योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए व्यक्तिगत स्वरोजगार स्थापित करने हेतु परियोजना लागत 2,00,000

रू. तक बैंक के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है । परियोजना का 20 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान तथा बैंक द्वारा प्रचलित ब्याज दर से 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर की अन्तर राशि को ब्याज अनुदान के रूप में अधिकतम 7 वर्ष तक दिया जायेगा। समूह के लिए रोजगार स्थापित करने हेतु परियोजना लागत 10,00,000 रू. तक बैंक के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है । परियोजना लागत का 15 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान तथा बैंक द्वारा प्रचलित ब्याज दर से 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर की अन्तर राशि को ब्याज अनुदान के रूप में अधिकतम 7 वर्ष तक दिया जायेगा । यह योजना वर्ष 2015-16 से प्रारंभ की गई है । वर्तमान तक 31034 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया ।

महिला एवं बाल विकास

प्रदेश में बच्चों एवं महिलाओं के संरक्षण, उन्नति एवं सर्वागीण विकास हेतु एकीकृत बाल विकास परियोजनायें संचालित की जा रही है । बच्चों के शारीरिक मानसिक एवं बौद्धिक विकास एवं कुपोषण से मुक्त कराने हेतु 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती तथा धात्री माताओं के लिए महिला एवं बाल विकास परियोजनाएं तथा 73 शहरी बाल विकास परियोजनाएं सहित प्रदेश में कुल 453 समेकित बाल विकास परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं । इन 453 बाल विकास परियोजनाओं मे कुल 84465 हजार आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत है । इसके अतिरिक्त 12670 हजार मिनी ऑगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं ।

8.92 पोषण आहार की व्यवस्था : मध्यप्रदेश में संचालित 453 समेकित बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत कुल 84465 हजार आंगनवाडी केन्द्र एवं 12670 मिनी आंगनवाडी केन्द्रों के द्वारा लगभग 80.00 लाख हितग्राहियों को पूरक पोषण आहार से लाभान्वित किया जा रहा है । आंगनवाडी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार की व्यवस्था हेतु व्यय की जाने वाली राशि से 50 प्रतिशत की राशि भारत सरकार महिला बाल विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार निम्नानुसार पूरक आहार दिए जाने का प्रावधान है ।

हितग्राही	01-08-2013 से पुनरीक्षित दर	उपलब्ध कराई जाने वाली प्रोटीन की मात्रा	उपलब्ध कराई जाने वाली कैलोरी की मात्रा
06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चे	रू-6.00 प्रति बच्चा प्रतिदिन	12-15 ग्राम	500
अतिकम वजन के बच्चे (06 माह से 06 वर्ष तक)	रू. 9.00 प्रति बच्चा प्रतिदिन	20-25 ग्राम	800
गर्भवती/धात्री माता	रू. 7.00 प्रति प्रतिदिन	18-20 ग्राम	600

- **06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चे/गर्भवती धात्री महिलायें** : वर्तमान में प्रदेश में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में नवीन व्यवस्था के अनुसार 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों गर्भवती/धात्री माताओं को एम.पी.एग्रो के माध्यम से सप्ताह के 5 दिन निम्नानुसार निर्धारित मात्रा में अलग-अलग दिवसों में दिया जा रहा है ।

क्रं.	**खादयान का नाम**	**हितग्राही**	**प्रतिदिन की मात्रा**	**प्रोटीन ग्राम**	**कैलारी**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	गेहूँ सोया बर्फी (प्रिमिक्स)	गर्भवती/धात्री मातायें	150 ग्राम	18.00	600
2	आटा बेसन लडडू (प्रिमिक्स)	गर्भवती/धात्री मातायें	150 ग्राम	18.00	600
3	हलुआ (प्रिमिक्स)	6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे	120 ग्राम	12.00	500
4	बाल आहार	6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे	120 ग्राम	12.00	500
5	खिचडी	6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे	125 ग्राम	12.00	500
		गर्भवती/धात्री मातायें	150 ग्राम	18.00	600

- **03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चे** : ग्रामीण क्षेत्र की बाल विकास परियोजनाओं में 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चे को सांझा चूल्हा के माध्यम से सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन पृथक पृथक निम्न मीनू अनूसार पूरक पोषण आहार देने के रूप में दिए जाने के प्रावधान हैं ।

दिन	**सुबह का नाश्ता**	**दोपहर का भोजन**	**प्रोटीन(ग्राम)**	**कैलोरी**
	रैसिपी	रैसिपी	12से 15	500
सोमवार	ताजा पका/ रेडी-टू-ईट	रोटी सब्जी तुअर दाल		
मंगलवार	ताजा पका/ रेडी-टू-ईट	खीर-पूडी-मूंगबडी-आलू टमाटर सब्जी		
बुधवार	ताजा पका/ रेडी-टू-ईट	रोटी-चने की दाल, मिक्स सब्जी		
गुरूवार	ताजा पका/ रेडी-टू-ईट	चावल-पुलाव-पकोडे वाली कढी		
शुक्रवार	ताजा पका/ रेडी-टू-ईट	रोटी-मूंगदाल, हरे या सूखे मटर की सब्जी		
शनिवार	ताजा पका/ रेडी-टू-ईट	पराठा-सीजनेबल हरी सब्जी-मिक्स दाल		

शहरी क्षेत्र की बाल विकास परियोजना में 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को स्थानीय स्वसहायता समूहों, के माध्यम से सांझा चूल्हा कार्यक्रम के मेनू के अनुरूप ही पोषण आहार दिये जाने का प्रावधान रखा गया है ।

- **06 माह से 06 वर्ष तक के अतिकम वजन के बच्चों हेतु तीसरा मील:** 06 माह से 06 वर्ष तक के आंगनवाडी केन्द्र में दर्ज अति कम वजन के बच्चों को थर्ड मील के रूप में सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को दोपहर के भोजन के मीनू अनुसार तथा मंगलवार गुरूवार एवं शनिवार को नाश्ता के मीनू अनुसार दिये जाने का प्रावधान है ।

- **03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को दूध का प्रदाय:** आंगनवाडी केन्द्रों में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा स्वयं के वित्तीय संसाधनों से प्रदेश के समस्त आंगनवाडी केन्द्रों/उप आंगनवाडी केन्द्रों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को मीठा सुगन्धित स्किम्ड फलेवर्ड मिल्क 15 जुलाई 2015 से सप्ताह के 03 दिवस (सोमवार, बुधवार, शुक्रवार) को प्रदाय किया जा रहा है । प्रत्येक बच्चे को 10 ग्राम मिल्क पावडर से निर्धारित विधि अनुसार 100 एम.एल.दूध तैयार कर दिया जा रहा है ।

8.93 सबला योजना (किशोरी बालिका) : भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार राज्य सरकार द्वारा चयनित 15 जिलों में सबला योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है । 11 से 14 वर्ष तक की शाला त्यागी एवं 14 से 18 वर्ष तक की सभी किशोरी बालिकाओं को सप्ताह के 6 दिन टेक होम राशन के रूप में निम्नानुसार पूरक पोषण आहार दिए जाने का प्रावधान दिया गया है ।

क्रं.	खादयान का नाम	हितग्राही	प्रतिदिन की मात्रा	न्यूनतम प्रोटीन ग्राम	न्यूनतम कैलोरी
1	गेहूं सोया बर्फी प्रिमिक्स	किशोरी बालिकाएं	150 ग्राम	18.00	600
2	खिचडी	किशोरी बालिकाएं	150 ग्राम	18.00	600

पूरक पोषण आहार अंतर्गत बजट प्रावधान :

- आंगनवाडी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार की व्यवस्था हेतु व्यय की जाने वाली राशि से 50 प्रतिशत की राशि भारत सरकार द्वारा महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाती है ।

- वित्तीय वर्ष 2017-18 में पोषण आहार अंतर्गत राशि रू. 1245.60 करोड का प्रावधान रखा गया है तथा सबला योजनान्तर्गत राशि रू.153.04 करोड का पृथक से प्रावधान किया गया है ।

8.94 अटल बिहारी बाजपेयी बाल आयोग्य एवं पोषण मिशन : मिशन का उद्देश्य है कि प्रदेश के बच्चों में व्याप्त कुपोषण को रोकने और इससे बचाव तथा पांच वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रमुख सहायोगियों के साथ मिलकर एक सशक्त संरचना तैयार की जाये। इसके लिए समन्वित, गंभीर प्रयास किए जाऐंगे। मिशन वर्तमान में प्रदाय की जा रही पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं और उनके सभी घटकों जैसे- वित्तीय संसाधनों का सही और उचित समय पर उपयोग, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने आदि के सुदृढीकरण पर भी ध्यान देना।

अटल बिहारी बाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन के अंतर्गत वर्ष 2020 हेतु मिशन के लक्ष्यों का पुननिर्धारण एवं रणनीति का अनुमोदन अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन की साधारण सभा द्वारा निम्नानुसार किया गया।

क्र.	विवरण	एन.एफ.एच.एस.4(2015-16)	अटल बाल मिशन में वर्ष 2020 हेतु निर्धारित लक्ष्य
1	5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर	65	40
2	सामान्य से कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत	42.8	30
3	गंभीर कुपोषण (SAM) का प्रतिशत	9.2	<5

वर्ष 2015-16 में यू.एफ.एम.आर. 94.2 प्रति हजार से घटकर 65 प्रति हजार हो गया है। वर्ष 2015-16 में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कम वजन के बच्चों के दर 60 प्रतिशत से घटकर 42.8 प्रतिशत हो गई है। वर्ष 2015-16 में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में गंभीर कुपोषण (SAM) की दर 12.6 प्रतिशत से घटकर 9.2 प्रतिशत हो गई है।

महिला सशक्तिकरण

8.95 लाड़ली लक्ष्मी योजना :

बालिका जन्म के प्रति जनता मे सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्‌देश्य से लाड़ली लक्ष्मी योजना मध्यप्रदेश में वर्ष 2007 से लागू की गई है।

आवश्यक दस्तावेजों के साथ सीधे अथवा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से/ परियोजना कार्यालय/लोक सेवा केन्द्र अथवा किसी भी इंटरनेट कैफे से आवेदन/ रजिस्ट्रेशन कर सकेगा। (प्रकरण स्वीकृति हेतु समस्त दस्तावेजों का परीक्षण परियोजना कार्यालय से कराया जाना होगा। तत्पश्चात् प्रकरण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जा सकेगा।) प्रकरण स्वीकृति उपरांत बालिका के नाम से शासन की ओर से रूपये 1,18,000/- का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

योजना हेतु पात्रता की शर्तें- (सामान्य प्रकरणों हेतु)

- बालिका का परिवार (माता-पिता) मध्यप्रदेश के मूल निवासी होना चाहियें।
- परिवार (माता-पिता) जिनकी 2 या 2 से कम संतान हो।
- आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकरण हेतु आवेदन के पूर्व परिवार नियोजना अपना लिया हो।
- यदि बालिका परिवार की प्रथम संतान है व उसका जन्म 1 अप्रैल 2008 को अथवा उसके उपरांत हुआ है, बालिका को, परिवार नियोजन अपनाये बिना योजना का लाभ प्राप्त होगा किन्तु द्वितीय संतान की आयु 1 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व परिवार नियोजन अपनाना आवश्यक होगा।
- परिवार (माता-पिता) आयकर दाता नही होना चाहिये।
- बालिका का पंजीयन बालिका के जन्म के एक वर्ष अंदर आंगनबाड़ी केन्द्र पर कराना होगा।

योजना हेतु पात्रता की शर्तें- (विशेष प्रकरणों हेतु)

- अनाथ/ दत्तक बालिका की दशा में संबंधित अनाथालय/ संरक्षण गृह के अधीक्षक द्वारा अनाथालय में प्रवेश के 1 वर्ष के अंदर तथा बालिका की आयु 6 वर्ष से पूर्व या दत्तक लेने वाले माता-पिता द्वारा दत्तक लेने के 1 वर्ष के अंदर आवेदन करना होगा ।

- जिस परिवार में अधिकतम 2 संतान है तथा माता अथवा पिता की मृत्यु हो गई है, उस परिवार के लिये , बच्ची के जन्म के 5 वर्ष के अंदर आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से पंजीकरण कराया जा सकता है।
- प्रथम प्रसूति के समय एक साथ 3 लड़कियों के जन्म लेने पर भी तीनो बच्चियों को योजना का लाभ मिलेगा किन्तु परिवार को 1 वर्ष के अंदर परिवार नियोजन अपनाना आवश्यक होगा।
- ऐसे अभिभावक जो चिकित्सीय कारणों से बालिका के जन्म के 1 वर्ष के अंदर आवेदन या परिवार नियोजन नही अपना पाये है, उन्हें यह सुविधा होगी कि आगामी 1 वर्ष की अवधि अर्थात् बालिका के जन्म के 2 वर्ष के अंदर आवेदन संबंधित जिला कलेक्टर को कर सकेगे।

8.96 योजना के अंतर्गत भुगतान

अंतरिम भुगतान-

बालिका के -

कक्षा 6 वी में प्रवेश लेने पर रूपये 2000/-
कक्षा 9 वी में प्रवेश लेने पर रूपये 4000/-
कक्षा 11 वी में प्रवेश लेने पर रूपये 6000/-
कक्षा 12 वी में प्रवेश लेने पर रूपये 6000/-

ई- पेमेंट के माध्यम से किया जावेगा।

अंतिम भुगतान-

रूपये 1 लाख, बालिका की आयु 21 वर्ष होने पर तथा कक्षा 12 वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने पर भुगतान किया जायेगा , किन्तु शर्त यह होगी कि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु के पूर्व न हुआ हो ।

उपलब्धि-

लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिसम्बर 2017 तक लक्ष्य के विरूद्ध 1,95,891 बालिकाओं को लाभांवित किया जाकर कुल राशि रू. 599 करोड़ व्यय किये गये । वहीं योजना प्रारंभ वर्ष 2007 से वर्तमान तक कुल 27.00 लाख से अधिक बालिकाओं को योजना का लाभ दिया गया । इस वित्तीय वर्ष में कक्षा 6 में प्रवेश लेने वाली लगभग 65044 बालिकाओं को छात्रवृत्ति की राशि रू. 2,000/- प्रति बालिका प्रदाय की जा रही है ।

8.97 शौर्या दल योजना : राज्य में महिलाओं के प्रति अनुकूल वातावरण निर्माण करने व उन्हें आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक आंगनबाडी स्तर पर मूल्यांकन के आधार पर शौर्या दल का पुर्नगठन किया गया है जो कि एक निरंतर प्रक्रिया है। इस दल में कुल 10 सदस्य होंगे यह दल पंचायत स्तर पर समुदाय को महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास, आवश्यक सहयोग तथा सहायता प्रदान करेगा एवं महिलाओं को सामाजिक आर्थिक रूप से सक्षम बनाते हुए समतामूलक समाज निर्मित करने का प्रयास करेगा। **वर्तमान में मध्यप्रदेश के 51 जिलों में 82000 शौर्या दलों को गठन किया गया है।**

8.98 लाड़ो अभियान : प्रदेश में व्याप्त सामाजिक कुरीति बाल विवाह के रोकथाम के लिये वर्ष 2013 से लाडो अभियान संचालित है। इस हेतु इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जनसमुदाय, निर्वाचित, जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि विभिन्न कार्यो के धर्म गुरूओं, सेवा प्रदाताओं, सेवा अन्य संगठनों को जोडकर बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं और 21 वर्ष से कम आयु के बालिको के बाल विवाह रोकने संबंधी कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है।

लाडो अभियान अंतर्गत योजना प्रारंभ से 2016-17 तक 82901 बाल विवाह संपन्न होने के पूर्व समझाइश द्वारा रोके गये एवं स्थल पर जाकर 4111 बाल विवाह रोके गये एवं वर्ष 2017-18 में 867 तय बाल विवाह संपन्न होने के पूर्व समझाइश/परामर्श से रोके गये, 322 बाल विवाह स्थल पर रोके गये। लाडो अभियान का वर्ष 2014 का प्रधानमंत्री लोकसेवा उत्कृष्टता पुरूस्कार एवं वर्ष 2016 में अंतराष्ट्रीय पुरूस्कार **CAPAM** से सम्मानित किया गया है।

8.99 मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना : यह महसूस किया गया कि विभिन्न तरह की विपत्तिग्रस्त महिलायें यथा जेल से रिहा, बलात्कार से पीड़ित, एसिड विक्टिम, अग्नि पीड़ित दुर्व्यवहार से बचायी गई महिला अथवा बालिका, आश्रय गृहों में निवासरत बालिकायें अथवा महिलाओं, आदि श्रेणी की गरीब महिलाओं को कई बार पारिवारिक सहायता नहीं मिल पाती है जिससे उनके जीवन यापन के सभी रास्त बंद हो जाते है। अतः देश में सर्वप्रथम नवाचार के रूप में " मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना" प्रदेश में सितम्बर 2013 से प्रारंभ की गई है। वर्ष 2014-15 में 577 एवं वर्ष 2015-16 में कुल 817 हितग्राहियों का विभिन्न प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया था। वर्ष 2016-17 में 494 हितग्राहियों को चयन प्रशिक्षण के लिये चुना गया है। वर्ष 2017-18 में माह नवम्बर तक 388 महिलाओं को योजना के लाभ के लिये चयन किया गया है।

वर्ष 2015–16 (जुलाई 2015 से मार्च 2015 तक)		वर्ष 2016–17		वर्ष 2017–18	
चयनित हितग्राही	प्रशिक्षण प्राप्त हितग्राही	चयनित हितग्राही	प्रशिक्षण प्राप्त हितग्राही	चयनित हितग्राही	प्रशिक्षण प्राप्त हितग्राही
817	**709**	494	494	**388**	**388**

योजना की प्रगति हितग्राही अनुसार **31.12.2016 तक**

श्रेणीवार	संख्या
विपत्तिग्रस्त महिला	107
जेल में रिहा/जेल में बंद	72
बलात्कार पीड़िता	01
विधवा/तलाकशुदा/परित्यकता	127
दहेज पीड़िता	02
शास. गृह में निवासरत	72
घरेलू हिंसा	00
एसिड अटेक प्रीडिता	00
बाल विवाह	07
अन्य प्रकार	00
कुल	388

योजना को वर्ष 2015 में स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ है।

8.100 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) अधिनियम 2013 एवं नियम 2013 : महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिंक उत्पीड़न अधिनियम-2013 एवं नियम-2013, महिलाओ को कार्यस्थल पर लैगिंक उत्पीडन से संरक्षण तथा गरिमा से कार्य करने का अधिकार प्रदान करता है। अधिनियम अन्तर्गत समस्त नियोक्ता (शासकीय/ अशासकीय) अथवा कार्य स्थल के प्रभारी (सार्वजनिक/निजि/गैरसरकारी) का कर्तव्य है कि यौन उत्पीड़न की रोकथाम करे तथा इस बारे में सभी अपेक्षित कदम उठा कर यौन उत्पीड़न के कृत्यों से जुडी समस्याओं का समाधान करे।

- **लैंगिक उत्पीड़न क्या है ? :-**
  1. शारीरिक संपर्क और अग्रक्रियाएं या
  2. लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करना या
  3. लैंगिक आभास वाली टिप्पणियां करना या
  4. अश्लील साहित्य दिखाना या लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य निंदनीय, शारीरिक, शाब्दिक या गैर शाब्दिक आचरण करना।
- **लैगिंक उत्पीड़न से संबंधित अन्य कृत्य :**

अहितकारी व्यवहार, या धमकी या वर्तमान या भावी नियोजित को प्रभावित करने वाली स्थिति या कार्य में हस्तक्षेप या आपराधिक कृत्य या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण का सृजन करना या स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने वाला अपमान जनक आचरण करना भी लैंगिंक उत्पीड़न माना जायेगा।

कार्यस्थल क्या है ?

विभाग, शासकीय/अशासकीय संगठन, उपक्रम, उद्यम, उद्योग, बैंक, कारखाना, दुकान, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट, सरकारी कंपनी, सोसायटी, अस्पताल नर्सिंग होम, उत्पादन, प्रदाय, विपणन केन्द्र, मनोरंजन केन्द्र, खेलकूद, शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थान, कार्य के संबंध में यात्रा के दौरान, गृह (घरेलू कामकाजी महिला) निर्माण स्थल आदि।

शिकायत कहां करें :

1. अपने कार्यालय (शासकीय/अशासकीया) में गठित आंतरिक परिवाद समिति।
2. जिला स्तर पर गठित स्थानीय परिवाद समिति।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला- पंचायत।
4. जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी।

आंतरिक परिवाद समिति :-

1. **पीठासीन अधिकारीः-** कार्यस्थल पर नियोजित वरिष्ठ महिला। कार्यस्थल पर वरिष्ठ महिला न होने पर उस कार्यस्थल की अन्य यूनिट या अन्य कार्यस्थल या अन्य विभाग या संगठन से भी नामांकित किया जा सकता है।
2. **सदस्यः-** कम से कम अन्य 2 व्यक्ति जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध है या जिनकों समाज सुधार का अनुभव या विधि का ज्ञान हो।
3. **अशासकीय सदस्यः**- 01 - गैर सरकारी संगठनों में जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध या ऐसा कोई व्यक्ति जो लैंगिक उत्पीड़न के मुद्दों से परिचित हो।
   समिति के कुल सदस्यों में आधी महिला सदस्य होगी।

8.101 स्थानीय परिवाद समिति : जिस कार्य स्थल पर 10 से कम कर्मचारी/अधिकारी/कर्मकार नियोजित होने पर या घरेलू कामकाजी महिला या शिकायत नियोजक के खिलाफ होने पर प्रत्येक जिले में गठित स्थानीय परिवाद समिति को शिकायत की जायेगी। स्थानीय परिवाद समिति में जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी पदेन सदस्य है।

- कानून के प्रमुख प्रावधान
- प्रत्येक कार्यस्थल पर 10 या 10 से अधिक कर्मचारी/अधिकारी नियोजित होने पर आंतरिक परिवाद समिति का गठन करना। गठित नहीं करने पर शास्ति का प्रावधान है।

- पीडिता या अन्य द्वारा घटना की तारीख के 3 माह के अंदर समिति को शिकायत करना होगी।
- 90 दिवस में जांच पूरी की जाकर समिति की अनुशंसा पर 60 दिवस में नियोजक द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने पर जुर्माने का प्रावधान है।
- जांच लंबित रहने के दौरान व्यथित महिला के अनुरोध पर समिति की सिफारिश पर स्थानांतरण या छुट्टी या अन्य राहत प्रदाय की जायेंगी।
- परिवाद की विषय वस्तु, जांच एवं कार्यवाही का प्रकाशन या सार्वजनिक करना प्रतिषेध है। सार्वजनिक करने पर शास्ति का प्रावधान है।
- सूचना के अधिकार अधिनियम अंतर्गत सूचना नहीं दी जा सकती है।
- मिथ्या या द्वेषपूर्ण शिकायत, मिथ्या साक्ष्य, गवाह के लिए दण्ड के प्रावधान है।

उपलब्धियां-

1. जिला अधिकारी-सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2014 द्वारा म.प्र. के समस्त अपर कलेक्टर (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत) को पदेन जिला अधिकारी अधिसूचित किया जा चुका है।
2. जिला स्तरीय नोडल अधिकारी- प्रत्येक जिले में जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी को अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
3. खण्ड स्तरीय नोडल अधिकारी- अधिनियम के प्राभावी क्रियान्वयन हेतु ब्लाक स्तर पर विकाखण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी एवं जिन विकासखण्डों में महिला सशक्तिकरण अधिकारी पदस्थ नहीं है, उन विकासखण्डों में बाल विकास परियोजना अधिकारी (एकीकृत बाल विकास सेवा) तथा शहरी क्षेत्र में समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को शिकायत प्राप्त कर स्थानीय परिवाद समिति को भेजने हेतु नोडल अधिकारी पदाभिहित किया गया है।
4. आन्तरिक परिवाद समिति- अधिनियम के पालन में मध्य प्रदेश के समस्त 51 जिलों में आन्तरिक परिवाद समिति का शासकीय कार्यालायों में गठन किया जा चुका है। तथा अशासकीय कार्यालयों में गठन की कार्यवाही जारी है।
5. स्थानीय परिवाद समिति-कुल 51 जिलों में स्थानीय परिवाद समिति का गठन किया जा चुका है।
6. प्रचार-प्रसार-अधिनियम के प्रचार-प्रसार हेतु दिनांक 15 एवं 16 दिसम्बर-2015 को राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया। जिला एवं संभाग स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन सतत् किया जा रहा है। दैनिक समाचार पत्रों, दूरदर्शन के माध्यम से अधिनियम का प्रचार-प्रसार किया गया।
7. अधिनियम अन्तर्गत कुल 26 शिकायतें दर्ज की गई जिनमें 16 शिकायतों का निराकरण किया गया।

8.102 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 : मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 25 जून 2016 अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 8 (ख) (4) अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी (जिला विधिक सहायता अधिकारी) को अधिनियम के अधीन उनकी कृतियों के प्रभावी संपादन में, सलाह एवं सहायता देने के प्रयोजन हेतु 48 जिलों में दहेज सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है।

8.103 वन स्टॉप सेन्टर (सखी) योजना : सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही छत के नीचे तत्काल आपातकालीन एवं गैर-आपातकालीन सुविधायें जैसे-अस्थायी आश्रय, पुलिस-डेस्क, विधि सहायता, चिकित्सा, विधिक मनौवैज्ञानिक एवं सामाजिक परामर्श आदि सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी।

वित्तीय वर्ष 2016-17 से 18 जिला केन्द्रों में 1260 महिलाओं की शिकायत पंजीकृत की गई है। इस वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला धार, हरदा, पन्ना, दतिया, खरगोन, शिवपुरी, सिवनी एवं विदिशा में वन स्टॉप सेन्टर स्थापित किये जाने की स्वीकृति भारत शासन से माह दिसम्बर 2017 में प्राप्त हुई।

8.104 उषा किरण योजना : "घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 एवं नियम 2006" के तहत राज्य सरकार द्वारा उषा किरण योजना संचालित की जा रही थी, जिसे दिनांक 27 मई 2016 को पुनरीक्षित कर लागू की गई है। योजना अंतर्गत प्रदेश के समस्त जिलों में शासकीय उषा किरण केन्द्र स्थापित किये जायेंगें। योजना अंतर्गत केन्द्र में ही सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं/बालिकाओं को विधिक सहायता, पुलिस सहायता, परामर्श, चिकित्सीय सहायता, एवं पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध करवाई जावेगी। उषा किरण केन्द्र में ही महिला डेस्क (पुलिस) को अधोसंरचना सहित हस्तांतरित किया जायेगा। काउंसलर एवं वकीलों का चिन्हित पैनल उषा किरण केन्द्र में सेवायें देगा। शासकीय चिकित्सालय से केन्द्र को लिंक किया जायेगा।

अधिनियम के अन्तर्गत शासन ने 453 संरक्षण अधिकारी (बाल विकास परियोजना अधिकारी/ब्लाक स्तरीय महिला सशक्तिकरण अधिकारी) नियुक्त किये है। योजनांतर्गत घरेलू हिंसा की वर्ष 2016-17 में 6200 शिकायतें प्राप्त हुई।

8.105 स्वागतम लक्ष्मी योजना : महिलाओं को प्रति सम्मानजनक सकारात्मक सोच तथा समानता हेतु वातावरण का निमार्ण करने, समाज में बालिकाओं को जन्म के पूर्व एवं जन्म के पश्चात समान रूप से स्वीकार करने तथा प्रत्येक स्तर पर महिलाओं की गरिमा को बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदेश में 24 जनवरी 2014 से स्वागतम लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गयी है। राज्य महिला संसाधन केन्द्र के उद्देश्यों की पूर्ति करती इस योजना में आंगनबाडी केन्द्रों

में मंगल दिवस पर बालिका जन्म पर बालिका को स्वागतम लक्ष्मी किट 100 रूपये प्रति बालिका के नाम से प्रदान किया जाता है। इस योजना अंतर्गत वर्ष 2017-18 में 9451800 राशि रूपये का प्रावधान किया गया है एवं जिलों को 7063940 राशि रूपये का आवंटन माह दिसम्बर 2017 तक प्रदाय किया जा चुका है। इस योजनांतर्गत उद्यानिकी विभाग के सहयोग से विभिन्न औषधीय पौधे एवं सहज उपलब्ध क्षेत्रीये मौसमी फलदार पौधों एवं लोकस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की ओर से नवजात बालिका तथा माताओं को नि:शुल्क दवाईयां, नि:शुल्क उपचार कार्ड, पौष्टिक खाद्य सामग्री एवं नवजात के लिये वस्त्र प्रदान किये जाते हैं।

8.106 बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना : 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री ने "बेटी बचाओ बेटी पढाओ" योजना शुरू की एवं मध्यप्रदेश सरकार ने मंशाअनुसार राज्य के चयनित 6 जिलों क्रमश: भिण्ड, मुरैना,ग्वालियर, रीवा, टीकमगढ, एवं दतिया में इस योजना का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में मध्यप्रदेश राज्य सरकार के बजट से 15 जिलों में (सीधी, श्योपुर,सिंगरोली, सतना, गुना, मंदसौर, पन्ना, राजगढ, विदिशा, छतरपुर,शाजापुर, धार, शिवपुरी, बुरहानपुर एवं देवास) में माह सितम्बर 2017 से प्रारंभ किया गया है। इस योजना का व्यय राज्य सरकार के बेटी बचाओ अभियान से किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लिंग चयन को समाप्त करना, बालिकाओं की उत्तरजीविता, संरक्षण एवं शिक्षा सुनिश्चित करना है।

8.107 महिला नीति 2015 : मध्यप्रदेश शासन, महिलाओं की समानता, सुरक्षा, स्वतंत्रता तथा उनके न्याय, विकास एवं सशक्तिकरण के लिये प्रतिबध्द है। महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं शैक्षणिक सशक्तिकरण विकास के लिये संचालित लाईफ सायकिल एप्रोच आधारित प्रदेश के अनेक कार्यक्रम एवं योजनाओं की देश में अलग पहचान बनी है।

मध्यप्रदेश शासन का लक्ष्य महिलाओं का पूर्ण सशक्तिकरण है। राज्य की महिला नीति की मूल अवधारणा महिलाओं के प्रति समाज की मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन लाना है, जिससे, उनके साथ विद्यमान विभेदकारी असमानता की स्थिति समाप्त हो। महिलाओं के प्रति समानता एवं सम्मान की भावना एवं उनकी सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं विकास मे समान भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा महिला पंचायत के अवसर पर दिनांक 19 मई 2015 को प्रदेश की महिला नीति 2015 को विमोचित किया गया।

8.108 जेण्डर रिस्पॉन्सिव बजट : मध्यप्रदेश में जेण्डर बजटिंग के मोनिटर्रिंग एवं परिणाम मूलक बनाने के लिये जेण्डर बजट सेल 40 विभागों में बनाया गया है। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 2007-08 में जेण्डर रिस्पॉन्सिव बजट मध्यप्रदेश में लागू किया गया था। महिला सशक्तिकरण एवं यू.एन.वीमेन के साथ से मिलकर 100 से भी अधिक अधिकारियों को

प्रशिक्षण दिया गया। जेण्डर रिस्पॉन्सिव बजट पर अन्य विभागों जैसे- वन, कृषि, शिक्षा एवं आदिवासी क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं शोध किया जा रहा है।

8.109 जाबाली योजना : मध्य प्रदेश की कुछ जातियों में वैश्यावृत्ति व्यवसाय की कुप्रथा प्रचलित है। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए राज्य शासन द्वारा वर्ष 92-93 से जाबाली योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत् बेड़िया, बाछड़ा एवं सांसी जाति के उत्थान हेतु कार्य किये जा रहे है। स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से बच्चों के लिए 04 जिलों में 10 आश्रम शाला ईकाई एवं महिलाओं के लिए आर्थिक उपार्जन कार्यक्रम, स्वास्थ्य जांच, उपचार तथा जनचेतना और प्रचार-प्रसार की गतिविधियां संचालित है। राज्य शासन के आदेश क्रमांक 239/1388/2013/50-2 दिनांक 7/2/2014 द्वारा आश्रमशाला के हितग्राहियों को मिलनेवाली शिष्यवृत्ति राशि में वृद्धि कर राशि रू. 725/- एवं 750/- की स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजनांतर्गत एक यूनिट आश्रम शाला में 50 बालक/बालिकाओं की क्षमता निहित है। कुल 500 हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। अब तक योजनान्तर्गत बालिकाओं को शिक्षा दिलाकर एवं आत्म निर्भर बनाकर विवाह कराए जाकर पुर्नवास हेतु प्रयास किया गया है। योजना की पुर्नसंरचना अंतर्गत बच्चों की आश्रम शालाओं में समेकित बाल संरक्षण योजनांतर्गत बालगृह के रूप में संचालित होंगी।

8.110 मध्यप्रदेश राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड को अनुदान : राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड तथा उसकी परियोजनाओं के स्थापना, व्यय हेतु अनुदान स्वीकृत किया जाता है। बोर्ड के कार्यालय की स्थापना ,पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत तथा समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष की सुविधा हेतु व्यय का 100 प्रतिशत एवं कल्याण/विस्तार परियोजना के लिए 33 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है।

विभागीय शासकीय संस्थाएं :

1. बाल संरक्षण गृह : महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कुष्ठ रोगियों के स्वस्थ बच्चों के लिये 3 बाल संरक्षण गृह उज्जैन, सिवनी, सीधी में संचालित है। इन संस्थाओं का उद्देश्य कुष्ठ रोगियों के स्वस्थ बच्चों को उनके माता-पिता से अलग रखकर उनका पालन-पोषण करना है और उन्हें सामाजिक और शैक्षणिक संरक्षण प्रदान करना है। प्रत्येक में 30 बच्चों के रहने की व्यवस्था है।

2. राजकीय बाल संरक्षण आश्रम, इन्दौर : अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिये बाल संरक्षण आश्रम (अनाथालय) इन्दौर में संचालित है। इस आश्रम में अनाथ एवं निराश्रित बच्चों को आवास, भोजन और उनके शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। इस आश्रम में रहने वाले अंतःवासियों की क्षमता 50 बच्चों की है। 13 वर्ष तक की आयु के निराश्रित एवं अनाथ बच्चों को इस संस्था में रखा जाता है।

8.111 शासकीय झूलाघर : निम्न एवं मध्यम आय वर्ग की कामकाजी महिलाओं के छह माह से छह वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिए झूलाघर संचालित है। इन झूलाघरों में बच्चों को छह से आठ घण्टों के लिए रखा जाता है। एक झूलाघर के लिए एक बाल सेविका और एक आया रहती है। झूलाघर में बच्चों को रखने के साथ-साथ उन्हें खेल-खेल के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा भी दी जाती है। मध्यप्रदेश में कुल आठ शासकीय झूलाघर जिला ग्वालियर, सागर, उज्जैन, सतना, होशंगाबाद,भोपाल, खण्डवा, जबलपुर में स्वीकृत हैं। प्रत्येक झूलाघर में 25 बच्चों की क्षमता निर्धारित है।

8.112 स्वाधार गृह : भारत सरकार सहायित स्वाधार गृह योजना अन्तर्गत विधवाऐं, निराश्रित व परित्यक्त, पूर्व महिला कैदी, खरीद-फरोख्त की शिकार और वैश्यालयों से छुड़ाई गयी महिलाओं सहित यौन-शोषण व अपराधों से पीड़ित महिलाओं, बाढ़, चक्रवात, भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण बेघर हो गयी महिलाओं, हिंसा से पीड़ित महिलाऐं आदि की आवद्गयकताओं (अस्थायी आश्रय, भावनात्मक समर्थन, कौद्गाल उन्नयन) को पूरा करने के लिये गृह संचालित किये जा रहे है। वर्तमान में 12 स्वधार गृहों में 221 महिलाएं लाभांवित हो रही है।

8.113 महिला उद्धार गृह इन्दौर : इम्मोरल ट्रेफिक (प्रिवेन्शन) एक्ट के अंतर्गत न्यायालय द्वारा भेजी गई महिलाओं और उनके बच्चों को इस संस्था में रखा जाता है और उनके नैतिक सुधार के साथ-साथ आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। महिला उद्धार गृह का उद्देश्य वैश्यावृत्ति में संलग्न महिलाओं को अन्य स्वरोजगार मूलक धन्धों में लगाकर समाज में पुनर्स्थापित करना है। उद्धार गृह में 50 महिलाओं के रहने की क्षमता है। वर्तमान में रहवासियों की संख्या निरंक है।

8.114 महिला वसति गृह : अपने गृह नगर से बाहर व्यवसाय या नौकरी करने वाली महिलाओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महिला वसति गृह स्थापित किये गये हैं। वसति गृह में कामकाजी महिलाओं के अलावा स्थान रिक्त रहने की स्थिति में कालेज या अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्राओं को भी स्थान दिया जा सकता है। इन्दौर एवं जबलपुर में संचालित है। वर्तमान में जिला इंदौर में संचालित है।

8.115 राज्य स्तरीय पुरस्कार : राज्य द्गासन महिला बाल विकास द्वारा व्यक्ति/संस्था/ महिला को प्रोत्साहित करने हेतु समाज सेवा ,वीरता ,साहस के कार्य करने पर निम्नलिखित राज्य स्तरीय पुरस्कार स्थापित किये गये हैः-

क्र.	वर्ग	विवरण	पुरस्कार
1.	रानी अंवतिबाई वीरता पुरस्कार वर्ष 2016	महिला (वीरता हेतु)	राशि रू. 1.00 लाख पत्र प्रशस्ति पत्र
2.	राजमाता विजयाराजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार वर्ष 2016	महिला (समाज सेवा)	राशि रू. 1.00 लाख पत्र प्रशस्ति पत्र
3.	विष्णु कुमार समाज सेवा पुरस्कार वर्ष 2016	संस्था/व्यक्ति (समाज सेवा)	राशि रू. 1.00 लाख पत्र प्रशस्ति पत्र
4.	मुख्यमंत्री नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार वर्ष 2016	पुरूष/महिला (नारी सम्मान की रक्षा हेतु)	राज्य स्तर पर 1.00 लाख जिला स्तर 50 हजार प्रशस्ति पत्र
5.	अरूणा शानबाग साहस पुरस्कार वर्ष 2016	महिला (महिला हिंसा के विरुद्ध वीरता पुरस्कार)	राशि रू. 1.00 लाख पत्र प्रशस्ति पत्र

8.116 समेकित बाल संरक्षण योजना : कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के समग्र कल्याण एवं पुर्नवास हेतु विभिन्न विभागों के तहत् संचालित बाल संरक्षण योजनाओं को केंद्रीय रूप में सम्मिलित कर प्रारम्भ की गई है। यह योजना बच्चों के बाल अधिकार संरक्षण एवं सर्वोत्तम बाल हित के दिशा निर्देशक सिद्धांन्तो पर आधारित है। इस योजना के तहत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 का क्रियान्वयन मुख्य घटक है।

- समेकित बाल संरक्षण योजना उद्देश्य
- अनिवार्य सेवाओं को संस्थागत बनाना और संरचनाओं का सुद्दढ़ीकरण।
- सभी स्तरों पर क्षमताएं बढ़ाना।
- बाल संरक्षण सेवाओं के लिये डेटाबेस और ज्ञान आधार सृजन करना।
- परिवार और समुदाय स्तर पर बाल संरक्षण का सुद्दढ़ीकरण।
- सभी स्तरों पर अन्तर क्षेत्रीय प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना।
- सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना।

समेकित बाल संरक्षण योजना की प्रबंधन व्यवस्था राज्य स्तर पर राज्य बाल संरक्षण समिति, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति एवं विशेष किशोर पुलिस एकक (एस.जे.पी.यू.) विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड बाल संरक्षण समिति ग्राम स्तर पर ग्राम संरक्षण समिति द्वारा किया जाता है।

महिला एवं बाल विकास विभाग अन्तर्गत संचालित समेकित बाल संरक्षण योजना में 18 वर्ष से कम आयु के देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद (निराश्रित, अभ्यार्पित, बेसहारा)

बच्चों के समग्र कल्याण हेतु संस्थागत एवं गैर संस्थागत कार्यक्रम संचालित है। इन कार्यक्रमों के तहत निम्नानुसार गतिविधियां संचालित की जाती है :-

- **विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी** : 0 से 6 वर्ष के बालकों के संरक्षण देखरेख तथा पारिवारिक पुनर्वास हेतु वर्तमान मे कुल 37 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी संचालित है।
- **बाल गृह** : 6 से 18 वर्ष की आयु के देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालकों को संरक्षण भरण पोषण, चिकित्सीय परीक्षण, उपचार, शिक्षण प्रशिक्षण की सुविधाओ के अतिरिक्त पारिवारिक एवं व्यावसायिक पुनर्वास कर समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करने की कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में प्रदेश में 46 बालगृह संचालित है।
- **आश्रय गृह** : संरक्षण की तत्काल आवश्यकता वाले निराश्रित, उपेक्षित एवं घर से भागे हुए बालकों को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य के तहत् आश्रय गृह की स्थापना की गयी है। वर्तमान में प्रदेश में 09 आश्रय गृह संचालित है।
- **खुला आश्रय गृह** : 18 वर्ष तक की आयु के गृहविहीन, फुटपाथ पर घूमने वाले, सड़क पर रहने वाले और कामकाजी बच्चों तथा बाल भिक्षुकों को आश्रय देने हेतु इन गृहों की स्थापना की गई है। यहां शिक्षण, प्रशिक्षण, मनोरंजन, परामर्श के द्वारा जीवन कौशल, व्यक्तित्व विकास, आत्म-सम्मान वर्धन एवं जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में 09 खुला आश्रय गृह संचालित है।
- **सम्प्रेक्षण गृह** : विधि का उल्लंघन करने वाले 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों को जमानत न होने तथा किशोर न्याय बोर्ड में प्रकरण के विचारण तक संरक्षण, भरण-पोषण चिकित्सीय परीक्षण, उपचार, शिक्षण प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान में प्रदेश में 18 सम्प्रेक्षण गृह संचालित है।
- **पश्चातवर्ती गृह** : विद्रोष गृहों एवं बालगृहों से 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत उन्मुक्त हुये बालक/बालिकाओं को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक भरण पोषण, शिक्षण प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है तथा इन किशोर /किशोरियों का सामाजिक एवं व्यवसायिक पुनर्वास किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में 02 पश्चातवर्ती गृह संचालित है।

विशेष गृह : किशोर न्याय बोर्ड के आदेशानुसार दोष सिद्ध होने पर सुधार हेतु किशोरों को संरक्षण, भरण-पोषण, चिकित्सीय परीक्षण, उपचार, शिक्षण प्रशिक्षण एवं पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, ताकि उनका समाज में व्यस्थापन संभव हो सके। वर्तमान में प्रदेश में 03 विशेष गृह संचालित है।

8.117 गैर संस्थागत सेवाएँ

- **दत्तक ग्रहण** - दत्तक ग्रहण एजेन्सियों के माध्यम से दत्तक ग्रहण हेतु योग्य पाए गये बच्चों को दत्तक पर दिये जाने की प्रक्रिया की जाती है। ऐसी प्रक्रिया में दत्तक ग्रहण

किये गये बच्चे को उसके माता पिता से स्थाई रूप से अलग किया जाता है एवं बालक को सभी अधिकारों और लाभों के साथ दत्तक ग्रहण करने वाले माता-पिता का विधि समत्त बच्चा बनाया जाता है तथा उसे पूर्ण पारीवारिक पुर्नवास कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण की कार्यवाही उपलब्ध कराई जाती है।

- **पालन-पोषण देखभाल** : निराश्रित, बेसहारा, परित्यक्त बच्चों की देखरेख करने वाले व्यक्ति (कुटुम्ब से बाहर)/समूह को पालन-पोषण देखभाल योजनातंर्गत संरक्षण भरण पोषण, शिक्षण प्रशिक्षण चिकित्सकीय देखभाल हेतु राशि रूपये 2000 प्रति बच्चा/प्रतिमाह दिये जाने का प्रावधान है एवं अल्प अवधि 4 माह एवं दीर्घ अवधि 5 वर्ष तथा विशेष परिस्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बालको को समूह पोषण देखरेख में दिया जाता है।

- **प्रवर्तकता योजना (Sponsorship)** : योजनातंर्गत बच्चों को समुदाय में पुनः मिलाने तथा उसके शिक्षण-प्रशिक्षण, व्यवसायिक पुनर्वास एवं चिकित्सकीय देखभाल हेतु माता-पिता या संरक्षक को बच्चों के प्रति उनके दायित्व को पूरा करने के लिए आर्थिक व्यवस्था के प्रयासों में सहयोग प्रदान किया जाता है। योजना का लाभ निर्धन परिवारों के ऐसे बच्चों को जो विषम आर्थिक परिस्थितियों के कारण संस्थाओं यथा - शिशुगृह, बालगृह, आश्रयगृहों में निवासरत है, प्रर्वतकता योजना के तहत आर्थिक सहायता रूपये 2000 प्रतिबच्चा/प्रतिमाह (अधिकतम दो बच्चों को) संस्था में 06 माह से अधिक समय से निवासरत गरीब परिवार के ऐसे बच्चे जिनका परिवार उनका पालन पोषण करने में असमर्थ है। दिये जाने का प्रावधान है।

- **अनुवर्ती/पश्चात्वर्ती देखभाल** : 18 वर्ष से अधिक आयु के वे बच्चे जो संस्थागत देखभाल छोड़ने को है। ऐसे बच्चों को समाज के अनुकूल समर्थ बनाने तथा संस्था आधारित जीवन से दूर हटाने के लिए 6-8 युवाओं के समूहों को 3 वर्ष तक प्रति बालक/बालिका प्रतिमाह अधिकतम राशि 2000/ भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य, देखभाल, निवास, शिक्षण प्रशिक्षण के लिये प्रदान की जाती है!

8.118 ममत्व मेला : मध्यप्रदेश महिला वित्त विकास निगमद्वारा स्व-सहायता समूहो/विभिन्न महिला समूहों तथा ग्रामीण /शहरी महिला उद्यमियों द्वारा बनाई सामग्रियों के प्रदर्शन एवं विक्रय के लिए ममत्व मेला (म.प्र. महिला त्वरित विकास) का आयोजन किया जाता है ।

ममत्व मेले के द्वारा महिला उद्यमियों, विशेष तौर से ग्रामीण महिलाओं द्वारा अपने उत्पादों को सीधे शहर में बेचने का अवसर मिलना है, उनके द्वारा रोजगारोन्मुखीकरण के

साथ-साथ उनमें आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है, साथ ही नये-नये उत्पादों की जानकारी के साथ एक ही स्थान पर सभी प्रकार के घरेलू एवं शुद्ध सामग्री प्राप्त हो जाती है ।

ममत्व मेले में ग्राहको के निरन्तर सहयोग और आकर्षण को देखते हुए अपेक्षाकृत बदलाव किये गये है । वस्तुत: अब यह मेला सिर्फ बेचने व खरीदने का स्थान अकेला न होकर महिला स्व-सहायता समूहों और महिलाओं की क्षमता वृद्धि का आधार बन गया है । विगत वर्षो में ममत्व मेला में महिला हितो और महिला सशक्तिकरण के लिए वातावरण बनाये जाने पर भी जोर दिया गया है । ममत्व मेले का आयोजन वर्ष 1990 से प्रारम्भ हुआ है । वर्ष 1990 से अधिकांशत ममत्व मेले का आयोजन भोपाल में हुआ है, लेकिन कुछ वर्षो में ममत्व मेले का आयोजन संभाग स्तर पर जैसे: जबलपुर, रीवा, सागर, ग्वालियर एवं इन्दौर आदि जिलों में आयोजित किये गये है । वर्ष 2008-09 में सागर एवं जबलपुर जिले में एवं वर्ष 2009-10 में इन्दौर एवं वर्ष 2010-11 भोपाल में एवं 2012-13 में सागर जिले में ममत्व मेले का आयोजन किया गया है । वित्तीय वर्ष 2016 में ममत्व मेले का आयोजन भोपाल में किया गया था। **वित्तीय वर्ष 2017 में ममत्व मेले को ही स्वरोजगार मेले का रूप दिया गया।**

बाक्स 8.2

विभाग की गतिविधियां एवं उद्देश्य

- **महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने हेतु सूचना प्रदान करना ।**
- **बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त कराना ।**
- **उत्पादित वस्तुओं के विक्रय को प्रोत्साहन देना ।**
- **स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ अथवा स्वतंत्र रूप से उत्पादन निर्माण ।**
- **क्रय-विक्रय आयात-निर्यात आदि गतिविधियां संचालित करना ।**
- **महिलाओं को कौशल उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ।**

महिला वित्त एवं विकास

8.119 महिला वित्त एवं विकास निगम की योजनायें : महिला वित्त एवं विकास निगम द्वारा महिलाओं के हित के लिए निम्नांकित क्रियान्वित की जा रही है :

ई-हाट योजना : म.प्र. महिला वित्त एवं विकास निगम अन्तर्गत योजनाओं के साथ वर्तमान में ई-हाट योजना का संचालन किया जा रहा है जिसमें विपणन गतिविधियों का संचालन करने हुए प्रदेश में महिला उद्यमियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों का कौशल विकास एवं

उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना, निगम के प्राथमिकताओं में शामिल है। हाट बाजार योजना के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभव से स्पष्ट हुआ है कि स्व-सहायता समूहों तथा महिला उद्यमियों को व्यापक स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने हेतु परम्परागत हाट बाजार के साथ-साथ अधिक विस्तारित प्रभावी एवं सुदृढ़ लिंक से युक्त तरीके अपनाने की आवश्यकता है, ताकि क्रेता-विक्रेता के मध्य त्वरित सूचनाओं का नेटवर्क सुनिश्चित हो सके, इस नेटवर्क का उदेृश्य नेटवर्क से जुड़े समस्त क्रेता-विक्रेताओं को एक ही मंच पर ऑनलाईन के माध्यम से व्यावसायिक अवसर उपलब्ध कराकर उनका आर्थिक उन्नयन एवं स्वावलंबन प्राप्त करना है । इस हेतु वर्तमाना में महिला स्व-सहायता समूहों तथा महिला उद्यमियों की राज्य स्तरीय इन्वेटरी तैयार की जा रही है ।

8.120 स्टेप योजना : महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वाबलंबी बनाने हेतु स्टेप योजना अंतर्गत भारत शासन द्वारा कृषि हथकरघा, हस्तशिल्प उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई कडाई, एम्ब्रॉयडरी, कम्प्यूटर तथा सूचना प्रौधोगिकी आदि में प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनुदान स्वीकृत किया जाता है। अधिकतम 200 महिला हितग्राहियों के लिये परियोजना प्रस्ताव हेतु 3 माह के प्रशिक्षण के लिये प्रति हितग्राही 18000 रूपये तथा 6 माह के लिये प्रति हितग्राही 28000 हजार का अनुदान दिया जाता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी महिला बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस योजनांतर्गत मध्यप्रदेश महिला वित्त विकास निगम नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

8.121 संवदेना कार्यक्रम: मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम द्वारा जाबाली योजनांतर्गत "संवदेना कार्यक्रम" वर्ष 2017-18 में 3 जिलों छतरपुर, सागर, बुरहानपुर में किया है। जिसके तहत महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोडने हेतु विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जावेगा। वर्ष 2018-19 में 7 जिलों रायसेन, मुरैना, राजगढ, पन्ना, नीमच, मंदसौर एवं रतलाम में योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

8.122 आदिवासी महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण योजना:- योजनांतर्गत आदिवासी बाहूल क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने हेतु विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2016-17 में जिला मंडला के विकासखंड निवास में कुल 1470 महिलाओं के साथ राई एवं रामतिल की आधुनिक पद्धति से कृषि विपणन एवं ऑयल एक्सपेलर यूनिट की स्थापना की गई एवं बालाघाट के क्षेत्र गडी में 300 आदिवासी महिलाओं के साथ अलसी क्रय विक्रय व रोस्ट यूनिट की स्थापना की गई।

8.123 डिंडोरी के 9 विकासखंडों में उन्नत कृषि:- योजनांतर्गत आदिवासी विभाग द्वारा जिले में 4500 आदिवासी महिला कृषकों के साथ कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है जिसमें 9

तेजस्वनी महिला महासंघ की 500 आदिवासी महिला सदस्य को शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की कृषि क्षमता वर्धन करते हुए महिला फ्रेण्डली एक्विरपमेन्ट, मार्केट लिंकेज करते हुए कृषि को आजीविका का स्थायी माध्यम बनाना है।

अनुसूचित जातियों का विकास

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में अनुसूचित जातियों का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या का 15.6 प्रतिशत है अनुपात में राज्य की कुल आयोजना का 15.00 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इन वर्गो के कल्याण के लिये निर्धारित किया जाता है ।

अनुसूचित जातियों के लिए विभिन्न विकास विभागों द्वारा तैयार की जाने वाली योजनाओं तथा उनके लिए निर्धारित बजट/आयोजन का नियंत्रण भी विभाग के पास है । अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है ।

राज्य आयोजना में प्रावधानित अनुसूचित जाति उपयोजना मद में प्रावधानित बजट राशि का आवंटन राज्य योजना आयोग एवं संबंधित विकास विभागों के परामर्श से अनुसूचित जाति के लिए चिन्हांकित की गई उपयोगी योजनाओं हेतु किया जाता है ।

विभाग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ स्वीकृत एवं वितरण करने के साथ-साथ 571 जूनियर छात्रावास (कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों हेतु) 1153 सीनियर छात्रवासों (कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों हेतु) संचालन किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त 10 संभाग स्तरीय आवासीय विद्यालयों हेतु 20 छात्रवास प्रवीण्य उन्नयन योजनाओं हेतु 12 छात्रवास संचालित किये जा रहे है। महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु 189 महाविद्यालयीन छात्रवास संचालित है। इन समस्त छात्रवासों में 97152 विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है ।

अनुसूचित जाति/जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों के प्रभावी नियन्त्रण हेतु लागू अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के क्रियान्वयन के लिए भी विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। प्रत्येक जिले में एक विशेष थाना स्थापित किया गया है। प्रदेश के 43 जिलों में विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है तथा शेष जिलो में जिला न्यायालयों को अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत दर्ज प्रकरणों को सुनवाई हेतु अधिसूचित किया गया है। 10 ऐसे जिले जहॉ उत्पीड़न के अधिक मामले दर्ज हुये है वहॉ प्रभावी रूप से पीड़ित का पक्ष प्रस्तुत करने तथा सशक्त बहस के लिये 10 उप संचालक लोक अभियोजक के पद स्वीकृत कर पदस्थापना कराई गई है।

अनुसूचित जाति विकास विभाग प्रदेश के प्रमुख विभागो में से एक है इस विभाग को अनुसूचित जाति के विकास एवं हित संरक्षण का दायित्व सौपा गया है। इस दायित्व के निर्वहन हेतु विभाग शैक्षणिक विकास की योजनाओं के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की योजनाऐ संचालित कर रहा है। शैक्षणिक संस्थाओं का वितरण **तालिका 8.13** में दशार्या गया है।

तालिका 8.13

अनुसूचित जाति विकास द्वारा संचालित आवासीय संस्थाएं

क्र.	संस्था का नाम	बालक		कन्या		योग	
		संख्या	सीट	संख्या	सीट	संख्या	सीट
1	जुनियर छात्रावास	256	12008	315	16107	571	28215
2	सीनियर छात्रावास (उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्रो सहित)	632	30118	521	25404	1153	55522
3	महाविद्यालयीन छात्रावास	108	5770	81	4345	189	10115
4	संभाग स्तरीय आवासीय विद्यालय हेतु छात्रावास	10	1400	10	1400	20	2800
5	प्रवीण्य उन्नयन हेतु संचालित छात्रावास	6	300	6	300	12	600
	योग	**1012**	**49596**	**933**	**47556**	**1945**	**97152**

शिष्यवृत्ति

उपरोक्त तालिका में दर्शित छात्रावासों को निम्नानुसार दरों पर मासिक शिष्यवृत्ति प्रदान की जाती है ।

छात्रावास	दर	
	बालक	बालिका
जूनियर	1090	1090
सीनियर	1090	1090
महाविद्यालयीन	1090	1090

नोट : शिष्यवृत्ति की दरे प्रतिवर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर पुन: निर्धारित की जाती है ।

राज्य छात्रवृत्ति

यह छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 10 तक बालक एवं बालिकाओं को निम्नानुसार दरों पर प्रदान की जाती है :

कक्षा	बालक	बालिका
1 से 5 तक	-	150 (10 माह के लिए)
6 से 8 तक	200 (10 माह के लिए)	600 (10 माह के लिए)
9 से 10 तक	600 (10 माह के लिए)	1200 (10 माह के लिए)

8.124 अनुसूचित जाति बस्तियों में विद्युतीकरण : प्रदेश की ऐसी अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्ती, ग्राम मजरे, टोले (जहां मुख्य ग्राम में तो विद्युत लाइन है किन्तु अनुसूचित जाति के मजरे टोलों में विद्युत लाइन नहीं पहुँची है) में विद्युत लाइन विस्तार करने संबधी योजना संचालित की जा रही है।

8.125 अनुसूचित जाति छात्रावास/आश्रम भवनों क निर्माण : शैक्षणिक विकास हेतु अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए अनुसूचित जाति छात्रावास/आश्रम की सुविधा उपलब्ध कराई गई । इस हेतु सर्व सुविधा युक्त शासकीय भवनों का निर्माण कराया जाता है। वर्तमान में कुल 1945 छात्रावास एवं आश्रम संचालित है। जिनमें से वर्तमान स्थिति में 502 संस्थाऐं भवन विहीन है।

वर्ष 2017-18 में भवन निर्माण में राशि रूपये 152.50 करोड का बजट प्रावधान किया गया है । जिससे 55 छात्रावास तथा 123 पूर्व छात्रावास भवनों के निर्माण की स्वीकृति जारी की गई । वर्ष 2016-17 में राशि रू. 153.00 करोड का बजट प्रावधान से 65 छात्रावास भवनों का निर्माण किया गया है।

8.126 अनुसूचित जाति बस्तियों का विकासः प्रदेश की अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों के अधोसंरचनात्मक विकास हेतु नवीन अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना नियम 2017 की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना नियमों में अनुसूचित जाति बस्ती से तात्पर्य ऐसे ग्रामों/वार्डों/मोहल्लों/ मजरे/टोले/पारे से है, जिनकी अनुसूचित जाति की जनसंख्या 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो, में सी.सी. रोड, नाली निर्माण, मंगल भवन, हेण्ड पम्प खन्न, पहुॅच मार्ग पर रपटा/पुलिया निर्माण आदि निर्माण कार्य कराये जाने का प्रावधान है ।

वर्ष 2016-17 में बजट प्रावधान रू. 99.40 करोड से 1295 बस्तियों में कार्य स्वीकृत किये गये है । अनुसूचित जाति के लोगों के सामाजिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों हेतु 88 अनुसूचित जाति बाहुल्य विकास खण्ड मुखयालयों पर (प्रत्येक में एक) "डॉ0 अम्बेडकर मांगलिक भवन" के निर्माण हेतु इकाई लागत सीमा रूपये 41.80 लाख निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं।

8.127 अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के वर्ष 2016-17 में किए गए उल्लेखनीय कार्य:

- **मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना:-** मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत 4680 युवकों के स्वरोजगार प्रकरणों की स्वीकृति के विरूद्ध 3397 प्रकरणों में ऋण एवं अनुदान वितरित किया गया।
- **मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना:-** योजनांतर्गत 2845 प्रशिक्षित किये गये एवं इनमें से 2073 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

- **मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना:-** इस योजनांतर्गत 2146 प्रकरणों में स्वरोजगार स्थापित करने हेतु 256.00 लाख अनुदान वितरित किया गया है।
- **विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति:-** वर्तमान में 15 विद्यार्थी विभिन्न देशों के शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत है जिन पर 194.21 लाख रूपये व्यय किया गया है। वर्ष 2016-17 के लक्ष्य के विरूद्ध 28 विद्यार्थियों का चयन किया गया है।
- **नवीन छात्रावासों की स्वीकृति:-** वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 76 प्री मैट्रिक (जूनियर एवं सीनियर) और 2 पोस्ट मैट्रिक (महाविद्यालयीन) छात्रावास संचालित किये गये हैं जिससे 3900 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा वर्ष 2016-17 में पूर्व से स्थापित छात्रावासों में 900 सीट वृद्धि भी पृथक से की गई है।
- **परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र:-** परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेशित रहे 76 विद्यार्थी म0प्र0 लोक सेवा आयोग एवं 15 विद्यार्थी वर्ष 2016-17 में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से चयनित हुए है।
- **वाल्मीक प्रोत्साहन योजना:-** विभाग की वाल्मीक प्रोत्साहन योजनांतर्गत 137 अनुसूचित जाति विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं आई.आई.टी. जे.ई.ई./ क्लेट के माध्यम से चयनित होकर देश के आई.आई.टी. एन.आई.टी एवं एन.एल.यू.आई. में प्रवेश लिया है जिन्हें योजना के प्रावधान अनुसार लाभान्वित किया गया ।
- **पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति:-** समग्र छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से 159776 विद्यार्थियों को 47.00 करोड राशि स्वीकृत कर भुगतान किया गया है।
- **विद्यार्थी आवास सहायता योजना:-** गत वर्ष प्रवेशित रहे 18243 विद्यार्थियों को 15.22 करोड भुगतान कर लाभान्वित किया गया । इस वर्ष अब तक 5282 विद्यार्थियो को 4.97 करोड राशि वितरित की गई।
- **सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना:-** संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में सफल 792 अभ्यार्थियों को रूपये 163.55 लाख वितरित किये गये।
- **सिविल सेवायें आई.ए.एस., आई.पी.एस. की तैयारी हेतु दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित संस्थाओं में कोचिंग:-** 92 विद्यार्थियों को कोचिंग संस्थाओं में प्रवेश दिलाया गया। 7 अगस्त 2016 की प्रारंभिक परीक्षा में 2 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए है।
- **ज्ञानोदय विद्यालयों का संचालन:-** 10 ज्ञानोदय विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक 2800 स्वीकृत सीट के विरूद्ध 94 प्रतिशत विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। इस वर्ष 10 में 91 प्रतिशत तथा कक्षा 12 में 84 प्रतिशत विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए है।
- **अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना:-** 465 युगल को योजनांतर्गत रूपये 714.5 लाख राशि वितरित की गई।

- **छात्रावास भवनों का निर्माण:-** निर्माणधीन 223 भवनों में से 92 छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।
- **डॉ. अम्बेडकर मंगल भवन निर्माण:-** स्वीकृत 87 डॉ. अम्बेडकर मंगल भवनों में से 35 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।

अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

वर्ष 2011 की जनगणना में राज्य की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजति की जनसंखया 153.16 लाख है जो राज्य की कुल आबादी की 21.10 प्रतिशत है । भारत सरकार द्वारा प्रदेश में बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के रूप में मान्यता दी गई है । इन जनजातियों के विकास हेतु 03 प्राधिकरण तथा 11 अभिकरण कार्यरत है। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं के अंतर्गत 26 वृहद परियोजनाऐं 05 मध्यम परियोजनाऐं 30 माड़ा पॉकेट्स एवं 6 लघु अंचल कार्यरत है । प्रदेश में 89 अनुसूचित जनजाति विकास खण्ड है ।

अनुसूचित जनजातियों वर्ग के सर्वागीण विकास हेतु आयुक्त, आदिवासी विकास के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चलाये जा रहे है । विभागीय कार्यक्रमों में शैक्षणिक योजनाऐं प्रमुख है । विभाग द्वारा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में शालाओं के संचालन के साथ-साथ शैक्षणिक प्रोत्साहन देने वाली अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है । अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए आर्थिक उत्थान और आर्थिक सहायता के लिए कतिपय योजनाऐं भी संचालित की जा रही है ।

इन वर्गों के उत्थान में स्वैच्छिक संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसी अशासकीय संस्थाओं को विभाग द्वारा अनुदान दिया जा रहा है । जो इन वर्गों के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों का संचालन करती है । इस प्रकार जनजाति वर्ग के सर्वार्गीण विकास हेतु विभिन्न योजनाऐं क्रियान्वित की जा रही है ।

वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में संचालित प्रमुख विभागीय योजनाओं का संचालन निम्नानुसार है-:

8.128 शैक्षणिक संस्थायें : प्रदेश के आदिवासी विकास खंडों में विभाग द्वारा प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शालायें संचालित की जा रही है । शिक्षा में सुधार लाने के लिये इन शालाओं के अतिरिक्त विशिष्ट आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन भी किया जा रहा है । वर्ष 2016 – 2017 का विवरण **तालिका 8.14** में दर्शाया गया है

तालिका 8.14

आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान

संस्था का नाम	**संख्या**
प्राथमिक शालाएं	12643
माध्यमिक शालाएं	4369
हाई स्कूल	805
उ.मा.वि.	786
आदर्श आवासीय उ.मा.वि.	08
कन्या शिक्षा परिसर	80
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	29
विशेष पिछडी जनजाति आवासीय विद्यालय	03
क्रीड़ा परिसर	26
प्री-मैट्रिक छात्रावास	1368
पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास	210
आश्रम शालाएं	1051
आदिवासी पुर्नध्ययन प्रशिक्षण केंद्र	01
शासकीय गुरूकुलम विद्यालय	04

8.129 शालाऐं: आदिवासियों के विकास के लिए संचालित योजनाओं में 'शिक्षा' की योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई हैं। शैक्षणिक उत्थान के लिए आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के 89 विकासखण्डों में प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक शालाओं का संचालन किया जा रहा हैं।

वर्ष 2015-16 में 21 अतिरिक्त संकाय तथा 20 कन्या शिक्षा परिसर एवं वर्ष 2016-17 में 20 अतिरिक्त संकाय स्वीकृत किये गये है । वर्ष 2017-18 में 20 माध्यमिक शालाओं को हाईस्कूलों में, 40 हाईस्कूलों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्ययन तथा 20 अतिरिक्त संकाय का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष 2016-17 में प्राथमिक शाला में राशि रूपये 62038.65 लाख प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 59536.98 लाख व्यय किये गये हैं तथा माध्यमिक शालाओं में राशि रूपये 32891.44 लाख के विरूद्ध राशि रूपये 28511.03 लाख व्यय कर 40 माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूलों में उन्नयन किया गया है एवं हाईस्कूल शालाओं के लिए राशि रूपये 11711.79 लाख के विरूद्ध राशि रूपये 8615.99 लाख व्यय कर 34 हाईस्कूलों का उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किया गया है। साथही उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए राशि रूपये 21636.66 लाख का प्रावधान कर राशि रूपये 17898.53 लाख का व्यय किया जा चुका है।

बाक्स 8.3

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजनान्तर्गत बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए कक्षा 6वी में प्रवेशित छात्राओं को रू. 500/- 9 में प्रवेशित छात्राओं को रू. 1000 राज्य छात्रवृत्ति में समाहित कर कक्षा 6 से 8 तक 50 रूपये मासिक एवं कक्षा 9 वीं से कक्षा 10 वीं तक 130 रूपये मासिक छात्रवृत्ति निर्धारित की गई है। कक्षा 11 हेतु प्रोत्साहन राशि विभाग के माध्यम से वितरित की जा रही है तथा कक्षा 10वी उत्तीर्ण कर कक्षा 11 वी में प्रवेशित छात्राओं को 3000/- रू. प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है ।

वर्ष 2016-17 में कक्षा 11 में 38248 बालिकायें थी।वर्ष 2016-17 में 35000 कन्याओं को लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया है एवं राशि रूपये 1708.77 लाख प्रावधान के विरूद्ध 1537.89 लाख की राशि व्यय कर 38248 कन्याओं को लाभांवित किया गया है। वर्ष 2017-18 में 40.00 हजार कन्याओं को लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया है।

8.130 : राज्य छात्रवृत्ति : राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 5 तक की समस्त बालिकाओं को एवं विशेष पिछड़ी जनजाति के बालकों को एवं कक्षा 6 से 10 तक के बालक-बालिकाओं को, दस माह हेतु निम्न दरों पर छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही हैं जिसका विवरण **तालिका 8.15** में दर्शाया गया है:-

तालिका 8.15

अनुसूचित जनजाति राज्य छात्रवृत्ति की वार्षिक दरें

कक्षा	बालक/ वार्षिक	बालक/ वार्षिक
1 से 5	150/- (केवल विशेष पिछड़ी जनजाति के बालकों के लिए)	150/-
6 से 8	200/-	500/-
9 से 10	600/-	1300/-

वर्ष 2016-17 में कक्षा 1 से 5वीं की छात्रवृत्ति हेतु राशि रूपये 2911.50 लाख प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 2620.35 लाख की राशि व्यय की जाकर 944135 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया ।

वर्ष 2016-17 में कक्षा 6 से 10वीं की छात्रवृत्ति हेतु राशि रूपये 15913.82 लाख प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 14322.44 लाख की राशि व्यय की जाकर 1425773 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया ।

8.131 पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति (राज्य योजना मद अंतर्गत): पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत रू 2.50 लाख से रू 3.00 लाख तक की वार्षिक आय वाले अभिभावको के बच्चों को राज्य शासन के स्त्रोत से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है। वर्ष 2015-16 राशि रूपये 13062.89 लाख के विरूद्ध कक्षा 11वीं 12वीं के 124273 विद्यार्थियों को राशि रूपये 3451.00 लाख का वितरण किया गया एवं विद्यालयीन कक्षा के 10912 विद्यार्थियों को राशि रूपये 876.00 लाख का वितरण किया गया ।

विभाग के ज्ञापन क्र. एफ-12-42/99/25-2 /935 दिनांक 7.7.14 के निर्देशानुसार विभाग के समसंखयक पत्र दिनांक 17.1.2001 की कंडिका-05 को विलोपित किया जाकर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता/ पंजीकरण/ ट्यूशन फीस/खेल/यूनियन/ लायब्रेरी /पत्रिका / चिकित्सा जॉच) का भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जावेगा । राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ-12-28/2016/25-2/1849 दिनांक 20.12.2016 द्वारा प्रदेश में कक्षा 1 से पी.एच.डी. तक शासकीय एवं शासकीय स्ववित्तपोषी शैक्षणिक संस्थाओं में पढने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थिओं की फीस माफ कर उनकी निशुल्क शिक्षण व्यवस्था के संबंध में आदेश जारी किये गए है।

वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 14378.30 लाख प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 11922.68 लाख की राशि व्यय की जाकर 251732 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है । वर्ष 2017-18 में 271071 विद्यार्थिओं को लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया है।

8.132 विदेश में शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति : अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के भविष्य निर्माण हेतु उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रतिवर्ष 50 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देना प्रावधानित है ।

वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 110.00 लाख प्रावधान के विरूद्ध राशि 53.26 लाख व्यय किये गये एवं 29 विद्यार्थियों का चयन किया गया है एवं 2 विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन करने हेतु भेजा गया ।

वर्ष 2016-17 में 4 विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन हेतु भेजा गया राशि रूपये 216.00 प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 194.02 लाख की राशि व्यय की जाकर संबंधित के खातों में जमा की गई है ।वर्ष 2017-18 में 50 विद्यार्थियों को लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया है।

8.133 क्रीड़ा परिसर : अध्ययन के साथ साथ आदिवासी बच्चों को खेल प्रतिभा को विकसित करने के लिये विभाग द्वारा प्रदेश में प्रत्येक क्रीड़ा परिसर 100 सीटर कुल 23 विभागीय क्रीड़ा परिसर संचालित हैं। इनमें से 17 बालकों के लिए तथा 06 बालिकाओं के लिए हैं। ये परिसर पूर्णतः आवासीय हैं। प्रत्येक क्रीड़ा परिसर में प्रवेशित छात्रों को रूपये 100/ प्रति दिवस शिष्यावृत्ति स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त वर्ष में एक बार स्पोर्टस किट के लिए 3000/- रूपये स्वीकृत किए गए हैं। इन क्रीड़ा परिसरों का ध्येय प्रतिभावान खिलाड़ी छात्र/छात्राओं की खोज करना एवं उन्हें नियमित प्रशिक्षण देकर विभिन्न खेल विधाओं में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में शामिल कराकर प्रतिभा का विकास करना है। निम्नानुसार जिलों में बालक क्रीडा परिसर एवं कन्या क्रीडा परिसर संचालित है।

क्रमांक	जिला	बालक क्रीड़ा परिसर	कन्या क्रीड़ा परिसर
1	धार	सरदारपुर	डही
2	अलीराजपुर	अलीराजपुर	
3	खरगोन	खरगोन	
4	इन्दौर	इन्दौर	
5	खंडवा	खालवा	
6	बड़वानी	बड़वानी	निवाली
7	रतलाम	बाजना	
8	बैतूल	शाहपुर	बैतूल
9	छिन्दवाड़ा	तामिया	
10	सिवनी	कुरई	
11	बालाघाट	बैहर	
12	डिंडोरी		शहपुरा
13	मंडला	कालपी	
14	अनूपपुर	अमरकंटक	अमरकंटक
15	सीधी	चुरहट	
16	शहडोल	शहडोल	
17	श्योपुर	श्योपुर	
18	झाबुआ	-	झाबुआ
19	जबलपुर	जबलपुर	-

आदिवासी विकास विभाग की संस्थाओं में क्रीड़ा गतिविधियों का विस्तार तथा प्रशिक्षण किया जाकर विद्यार्थियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सम्मिलित कराया जाता है। आदिवासी विद्यार्थियों की उपलब्धियां है। जो वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय पदक में 11 स्वर्ण, 11 रजत एवं 25 कास्य पदक तथा राज्य स्तरीय पदक में 136 स्वर्ण, 110 रजत तथा 167 कांस्य पदक प्राप्त किये हैं।

राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर प्रतिभागियों को निम्नानुसार राशि से सम्मानित किया जाता हैः-

राष्ट्रीय स्तर (एकल)		**राज्य स्तर(सामूहिक)**	
प्रथम स्थान	21000/-	प्रथम स्थान	10000/-
द्वितीय स्थान	15000/-	द्वितीय	7000/-
तृतीय स्थान	11000/-	तृतीय	5000/-
सहभागिता	4000/-	सहभागिता	4000/-

वर्ष 2015-16 में एक नवीन कन्या क्रीड़ा परिसर झाबुआ में खोला गया है । वर्ष 2015-16 में क्रीड़ा परिसरों में प्रवेशित 2300 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था ।

वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 1584.99 लाख प्रावधान के विरूद्ध राशि 1220.84 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2016-17 में 3 नवीन क्रीड़ा परिसर खोले गये है क्रमश: बुरहानपुर में बालक, इटारसी जिले के होशंगाबाद में कन्या एवं उमरिया जिले मे बालकक्रीडा परिसर खोले गये हैं ।

वर्ष 2016-17 में क्रीड़ा परिसर योजनांतर्गत राशि रूपय 1664.60 प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 1005.53 लाख रूपये व्यय किये गये है । राज्य स्तर पर 346 विद्यार्थिओं द्वारा सहभागिता प्राप्त कर 110 स्वर्ण, 101 रजत, एवं 135 कांस्य पदक प्राप्त किये। राष्ट्रीय स्तर पर 134 विद्यार्थिओं द्वारा सहभागिता प्राप्त कर 02 स्वर्ण, 01 रजत पदक प्राप्त किये हैं।

8.134 अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास योजना : अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास का मुखय उद्देश्य ग्रामीण/नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों/बस्ती/वार्ड में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराना यथा- समुचित पेयजल, विद्युत व्यवस्था आंतरिक क्षेत्रों में पक्की सडके, नाली निर्माण मुखय सडक से अनुसूचित जन जाति बस्ती/ग्राम तक सड़क, पुलिया, रपटा, निर्माण, सामुदायिक भवनों का निर्माण (सामाजिक एंव सांस्कृतिक समारोह आदि) के लिये जिलों को राशि उपलब्ध कराई जाती है । म.प्र.शासन का पत्र क्रमांक एफ 23-30/2005/3-25 दिनांक 5.1.15 द्वारा अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास नियम 2005 (यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ।

वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 6651.15 लाख प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 4538.06 लाख व्यय किये गये । वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 7800.81 लाख प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 6203.31 लाख व्यय किये गये ।

8.135 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय : प्रदेश के 18 जिलों झाबुआ, धार, बड़वानी, रतलाम, बैतूल, सिवनी, मण्डला, डिण्डौरी, अनूपपुर, छिंदवाड़ा, सीधी, उमरिया, अलीराजपुर, खण्डवा, शहडोल, बालाघाट, जबलपुर एवं होशंगाबाद में 29 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित है। झाबुआ एवं छिन्दवाड़ा, अलीराजपुर एवं सतना जिले में दो-दो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 वीं तक 8760 विद्यार्थी है, जिसमें 3732 बालक एवं 3908 बालिकाएं अध्ययनरत हैं।

वर्ष 2016-17 में आवर्ती मद में राशि 458.11 लाख तथा अनावर्ती मद में राशि 366.08 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ । आवर्ती मद में राशि रू. 1741.87 लाख तथा अनावर्ती मद में राशि रू. 5140.00 लाख व्यय की गई ।

8.136 अनुसूचित जनजाति बालिकाओं हेतु सायकिल रखरखाव योजना: इस योजनांतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 9 वी के जिन आदिवासी बालिकाओं को सायकिल प्रदाय की गई है उन्हें कक्षा 11 वीं में प्रवेश लेने पर सायकिल रख रखाव भत्ता रूपये 1000/- प्रति बालिका को देय होगा।

वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 271.00 लाख प्रावधान के विरूद्ध राशि 84.21 लाख व्य किये जाकर 22000 बालिकाओं के लक्ष्य के फलस्वरूप 8421 छात्राओं को लाभान्वित किया गया है तथा वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 270.00 लाख प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 89.92 लाख व्यय कर 25 हजार लक्ष्य के विरूद्ध 8992 छात्राओं को लाभांवित किया गया है। वर्ष 2017-18 में 20 हजार छात्राओं को लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया है।

8.137 शंकर शाह पुरस्कार योजना : मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में प्रदेश में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले आदिवासी छात्रों को निम्नानुसार राशि से पुरस्कृत किया जाता है। कक्षा 10 वीं में प्राप्त प्रावीण्यता को कक्षा 12 वीं में निरन्तर रखने वाले विद्यार्थियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि रू .11,000/- दिए जाने का प्रावधान है। वर्ष 2014-15 से निम्न दरें प्रभावशाली होगीः-

कक्षा	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
10 वीं	51000	31000	21000
12 वीं	51000	31000	21000

वर्ष 2015-16 में 6 बालकों को पुरस्कृत किया गया है । वर्ष 2016-17 में 6 बालकों को माह जनवरी 2017 में पुरस्कृत किया गया । वर्ष 2017-18 में 6 बालकों को पुरूस्कृत करने का लक्ष्य रखा गया है।

8.138 रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना: मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अपने संवर्ग में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली प्रतिभावान आदिवासी छात्राओं को क्रमशः निम्नानुसार राशि से पुरस्कृत किया जाता है। कक्षा 10 वीं में प्राप्त प्रावीण्यता को कक्षा 12 वीं में निरन्तर रखने वाले विद्यार्थियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि रू .11,000/- दिए जाने का प्रावधान है। वर्ष 2014-15 से निम्न दरें प्रभीवशाली होगीः-

कक्षा	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
10 वीं	51000	31000	21000
12 वीं	51000	31000	21000

वर्ष 2015-16 में 6 बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया है । वर्ष 2016-17 में 7 बालिकाओं को माह जनवरी 2017 में पुरस्कृत किया गया है। वर्ष 2017-18 में 6 बालकाओं को पुरूस्कृत करने का लक्ष्य रखा गया है।

8.139 सर्वश्रेष्ठ छात्रावास/आश्रम एवं हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल को पुरस्कार: आदिवासी बाहुल्य जिलो में संचालित संस्थाओं में जिले में सर्वश्रेष्ठ परीक्षाफल देने वाले तीन हाई स्कूल/तीन हायर सेकेण्डरी एवं सर्वश्रेष्ठ तीन छात्रावास /आश्रमों को पुरस्कार स्वरूप प्रथम पुरस्कार 25000/-द्वितीय पुरस्कार रूपये 15000/- एवं तृतीय पुरस्कार रूपये 10000/- प्रदान कर सम्मानित किया जाता है।

वर्ष 2015-16 में आदिवासी बाहुल्य 20 जिलों में 01, छात्रावास, 01 आश्रम, 01 हाईस्कूल, 01 हायर सेकेण्डरी स्कूल को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है एवं 196 संस्थाओं को लाभान्वित किया गया है । वर्ष 2016-17 में 327 संस्थाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था जिसमें माह जनवरी 2017 में 192 संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया । वर्ष 2017-18 में 327 संस्थाओं को लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया है।

8.140 विद्यार्थी कल्याण: अनुसूचित जनजाति के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आकस्मिक विपत्ति में, विशेष रोग से पीड़ित होने पर इलाज हेतु, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों

में भाग लेने हेतु एवं विशेष अभिरूचि को प्रोत्साहन देने हेतु निम्नानुसार सहायता दी जाती है।

1.	विशिष्ट आयोजनों में सम्मिलित होने हेतु पोषाक, परिधान, साज-सज्जा हेतु	-	1000/-
2.	विद्यार्थियों को सामूहिक एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु।	-	3000/-
3.	निःशक्त छात्र/छात्राओं को ट्रायसाईकल हेतु	-	3000/-
4.	असामयिक विपत्ति	-	25000/-
5.	विशेष रोग, कैंसर, टी.बी .हृदय रोग आदि	-	5000/-
6.	मृत्यु होने पर (दुर्भाग्य पूर्ण रूप से घटना होने पर)	-	25000/-

विद्यार्थी कल्याण सहायता नियम 2006 में अ -छात्रावास/आश्रमों में निवासरत रहते हुए मृत्यु होने पर विभागाध्यक्ष को रू. 25000/- स्वीकृति के पूर्ण अधिकार के स्थान पर कलेक्टर को पूर्ण अधिकार प्रदत्त किए गए हैं।

वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 309.35 लाख प्रावधान के विरूद्ध 137.64 लाख की राशि व्यय की जाकर 7600 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है । वर्ष 2017-18 में 8000 विद्यार्थियों को लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया है।

8.141 प्रतिभावान विद्यार्थियों को पुरस्कार: म.प्र .माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में अनुसूचित जनजाति के 100-100 छात्र-छात्राऍं जिन्होंने प्रदेश में अपने संवर्ग में सर्वोच्च अंक प्राप्त किये हैं, प्रत्येक को रू .1000/- की पुरस्कार राशि दी जाती है।

- वर्ष 2014-15 में 200 विद्यार्थयों को पुरस्कृत किया गया है ।
- वर्ष 2015-16 में 200 विद्यार्थयों को पुरस्कृत किया गया है ।
- वर्ष 2016-17 में 200 विद्यार्थयों को माह जनवरी 2017 में पुरस्कृत किया गया है।

8.142 विशेष पिछड़ी जनजाति के विद्यार्थियों को गणवेश प्रदायः प्रदेश के 15 जिलों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा,सहरिया एवं भारिया के शैक्षणिक विकास हेतु विशेष प्रोत्साहन अंतर्गत कक्षा 1 से 12वीं तक प्रत्येक विद्यार्थी को प्रति वर्ष गणवेश, स्वेटर, जुते मोजे, बैग दिये जाने की योजना स्वीकृत है। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक गणवेश राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा दिये जाते हैं अतः स्वेटर, जुते मोजे के लिये 600/- प्रति विद्यार्थी एवं कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को गणवेश, स्वेटर, जुते मोजे, बैग के लिये 1100/- रूपये बैंक खाते

में प्रदाय की जाती है। वर्ष 2009-10 से 2016-17 तक लाभांवित पी.टी.जी विद्यार्थियों का विवरण निम्नानुसार हैः -

वर्ष	व्यय राशि	लाभांवित पी.टी.जी .विद्यार्थी
2013-14	1673.32	243000
2014-15	1362.14	245000
2015-16	761.64	200000
2016-17	756.74	180000

वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 1475.45 लाख प्रावधान के विरूद्ध 812.57 लाख की राशि व्यय की जाकर 21000 लक्ष्य के विरूद्ध 200465 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है एवं वर्ष 2017-18 में 220000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

8.143 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण: विभाग द्वारा संचालित 786 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा गुणवत्ता के लिये पुस्तकालयों में पर्याप्त पुस्तकों की व्यवस्था तथा जीवित संचालन एवं प्रयोगशालाओं में आवश्यक प्रायोगिक सामग्री की व्यवस्था तथा जीवित संचालन की व्यवस्था की जाती है। प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय का कालखण्ड शालावधि के 2 घण्टे उपरांत तक रखा जाकर अध्ययन की सुविधा एवं लायब्रेरी कार्ड बनवाकर नियमित पुस्तकें आदान-प्रदान की जिला स्तर से मॉनीटरिंग कराई जा रही है। प्रयोगशाला में भी सी.बी.एस.ई .के मापदण्ड अनुरूप आवश्यक प्रायोजित सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराकर प्रत्येक विषय के प्रभारी द्वारा कराये गये दैनिक प्रयोगों की सुनिश्चितता प्राचार्यों से कराई जा रही है। जिससे अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं इंजीनियरिंग/मेडिकल में सफलता प्राप्त कर सके। वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 605.05 लाख प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 455.01 लाख व्यय किये गये है ।

8.144 विज्ञान एवं सामूहिक विषयों में प्रवेश हेतु प्रोत्साहन योजना : कक्षा 10वीं उत्तीर्ण जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं विज्ञान संकाय में प्रवेश लेने पर 2000/- रूपये प्रोत्साहन राशि तथा कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करके बी.एस.सी भौतिकी, रसायन, गणित, जीव विज्ञान में प्रवेश लेने पर 3000/- रूपये प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान रखा गया है। उपलब्धि निम्नानुसार हैः-

वर्ष	कक्षा 11वीं में लाभांवित संखया	वितरित राशि	बी.एस.सी .में लाभांवित संखया	वितरित राशि
2013-14	14825	296.50	10000	300.00
2014-15	16126	322.52	8558	256.74
2015-16	14560	291.20	9701	291.03

वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 460.00 लाख प्रावधान के विरूद्ध 433.44 लाख की राशि व्यय की जाकर 25000 लक्ष्य के विरूद्ध 14700 विद्यार्थियों एवं 1561 संस्थाओं को एवं 9978 स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है । बी.एस.सी .के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति .की योजना से लाभान्वित किया गया है । वर्ष 2017-18 में 25000 विद्यार्थियों को लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया है।

8.145 कौशल विकास योजना : प्रदेश में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल विकास से जुड़े हुए विभिन्न पाठ्यक्रमों का विगत वर्षों में काफी तीव्रता से विकास हुआ है। इन पाठ्यक्रमों के लिये अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवकों में कुशलता की वृद्धि करने तथा रोजगार उपलब्ध होने के लक्ष्य हेतु शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रयास के साथ-साथ कौशल विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों अनुरूप उपयुक्तता तैयार करने के लिये विभाग द्वारा प्रयास किये गये हैं।

विभाग द्वारा प्रत्येक विकासखण्डों 350 आदिवासी युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशिक्षणार्थियों का चिन्हांकन ऐसे बेरोजगार युवा जो शाला छोड़ चुके हैं अथवा कक्षा 10 वीं उपरान्त व्यावसायिक प्रशिक्षण लेकर रोजगार/स्वरोजगार के इच्छुक हैं, इस योजना के लक्ष्य समूह होंगे।

वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 800.00 लाख प्रावधान के विरूद्ध राशि 390.77 लाख व्यय किये गये । जिसमें 10000 विद्यार्थियों के लक्ष्य के विरूद्ध 5567 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है ।

वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 410.00 लाख प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 149.50 लाख की राशि व्यय की जाकर 10000 विद्यार्थियों के लक्ष्य के विरूद्ध 3979 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है । वर्ष 2017-18 में भी 10000 विद्यार्थियों को लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया है।

8.146 आवास भत्ता सहायता योजना /छात्रगृह योजना : मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग के ज्ञाप क्र .एफ-12-06/2013/ 25-2/2039 दिनांक 11.9.2013 द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालक /बालिकाओं को अपने गृह निवास के बाहर महाविद्यालयीन स्तर पर शिक्षा निरंतर रखने के लिये आवास सहायता योजना स्वीकृत की गई है । राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ/12-06/2013/25-2/1860 दिनांक 23.12.2016 द्वारा संशोधन के साथ योजना निरन्तर है।

योजना अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य के आदिवासी बालक/बालिकाओं को अपने गृह निवास से बाहर महाविद्यालयीन स्तर से शिक्षा निरंतर रखने के लिए भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं उज्जैन नगरों में रू .2000/- प्रति विद्यार्थी तथा जिला मुख्यालय पर प्रति विद्यार्थी रू .1250/- एवं तहसील/विकासखण्ड मुखयालय पर रू .1000/- प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह की दर से आवास सहायता राशि प्रदान की जाती है । वर्ष 2015-16 में आवास सहायता योजना अंतर्गत राशि रूपये 5455.38 लाख प्रावधान के विरूद्ध राशि रू. 5050.05 लाख व्यय किये गये है एवं 30411 विद्यार्थियों के लक्ष्य के विरूद्ध 28818 विद्यार्थियों को लाभांवित किया गया है । वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 5665.00 लाख प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 5476.11 लाख की राशि व्यय की जाकर लगभग 37307 विद्यार्थियों को लाभांवित किया जाएगा। वर्ष 2017-18 में 37307 विद्यार्थियों को लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया है।

8.147 सैनिक स्कूल/प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूलों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के शुल्क की प्रतिपूर्ति : सैनिक स्कूल रीवा तथा प्रदेश में स्थित डेली कालेज इंदौर, सिंधिया पब्लिक स्कूल, ग्वालियर, दिल्ली पब्लिक स्कूल भोपाल एवं इन्दौर जैसे विशिष्ट पब्लिक स्कूलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रवेश की योजना है। प्रवेशित छात्रों के समस्त शुल्कों का वहन विभाग करता है । पब्लिक स्कूलों में प्रवेश से लाभांवित विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2016-17 में 82 विद्यार्थियों को लाभांवित कर राशि रूपये 174.10 लाख व्यय किया गया है।

सैनिक स्कूल में प्रवेश छात्रवृत्ति - म.प्र .के अनुसूचित जनजाति बालकों के छात्रवृत्ति के लिये म.प्र . सरकार की पृथक छात्रवृत्ति योजना है । सैनिक स्कूल रीवा में अनुसूचित जनजाति के लिये 7.5 प्रतिशत सीट आरक्षित है। सैनिक स्कूल रीवा में प्रवेश के लिए विभाग द्वारा म.प्र .के अनुसूचित जनजातियों के ऐसे छात्र जो सैनिक स्कूल रीवा में प्रवेश प्राप्त करते हैं का सम्पूर्ण व्यय वहन करने की योजना संचालित की जा रही है । योजना के अंतर्गत प्रवेश के निम्नलिखित मापदण्ड हैं-:

1. छात्र म.प्र .की अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो ।
2. छात्र कक्षा 1 से 12वीं में अध्ययनरत हो ।

3. किसी भी अभिभावक के दो से अधिक बच्चों को योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी ।

वर्ष 2015-16 तक सैनिक स्कूल रीवा में अध्ययनरत 34 विद्यार्थियों पर राशि रूपये 24.94 रूपये व्यय किया गया है।

वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 291.68 लाख प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 197.44 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2015-16 में 130 विद्यार्थियों के लक्ष्य के विरूद्ध 119 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है । वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 265.01 लाख प्रावधान राशि रूपये 234.55 लाख की राशि व्यय की जाकर 114 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2017-18 में 120 विद्यार्थियों को लाभांवित किया गया है।

8.148 बोर्ड परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति: माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के बोर्ड परीक्षा शुल्क की राशि विभाग द्वारा मंडल को भुगतान की जाती हैं।

वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 140.00 लाख प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 140.00 लाख व्यय किये गये । वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 140.00 लाख प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 126.00 लाख की राशि व्यय की गई ।

8.149 साक्षरता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कार : प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्राथमिक शाला में प्रवेश योग्य बालक/बालिकाओं को शत प्रतिशत प्रवेश करवाने तथा शाला त्याग की प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास करने वाली 89 आदिवासी विकासखण्डों की सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों को पुरस्कार स्वरूप रूपये 25000/- के मान से राशि प्रदान की जाती हैं । वर्ष 2015-16 में 89 ग्राम पंचायतों को लाभन्वित करने का लक्ष्य रखा गया है । माह जनवरी 2016 में समानित किया गया । वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 8.25 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 22.25 लाख के विरूद्ध राशि रूपये 15.75 लाख व्यय किये जाकर 63 ग्रामपंचायतों को पुरूस्कृत किया गया है। वर्ष 2017-18 में 89 ग्राम पंचायतों को लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया है।

8.150 सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना - राज्य शासन ने संघ लोक सेवा आयोग तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षाओं में विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया हैं। यह योजना वर्ष 2003-04 से स्वीकृत की गई हैं। इस योजना अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तथा म.प्र .लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरो पर सफल होने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निम्नानुसार सहायता राशि दी जाती है -:

अ. संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा के लिए -

- प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रू. 40000.00
- मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रू. 60000.00
- साक्षात्कार उपरांत चयन होने पर रू. 50000.00

ब. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए -

- प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रू. 20000.00
- मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रू. 30000.00
- साक्षात्कार उपरांत चयन होने पर रू. 25000.00

शासन आदेश क्रमांक एफ-10/54/2003/25-2/ दिनांक 11.9.14 पात्रता हेतु वार्षिक आय 5.00 लाख से वृद्धि कर राशि रूपये 8.00 लाख की गई। वर्ष 2015-16 में 180.00 लाख प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 172.80 लाख व्यय की जाकर 1005 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है । वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 289.00 लाख प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 280.53 लाख की राशि व्यय की जाकर 200 विद्यार्थियों के लक्ष्य के विरूद्ध 1467 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है । वर्ष 2017-18 में 200 विद्यार्थियों को लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया है।

8.151 संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा हेतु कोचिंग -:

प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी के लिये प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान से कोचिंग की वर्तमान योजना एवं प्रतिभागियों को कोचिंग हेतु दी जाने वाली सुविधाएं निम्नानुसार है-

क्रमांक	विवरण	चरणवार पाठ्यक्रम हेतु	सम्मिलित पाठ्यक्रम हेतु
1	**प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिये**		
	1. पुस्तकों हेतु	10.000	10.000
	2. शिष्यावृत्ति प्रतिमाह, परिवहन सुविधा, आवास सुविधा, भोजन सुविधा 10.000 प्रतिमाह (चार माह हेतु)	40.000	1.20.000
	3. कोचिंग शुल्क पर होने वाले व्यय हेतु (अधिकतम राशि)	50.000	1.25.000
	योग	**1.00.000**	**2.55.000**
2	**मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिये:-**		
	1. शिक्षावृत्ति प्रतिमाह, परिवहन सुविधा, आवास सुविधा, भोजन सुविधा हेतु 10.000 प्रतिमाह (चार माह के लिये)	40.000	-
	2. कोचिंग शुल्क पर होने वाले व्यय हेतु (अधिकतम राशि)	75.000	-
	योग	1.15.000	-
3	**साक्षात्कार की तैयारी के लिये:-**		
	1. शिक्षावृत्ति प्रतिमाह, परिवहन सुविधा, आवास सुविधा, भोजन सुविधा के लिये 10.000 प्रतिमाह (01 माह हेतु)	10.000	10.000
	2. कोचिंग शुल्क पर होने वाले व्यय हेतु	20.000	20.000
	योग	**30.000**	**30.000**
	महायोग	**2.45.000**	**2.85.000**

उपरोक्तानुसार विगत 2 वर्षों में कोचिंग प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 110.00 लाख प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 73.70 व्यय कर 100 विद्यार्थियों के लक्ष्य के विरूद्ध 61 विद्यार्थियों को लाभांवित किया गया है तथा वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 150.00 लाख प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 75.06 लाख व्यय कर 100 विद्यार्थियों के लक्ष्य के विरूद्ध 48 विद्यार्थियों को लाभांवित किया गया है। वर्तमान वर्ष 2017-18 में 100 विद्यार्थियों को लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया है।

8.152 निर्माण कार्य : राज्य शासन के बजट में छात्रावास, आश्रम शाला, एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल भवनों का निर्माण कराया जाता है।

वर्ष 2015-16 में छात्रावास भवन निर्माण की राशि रूपये 4000.00 लाख प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 3906.12 लाख व्यय कर 23 कार्य पूर्ण किये गये ।वर्ष 2016-17 में छात्रावास भवन निर्माण की राशि रूपये 6000.00 लाख प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 4824.32 लाख व्यय कर 24 कार्य पूर्ण किये गये । वर्ष 2015-16 में आश्रम भवन निर्माण की राशि रूपये 3000.00 लाख प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 2956.58 लाख व्यय कर 23 कार्य पूर्ण किये गये ।

वर्ष 2016-17 में आश्रम भवन निर्माण की राशि रूपये 4300.00 लाख प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 4029.63 लाख व्यय कर 21 कार्य पूर्ण किये गये । वर्ष 2015-16 में उ.मा.वि .भवन की राशि रूपये 5000.00 लाख प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 4758.41 लाख व्यय कर 26 कार्य पूर्ण किये गये ।

वर्ष 2016-17 में उ.मा.वि .भवन की राशि रूपये 6400.00 लाख प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 5062.02 लाख व्यय कर 26 कार्य पूर्ण किये गये । कार्यालय भवन निर्माण एवं विद्युतीकरण के कार्यो हेतु राशि रूपये 200.00 लाख प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 53.08 लाख व्यय कर 6 कार्य पूर्ण किये गये ।कार्यालय भवन निर्माण एवं विद्युतीकरण के कार्यो हेतु वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 200.00 लाख का प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 74.51 लाख व्यय कर 1 भवन का कार्य पूर्ण किया गया है ।

8.153 उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्रों की स्थापना : प्रतिभावान छात्र-छात्राओं का अच्छी शिक्षा देने के उद्देश्य से प्रति जिला मुखयालय स्तर पर (प्री.मैट्रिक छात्रावास) उत्कृष्ट शिक्षा संस्थान स्थापित है। यह उत्कृष्ट छात्रावास 50 सीट का होगा जिसमें अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति के छात्र एक साथ निवास कर सकेगे । छात्र-छात्राओं के लिये अलग-अलग छात्रावास स्थापित होगा । वर्तमान में जिला स्तर पर संचालित एक कन्या छात्रावास एवं एक बालक छात्रावास को उत्कृष्टता संस्थान पर परिवर्तित किया गया है। वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 1272.68 लाख के प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 641.80 लाख रूपये व्यय किये गये हैं।

8.154 आवासीय संस्थाएं : दूरस्थ अंचलों में आदिवासी विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बालक तथा बालिकाओं के लिये प्री-मैट्रिक तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रावास एवं आश्रम संचालित किये जा रहे हैं।

वर्ष 2016-17 में 20 नवीन, 50 सीटर प्री-मैट्रिक छात्रावास खोले गये हैं। कुल 368 प्री-मैट्रिक छात्रावासों में राशि रूपये 13183.15 लाख प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 9749.77 लाख व्यय किये जाकर 75797 विद्यार्थियों को लाभांवित किया गया है तथा 5 नवीन, 50 सीटर आश्रम खोले गये हैं जिसमें कुल 1051 आश्रम में राशि रूपये 14486.44 लाख प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 11727.52 लाख व्यय किये जाकर 68316 विद्यार्थियों को लाभांवित किया गया है। वर्ष 2016-17 में 80 नवीन, 50 सीटर पोस्ट मैट्रिक छात्रावास खोले गये हैं इसमें कुल 210 पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में राशि रूपये 1371.00 लाख प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 890.63 लाख व्यय किये जाकर 13450 विद्यार्थियों को लाभांवित किया गया है। वर्तमान वर्ष 2017-18 में 20 प्री-मैट्रिक छात्रावास, 20 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास एवं 10 नवीन आश्रम खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है।

8.155 प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र : अनुसुचित जनजाति के युवाओं के लिये 09 विभागीय प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र संचालित है। स्थानीय अवश्यकता एवं रोजगार की उपलब्धता के आधार पर इन केन्द्रों में प्रशिक्षण ट्रेड का चयन कर एमपी.पी.सीवेट से प्रशिक्षाणार्थियों के लिये प्रशिक्षण, मूल्यांकन, प्रमाणीकरण, रोजगार अथवा स्वरोजगार हेतु कार्यवाही की जा रही है जिसमें वर्ष2016-17 में राशि रूपये 316.89 लाख प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 232.83 लाख की राशि व्यय की जाकर 761 विद्यार्थियों को लाभांवित किया गया है। वर्तमान वर्ष 2017-18 में 3000 विद्यार्थियों को लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया है।

8.156 प्रतिभाशाली आदिवासी छात्र-छात्राओं के लिये नैतृत्व विकास शिवर का आयोजन: प्रतिवर्ष 23 जनवरी से 28 जनवरी तक भोपाल में यह शिवर आयोजित किया जाता है इसमें प्रत्येक जिले में कक्षा दसवीं बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक बालक तथा एक बालिका को आमंत्रित किया जाता है। विशेष तौर पर पिछडी जनजाति के 15 जिलों से कक्षा दसवीं बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले 1-1 विद्यार्थियों को भी इस शिविर में सम्मिलित किया जाता है। वर्ष 2017 में 27 पुरूष आदिवासी तथा 20 महिला आदिवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। गणतंत्र दिवस समारोह 2017 नई दिल्ली हेतु शासन आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा ग्वालियर जिले से एक महिला आदिवासी तथा एक पुरूष आदिवासी का चयन कर दिनांक 22 जनवरी से 3 फरवरी 2017 तक गणतंत्र समारोह में भाग लेने हेतु नई दिल्ली भेजा गया था।

8.157 अनुसूचित जनजाति बालक/बालिकाओं के लिये प्रतिभा योजना:- राज्य शासन द्वारा वर्ष 2016 से अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभावान बालक/बालिकाओं को विभागीय विद्यालय में कक्षा 11 तथा 12 के साथ राष्ट्रीय प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी नि:शुल्क कराई जाती है। सफल विद्यार्थियों को राष्ट्रीय संस्थानों में प्रवेश लेने के लिये प्रोत्साहन तथा अनुसंगिक व्यय पूर्ति हेतु अनुसूचित जनजाति प्रतिभा योजना निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से जे.ई.ई. परीक्षा द्वारा आई.आई.टी. में प्रवेश एम्स तथा नीट प्रवेश परीक्षा से एम्स एवं नीट मे प्रवेश, क्लेट, प्रवेश परीक्षा से एल.एल.आई.यू. में प्रवेश की पात्रता अर्जित कर प्रवेश लेने पर अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को राशि रूपये 50.00 हजार प्रोत्साहन राशि शर्तों के साथ दी जाती है। जो माता-पिता/पालकों/स्वयं की वार्षिक आय राशि रूपये 8.00 लाख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग की संचालित संस्थाओं में कक्षा 12 में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी ही योजनांतर्गत पात्र होंगे।

आदिम जाति कल्याण विभाग के जिस विद्यालय से राष्ट्रीय परीक्षा में विद्यार्थियों का अंतिम चयन होता है। उस विद्यालय के प्राचार्य/शिक्षक दल को प्रतिभा उन्ययन प्रोत्साहन राशि रूपये 20.000 रूपये दी जाती है।

8.158 अनुसूचित जनजाति बालिका विज्ञान पुरूस्कार योजना : शासन द्वारा सितम्बर 2016 से कक्षा 12 के विज्ञान संकाय में अध्ययनरत प्रतिभावान अनुसूचित जनजाति बालिकाओं को बोर्ड परीक्षा फल की राज्य स्तरीय अनुसूचित जनजाति वर्ग की मैरिट सूची (विज्ञान संकाय में) स्थान प्राप्त करने पर पुरूस्कार स्वरूप प्रोत्साहन राशि प्रति बालिका (राशि रूपये 50.00 हजार मात्र) के मान से अधिकतम 10 बालिकाओं को लाभांवित किये जाने की स्वीकृत प्रदान की गई है।

8.159 आवासीय "गुरूकुलम" विद्यालयों का संचालन:- मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ 12-20/2016/25-2/1329 दिनांक 16.09.2016 द्वारा चार संभागीय मुख्यालय भोपाल, इंदौर, जबलपुर, शहडोल में आवासीय विद्यालय गुरूकुलम के संचालन की स्वीकृति प्राप्त की गई। योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों हेतु संभाग मुख्यालय में उच्च गुणबत्ता वाली अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान करना तथा नियमित शिक्षा के साथ ही राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों को सफलता हेतु योग्य बनाना है। इन विद्यालयों में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा निर्धारित माठ्यक्रम में अध्यापन किया जाएगा।

8.160 केन्द्र प्रवर्तित/ केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना:- इस योजना के अंतर्गत 1. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, 2. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, 3. प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति, 4 व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना, 5. कोचिंग एण्ड एलाइड स्कीम, 6. प्रावीण्य में उन्नयन योजना, 7. निमार्ण कार्य योजना संचालित है।

8.161 पिछड़ा वर्ग कल्याण : राज्य में वर्तमान में 92 जाति /उपजाति /वर्ग समूहोंको पिछडी जातियों के रूप में शासन द्वारा मान्य किया गया है । इन जातियों के शैक्षणिक उन्नयन, रोजगार मूलक प्रशिक्षण एंव सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के उद्येश्य से विभिन्न प्रकार की योजनायें क्रियान्वित कर बन्हें लाभान्वित किया जा रहा है । योजनायें निम्नानुसार हैं :

8.162 राज्य छात्रवृत्ति : यह छात्रवृत्ति पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 6 से 10 तक निरंतर विद्याध्यन के लिये प्रोत्साहित करने हेतु (दस माह के लिये) दी जाती है, छात्रवृत्ति का वितरण बैंक के माध्यम से एक किश्त में 31 अक्टूबर तक किया जाता है । छात्रवृत्ति की जानकारी निम्नानुसार हैं :-

कक्षा	बालक	बालिका
6 से 8	रु. 20.00	रु. 30.00
9 एंव 10	रु. 30.00	रु. 40.00

राज्य छात्रवृत्ति की पात्रता पिछडे वर्ग के उन विद्यार्थियों को हैं जिनके अभिभावक आयकरदाता की सीमा में नहीं आते हैं । इसके साथ ही यह लाभ उन परिवार के लिये उपलब्ध नहीं होगा जिनके पास दस एकड से अधिक भूमि है । वर्ष 2013-14 से यह योजना स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है । वर्ष 2016-17 में कुल राशि रुपये 150.43 करोड की राशि स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की गई है, जिसके विरुद्ध कक्षा 6वीं से 12वीं के 33.03 लाख विद्यार्थियों को राशि रु. 132.24 करोड की राज्य तथा कक्षा 11वीं एंव 12वीं के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरित की गई है । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि रु. 161.00 करोड का प्रावधान किया गया है तथा 31 दिसम्बर 2017 तक राशि रु. 161.00 करोड की राशि स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की गई है । जिसके विरुद्ध छात्रवृत्ति स्वीकृति एंव वितरण की कार्यवाही स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है।

8.163 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति : पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पिछडा वर्ग स्नातक एवं स्नात्कोत्त्र तथा तकनीकी और व्यावसायिक पाठयक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को राज्य शासन द्वारा निर्धारित दरो पर प्रदान की जाती है । छात्रवृत्ति की पात्रता उन विद्यार्थियों को है। जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय सीमा 75.00 हजार से कम हो । गत वर्ष 2016-17 में 4.35 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि रु. 507.73 करोड की छात्रवृत्ति स्वीकृत कर वितरित की गई है । वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि रु. 684.00 करोड का बजट प्रावधान रखा गया है । दिसम्बर 2017 तक कुल राशि रु. 374.08 करोड की राशि जिलों को आवंटित की गई है तथा 4.40 लाख विद्यार्थियों को लाभांन्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्ध 4.36 लाख विद्यार्थियों के पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुए हैं जिन पर छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही की जा रही है।

8.164 राज्य स्तरीय रोजगार एंव प्रशिक्षण केन्द्र (पिछडा वर्ग एंव अल्पसंख्यक कल्याण) : पिछडे वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिभावान अभ्यार्थियों को राज्य स्तरीय प्रशासनिक सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की पूर्व तैयारी हेतु भोपाल में संचालित राज्य स्तरीय परीक्षा केन्द्र में परीक्षा पूर्व नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । इसके लिये प्रशिक्षणार्थियों को 350 रू. प्रतिमाह की दर से शिष्यवृत्ति एंव निशुल्क आवास सुविधा तथा पुस्तकालय सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षणार्थियों का चयन पात्रताधारी परीक्षा के प्राप्तांक की वरीयता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से किया जाता है । वर्ष 2015-16 से प्रदेश के पिछडा वर्ग के साथ-साथ अल्पसंख्यक वर्ग के युवक-युवतियों को भी नियमानुसार प्रतियोगी परीक्षाओं का नि:शुल्क प्रशिक्षण हेतु छात्रावास उपलब्ध कराया जा रहे हैं । वर्ष 2016-17 में प्रशिक्षण केन्द्र को राशि रूपये 105.87 लाख का आवंटन जारी किया गया था जिसके विरूद्ध केन्द्र द्वारा राशि रू. 72.79 लाख व्यय किये गये है । वर्ष 2016-17 में पिछडा वर्ग एंव अल्पसंख्यक वर्ग के कुल 108 प्रशिक्षणार्थियों को छ: माह की अवधि का राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा हेतु नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया गया । वर्ष 2016-17 में केन्द्र से प्रशिक्षित 23 प्रशिक्षणार्थी चयनित हुये एंव 36 प्रशिक्षणार्थियों को 2 वर्ष 6 माह अवधि का राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का प्रशिक्षण दिया गया जिसमें से 14 प्रशिक्षणार्थी चयनित किये गये । 19 प्रशिक्षणार्थियों को एक माह अवधि का राज्य सेवा साक्षात्कार परीक्षा का प्रशिक्षण दिया गया जिसमें से 10 प्रशिक्षणार्थी चयनित हुये ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि रु. 105.89 का प्रावधान किया गया है जिसके विरुद्ध दिसम्बर 2017 तक रु. 48.40 लाख व्यय किये गये। प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से वर्ष 2017-18 में राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा हेतु 115 प्रश्क्षिणार्थियों को छ: माह अवधि का निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है तथा 60 प्रशिक्षणार्थियों को 2 वर्ष 6 माह अवधि का राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का प्रशिक्षण दिया गया जिसमें से 20 प्रशिक्षणार्थी चयनित हुये।

8.165 मध्यप्रदेश पिछडा वर्ग के व्यवसायिक प्रतिभा पुरस्कार योजना : पिछडे वर्ग के विद्यार्थियों को पी.ई.टी./पी.पी.टी./एम.सी.ए. की परीक्षाओं में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को रूपये 1 लाख, व्दितीय स्थान पाने वाले को रूपये 50 हजार एवं तृतीय स्थान पाने वाले को रूपये 25 हजार की राशि पुरस्कार में दिये जाने की व्यवस्था है । वर्ष 2016-17 में राशि रू. 5.25 लाख का प्रावधान किया जाकर राशि रूपये 1.75 लाख व्यय कर तीन अभ्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है । वर्ष 2017-18 में राशि 5.00 लाख प्रावधान कर 9 अभ्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

8.166 राज्य एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर प्रोत्साहन : योजनान्तर्गत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा परीक्षाओं के विभिन्न चरणों में सफलता प्राप्त करने पर

प्रोत्साहन राशि स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। प्रोत्साहन राशि का विवरण **तालिका 8.16** में दर्शाया गया है ।

तालिका 8.16
प्रोत्साहन राशि

विवरण	स्वीकृत की जाने वाली राशि रूपये में	
	संघ लोक सेवा आयोग	राज्य लोक सेवा आयोग
प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	25000	15000
मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	50000	25000
साक्षात्कार उपरांत चयन होने पर	25000	10000
योग	**100000**	**50000**

वर्ष 2016-17 में 884 अभ्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर राशि रू. 148.65 लाख की राशि व्यय की गई है । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि 152.00 लाख का प्रावधान किया जाकर दिसम्बर 2017 तक 905 अभ्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि स्वीक़ृत की जाकर राशि रूपये 142.45 लाख व्यय किया गया है ।

8.167 पिछडा वर्ग विद्यार्थी मेधावी छात्रवृत्ति : यह योजना वर्ष 2010 से लागू है । योजनान्तर्गत 10 वीं बोर्ड में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र/छात्राओं को रूपये 5 हजार 12 वी के छात्र/छात्राओं को 10 हजार का पुरस्कार प्रमाण पत्र 15 अगस्त, 26 जनवरी को जिला स्तरीय समारोह में दिया जाता है । वर्ष 2016-17 में राशि रू. 16.00 लाख का प्रावधान किया था । जिसके विरूद्ध 15.35 लाख व्यय कर 204 विद्यार्थियों को लाभांवित किया गया है । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में 16 लाख का प्रावधान किया जाकर 204 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

8.168 विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति : चयनित पिछडा वर्ग के विदयार्थियों को विदेशों में विशिष्ट क्षेत्रों में स्नात्तकोत्तर स्तर के पाठयक्रमों/शोध उपाधि एवं शोध (पी.एच.डी.) उपाधि उपरांत कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रतिवर्ष 5 विद्यार्थियों को योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । वर्ष 2012-13 से राज्य शासन द्वारा योजना का लक्ष्य प्रतिवर्ष 5 से बढकर 10 कर दिया गया है । वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 500.00 लाख का प्रावधान किया गया जिसके विरूद्ध 24 विद्यार्थियों (नवीनीकरण सहित) पर 497.82 लाख व्यय किये गये। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 502.00 लाख का प्रावधान किया गया था जिसके विरूद्ध दिसम्बर 2017 तक राशि रूपये 446.73 लाख व्यय किये जाकर 19 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है ।

8.169 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना : प्रदेश में पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को स्वराजगार के रूप में कृषि उद्योग व्यवसाय स्थापित करने हेतु बैंक के माध्यम से ऋण व अनुदान उपलब्ध कराने हेतु यह योजना प्रारंभ की गई है । वर्ष 2016-17 में कुल राशि रू. 2900.00 लाख का प्रावधान किया गया है । जिसके विरूद्ध राशि रु. 2900.00 लाख व्यय की जाकर 2329 हितग्राहियों को अनुदान राशि स्वीकृत कर प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल राशि रु. 2800.00 लाख का प्रावधान किया गया है। जिसके विरुद्ध 1960.00 लाख की राशि आंवटित कर दिसम्बर 2017 तक पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के 1584 हितग्राहियों को लाभांन्वित किया गया है ।

8.170 पिछडे वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण (रोजगार गांरटी योजना) : इस योजना के अन्तर्गत पिछडे वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं निजी स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से विषय की आवश्यकता के अनुसार कौशल विकास हेतु नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 2000.00 लाख का प्रावधान किया गया है । जिसके विरूद्ध 8225 अभ्यर्थियों को नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2000.00 लाख का प्रावधान किया गया है। जिसके विरूद्ध 8525 अभ्यर्थियों को नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है । दिसम्बर, 2017 तक राशि रूपये 1400.00 लाख व्यय किये गये है ।

8.171 राम जी महाजन स्मृति पुरस्कार : पिछडे वर्ग उत्थान एवं विकास के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले पिछडे वर्ग के 16 समाजसेवियों को सम्मानित किया जाता है जिसमें 8 महिला एवं 8 पुरूष सम्मिलित होते है प्रत्येक समाजसेवी को रूपये एक लाख नगद एवं प्रशस्ती से प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है । वर्ष 2016-17 में समाज सेवियों को पुरूस्क़त करने का लक्ष्य रखा गया था किन्तु पुरूस्कार वितरण कार्यक्रम सम्पन्‍न नही होने से राशि समार्पित कि गई है । वित्तीय वर्ष 2017-18 में 16 समाज सेवियों को पुरूस्कत करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि रूपये 20 लाख का प्रावधान रखा गया है । पुरूस्कार वितरण हेतु ज्यूरी का गठन किया जाकर ज्यूरी की बैठक सम्पन्न हुई । पुरूस्कार वितरण कार्यक्रम सम्पन्न होना शेष है ।

8.172 छात्रगृह योजना : विभागीय छात्रावासों में स्थानाभाव के कारण प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों जो पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति एवं विभागीय छात्रावासों में प्रवेश पात्रता रखते हो के लिए छात्रगृह योजना संचालित की जा रही है । योजना के तहत 5 या अधिक के समूह में किराए के भवन में विद्यार्थियों के रहने पर भवन किराया एवं बिजली पानी इत्यादि की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाती है । विभाग द्वारा तहसील, जिला एवं संभाग स्तर के छात्रगृहों हेतु सर्व सुविधायुक्त किराए के भवन का मासिक किराया क्रमांक रूपये 3000/- 4000/- एवं रूपये

5000/- निर्धारित किया गया है । वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 61.17 लाख की राशि व्यय की गई है । तथा 669 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है । वर्ष 2017-18 में राशि रूपये 100.80 लाख का प्रावधान किया गया है । जिसके विरूद्ध दिसम्बर, 2017 तक 579 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाकर राशि रूपये 38.18 लाख व्यय की गई है ।

केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

8.173 पिछडा वर्ग पोस्टमैट्रिक बालक छात्रावास निर्माण : माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा एवं विधानसभा संकल्प 2010 के बिन्दु क्रमांक 42 के पालन में सभी जिला मुख्यालयों पर 100 सीटर बालक पोस्टमैट्रिक छात्रावासों के भवनों की स्थापना की जानी है । केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत प्रदेश के जिलों में 100 सीटर बालक पोस्टमैट्रिक छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य कराया जाना था जिसमें से 48 जिलों मे छात्रावास भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है, तथा शेष 3 जिलों में छात्रावास भवन निर्माणधीन है ।

समस्त जिलों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गयी है । वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 240 लाख का प्रावधान किया गया था । जिसके विरूद्ध रूपये 240 लाख की राशि निर्माण एजेन्सी को हस्तांतरित की गई है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि रूपये 470.00 लाख का प्रावधान किया गया है जिसके विरूद्ध दिसम्बर, 2017 राशि रूपये 149.95 लाख लोकनिर्माण विभाग (पी.आई.यू.) को हस्तातंरित की गई है ।

8.174 पिछडा वर्ग पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास निर्माण : प्रदेश के पिछड़े वर्ग की अध्ययनरत कन्याओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिये केन्द्र योजनान्तर्गत प्रदेश के सभी जिलों में 50 सीटर पोस्टमैट्रिक जिला स्तरीय कन्या छात्रावास स्वीकृत है । प्रदेश के 50 जिलों में छात्रावास भवन पूर्ण हो चुके हैं, शेष 01 जिला में भवनों का निमार्ण कार्य पूर्णता की ओर है ।

वर्ष 2015-16 में संभागीय मुख्यालय इन्दौर में 500 सीटर पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास एवं शाजापुर जिला मुख्यालय पर 50 सीटर पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास भवन निमार्ण की स्वीकृति जारी की गई है । इन्दौर एवं शाजापुर जिले में कन्या छात्रावास भवन निर्माणाधीन है । वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि रू. 473.72 लाख का प्रावधान किया गया था । वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल राशि रू. 1425.00 लाख प्रावधान किया गया है। जिसके विरूद्ध दिसम्बर, 2017 तक राशि रू. 816.90 लाख लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित की गई है ।

अल्पसंख्यक वर्ग का कल्याण

- **मध्यप्रदेश अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार योजना :**
  अल्पसंख्यक समुदाय के विकास एवं कल्याण के क्षेत्र में संलग्न सामाजिक संस्थाएं एवं व्यक्तियों को उनकी उत्कृष्ठ सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवाओं और योगदान प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को तीन मध्यप्रदेश अल्पसंख्यक सेवा पुरस्कार देने की योजना वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रारंभ्म की है जिसमें (1) शहीद असफाक उल्लाह खॉ पुरस्कार (2) शहीद हमीद खां पुरस्कार (3) मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पुरस्कार । प्रत्येक पुरस्कार रूपये 1 लाख का है । गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में 3 समाज सेवियों का ज्यूरी द्वारा चयन कर वर्ष 2015-16 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रतिवर्ष 3 (2 पुरूष एवं 1 महिला) समाजसेवियों को पुरस्कृत करने का लक्ष्य रखा गया है ।

- **अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण (रोजगार गारंटी योजना)** -अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण योजना वर्ष 2012-13 से प्रारम्भ की गई है । वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 360.00 लाख की राशि का व्यय किया जाकर 1600 अभ्यार्थियों को नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया गया है । वित्तीय वर्ष 2017-18 में 400.00 लाख का प्रावधान किया जाकर 1595 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है । दिसम्बर, 2017 तक राशि रूपये 280.00 लाख व्यय किये गये है ।

- **भोपाल में हज हाउस का निर्माण -** भोपाल में सर्वसुविधा युक्त प्रदेश के प्रथम हज हाउस का निर्माण कराया गया है । वर्ष 2016 की हज यात्रा नवनिर्मित हज हाउस से सम्पन्न की गई है । जिसमें 2878+6 हज यात्रियों को हज पर भेजा गया था । मध्यप्रदेश हज कमेटी को सहायक अनुदान हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में 48.40 लाख का प्रावधान किया गया है । जिसके विरूद्ध 48.40 लाख की राशि व्यय की गई । वित्तीय वर्ष 2017-18 40.00 लाख का प्रावधान किया जाकर दिसम्बर, 2017 तक राशि रू. 25.20 लाख व्यय की गई है । वर्ष 2017 में कुल 3741+1 हज यात्रियों को हज पर भेजा गया है ।

- **अल्पसंख्यक बाहुल्य जिले की विकास कार्य योजना :** अल्पसंख्यक बाहुल्य जिले भोपाल के लिए 11 वीं पंचवर्षीय योजनाकाल में स्वीकृत 04 छात्रावास भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा 02 छात्रावास के संचालन की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है । 12 वीं पंचवर्षीय योजना अन्तर्गत 4 अल्पसंख्यक बाहुल्य कस्बों श्योपुर, बुरहानपुर, खरगौन एवं इन्दौर महू केन्ट के लिए लगभग 1400 लाख की योजनाओं की स्वीकृति

भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है । योजना अन्तर्गत निर्माणकार्य प्रारंभ हो चुके है । वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि रू. 600.00 लाख का प्रावधान किया गया है । जिसके विरूद्ध दिसम्बर, 2017 तक 243.00 लाख की राशि व्यय की गई है ।

भारत सरकार की केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाऐं

8.175 मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति : भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी एवं जैन) के निर्धन एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक उत्थान हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मेरिट कम मीन्स योजना वर्ष 2007-2008 से प्रारंभ की गई है इस योजना मे अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे विद्यार्थियों जिनके प्राप्तांक 50 प्रतिशत से अधिक हैं तथा स्वयं/माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक न हो उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है ।

वर्ष 2016-17 में कुल 5765 विद्यार्थियों के प्रस्ताव भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को स्वीकृति हेतु भेजे गये थे । भारत सरकार द्वारा पात्रता अनुसार स्वीकृति दी जाकर राशि हस्तांतरण सीधे ऑनलाईन विद्यार्थियों के द्वारा उपलब्ध कराये गये एकल बैंक खातों में किया गया है । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर, 2017 तक 8433 विद्यार्थियों के ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों को भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली को ऑनलाईन फारवर्ड किया गया है । छात्रवृत्ति का भुगतान भारत सरकार द्वारा सीधे विद्यार्थियों के एकल बैंक खाते में किया जा रहा है ।

8.176 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना : पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2007-08 से प्रारंभ की गई है इस योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, इसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी पारसी एवं जैन)) के प्रतिभावान के विद्यार्थियों को जिनके प्राप्तांक 50 प्रतिशत से अधिक हैं स्वयं/माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये से अधिक न हो उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2016-17 में कुल 29643 विद्यार्थियों के प्रस्ताव भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को स्वीकृति हेतु अग्रेषित किये गये थे । भारत सरकार द्वारा पात्रतानुसार स्वीकृति विद्यार्थियों को स्वीकृत राशि हस्तांतरण सीधे आनॅलाईन विद्यार्थियों के द्वारा उपलब्ध कराये गये । एकल बैंक खाते में किया गया है । वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर, 2017 तक 29406 विद्यार्थियों को ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों को भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली को ऑन लाईन फारवर्ड किया गया है । छात्रवृत्ति का भुगतान भारत सरकार द्वारा सीधे विद्यार्थियों के एकल बैंक खाते में किया जा रहा है ।

8.177 प्रीमैट्रिक छात्रवृत्ति : भारत सरकार की इस योजना के तहत अल्पसंख्यक (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी एवं जैन) वर्ग के निर्धन परिवारों के कक्षा पहली से 10 वीं तक अध्ययनरत प्रति परिवार के अधिकतम दो बच्चों को शैक्षणिक उत्थान हेतु आर्थिक सहायता के रूप में छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पात्रता उन छात्र-छात्राओं को है जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 1.00 लाख रूपये से अधिक न हो । वर्ष 2016-17 में कुल 144011 विद्यार्थियों के प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को स्वीकृति हेतु अग्रेषित किये गये थे । भारत सरकार द्वारा पात्रतानुसार स्वीकृत विद्यार्थियों को स्वीकृत राशि का हस्तांतरण सीधे ऑनलाईन विद्यार्थियों के द्वारा उपलब्ध कराये गये एकल बैंक खाते में किया गया है । वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर, 2017 तक 113783 विद्यार्थियों के आनॅ लाईन प्राप्त आवेदनों को भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली को ऑन लाईन फारवर्ड किया गया है । छात्रवृत्ति का भुगतान भारत सरकार द्वारा सीधे विद्यार्थियों के एकल बैंक खाते में किया जा रहा है ।

सामाजिक न्याय

8.178 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना : यह योजना प्रदेश में वर्ष 1981 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना संचालित की जा रही है। प्रभावशील है । म.प्र. का मूल निवासी हो, 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध,18 वर्ष से 39 वर्ष की आयु की विधवा महिलायें जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हों,18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की परित्यक्त महिलायें, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो,वर्ष 6 से अधिक तथा 18 वर्ष से कम आयु के नि:शक्त व्यक्ति जिनकी नि:शक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं को दी जाने वाली पेंशन अब **'दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि'** के नाम से दी जावेगी,18 वर्ष से 59 वर्ष आयु के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांगजन जिनकी नि:शक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है। (अर्थात 18 वर्ष से 59 वर्ष की आयु के 40 प्रतिशत से अधिक किन्तु 80 प्रतिशत से कम नि:शक्तता धारण करने वाले नि:शक्तजन जो भारत सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है,वृद्धाश्रम में निवासरत समस्त अंत:वासी जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो इस योजनान्तर्गत राशि रूपये 300 प्रतिमाह प्रति हितग्राही को पेंशन दिये जाने का प्रावधान है।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2016-17	22619.36	26183.79	6,30,428
2017-18	46730.00	30039.04 (नवम्बर 17 तक)	6,54,067

8.179 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना प्रदेश में 01.04.2009 से प्रारंभ की जाकर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के नि:शक्तजनो को भारत सरकार के मद से राशि रूपये 300/- प्रति हितग्राही प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है ।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2016-17	6200.00	5313.64	1,12,278
2017-18	6455.00	3540.26 (नवं 17)	1,15,175

8.180 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना : इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना 15 अगस्त 1995 से प्रभावशील है । योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है । योजनान्तर्गत बी.पी.एल. परिवार के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन देने का प्रावधान है।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2016-17	54159.00	489,97.03	16,03,124
2017-18	50317.78	35734.97 (नवं17)	17,71,525

8.181 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना प्रदेश में 01.04.2009 से प्रारंभ की गई है । योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली 40 वर्ष से 79 वर्ष आयु समूह की विधवा पात्र महिलाओं को भारत सरकार के मद से राशि रूपये 300/- प्रति हितग्राही प्रतिमाह पेंशन भुगतान किया जा रहा है।

80 वर्ष एवं अधिक आयु के हितग्राहियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन अंतर्गत राशि रूपये 500/- (केन्द्रांश) प्रतिमाह के दर से प्रदान किया जाता है।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2016-17	39000.00	35130.30	9,65,516
2017-18	37046.10	24919.25 (नवं17)	10,06,092

8.182 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना : प्रदेश में **राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना** दिनांक 15 अगस्त 1995 से प्रभावशील है। इस योजना का मूल उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाऊ सदस्य जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम है, की मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को एक मुश्त सहायता प्रदान करना है। यह केन्द्रीय योजना है, योजना के क्रियान्वयन हेतु शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता भारत सरकार से प्राप्त होती है । योजना को क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य शासन की है । इस योजना के अन्तर्गत परिवार के कमाऊ सदस्य की प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक रूप से मृत्यु होने पर रूपये 20,000/- की एक मुश्त आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है ।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2016-17	7400.00	7399.88	37,000
2017-18	7204.50	4844.52 (नवं17)	22,863

8.183 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना : मध्य प्रदेश शासन द्वारा गरीब,जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु **"मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना"** 1 अप्रैल 2006 से प्रारंभ की गई है।

नवम्बर 2016 से योजनान्तर्गत निम्न व्यवस्था प्रभावशील है :-

- कन्या के दाम्पत्य जीवन की खुशहाली एंव गृहस्थी की स्थापना हेतु राशि रुपये 17000 की राशि अकांउट पेयी चैक के माध्यम से सामूहिक विवाह कार्यक्रम में तत्समय ही कन्या को उपलब्ध कराई जायेगी ।
- विवाह संस्कार के लिये आवश्यक सामग्री (कपडे, बिछिया, पायजेब (चांदी के) तथा 7 बर्तन) रुपये 5000/- (सामग्री की गुणवत्ता और मूल्य का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।)
- सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने के लिये ग्रामीण/शहरी निकाय को व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 3000 ।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2016-17	15436.81	11204.87	48,818
2017-18	14250.00	8279.32 (नवं17)	29,569

8.184 मुख्यमंत्री निकाह योजना : मध्य प्रदेश शासन व्दारा गरीब जरूरतमंद निराश्रित/निर्धन परिवारों की मुस्लिम विवाह योग्य कन्या/विधवा /परित्यक्तता के सामूहिक निकाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है । मुख्यमंत्री निकाह योजना वर्ष 2012 से प्रभावशील की गई है। योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में उल्लेखित व्यवस्था अनुसार ही राशि रूपये

25,000/- प्रदान की जाती है। प्रदेश में मुख्यमंत्री निकाह योजनार्तत अब तक कुल 9398 कन्याओं के निकाह योजनांतर्गत अब तक कुल 9398 कन्याओं के निकाह संपन्न कराये गये।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	**आवंटन**	**व्यय**	**हितग्राही**
2016-17	900.00	329.47	16,066
2017-18	900.00	285.05 (नवं17)	1006

8.185 मुख्यमंत्री मजूदर सुरक्षा योजना : योजनान्तर्गत ऐसे समस्त भूमिहीन खेतीहर मजदूर जिनके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम खेती की भूमि न हो तथा जो जीविकोपार्जन हेतु कृषि, उद्यानिकी, वनरोपज संग्रह आदि में नियोजित होकर कार्य करते हों तथा म.प्र. के निवासी हों, को प्रसूति सहायता, मेधावी छात्रवृत्ति एवं दुर्घटना में मृत्यु होने पर अंत्येष्टी इत्यादि की सहायता दी जाती है । वर्तमान में यह योजना स्वास्थ्य विभाग एंव स्कूल शिक्षा विभाग को अंतरित की गई है ।

8.186 मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना : ऐसे दम्पत्ति जिसमें पति/पत्रि में से किसी भी एक आयु 60 वर्ष या उससे अधिक आयु हो एवं जिनकी केवल जीवित कन्याएं हैं, जीवित पुत्र नहीं हैं, तथा हितग्राही आयकरदाता न हो, को 500/- रूपये प्रतिमाह पेंशन दिये जाने की योजना 1 अप्रैल 2013 से प्रारभं की गई है।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	**आवंटन**	**व्यय**	**हितग्राही**
2016-17	2250.00	2192.15	40,456
2017-18	2420.00	1597.00 (नव 17 तक)	43,970

8.187 बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से नि:शक्त बच्चों एवं व्यक्ति को आर्थिक सहायता : मध्यप्रदेश के सभी 6 वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित नि:शक्त व्यक्ति को 500/- (रूपये पांच सौ) प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जा रही है । योजना में आय सीमा का कोई बंधन नहीं है। यह योजना दिनांक 18.06.2009 से प्रारंभ की गई है। नवम्बर 2017 तक 68046 हितग्राही लाभान्वित हुए।

8.188 नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना : नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन में दम्पति में कोई एक के नि: शक्त होने पर रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) एवं दोनों नि:शक्त होने पर रूपये 1.00 लाख तक एकमुश्त प्रोत्साहन राशि एवं प्रशंसा पत्र देने का प्रावधान है । पात्रता हेतु दम्पति आयकर दाता नहीं होना चाहिए। यदि दम्पति में से एक निशक्त तथा एक

सामान्य है तो ऐसे विवाहको प्रोत्साहित करने हेतु रूपये 2.00 लाख प्रोत्साहन राशि दी जावेगी। योजना पर होने वाला व्यय जिले में संग्रहित निराश्रित निधि से किया जाता है। यदि निःशक्त व्यक्ति मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह करता है तो रू. 25,000/- अतिरिक्त सहायता/सामग्री दिये जाने के प्रावधान भी है। निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना दिनांक 12-08-2008 से प्रारंभ की गई है। वर्ष 2017-18 में नवम्बर 2017 तक 136 हितगाही लाभान्वित हुए।

नगरीय विकास

8.189 प्रधानमंत्री आवास योजना : भारत सरकार आवास और गरीबी उपशमन मंत्रालय एवं राज्य सरकार के सहयोग से आवास योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 35 हजार आवासीय इकाईयों का निर्माण पूर्ण कर शहरी गरीबों को आवंटित किया जा चुका है । 1 लाख 35 हजार आवासीय इकाईयों और भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है । जिनमें से 60 हजार आवासीय इकाईयों का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है । 75 हजार आवासीय इकाईयों के निर्माण हेतु निविदा जारी कर दी गई है । 80 हजार आवासीय इकाईयां और स्वीकृत करने के प्रस्ताव भारत सरकार आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय को प्रेषित कर दी गई है । मार्च 2018 तक प्रदेश में 5 लाख आवासीय इकाईयां बनाया जाना लक्षित है ।

8.190 अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत मिशन) : भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय एवं राज्य सरकार के सहयोग से प्रदेश के कुल 34 शहरों (33 शहर 1 लाख से अधिक जनसंख्या एवं औंकारेश्वर पर्यटन शहर) में अधोसंरचना के विकास के लिए राशि रू. 6200.00 करोड की परियोजना क्रियान्वित किये जाने का अनुमोदन किया गया है । जिसमें पेयजल, सीवरेज, वर्षा जल की निकासी हेतु नालों का निर्माण, परिवहन एवं हरित क्षेत्र का विकास किया जाना है । प्रदेश में अभी तक राशि रू. 800.00 करोड की पेयजल एवं राशि रू. 1800.00 करोड की सीवरेज परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है । मार्च, 2017 तक सभी परियोजनाओं में कार्य प्रारंभ कर मार्च, 2020 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है ।

9

सुशासन एवं कानून व्यवस्था

जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं : मध्यप्रदेश राज्य में 11 केन्द्रीय जेलें, 40 जिला जेलें, 71 उप जेलें एवं 01 खुली जेल कुल 123 जेलें संचालित है। इन जेलों की कुल अधिकृत बंदी आवास क्षमता 27677 बंदियों को रखे जाने की है, जिसके विरूद्ध जुलाई 2017 की स्थिति में 38267 बंदी निरूद्ध थे। इस प्रकार प्रदेश की जेलों में 38.26 प्रतिशत अधिक बंदी परिरूद्ध है।

विभागीय उपलब्धियां:-

9.1 सुरक्षा ऑडिट:- केन्द्रीय जेल भोपाल का सी.आई.एस.एफ. द्वारा सुरक्षा ऑडिट कराया गया एवं सभी केन्द्रीय जेलों का राज्य स्तर से अतिरिक्त महानिदेशक जेल की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से सुरक्षा ऑडिट कराया गया। सुरक्षा ऑडिट में प्राप्त सुझावानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

9.2 सुरक्षा अमले में वृद्धि:- मध्यप्रदेश की जेलों के लिए सुरक्षा हेतु वर्ष 2016-17 में राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ-02/(बी)13/2014/3/जेल, दिनांक 04 जून 2016 द्वारा 05 उप जेल अधीक्षक, 36 सहायक जेल अधीक्षक, 184 मुख्य प्रहरी एवं 670 प्रहरियों के नवीन पदों को सृजित किया गया।

9.3 नवीन पदों की पूर्ति:- मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जेल संयुक्त परीक्षा के माध्यम से वर्ष 2016 में 871 प्रहरी एवं अन्य संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही की गई, साथ ही मध्यप्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित 06 जिला जेल अधीक्षक एवं 46 सहायक जेल अधीक्षकों की नियुक्ति की कार्यवाही की गई। साथ ही मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा संयुक्त चयन परीक्षा 2016 के माध्यम से 04 सहायक ग्रेड-3, 01 स्टेनोग्राफर एवं 01 स्टेनोटाईपिस्ट की नियुक्ति की कार्यवाही की गई। वर्ष 2017 में प्रहरियों के 940 एवं अन्य संवर्ग के 22 रिक्त पदों की पूर्ति मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

9.4 चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति एवं मानदेय में वृद्धि:- जेलों में चिकित्सकों के रिक्तपदों की पूर्ति के प्रयास किए जा रहे हैं। जेलों में चिकित्सकों की मानदेय रूपये 500/- के स्थानपर रूपये 700/- प्रतिदिन (माह में अधिकतम 10 दिवसों हेतु) किया गया।

9.5 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण:- प्रदेश में अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु क्षेत्रीय जेल प्रबन्धन एवं शोध संस्थान, भोपाल में स्थापित है। प्रहरियों को प्रशिक्षण देने के लिए जेल प्रशिक्षण केन्द्र सागर में स्थापित है। इसके अतिरिक्त आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी भोपाल, आर.ए.पी.टी.सी. इंदौर, सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण अकादमी

टेकनपुर जिला-ग्वालियर तथा अन्य राज्यों में स्थापित प्रशिक्षण संस्थानों में भी जेल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिये भेजा जाता है।

जेल विभाग द्वारा जनवरी 2016 से जून 2017 की अवधि में आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी भोपाल में 40 अधिकारियों को फाउंडेशन कोर्स का प्रशिक्षण, 200 अधिकारियों/कर्मचारियों को 05 दिवसीय प्रशिक्षण, आर.ए.पी.सी. इंदौर में 500 प्रहरियों को आधारभूत प्रशिक्षण, बी.एस.एफ. टेकनपुर, ग्वालियर में 275 प्रहरियों का आधारभूत प्रशिक्षण, 600 प्रहरी/मुख्य प्रहरियों को आर्म्स प्रशिक्षण, 250 प्रहरियों को रिफ्रेशर कोर्स का प्रशिक्षण दिया गया।

9.6 वर्ष 2017-18 में किए जाने वाले सुरक्षा निर्माण कार्य:- विभाग द्वारा जेलों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ करने के साथ-साथ बंदियों की आवास क्षमता में वृद्धि के प्रयास सतत रूप से किए जा रहे हैं। इस हेतु वर्ष 2017-18 में जेलों में 36 नए बैरक, सुरक्षा गार्डरूम, सी.सी.टी.वी. कंट्रोल रूम, वॉच टावर एवं केन्द्रीय जेलों में दोहरी दीवार निर्मित करना प्रस्तावित है, जिसके लिए लोक निर्माण विभाग के बजट में राशि रू. 20.00 करोड का प्रावधान रखा गया है।

9.7 वर्ष 2017-18 में इंदौर में केन्द्रीय जेल एवं बुरहानपुर में जिला जेल का निर्माण:- इंदौर में सांवेर रोड पर विगत वर्षों से अधूरी निर्मित केन्द्रीय जेल के भवन के निर्माण कार्य को वर्ष 2017-18 में पुन: प्रारंभ कर पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए राशि रू.30.00 करोड लोक निर्माण के बजट में प्रावधानित की गई है। इसी प्रकार जिला मुख्यालय बुरहानपुर में कोई जेल नहीं थी, वहां जिला जेल के भवन के निर्माण को प्रारंभ करने हेतु राशि रू. 9.00 करोड प्रावधानित की गई है।

9.8 पर्सपेक्टिव प्लान :- इस योजना के अंतर्गत मुख्यत: शिवपुरी, भिण्ड, अनूपपुर एवं बुढार में नई जेलों का निर्माण कार्य एवं सतना में 28 बैरकों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिन्हे वर्ष 2017-18 में पूरा कराए जाने के लिए राशि रू. 10.00 करोड का प्रावधान रखा गया है। इससे स्थानीय बंदियों को आवास की सुविधा होगी।

9.9 नई जेलों का निर्माण :- प्रदेश में वर्तमान में 41 जेलें पुरानी हैं, जिनमें से शहर की घनी आबादी में आ चुकी 17 जेलों को मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मंडल के माध्यम से पुनर्धनत्वीकरण की योजना में शहरों के बाहर सुरक्षित एवं आधुनिक मापदण्डों के अनुसार बनाया जाना प्रस्तावित है।

9.10 खुली जेल कॉलोनी:- बंदियों में अनुशासन तथा उनमें जवाबदार नागरिक की भावना विकसित करने के लिए होशंगाबाद में खुली जेल कॉलोनी का निर्माण कर कुल 25 बंदियों की अपने परिवार के साथ रहने की व्यवस्था की गई है। यह प्रयोग अत्यंत ही सफल साबित हुआ है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए सतना में 25 बंदियों को उनके परिवार सहित रहने के लिए खुली जेल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका लगभग 75 प्रतिशत निर्माण हो चुका है।

9.11 बंदियों के पारिश्रमिक दरों में वृद्धि:- वर्ष 2016-17 में जेल उद्योग कार्य में लगे कुशल बंदियों के लिए रूपये 55/- से बढाकर रू. 110/-,जेल सेवा/ उद्योग कार्य में लगे अकुशल बंदियों के लिए रू. 50/- से बढाकर रू. 62/- तथा कृषि कार्य में लगे बंदियों के लिए रू. 55/- से बढाकर रू. 62/- किया गया।

9.12 बंदियों द्वारा निर्मित झांकियों को पुरूस्कार:- नमामि देवि नर्मदे अभियान पर आधारित विषय पर बंदियों के श्रम से निर्मित झांकी को राज्य स्तरीय प्रथम पुरूस्कार से सम्मानित किया गया। संभागीय एवं जिला स्तरों पर तैयार झांकियों को भी प्रथम,द्वितीय पुरूस्कार प्राप्त हुए।

9.13 मानव संसाधन पुनर्सरचना रिपोर्ट:- जेल विभाग में कार्यरत विभिन्न संवर्गो के मानव संसाधन का मॉडल प्रिजन मैन्युल तथा उच्च स्तरीय समितियों की अनुशंसाओ/उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के संदर्भ में विश्लेषण कर राज्य शासन को जुलाई 2017 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें प्रमुखत: दृष्टिपत्र 2025 एवं जेल नीति 2017 के अनुक्रम में एक सुप्रशिक्षित,संसाधन संपन्न,यथेष्ट प्रेरित जेल प्रशासन हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए है।

पुलिस विभाग :

9.14 राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल वाहिनी की स्थापना (आई.डी.क्रमांक 8110 एस. एस.): राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल वाहिनी की स्थापना **(7185)** हेतु वर्ष 2017-18 में प्राप्त राशि रु. 79.89 करोड है जिसमें से व्यय राशि रु. 7.94 करोड रही एंव योजना की भौतिक उपलब्धियां निम्न है :

प्रथम वाहिनी रा.औ.सु.बल रीवा हेतु ग्राम भटलो में भूमि आंवटित हो चुकी है एंव द्वितीय वाहिनी सिंगरौली हेतु देवसर एंव कनई में भूमि आंवटित हो चुकी है। भोपाल में आवंटन कार्य अभी प्रकियाधीन है। वर्तमान में वि.सु. बल से 382 अधिकारी /कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर विभिन्न संस्थानों में तैनात है। आज दिनांक तक राशि रु. 559171334 /- का राजस्व प्राप्त कर शासन के खाते में जमा कराया जा चुका है।

9.15 सायबर अपराध अन्वेषण योजना आई.डी.क्रमांक 4065 (एस.एस.) : विश्व में सूचना प्रौद्योगिकी की तेजी से विकास के साथ-साथ कम्प्यूटर तथा सूचना तंत्रों पर आधारित अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है इन अपराधों से निपटनें हेतु भारत सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 तथा संशोधित कानून 2008 लागू हो गया है। वर्ष 2012 को राज्य सायबर पुलिस के अंतर्गत सायबर एंव उच्च तकनीकि अपराध पुलिस थानें का गठन किया गया है जिसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये इस योजना में कुल राशि रु. 207 लाख का बजट प्रावधान किया गया है जिसके विरुद्ध राशि रु. 205 लाख का व्यय किया गया है । भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध सायबर अपराधों की संख्या में वर्ष 2006 एंव 2007 में मध्यप्रदेश प्रथम

स्थान पर था। राज्य सायबर पुलिस को ई-मेल आईडी हैकिंग इंटरनेट बैंकिग फ्रॉड जॉब फ्रॉड अश्लील फेसबुक /आरकुट प्रोफाईल मानहानि अश्लील एस.एम.एस. मोबाइल चोरी डिफेमिंग संबंधी शिकायतें प्राप्त होती है । तकनीकि रूप से सक्षम समस्त संसाधनों के साथ 5 जोनल स्तर भोपाल इंदौर ग्वालियर जबलपुर उज्जैन पर राज्य सायबर पुलिस के कार्यालय की स्थापना करने से इन अपराधों पर त्वरित रूप से प्रभावी रोक लगाई जा रही है।

9.16 हुडको लोन से पोषित आवासीय योजना (आई.डी.क्रमांक3059 एस.एस.) : पुलिस की आवासीय योजना के लिये शासन द्वारा 2016-17 में 280 करोड राशि उपलब्ध कराई गयी है । मुख्यमंत्री पुलिस आवासीय योजना के अंतर्गत 25000 आवासगृहों के प्रथम चरण के 5000 पुलिस आवासगृहों का निर्माण प्रारंभ किया जा रहा है। जिसके लिये वित्तीय वर्ष 2017-18 में 363.00 करोड का बजट प्रावधान हुआ है।

9.17 फायरिंग रेंज का विकास (आई.डी.क्रमांक 10020 डी.एस.) : फायरिंग रेंज की सतह उबड-खाबड होने एंव आवारा पशुओं के विचरण करने जिससे कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित होने की संभावना के साथ-साथ फायरिंग सामग्री की सुरक्षा हेतु स्टोर रूम आदि मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रत्येक जिले में फायरिंग रेंज के विस्तार की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये राज्य योजना आयोग द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार योजना वर्ष 2014-15 में मध्यप्रदेश के विकेन्द्रीकृत जिला स्तरीय योजना के तहत योजना आयोग द्वारा 2015-16 की योजना सीमा के अंतर्गत नवीन फायरिंग रेंजों के निर्माण तथा पूर्व से संचालित फायरिंग रेंजों की उन्नयन हेतु राशि रु. 10.00 करोड की परियोजना स्वीकृत की गई ।

9.18 क्षमता निर्माण एंव दक्षता विकास (आई.डी.क्रमांक 9117 एस.एस.) : पुलिस विभाग(कल्याण शाखा) द्वारा दो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें भोपाल एंव इंदौर में संचालित की जा रही है। इस योजना के द्वारा पुलिस विभाग में कार्यरत पुलिस कर्मचारियों के पुत्र-पुत्रियों को गुणवत्ता मूलक और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हे दक्ष एंव कार्यकुशलता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना । पुलिस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से युवक /युवतियों को तकनीकि एंव गैर तकनीकि वयवसायों में व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर रोजगार /नौकरी प्रतिष्ठानों के लिये शिक्षित दक्ष /कुशल कर्मी तैयार करना ।यह योजना राशि रु. 998.45 लाख लागत की है जिसमें से अभी तक 926.61 लाख राशि प्राप्त हुई है। शासन द्वारा कोई बजट प्रावधान नहींकिया गया है ।

9.19 स्ट्रेथिंग होम लैण्ड सिक्यूरिटी : वर्तमान समय में सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के कारण आर्थिक अपराध सामाजिक अपराधोंके ट्रेंड में काफी परिवर्तन आने के कारण आंतरिक सुरक्षा के समक्ष एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। संगठित अपराध जघन्य मामले (वामपंथी /साम्प्रदायिक गतिविधियां) मादक पदार्थों की तस्करी एंव वन्य जीव अपराध तथा कानून-व्यवस्था अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ करने हेतु विशेष शाखा पुलिस मुख्यालय

द्वारा विशेष शाखा एंव नवीन विशिश्ट इकाइयों के लिये एंटीग्रेटेड सिक्यूरिटी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करना तथा आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में व्यावसायिकता एंव दक्षता के उन्नयन हेतु होमलेण्ड सिक्यूरिटी योजना कुल लागत राशि 13629.00 लाख रुपये प्रारंभ की गई है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में योजनांतर्गत आंवटित राशि रुपये 28.08 करोड वृहद निर्माण कार्य रुपये 8.03 करोड वाहनों के क्रय मद में रुपये 4.50 करोड एंव उपकरणों के क्रय हेतु रुपये 3.39 करोड आवंटित किया गया है ।

9.20 विशेष सशस्त्र बल तथा अन्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं का पुर्नगठन (**आई.डी.क्रमांक 8106 एस.एस.**) : योजनांतर्गत प्रशिक्षित कर्मचारियों के द्वारा राज्य स्तरीय परेड स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस शहीद दिवस फालो गार्ड आदि महत्वपूर्ण उपलक्ष्यों पर बैण्ड पार्टी का उपयोग किया जाता है। 13 वीं वाहिनी विसबल ग्वालियर एंव म.प्र. पुलिस बैण्ड स्कूल भोपाल में निर्माण कार्य के अंतर्गत भवन निर्माण कराये जा रहे हैं ।

विशेष सशस्त्र बल के अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में कर्मचारी /अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण एंव गैर तकनीकि प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जो विपरीत परिस्थितियों से निपटने एंव कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करता है।

डी.पी.आर. के अनुसार वार्षिक योजनांतर्गत 2017-18 से 2020 तक परियोजना की शेष राशि रु. 76.43 करोड से विसबल प्रशिक्षण संस्थाओं में कराये जा रहे वृहद निर्माण कार्यों को पूरा किया जावेगा।

9.21 अश्वारोही एवं श्वान दलों का पुर्नगठन (**आई.डी.क्रमांक 8106 एस.एस.**) : 23 वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल भोपाल स्थित श्वान दल के अंतर्गत मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात श्वानों का कानून व्यवस्था डियूटियों में महत्वपूर्ण योगदान होने है। चोरी डकैती धरपकड लूट जैसे बडे अपराधों में श्वानों की भूमिका सराहनीय रहती है। अत: इनका चुस्त दुरुस्त स्वस्थ एंव फुर्तीला होना आवश्यक है जिसके लिये शासन द्वारा योजनायें क्रियांन्वित रहतीं हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु इस योजना हेतु कोई बजट प्रावधान नहीं हुआ है।

9.22 बडे शहरों एंव संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा (**आई.डी.क्रमांक 4066 एस.एस.**) : वर्तमान परिवेश में आतंकियों एंव जेहादियों एंव अन्य आपराधिक तत्वों पर सतत निगरानी हेतु आधुनिक तकनीकि पर आधारित इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सर्विलेंस सिस्टम प्रतिष्ठापित कराये जा रहे हैं। इसी संदर्भमें विगत पंचवर्षीय योजना बडे शहरों की सुरक्षा के अंतर्गत 11 शहरों (भोपाल इंदौर ग्वालियर एंव जबलपुर उज्जैन देवास कटनी सिंगरौली खंडवा एंव औंकारेश्वर सागर) में सिटी सर्विलेंस सिस्टम की प्रतिस्थापना कराई जा चुकी है। योजनांर्तगत शहरों के मुख्य चौराहों पर कैमरे लगाये गये हैं । वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न मदों में योजना की कुल राशि 108.00 करोड रु. का प्रावधान हुआ है।

9.23 केंद्रीयकृत 100 नंबर पुलिस सहायता सेवा व्यवस्था (9111) : डायल-100 योजना के अंतर्गत भोपाल में पुलिस दूरसंचार भवन में 110 सीट का एक अत्याधुनिक राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है । इसमें विश्व की सर्वोत्तम तकनीकि जैसे **CTI, CAD, GIS, VOICE, LOGGER** आदि स्थापित की गई है । जनता की सेवा एंव सहायता के लिये पूरे प्रदेश में 1000 सुसज्जित **First Responce Vehicle (FRV)** तैनात किये गये है जो कि 24 घंटे डयूटी पर तैनात रहतें हैं तथा आवश्यकता पडनें पर 5 मिनट में पुलिस सहायता उपलब्ध करातें हैं । 31 अगस्त 2017 तक 32.64 लाख पीडितों एंव जरूरतमंदों को पुलिस सहायता प्रदान की गई है। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में 108.00 आवंटन प्राप्त हुआ है।

9.24 योजना क्रमांक 7344 राजमार्गों की सुरक्षा /संरक्षा (**आई.डी.क्रमांक 9109 एस.एस.**) : माननीय मुख्यमंत्री म.प्र. शासन की मंशानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य के महत्वपूर्ण राजकीय मार्गों पर हाईवे सुरक्षा एंव सहायता केन्द्र बनाना प्रस्तावित है जिससे हाईवे पर लूट डकैती दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की असुरक्षा आदि आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके ।

9.25 योजना क्रमांक 7186 (**05 बडे शहरों में यातायात प्रबंधन**) : प्रदेश के 05 बडे शहरों इंदौर भोपाल ग्वालियर जबलपुर उज्जैन में यातायात व्यवस्था सुदृढीकृत करने हेतु चिन्हित चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा इत्यादि लगाये जाने की योजना प्रस्तावित है एंव योजनांतर्गत 11 यातायात थाने एंव 04 ट्रॉफिक मैनेजमेंट डाटाबेस सेंटर के भवन निर्माण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

9.26 फोरेंसिक साइंस के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य /क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के उन्नयन एंव नवीन क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना (7184) : वर्तमान में फोरेंसिक प्रयोगशालायें सागर भोपाल इंदौर एंव ग्वालियर में कार्यरत हैं । माह जनवरी 2017 से क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला जबलपुर ने भी कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 200.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है इसमें से रु. 90.00 लाख से उपकरणों के क्रय की प्रक्रिया प्रगति पर है तथा रु. 110.00 लाख से क्रय किये जाने वाले उपकरणों के तकनीकि स्पेसिफिकेशन बनाये जा रहे हैं ।

9.27 नारकोटिक्स शाखा का पुर्नगठन (**आई.डी.क्रमांक 9112 डी.एस.**) : प्रदेश में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार की रोकथाम करने नशा एंव नशे से व्याप्त सामाजिक बुराईयों के प्रति जनजागृति लाई जाने नशे के आदी व्यक्तियों का पुर्नवास करने हेतु नारकोटिक्स शाखा के पुर्नगठन की कार्ययोजना तैयार की गई है। नारकोटिक्स शाखा हेतु संचालनालय निर्माण कार्य इंदौर मंदसौर नीमच जिलों में प्रगति पर है।

9.28 ग्रंथालयों का पुर्नगठन एंव सुदृढीकरण (2012-17) आई.डी.क्रमांक 8104 (एस.एस.) : वर्तमान में पुलिस को अपराध नियंत्रण के साथ ही आंतकवाद तथा नक्सलवाद जैसी ज्वलंत

समस्याओं से जूझना पड रहा है इससे निपटने के लिये पुलिसकर्मियों को शारीरिक एंव मानसिक रूप से मजबूत होना अत्यावश्यक है। जिसके द्वारा वे अपना उत्कृष्ठ प्रर्दशन कर सकें । पुलिस ग्रंथालयों के माध्यम से अपराध के नये तरीके आपराधिक अनुसंधान एंव सहविषयों पर संबंधित साहित्य का अध्ययन कर पुलिस अभ्यर्थियों में कौशल आत्मविश्वास एंव आत्मबल में वृद्धि होती है।

ग्रथांलय का भावी योजनाओं में ग्रंथालय भवन का विस्तार एंव ग्रंथालयीन सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु तकनीकि एंव व्यावसायिक दक्ष कर्मचारियों की नियुक्ति होना शेष है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस योजना के लिये 4 लाख बजट राशि का प्रावधान हुआ है उक्त प्रावधानित राशि से पुलिस ग्रंथालयों हेतु 594 पुस्तकों का क्रय किया गया ।

9.29 समेकित पुलिस प्रशिक्षण काम्प्लेक्स का निर्माण (आई.डी.क्रमांक 4067 एस.एस.) : मध्यप्रदेश पुलिस में प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं की काफी कमी होने व प्रशिक्षण स्तर में सुधार हेतु इन्ट्रीगेटिव पुलिस ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स ग्राम भौंरी भोपाल में बनाने का निर्णय वर्ष 2008 में लिया गया था । जिसका उदघाटन 10 जून 2013 में माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया था । अकादमी में विभाग के सभी प्रशिक्षण संबंधी कोर्स कराये जाने व संस्थान को राष्ट्रीय स्तर का उत्कृष्ठ प्रशिक्षण संस्थान के रूप में स्थापित करने के उद्येश्य से नाम परिवर्तन कर **मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी** रखा गया । अकादमी हेतु आवर्ती एंव अनावर्ती की व्यवस्था मध्यप्रदेश पुलिस को आवंटित वार्षिक बजट से की जाती रही है ।

9.30 महिला विरुद्ध अपराध सेल का गठन (7342) : प्रदेश स्तर पर महिलाओं के विरुद्ध घटित हो रहे अपराधों की संख्या में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि व हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर हुई शर्मनाक घटनाओंक के परिप्रेक्ष्य में इस मुददे पर समाज की संवेदनशीलता के दृष्टिगत इसकी रोकथाम एंव प्रभावी नियंत्रण हेतु महिला अपराध शाखा का गठन पुलिस मुख्यालय स्तर पर किया गया है एंव राज्य योजना आयोग द्वारा **महिला विरुद्ध अपराध सेल का गठन** परियोजना स्वीकृत की गई है । इस नवीन परियोजना के माध्यम से महिलाओं के साथ बलात्कार अपहरण छेडछाड एंव मानव तस्करी के अपराधों का अन्वेषण संवेदनशीलतापूर्ण एंव त्वरित निराकरण हेतु वरिष्ट स्तर पर पर्यवेक्षण अनुश्रवण एंव अध्ययन तथा समीक्षा हेतु पुलिस महानिरीक्षक महिला अपराध जोन का गठन किया जा रहा है। महिला अपराध शाखा का गठन अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक महिला अपराध जोन भोपाल इंदौर ग्वालियर एंव जबलपुर के लिये कार्यालय भवन निर्माण का कार्य प्रक्रियाशील है ।

9.31 नवगठित 36 वीं भारत रक्षित वाहिनी विसबल बालाघाट : इस योजना का प्रमुख ध्येय मध्यप्रदेश के नक्सल प्रभवित क्षेत्रों तथा प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को प्रशस्त बनाना है । मध्यप्रदेश के प्रभावित क्षेत्र के जिले मुख्यत: बालाघाट मण्डला डिण्डोरी उमरिया सिंगरौली आदि नक्सल समस्या से पीडित हैं। विगत दो दशकों से नक्सली गतिविधियों की वजह से इन क्षेत्रों तथा समीपवर्ती क्षेत्रों में भी दहशत की स्थिती बनी रहती है । इन गतिविधियों की रोकथाम के लिये उल्लेखनीय है कि 04 अगस्त 2015 को माननीय मुख्यमंत्री जी की

अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में विशेष भारत रक्षित वाहिनी को बालाघाट जिले के ग्राम कनकी में स्थित एंव स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। मध्यप्रदेश शासन का आदेश क्रमांक एफ. 3-02/2017/बी-3/दो भोपाल दिनांक 01-07-2017 के द्वारा इस वाहिनी के नवनिर्माण के लिये राशि रु. 69.00 करोड की डी.पी.आर. स्वीकृत की गई है । वर्तमान में वीहिनी कार्यालय पुलिसलाइन के कक्ष में संचालित है ।

9.32 पुलिस परेड ग्राउंड में बाउण्ड्रीवॉल : मध्यप्रदेश पुलिस गृह विभाग के अंतर्गत 51 जिला इकाइयों के पुलिस परेड ग्राउण्ड के उन्नयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम अनुपूरक अनुमान में 1.64 करोड का बजट प्रावधान हुआ है । उक्त प्रावधानित राशि से जिलों एंव पुलिस लाइनों के नजदीक परेड ग्रांउड में बाउण्ड्री वॉल का निर्माण किया जाना है ।

10 मानव विकास

10.1 प्रगति का मुख्य लक्ष्य मानव विकास है और मानव विकास एक ऐसा संसाधन है, जिसके बिना प्रगति संभव नहीं । मानव विकास जहां एक ओर इन्सान की मौजूदा जरूरतों को पूरा करता है वहीं दूसरी ओर यह भविष्य में समाज को प्रगति की ओर ले जाने में मदद करता है । मानव विकास मध्यप्रदेश के लिये बहुत प्रासंगिक हैं। सामाजिक सूचकों की दृष्टि से मध्यप्रदेश दूसरे समृद्ध राज्य से बहुत पीछे है । इस पिछड़ेपन को दूर करने हेतु मानव संसाधनों पर ध्यान केन्द्रित करना तथा उसके लिये आवश्यक क्षेत्रों के विकास के लिये प्रभावशाली कदम उठाना राज्य की प्राथमिकता है ।

10.2 मानव विकास के संकेतांक: वर्ष 2010 से पहले मानव विकास संकेतांक में तीन आयामों को शामिल किया गया था । जनसंख्या, स्वास्थ्य और लम्बी उम्र के लिये जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ज्ञान और शिक्षा के लिये वयस्क साक्षरता दर (2/3 भारांक के साथ) तथा प्राथमिक, माध्यमिक एवं तृतीयक कक्षाओं में सकल नामांकन दर (1/3 भारांक के साथ) एवं जीवन स्तर के लिये क्रय सहित समानता पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का प्राकृतिक लघुगणक को संकेत के रूप में लिया गया था ।
इन तीन संकेतांकों का औसत ही मानव विकास सूचकांक माना गया था ।

2010 की मानव विकास रिपोर्ट में यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए एक नई विधि का उपयोग शुरू किया। निम्नलिखित तीन सूचकांक इस्तेमाल किये गये हैं:

1. जीवन प्रत्याशा सूचकांक: जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। जन्म के समय न्यूनतम जीवन प्रत्याशा 20 साल ली गई है जबकि जन्म के समय अधिकतम जीवन प्रत्याशा 85 साल और जीवन प्रत्याशा सूचकांक 0 से 1 होगा ।

2. शिक्षा सूचकांक (ईआई):

2.1 विद्यालयी शिक्षा के वर्ष का सूचकांक (MYSI): MYS स्कूली शिक्षा के साल का एक व्यक्ति ने 25 साल की उम्र तक कितने वर्ष स्कूल में शिक्षा के लिये व्यतीत किये हैं।

विद्यालय शिक्षा के वर्षों के सूचकांक पंद्रह साल लिए गए हैं । जो कि इसकी अधिकतम का लिमिट 2025 के लिये हैं ।

2.2 Expected year of schooling (EYSI): EYS: स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष (एक 5 वर्षीय बच्चे को अपने जीवन भर में स्कूल में व्यतीत किये जाने वाले वर्षों की अधिकतम सीमा) अठारह साल के लिए है जो कि अधिकांश देशों में एक मास्टर की डिग्री प्राप्त करने के लिए बराबर है । इस सूचक की अनुमानित अधिकतम सीमा है।

3. आय सूचकांक (GNIpc): प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति समता में सकल राष्ट्रीय आय (अमेरिका $ में). प्रति व्यक्ति न्यूनतम जीएनआई $ 100 ली गई है, जबकि प्रति व्यक्ति अधिकतम जीएनआई $ 75,000 ली गई है ।

अंत में, मानव विकास सूचकांक में पिछले तीन सामान्यीकृत सूचकांकों के ज्यामितीय मीन है।

10.3 मध्यप्रदेश में मानव विकास सूचकांकों के संकेतांक : मध्यप्रदेश ने मानव विकास में लगातार प्रगति की है, जिसका प्रमाण यह है कि विकास सूचकांक वर्ष 1981 में 0.245 था जो 2011 में 0.451 तक पहुंच गया है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 0.504 मापा गया है।

मध्यप्रदेश में मानव विकास सूचकांकों के संकेतांकों में निरतंर प्रगति हुई हैं । वर्ष 1995 में जब मानव विकास सूचकांकों के आधार पर प्रदेश को देखा गया तो राज्य अन्य राज्यों की तुलना में काफी पिछड़ा राज्य था । पिछले 15-16 वर्षो में प्रदेश मानव विकास के इन सूचकांकों यथा साक्षरता, स्वास्थ्य पोषण तथा प्रति व्यक्ति आय में बढौतरी हुई है । हालांकि अभी भी देश के औसत मानव विकास सूचकांक से राज्य काफी पिछड़ा है । प्रदेश में ऐसे भी क्षेत्र है जहां बडी संख्या में वन हैं, एवं वहां बडी संख्या में अनुसूचित जाति जनजाति के लोग निवास करते हैं । राज्य की भौगोलिक स्थितियां कृषि के लिये अधिक अनुकूल नहीं हैं । यह सब परिस्थितियां मानव विकास की बढौतरी में बाधा पैदा करती है । मध्यप्रदेश में मानव विकास में सूचकांक में की गयी प्रगति को **तालिका 10.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 10.1

मानव विकास सूचकांक

वर्ष	1981	1991	2001	2007-08	2011	2015
मध्यप्रदेश	0.245	0.328	0.394	0.375	0.451	0.557

असमानता समायोजित HDI, मानव विकास के विवरणात्मक आयामों को समाहित करने के उद्देश्य से बनाया गया है । मध्यप्रदेश देश के 19 प्रमुख राज्यों के वर्ष 2011 के मानव विकास सूचकांक तथा असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक में सोलहवें और उन्नीसवें पायदान पर हैं ।

असमानता को समायोजित करने से मध्यप्रदेश का HDI, 35.74 प्रतिशत कम हो गया है, जबकि देश का HDI 32% कम हो गया है। जो कि प्रदेश में अधिक असमानता को दर्शाता है।

वर्ष 2014 में भारत मानव विकास में 188 देशों में 130वें पायदान पर है । भारत की स्थिति 2013 के मुकाबले में सुधरी है । भारत पांच पायदान घटकर वर्ष 2014 में 135वें पायदान से 130वें पायदान पर आ गया है । असमानता को समायोजित करने के पश्चात भारत का HDI लगभग 25% नीचे सरक गया । शिक्षा का HDI में अधिकतम असमानता पाई गई ।

10.4 मध्यप्रदेश का मानव विकास संकेतांक स्तर :

10.4.1 शिक्षा: शिक्षा मानव विकास के स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान देती है । शिक्षा के दो ही ऐसे संकेतांक है, जो किसी क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकीय रूप में दर्शाते है ।

- विद्यालयी शिक्षा के वर्ष (25 साल की उम्र तक कितने वर्ष स्कूल में शिक्षा के लिये व्यतीत किये गये)
- विद्यालयी शिक्षा के अपेक्षित वर्ष (5 साल की आयु से जीवन भर में स्कूल में शिक्षा के लिये व्यतीत किये जाने वाले वर्षों की अधिकतम सीमा)

  म.प्र. शिक्षा के एच.डी.आई. में 15वें स्थान पर है तथा असमानता समायोजित शिक्षा के एच.डी.आई. में 16वें स्थान पर है ।

उपरोक्त में से साक्षरता के आंकड़े जनगणना 2011 में 69.3 प्रतिशत रूप में ली गयी है, वही नामांकन दर के लिये हमें विभक्त आंकड़ों को संचालित करना होता है। वर्ष 2007–08 में जहां प्राथमिक स्कूलों में सकल नामांकन दर 153.44 थी वर्ष 2010–11 में इसका प्रतिशत गिरकर 136.6 हो चुका है। माध्यमिक में यह प्रतिशत 99.98 प्रतिशत से बढ़कर 101.4 जा चुका है। बालिकाओं का भी सकल नामांकन दर प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं दोनों में ही बढ़ा है।

- **साक्षरता** : पिछले दशक की तुलना में साक्षरता का प्रतिशत वर्ष 2001 व 2011 के मध्य अधिक तेजी से बढ़ा है। मध्यप्रदेश में 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में साक्षरता का प्रतिशत 64 से बढकर 69.3 रहा, जबकि महिला साक्षरता का प्रतिशत 50 से बढकर 59.2 प्रतिशत हो गया है।

- **नामांकन** : वर्ष 2015-16 में प्राथमिक स्तर पर बच्चों का सकल नामांकन अनुपात (Net Enrolment Ratio- NER) लगभग 94.47 प्रतिशत रहा। प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जनजाति श्रेणी के बच्चों के सकल नामांकन अनुपात (Net Enrolment Ratio- NER) 97.71 प्रतिशत रहा। प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के बच्चों का शुद्ध नामांकन अनुपात 97.91 प्रतिशत से बढकर 99.69 प्रतिशत हो गया तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों का प्रतिशत 118.09 से घटकर 98.87 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2015-16 में जी.ई.आर. एंव एन.ई.आर. कम हुआ है ।

राज्य में साक्षरता, विशेषकर महिलाओं की साक्षरता मे वृद्धि हेतु अधिक प्रयास किये जाने आवश्यक है। प्रदेश शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने विशेषकर बालिकाओं के शिक्षा के लिये अच्छा वातावरण तैयार करने की दिशा में प्रयत्नशील है ।

10.4.2 जीवन प्रत्याशा सूचकांक: जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। जन्म के समय न्यूनतम जीवन प्रत्याशा 20 साल ली गई है जबकि जन्म के समय अधिकतम जीवन प्रत्याशा 85 साल और जीवन प्रत्याशा सूचकांक 0 से 1 होगा ।

नवीनतम अनुमान के अनुसार मध्यप्रदेश में जीवन प्रत्याशा पुरूषों के लिये 63.2 वर्ष तथा महिलाओं के लिये 66.5 वर्ष (2011 से 2015 के मध्य) रही जो भारतवर्ष की तुलना में 3.7 वर्ष पुरूषों में तथा 3.5 वर्ष महिलाओं में कम है। शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में जीवन प्रत्याशा लगभग 5.9 वर्ष अधिक है। भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 में राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर 37 के विरूद्ध मध्यप्रदेश में अनुमानित शिशु मृत्यु दर 50 रही जो कि अन्य प्रांतों की तुलना में सर्वाधिक है । ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर 41 के विरूद्ध मध्यप्रदेश में शिशु मृत्यु दर 54 रही जबकि शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर 25 की तुलना में मध्यप्रदेश में शिशु मृत्यु दर 34 रही। मध्यप्रदेश में शिशु मृत्यु दर लगभग 35 प्रतिशत राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर से अधिक है। अत: स्वास्थ्य के स्तर में सुधार हेतु प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर ले 32 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 36 प्रतिशत अधिक है ।

- **स्वास्थ्य** : मानव विकास का मूलभूत आधार है उसका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में दो मुख्य संकेतांक हैं जो मानव विकास की प्रावधारणा को इंगित करते हैं। जीवन जीने की प्रत्याशा का अर्थ किसी भी व्यक्ति के कुल वर्ष जीवित रहने की प्रत्याशा को दर्शाता है, यह संकेतांक कई महत्वपूर्ण तत्वों एंव सेवाओं पर निर्भर करता है तथा स्वास्थ्य

सेवाएं, पर्यावरण, आर्थिक स्थिति और कई सारे तत्व जो जीवित रहने में मदद करते हैं। प्रदेश में 2011 से 2015 के मध्य पुरूषों में जीवन जीने की प्रत्याशा 63.2 वर्ष व महिलाओं में 66.5 वर्ष रही। हालाकि यह भारत वर्ष की तुलना में लगभग 3.7 तथा 3.5 वर्ष क्रमशः कम है । वर्ष कम है, तथापि पिछले वर्ष की तुलना में यह लगातार बढ रही है।मध्यप्रदेश में MMR (मातृ मृत्यु दर) वर्ष 2011–13 में 221 रही, जो कि भारत वर्ष की MMR 167 से 32.33 प्रतिशत अधिक है। प्रदेश की मातृ मृत्युदर आसाम, उत्तरप्रदेश, राजस्थान तथा ओडिशा को छोड सभी राज्यों से अधिक है । स्वास्थ्य संरचना का सुदृढ़ीकरण, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराकर शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्युदर को घटा कर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में सुधार करना है ।

10.4.3 आय सूचकांक (GNIpc): प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति समता में सकल राष्ट्रीय आय (अमेरकी $ में). प्रति व्यक्ति न्यूनतम जीएनआई $ 100 ली गई है, जबकि प्रति व्यक्ति अधिकतम जीएनआई $ 75,000 ली गई है ।

मानव विकास में जीविका के अवसरों का भी मुख्य प्रभाव होता है । प्रदेश में आधार वर्ष 2011–12 के अनुसार प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय वर्ष 2016-17 में 73268 रू. थी, जो बढकर वर्ष 2017–18 में 79907 रू. हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्त्रियों के स्वसहायता समूह बनाये गयें है जिससे समुदाय की शक्तियों का उपयोग विकास के संसाधनों के रूप मे किया जा सके ।

10.5 जेण्डर विश्लेषण:

लैंगिक अन्तर (Gender Gap): विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लिंग गैप रिपोर्ट 2013 में 136 देशों के बीच 101 वें स्थान भारत को रखा गया है। भारत में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण के मामले में बेहतर प्रदर्शन किया है। भारत की लैंगिक अंतर सूचकांक 0-1 पैमाने पर 0.655 था। 0 असमानता और एक समानता दर्शाता है।

भारत की स्थिति हाल के वर्षों में मामूली सुधार हुआ है। 2007 और 2011 के बीच 114 और 112 वें स्थान के बाद अब यह 101 वें स्थान है। लेकिन इसकी सबसे अच्छी स्थिति में अब तक 2006 में था जब 98 वें स्थान पर था और 2012 में 105 वें स्थान पर था।

, भारत के राजनीतिक सशक्तिकरण subindex पर शीर्ष 20 सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले देशों में से है। स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के क्षेत्रों में लैंगिक अंतर को पाटने के लिए बहुत कुछ करने की

आवश्यकता है। इससे प्रतीत होता है कि मध्यप्रदेश को लैंगिक अन्तर कम करने के लिये देश की तुलना में अधिक ठोस कदम लेने की आवश्यकता है।

10.6 राज्य मानव विकास संकेतांक: राज्य मानव विकास प्रतिवेदन का महत्वपूर्ण योगदान निम्न क्षेत्रों में रहा है-

- राज्य में मानव विकास के क्षेत्रों को चिन्हित करना ।
- वृहद शोध नीति तथा मानव विकास के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावशाली व दक्ष बनाने हेतु कार्यवाही के विकल्पों को आधार प्रदान करना ।
- यह आंकलन करना कि विकासात्मक योजनाओं को किस हद तक मुख्य धारा में समाहित किया गया है ।

  राज्य मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में मध्यप्रदेश देश में प्रथम रहा है ।

10.7 प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन, 1995- प्रतिवेदन में व्यक्ति के जीवन स्तर की गुणवत्ता में शिक्षा,स्वास्थ्य एवं जीविका को केन्द्र बिन्दु बनाकर उसकी हैसियत व संभावनाओं का उल्लेख किया गया है इसमें सरोकार एवं अत्यावश्यकता की सहभागिता को दृष्टिगत रखते हुये मध्यप्रदेश में मानव विकास के संकेतोंकों के आधार पर प्रदेश के स्तर को चिन्हित किया गया है । इस प्रकार नवीन एजेन्डा के प्रयोजन से मानव विकास के लक्ष्यों में उच्च प्राथमिकता के अनुसार जनसामान्य में विचारों का संचार हो सका ।

10.8 द्वितीय मानव विकास प्रतिवेदन, 1998- उक्त प्रतिवेदन में मध्यप्रदेश मानव विकास प्रतिवेदन 1995 का योगदान मुख्य रूप से राज्य में मानव विकास के सदंर्भ में चिन्ता,परिचर्चा एवं की गई कार्यवाही का समावेश किया गया है प्रतिवेदन में जीविका एवं प्राकृतिक संसाधनों में पंचायती राज्य संस्थानों की भूमिका को शामिल किया गया है ।

10.9 तृतीय मानव विकास प्रतिवेदन, 2002- इस प्रतिवेदन में मानव विकास के ऐजेन्डा पर दर्ज की गई प्रगति का प्रमुख रूप से वर्णन है । साथ ही मध्यप्रदेश के परिप्रेक्ष्य में विकास को मापने हेतु संगत संकेतांकों की आवश्यकताओं का प्रस्तुतीकरण है । प्रतिवेदन में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति विकास सूचकांक से संबंधित प्रस्तावना का उल्लेख किया गया है ।

10.10 चतुर्थ मानव विकास प्रतिवेदन, 2007- प्रतिवेदन में अधोसंरचना एवं मानव विकास जैसे मुद्दों के बीच सह संबंधों का पता लगाना अधोसंरचना में जननिवेश की आवश्यकताओं पर संवाद के जरिये मध्यप्रदेश में मानव विकास की त्वरित प्रगति को सुनिश्चित करने हेतु प्रगति के विस्तार को गतिशील बनाना राज्य के चहुँमुखी विकास हेतु बिजली, पानी, सड़क आदि प्रमुख पूर्व अपेक्षित वस्तुओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया है ।

10.11 पंचम मानव विकास प्रतिवेदन, 2014- इस प्रतिवेदन में जीविका एवं कृषि और मानव विकास के जटील स्तरों को चिन्हित किया गया है । इसमें अजीविका व जीवन संचालन में कृषि का योगदान की वतर्मान स्थिति को समझने की कोशिश की गयी है ।

परिशिष्ट

मध्यप्रदेश एवं भारत के चुने हुये समाजार्थिक विकास संकेतांक

मद	इकाई	मध्यप्रदेश	भारत
1	2	3	4
जनसंख्या		**जनगणना, 2011**	**जनगणना, 2011**
जनसंख्या का घनत्व	प्रति वर्ग कि. मी.	236	382
पुरूष स्त्री अनुपात	प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियां (संख्या)	931	943
जनसंख्या वृद्धि दर (2001-2011)	प्रतिशत	20.3	17.7
कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या	प्रतिशत	72.4	68.9
कुल जनसंख्या में कुल कार्यशील जनसंख्या (मुख्य+सीमांत कार्यशील)	प्रतिशत	43.5	39.8
कुल कार्यशील जनसंख्या में कुल महिला कार्यशील जनसंख्या	प्रतिशत	32.6	25.5
कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषक	प्रतिशत	31.00	19.9
कुल कार्यशील जनसंख्या में खेतिहर मजदूर	प्रतिशत	38.1	17.9
कुल कार्यशील जनसंख्या में पारिवारिक उद्योग कर्मी	प्रतिशत	3.0	2.6
कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या	प्रतिशत	15.6	16.6
कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	प्रतिशत	21.1	8.6
प्रति व्यक्ति आय		**2017-18 (अ.)**	**2017-18 (अ.)**
प्रचलित भावों पर	रूपये	79907	111782
स्थिर (2011-12) भावों पर	रूपये	55442	86660

मध्यप्रदेश एवं भारत के चुने हुये समाजार्थिक विकास संकेतांक

मद	इकाई	मध्यप्रदेश	भारत
1	2	3	4
साक्षरता		**जनगणना, 2011**	**जनगणना, 2011**
कुल	प्रतिशत	69.3	73.0
पुरूष	प्रतिशत	78.7	80.9
स्त्री	प्रतिशत	59.2	64.6
जीवनांक		**सितंबर 2015**	**सितंबर 2015**
अ. जीवनांक (a)			
जन्म दर	प्रति हजार व्यक्ति	25.5	20.8
मृत्यु दर	प्रति हजार व्यक्ति	7.5	6.5
शिशु मृत्यु दर	प्रति हजार जीवित जन्म पर	50	37
बैंकिंग		**मार्च 2015**	**मार्च, 2015**
प्रति लाख जनसंख्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कार्यालय	संख्या	8	10
प्रति व्यक्ति जमा राशि	रूपये	36399	71148
प्रति व्यक्ति ऋण राशि	रूपये	19941	54851
ऋण/जमा अनुपात	प्रतिशत	54.78	77.09

(प्रा.) : प्राविधिक (अनु.) : अनुमानित

(त्व.) : त्वरित (अ.) : अग्रिम

(a) : न्यादर्श रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर आधारित ।

टीप : मध्यप्रदेश एवं अखिल भारत के संकेतांक तैयार करने हेतु संबंधित वर्ष की अनुमानित जनसंख्या एवं 2011 की जनसंख्या का उपयोग किया गया है ।

खनिज

प्रदेश में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन

(लाख टन में)

खनिज	2013-14	2014-15	2015-16 (स.)	2016-17 (प्रा.)
1	3	4	5	5
कोयला	755.90	876.00	1077.14	1085.48
बाक्साईट	7.76	8.32	6.84	6.58
ताम्र अयस्क	23.76	23.79	25.36	24.15
आयरन ओर	20.90	41.93	24.47	17.30
मैंगनीज अयस्क	7.96	8.78	7.66	6.48
रॉक फास्फेट	1.31	0.79	0.66	0.68
हीरा (कैरेट में)	37517	36107	36044	36516
चूनापत्थर	378.32	395.30	394.30	358.43

नोट: खनिजो का उत्पादन आई.बी.एम.की जानकारी के आधार पर है।

भारत सरकार द्वारा दिनांक 10.02.2015 से खनिज डोलोमाइट फायरक्ले एवं गेरू गौण खनिज के रूप में घोषित किये गए हैं।

(सं.) = संशोधित ।

(प्रा.) = प्रावधिक ।

खनिज

प्रदेश के महत्वपूर्ण उत्पादित खनिजों का मूल्य

(राशि लाख रूपयों में)

खनिज	2013-14	2014-15	2015-16 (स.)	2016-17 (प्रा.)
1	2	3	4	5
कोयला	1117927	1114782	1322549	1332789
बाक्साईट	4587	5267	4794	5016
ताम्र अयस्क	33553	24808	33156	30236
आयरन ओर	12464	24647	14756	6779
मैंगनीज अयस्क	51575	52199	33349	50516
रॉक फास्फेट	1451	672	556	663
हीरा (कैरेट में)	6141	6135	6214	6396
चूना पत्थर	63306	70241	88681	64214

नोट: खनिजो का उत्पादन आई.बी.एम.की जानकारी के आधार पर है।

भारत सरकार द्वारा दिनांक 10.02.2015 से खनिज डोलोमाइट फायरक्ले एवं गेरू गौण खनिज के रूप में घोषित किये गए हैं।

(सं.) = संशोधित ।

(प्रा.) = प्रावधिक ।

खनिज

प्रदेश के महत्वपूर्ण खनिजों का प्रतिटन औसत मूल्य

(रूपयों में)

खनिज	2013-14	2014-15	2015-16 (सं.)	2016-17 (प्रा.)
1	2	3	4	5
कोयला	1479	1272	1228	1228
बाक्साईट	592	633	700	762
ताम्र अयस्क	41989	42317	41821	44344
आयरन ओर	596	587	603	392
मैंगनीज अयस्क	6475	5945	4349	7794
रॉक फास्फेट	1104	851	839	846
हीरा (कैरेट में)	16368	16991	17241	17515
चूनापत्थर	167	177	225	179

नोट: खनिजो का उत्पादन आई.बी.एम.की जानकारी के आधार पर है।

भारत सरकार द्वारा दिनांक 10.02.2015 से खनिज डोलोमाइट फायरक्ले एवं गेरू गौण खनिज के रूप में घोषित किये गए हैं।

(सं.) = **संशोधित ।**

(प्रा.) = **प्रावधिक ।**

श्रम एवं रोजगार

रोजगार समंक

वर्ष	रोजगार कार्यालयों की संख्या	पंजीयत व्यक्तियों की संख्या (हजार में)	वर्ष के अंत में चालू पंजी पर दर्ज व्यक्तियों की संख्या		नौकरी दिलाये गये व्यक्तियों की संख्या		
			समस्त व्यक्ति (हजार में)	शिक्षित व्यक्ति (हजार में)	कुल (हजार में)	अनुसूचित जाति (संख्या में)	अनुसूचित जन जाति (संख्या में)
1	2	3	4	5	6	7	8
2011	57	537	2002	1405	07	1487	1632
2012	48	540	2069	1677	12	1058	1178
2013	48	424	2066	1751	06	242	276
2014	48	392	2004	1672	1.3	67	71
2015	48	423	1560	1377	0.334	88	10
दिस. 2016	52	345	1411	1123	0.129	19	32

स्त्रोत : आयुक्त, उद्योग विभाग मध्यप्रदेश ।

श्रम एवं रोजगार

मध्यप्रदेश में प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन

(31 मार्च की स्थिति)

नियोजन क्षेत्र	2013 (सं.)	2014	2015 (सं.)	2016	2017
1	2	3	4	5	6
शासकीय विभाग (नियमित)	440089	445849	457442	446762	447262
राज्यीय सार्वजनिक उपक्रम एवं अर्द्ध-शासकीय संस्थान	56069	61109	59587	63449	59634
नगरीय स्थानीय निकाय	74474	75134	75261	84079	85961
ग्रामीण स्थानीय निकाय	157320	168182	138785	141236	138855
विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	1762	1706	1746	1739	1687
विश्वविद्यालय	6902	6916	6792	6872	6372
योग	**736616**	**758896**	**739613**	**744137**	**739771**

(सं.) = संशोधित ।

स्त्रोत : आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्यप्रदेश भोपाल ।